राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 3] पंचम विधान सभा के तृतीय सत्र का 43 वां दिवस [संख्या 30

शुक्रवार,

दिनांक 30 मार्च, 1973,

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.00 बजे विधान सभा, भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[सार्वजनिक निर्माण, उपनिवेशन, राजस्व, विद्युत, सहकारिता, सिंचाई, चिकित्सा, आयुर्वेद, यातायात, देवस्थान, राजस्थान नहर परियोजना व पंचायत विभाग]

श्री अध्यक्ष : श्री मोहरसिंह।

चूरू—फतहपुर सड़क

869. श्री मोहरसिंह (चूरू)
श्री रावतराम आर्य (छापर)
श्री लूणाराम (श्री डूंगरगढ़) :

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) चूरू से फतहपुर सड़क निर्माण कब चालू हुआ था ? उस पर अब तक कितना रुपया खर्च हुआ है और क्या क्या काम हुआ है ?

(2) क्या यह सही है कि अब भी इस सड़क की हालत अच्छी नहीं है ? यदि हां, तो इसको कब तक ठीक करवा दिया जावेगा ?

(3) सरकार इस सड़क के निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा करवाने के लिए कितनी बार विधान सभा में आश्वासन दे चुकी है ? इन आश्वासनों को पूरा न करने का क्या कारण है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर नहीं आया है, इसलिए इसको स्थगित करने की व्यवस्था की जाय।

श्री अध्यक्ष : Postponed.

श्री ज्ञानसिंह

भूमि आवंटन के लिए विचाराधीन आवंटन-पत्र

870. श्री ज्ञानसिंह चौधरी (भादरा): क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र में कितने एकड़ सिंचित भूमि इस समय

Page No 2

(श्री ज्ञानसिंह चौधरी)
आवंटन के अभाव में खाली पड़ी है तथा कितने भूमिहीनों के प्रार्थना-पत्र विभाग के पास विचाराधीन पड़े हैं?

(2) उपनिवेशन विभाग की किस किस तहसील में कितनी कितनी भूमि खाली है और कितने भूमिहीनों के प्रार्थना-पत्र विचाराधीन हैं?

राजस्व मंत्री (श्री रामचन्द्र चौधरी) : (1) राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र में गंगानगर जिले में कोई सिंचित भूमि आवंटन के अभाव में खाली नहीं है। सन् 1967 के स्थाई आवंटन नियमों के अन्तर्गत 95429 प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए तथा नये आवंटन नियम, 1970 के तहत 9765 प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए जो कि विचाराधीन हैं। 50 हजार एकड़ भूमि पौंग विस्थापितों के लिए आरक्षित की गई है जो कि खाली नहीं है।

(2) तहसीलवार प्रार्थना-पत्रों की सूची संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट संख्या 1 देखिये)

श्री गुरदयाल सिंह संधु (करणपुर) : गंगानगर जिले में बहुत सी जमीन खाली पड़ी हुई है और आफिसर्स ने कब्जा कर रखा है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : कोई जमीन खाली नहीं है। पौंग डेम के आउस्टीज के लिए रिजर्व की हुई है जो कि आना शुरू हो गये हैं। दो बैच आ चुके हैं। उनके लिए 50 हजार एकड़ खाली रखी है।

श्री गुरदयालसिंह सन्धु : यह मैं आपको बता रहा हूं कि हर आफिसर ने 5, 10 और 20—20 मुरब्बा ले रखे हैं, क्या सरकार इसकी जांच कराने को तैयार है?

श्री रामचन्द्र चौधरी : इसके लिए एक हाई पावर कमेटी बनी हुई है जो कि इसकी जांच कर रही है और जितने भी अवैध कब्जे हैं, जितने भी गैर-कानूनी तरीके से लोगों ने जमीन कब्जे में ली हुई है, उन सब को मन्सूख करेंगे।

श्री गुरदयालसिंह सिन्धु : यह बात गलत है। न तो हाई पावर कमेटी के पास में कुछ पावर्स हैं और न उसकी मीटिंग होती है और न उसने अब तक किसी रेकार्ड को देखा है। तो यह बात बिल्कुल गलत है। यहां पर मैं यह पूछूंगा कि आइडेन्टिटी कार्ड कब तक बना दिये जायेंगे जिसके आधार पर जमीन एलाट हो सकती है?

श्री रामचन्द्र चौधरी : माननीय सदस्य उस कमेटी के मेम्बर हैं और आपके सामने कार्यवाही हो रही है। बाकी की कार्यवाही जल्दी से जल्दी करा कर जैसा उचित होगा किया जायेगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (सूरतगढ़) : आप अकेले ही उसके सदस्य नहीं हैं। मैं और प्रोफेसर केदारनाथ और ज्ञानजी चारों सदस्य हैं। वहां पर केसेज क्यों पड़े हुए हैं। जो लिस्ट हमने दी है उनमें से वी. आई. पी. की फाइलें कतई नहीं पहुंच रही हैं।

श्री रामचन्द्र चौधरी : जैसा भी आप सबों की रिपोर्ट होगी उस पर जरूर एक्शन

Page No 3

(श्री रामचन्द्र चौधरी)
लेंगे और किसी के भी पास फालतू जमीन है उसको छोड़ेंगे नहीं।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : फाइल ही नहीं पहुंचेगी तो क्या रिपोर्ट होगी और क्या केसेज तय होंगे और क्या हम रिपोर्ट देंगे। माननीय सदस्य श्री गुरदयालसिंह जी मैंने, ज्ञानजी और केदारजी ने इन चारों सदस्यों ने 2737 केसेज पुट अप करने के लिए लिस्ट दे रखी है, लेकिन दफ्तर में जाय तो उसमें फाइलें ही नहीं आई हैं।

श्री रामचन्द्र चौधरी : जैसे ही हमारे पास में कमेटी की रिपोर्ट आयेगी उस रिपोर्ट पर पूरी कार्यवाही करेंगे। फालतू किसी के पास जमीन है तो एक को भी नहीं छोड़ेंगे।

श्री गुरदयाल सिंह सन्धु : रिपोर्ट कब आयेगी। 300 फाइलें और पहुंची हैं पब्लिक के नुमायन्दों को देखने का अधिकार नहीं है तो किस आधार पर रिपोर्ट तैयार करेंगे।

श्री रामचन्द्र चौधरी : गवर्नमेन्ट की फाइलें सब को नहीं दिखा सकते। जो चेयरमैन हैं उनको खुदको दे देंगे, जो भी फाइलें वह मांगेंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : फाइलें ही नहीं देखेंगे तो हमें क्यों काठ का उल्लू बनाकर उस कमेटी में बैठा रखा है? अगर फाइलें नहीं देखेंगे तो क्या रिपोर्ट देंगे।

श्री रामचन्द्र चौधरी : मैं तो माननीय सदस्य मानता हूं आप. दूसरा कुछ माने तो बात दूसरी है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : कब बनी है वह कमेटी?

श्री गुरदयालसिंह सन्धु : उनको भूमि कब अलाट करेंगे?

श्री ज्ञानसिंह चौधरी : जिनके आवेदन-पत्र विचाराधीन पड़े हैं उनको कब तक जमीन देने की व्यवस्था करदी जायेगी, और कितनों कितनी भूमि दी जायेगी।

श्री रामचन्द्र चौधरी : माननीय सदस्यों को मालूम है कि इस इलाके में बहुत ज्यादा सैण्ड ड्यून्स हैं और उसके लिये कमेटी की एक टीम उसको देख रही है उसके लिए 100 करोड़ का प्रावधान 5 वर्षों में रखा है जिससे इसका लेवलिंग करायेंगे और लेवलिंग कराने के बाद में देंगे। यदि पहले दे देते हैं तो परमानेन्ट कब्जा देने के बाद में कोई कहेगा कि इस मुरब्बे को मिट्टी मेरे मुरब्बे में नहीं डालने दूंगा और कोई एतराज करेगा कि रोड को मिट्टी मेरे मुरब्बे में नहीं डालने दूंगा। इसलिए परमानेन्ट एलाटमेण्ट नहीं दे रहे हैं।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु : जिनका हक डिक्लेयर कर दिया गया है दरख्वास्त लेने के बाद उनको कब तक भूमि दे रहे हैं?

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : मेरा भी एक प्रश्न सुन लें।

श्री रामचन्द्र चौधरी : 55 के पहले के जितने भी आदमी थे उनकी परमानेन्ट एलाटमेण्ट कर दिया है और बाकी 55 से जो काम कर रहे हैं उनको जैसे जैसे जमीन

(श्री रामचन्द्र चौधरी)

प्राप्त होती जायेगी हम अलाट करते हुए चले जायेंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : माननीय मंत्रीजी हाई पावर कमेटी में बैठकर अकेले बीकानेर डिवीजन के सदस्यों को बुला लिया जिसमें एक चूरू को छोड़ दिया और बीकानेर और गंगानगर डिस्ट्रिक्ट के एम.एल.एज. थे उसमें कई निर्णय लिए गये, लेकिन माननीय मन्त्रीजी से पूछना चाहता हूँ कि जो निर्णय बाकायदा ले लिये गये और जो कि मिनिट्स में दर्ज हैं और जिनकी कापी हमारे पास आई है, क्या उन सारे निर्णयों को लागू कर दिया गया है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : लागू कर रहे हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : आज अप्रेल आने को है और पूरा एक वर्ष हो गया वह निर्णय लिए हुए। मैं यह चैलेंज करके कहता हूँ कि जो निर्णय लिये गये हैं उनमें से 90, 95 पर्सेन्ट निर्णयों को लागू नहीं किया गया है फिर आप एम.एल.एज. को इकट्ठा क्यों करते हैं जब कि हम जो निर्णय लेते हैं उनको लागू नहीं करते हैं तो ?

श्री अध्यक्ष : श्री विजयसिंह।

श्री भीमसेन (लूनकरणसर) : मैं यह पूछना चाहता हूं कि राजस्थान नहर में भूमिहीनों को बांटने के लिए कितनी जमीन उपलब्ध है आपके पास ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : मैंने बताया कि इस बारे में इसका सवाल नहीं है जो जमीन हमारे पास खाली है वह तो अभी रिजर्व में आई हुई है। वह पौंग डैम के आउस्टीज के लिए है। जिसमें पहले 7 हजार को बसाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद में 75 हजार एकड़ पंजाब और हरियाणा में जिन लोगों की जमीन राजस्थान कैनाल के नीचे आ गई है उनके लिए रिजर्व की है और बाकी 27 हजार एकड़ जागीरदारों के लिए रिजर्व है इस तरह से जितनी खाली जमीनें हैं वह रिजर्वेशन में आई हुई है थोड़ी बहुत हमारे पास है।

श्री अध्यक्ष : श्री विजयसिंह।

ग्राम गुढा की कृषि भूमि

871. श्री विजयसिंह राठौड (मांडल) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम गुढ़ा पंचायत सुरास, तहसील माण्डल में अजमेर-भीलवाड़ा सड़क के माण्डल चौराहे पर कृषि भूमि पर आबादी है ?

(2) क्या यह सही है कि सम्बन्धित पंचायत ने जिलाधीश भीलवाड़ा को उक्त कृषि भूमि को आबादी भूमि में परिवर्तित करने हेतु प्रार्थना की है ? यदि हां, तो यह मामला कितना पुराना है तथा अब तक उक्त भूमि को आबादी भूमि में क्यों नहीं परिवर्तित किया गया ?

(3) क्या यह सही है कि राजस्व अधिकारियों की लापरवाही की सजा उन गरीब काश्तकारों को मिल रही है जिन्होंने अपने रहने के लिए मकान बना लिये हैं ?

Page No 5

(श्री विजयसिंह राठौड)

यदि हां, तो 10 साल पहले से बने हुए मकानों को गिराने के आदेश क्यों दिये गये हैं ?

राजस्व मन्त्री (श्री रामचन्द्र चौधरी) : (1) जी हां।

(2) सम्बन्धित पंचायत ने दिनांक 27-7-70 को जिलाधीश, भीलवाड़ा को कृषि भूमि को आबादी में परिवर्तित हेतु प्रार्थना की है, परन्तु उक्त भूमि खातेदारान की होने व तथा नियमों में ऐसे प्रावधान नहीं होने के कारण आबादी भूमि में परिवर्तित नहीं की जा सकी।

(3) जी नहीं। यह सही नहीं है।

श्री विजयसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि यह जो भूमि के लिए पंचायत ने दरख्वास्तें दी हैं वह 70 की न होकर आज से 12 साल पहले की है और 12 साल पहले दरख्वास्तें देने के बाद में भी जब कि मकान उनके बन गये हैं तो उनकी जब पहले से दरख्वास्तें थीं तो उनको परमिशन क्यों नहीं दी और रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने उसके परिवर्तन के लिए क्यों मना कर दिया ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : जैसा कि मैंने अपने उत्तर में बताया कि सड़क से 50 फीट तक दोनों तरफ जगह छोड़ी जाती है और 50 फीट के अन्तर में मकान आये हुए हों तो उस पर किसी तरह का निर्माण नहीं कर सकते और जैसे दूसरे हाउसेज को रेग्युलेराइज करते हैं लेकिन सड़क की जमीन को रेग्युलेराइज नहीं कर सकते हैं।

श्री विजयसिंह : आपके पास नक्शे आये हैं या आप अन्दाज से कह रहे हैं कि 50 फुट है। वह 50 फीट नहीं है 60 फीट से दूर आबादी है। उन्होंने दरख्वास्तें पंचायत को दी कि इस जमीन को आबादी में परिवर्तित कर दें तो उनका डिसपोज आफ करने से पहले उनको मकान बनाने से पहले उनको आर्डर नहीं दिया। आप मना कर देते कि हम परिवर्तित नहीं करेंगे।

श्री रामचन्द्र चौधरी : मैंने निवेदन किया है कि सड़क से 50 फीट के अन्दर हैं।

श्री विजयसिंह : नहीं हैं।

श्री रामचन्द्र चौधरी : मेरे पास जो है इन्फर्मेशन उसके हिसाब से 50 फीट के अन्दर हैं। 50 फीट से बाहर है तो रेग्युलेराइज करने का सवाल आता है। अगर 50 फीट के अन्दर है तो उसको रेग्युलेराइज नहीं कर सकते हैं।

श्री विजयसिंह : क्या इस प्रकार के आदेश जारी करेंगे कि 50 फीट से बाहर है तो उसको रेग्युलेराइज कर दिया जाय।

श्री रामचन्द्र चौधरी : दूसरे किसी खातेदारी की जमीन है तो उसको भी रेग्युलेराइज नहीं कर सकते हैं जब तक कि

Page No 6

(श्री रामचन्द्र चौधरी)

उसके एक्वायर न कर लें। बाकी ऐसी जमीन है जो सिवाय चक की है और 50 फीट के बाहर की है तो उसको रैग्युलेराइज कर देंगे।

श्री विजयसिंह : खातेदार की जमीन है तो जिस खातेदार की जमीन है उसने उसको आवादी में परिवर्तित करने के लिए दरख्वास्त कर दी है तो उसका आप क्या करेंगे?

श्री रामचन्द्र चौधरी : फिर तो हम करेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री रामगोपाल।

सीताबाड़ी में बिजली

872. **श्री रामगोपाल जारवाल** (किशनगज) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि पंचायत समिति शाहबाद में सीताबाड़ी स्थान पर सरकार की बिजली पहुंचाने की योजना है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

विद्युत् मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : फिलहाल ऐसी कोई योजना नहीं है।

श्री रामगोपाल जारवाल : मैं यह पूछना चाहता हूं कि शाहबाद के अन्दर वोकर सेक्शन को बिजली पहुँचाने के लिए सरकार की योजना है। वह कितने ही वर्षों से है। वह पूरी नहीं हुई है। चालू भी नहीं हुई है। इसके अन्दर जो सरकार की धनराशि खर्च होगी तो उससे प्रतिवर्ष किसानों से पैसा मिलेगा। उससे फायदा होगा। किशनगंज से शाहबाद जो लाइन बिजली की पहुंचाई जायगी तो उस योजना को थोड़ा सा सीताबाड़ी की ओर मोड़ने की जरूरत है। उससे ज्यादा प्रोडक्शन मिलेगा। कुओं में बिजली के पम्प लगेंगें और उद्योग पनपेंगे तो इसके बारे में मंत्री महोदय के क्या विचार हैं?

श्री हरिदेव जोशी : हम यह चाहते कि पांचवी पंचवर्षीय योजना में मिनी आर. ई. सी स्कीम उस एरिया के के लिये बनाई जाये जो वायबिल भी हो और इकानामिक भी हो।

श्री अध्यक्ष : श्री मीठालाल।

सहकारी भूमि विकास बैंक जयपुर द्वारा ट्रैक्टरों के लिये ऋण

873. **श्री मीठालाल** (लालसोट) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला सहकारी भूमि विकास बैंक जयपुर द्वारा किसानों को ट्रैक्टर हेतु ऋण नहीं दिया जा रहा है?

(2) क्या यह सही है कि उक्त बैंक द्वारा पहले इस प्रकार का ऋण दिया जाता था? यदि हां, तो अब ऋण न देने के क्या कारण है तथा भविष्य में ट्रैक्टर खरीदने के लिये ऋण कब तक दिलवा दिया जावेगा?

राज्य मंत्री सहकारिता (श्री जुझार-सिंह) : (1) जी हां।

(2) जी हां। बैंक का अवधिपार ऋण देय तिथी 30-6-71 का मांग का 40 प्रतिशत अधिक होने के कारण रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के निदेशानुसार ट्रैक्टर हेतु ऋण दिया जाना बन्द कर दिया है। अवधिपार ऋण 40 प्रतिशत से कम होने पर पुनः ट्रैक्टर हेतु ऋण दिया जा सकेगा।

श्री मीठालाल : अध्यक्ष महोदय, बैंक ने जिले में जितने भी आदमियों को ऋण दे रखा है उनसे रिकवरी होना मुश्किल है क्योंकि वह सब बड़े आदमी हैं और उनकी वजह से छोटे किसानों को कोई सहायता नहीं मिल रही है। आप उन पर अटेचमेंट भी करवा लेते हैं लेकिन नीलामी नहीं करते। तो आप कोई रास्ता निकालें जिससे जो डिफाल्टर्स हैं वह पैसा दें और दूसरे किसानों को ऋण का फायदा मिल सके।

श्री जुझारसिंह : लोन देने के लिये रिजर्व बैंक की व्यवस्था है कि जब 40 प्रतिशत से ज्यादा रिकवरी ड्यू रह जाये तो रिजर्व बैंक लोन देना बन्द कर देती है। इस बैंक के 55 प्रतिशत से ज्यादा ओवर-ड्यूज हैं और उनकी रिकवरी के लिए कोशिश की जा रही है और जैसे ही ओवर-ड्यूज का प्रतिशत 40 से कम हो जायेगा, लोन देना चालू हो जायेगा।

श्री मीठालाल : न रिकवरी होगी, न आप लोन देना शुरू करेंगे। आप रिकवरी की बात क्या कर रहे हैं ? आप तीन महीने में या 6 महीने में डिफाल्टर्स से रिकवरी करके किसानों को सहायता दें। अभी जो नेता लोगों को आपने लोन दे रखा है उनसे आप रिकवरी नहीं कर रहे हैं।

श्री जुझारसिंह : नेताओं का प्रश्न नहीं है। 128 ट्रैक्टरों के लिये समिति ने ऋण दिया है। अब उन पर जो ओवरड्यूज हो गये है उनकी रिकवरी नहीं हो रही है। रिकवरीज का दायित्व कोआपरेटिव सोसाइटी पर भी होता है। आप भी कोशिश करें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जब बैंक डिफाल्टर होता चला जा रहा है तो आप उसको पी. डी. आर. एक्ट और दूसरी एजेन्सीज का इस्तेमाल करके डिफाल्टर्स से रिकवरी करें और बैंक को इस दलदल से बाहर निकालें।

श्री जुझारसिंह : इसकी रिकवरी की पूरी कोशिश की जायेगी, किसी को स्पेयर नहीं किया जायेगा चाहे वह नेता हो चाहे दूसरा हो।

श्री मीठालाल : कोई निश्चित अवधि तो बतादें कि इस समय तक रिकवरी हो जायेगी। हमारे प्रश्न पूछने का तात्पर्य यही है कि किसानों को ऋण मिल जाये। आप छः माह में या एक साल में, कितने समय में रिकवरी कर लेंगे, यह तो बतायें।

सहकारिता मंत्री (श्री नारायणसिंह मसूदा) : 30-6-73 तक आशा की जाती है कि इतनी वसूली हो जायेगी कि ओवरड्यूज 40 प्रतिशत से कम हो जायें।

(श्री नारायणसिंह मसूदा)

हर प्रकार से उनको दबाकर लोन वापिस लिया जायेगा।

श्री मीठालाल : आपने अटेचमेंट भी किया लेकिन नीलामी नहीं की। पिछले छः माह में कितनी रिकवरी की आपने ?

श्री मूलचन्द सामरिया : बैंक के वर्तमान और भूतपूर्व डाइरेक्टर्स के प्रति जो रिकवरी की कार्यवाही नहीं होती है, तो क्या वह कार्यवाही की जायेगी ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : जरूर की जायेगी।

श्री लक्ष्मणसिंह : जब सरकार का अनुभव है कि रिकवरी नहीं हो पा रही है तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या करने जा रही है ? मंत्री महोदय की यह घोषणा की जून 1973 तक रिकवरी हो जायेगी यह तो असन्तोषजनक नहीं है। रिकवरी का ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री नारायणसिंह मसूदा : मैंने निवेदन किया कि रिकवरी का प्रोसेस बढ़ाया जा रहा है और जिन लोगों को ऋण दिया गया है उनसे तकाजा किया जा रहा है और हर प्रकार के कदम लिये जा रहे हैं जिससे कि रिकवरी हो जाये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह तो आपका कहना ठीक है कि जून तक हो जायेगी, लेकिन क्या डिफाल्टिंग डायरेक्टर्स के खिलाफ सेक्शन 34 के अन्तर्गत एक्शन लेकर उनको सस्पेंड किया गया है ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : डिफाल्टर्स के लिये सैक्शन 34 के तहत कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री मालाराम।

खोखरा लाइमस्टोन की खान के पास की भूमि

874. **श्री मालाराम** (नीमकाथाना) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) नीम का थाना के पास खोखरा लाईमस्टोन की खान के चारों तरफ की सिवाय चक भूमि काबिल काश्त है ?

(2) क्या उक्त काबिल काश्त भूमि पर खोखरा खान के लीज होल्डर्स ने राजस्व विभाग की अनुमति प्राप्त किये बिना खान का मलबा डलवा कर इस जमीन को दबा दिया है और जमीन को बेकार करते जा रहे हैं ?

(3) क्या राजस्व विभाग को स्थानीय लोगों द्वारा इस सम्बन्ध में समय समय पर शिकायतें की गई थीं ?

(4) क्या विभाग द्वारा उक्त खान के लीज होल्डर्स के विरुद्ध उक्त जमीन को मलबा उठाकर खाली की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या विभाग द्वारा इस अनधिकृत कब्जे को हटाने की कार्यवाही कराने का राज्य सरकार का कोई इरादा है ? यदि हां, तो कब तक ?

(6) क्या यह सही है कि नीम का थाना तहसील के ग्राम गोड़वास पंचायत में

(श्री मालाराम)

भी मोदी मिल अपने मिल का मलवा जहां डालता है वह भूमि काबिल काश्त के है ? अतः अगर वह वहां डालता है तो क्या सरकार ने ऐसी कोई अनुमति प्रदान की है, अगर नहीं तो क्यों ? क्या सरकार इस पर कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

राजस्व मंत्री (श्री रामचन्द्र चौधरी) : (1). जी हां ।

(2). जी हां । खोखरा खान के लीज होल्डर्स ने राजस्व विभाग की बिना अनुमति के ही मलवा डालना शुरू कर रखा है, मलवा डालने से काश्त में रुकावट हो रही है ।

(3) जी नहीं ।

(4) जी नहीं, क्योंकि इस सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी ।

(5) जी हां । नीम का थाना तहसीलदार को नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु लिख दिया गया है ।

(6) मोदी मिल ने मलवा जहां रखा है वह भूमि चरागाह की है इसलिए काबिल काश्त होने का प्रश्न नहीं उठता । मलवा डालने के सम्बन्ध में सरकार से कोई अनुमति प्राप्ति नहीं की गई । इस सम्बन्ध में तहसीलदार, नीम का थाना को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु लिख दिया गया है ।

श्री मालाराम : मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि सदन में भी यह चर्चा उठी है, सेन्टर के भी मिनिस्टर साहब आये और जिला प्रमुख भी आये, तहसीलदार और कलेक्टर बार-बार इसको खाली करने के लिए नोटिस जारी करते हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ ।

श्री रामचन्द्र चौधरी : गवर्नमेन्ट ने तहसीलदार को लिखा है कि जल्दी से जल्दी कार्यवाही करके इस मलवे को दूसरी जगह डलवायें । जैसे ही कार्यवाही होगई, हम आपको इत्तला दे देंगे ।

श्री नारायणसिंह : कितने सालों से मलवा पड़ा हुआ है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : जब से लीज चल रहा है

श्री नारायणसिंह : 15 साल से लीज चल रहा है और जिस तहसीलदार ने उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं की, उसके खिलाफ आप एक्शन लेंगे ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : 15 साल का तो मुझे ज्ञान नहीं है । आपने भी कोई ऐतराज नहीं किया । जो मलवा खान से निकालकर पास की जमीन पर डालते हैं और वह काश्त योग्य भूमि है तो तहसीलदार जाकर दूसरी जगह, जो काम की नहीं है, वहां मलवा डलवायेंगे ।

श्री नारायणसिंह : करीबन 100 एकड़ काबिल काश्त भूमि है, इसको जल्दी से ही खाली करवायें ।

श्री रामचन्द्र चौधरी : जल्दी ही करा देंगे ।

श्री अध्यक्ष : श्री जेठमल बरवड़ ।

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय यह अत्यन्त महत्व का प्रश्न है कि 100

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

एकड़ भूमि पर कोई नाजायज कब्जा कर बैठा है, सेक्शन 91 के अन्तर्गत तहसीलदार को कार्यवाही करनी चाहिये, और उन्होंने इतने दिन यह कार्यवाही नहीं की है तो उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिये। वह चरागाह की भूमि है और सारे गांव के लोग परेशान हैं। माननीय सदस्य डेपूटेशन लेकर राज्य सरकार के ध्यान में ले आये फिर भी यह मलबा वहां से नहीं हटाया। मंत्री महोदय निश्चित अवधि बतायें जिसके अन्दर यह भूमि खाली करवा कर गांव के लोगों को चरागाह के लिए उपलब्ध कराई जायेगी।

श्री रामचन्द्र चौधरी : आज आपने यह सवाल यहां पूछा है, इससे पहले किसी किसान ने वहां पर तहसीलदार या कलेक्टर के पास कोई शिकायत पेश नहीं की। अब हमने तहसीलदार को लिखा है कि जल्दी से जल्दी कार्यवाही करे।

श्री अध्यक्ष : श्री जेठमल बरबड़।

रूपनगढ़ के पास पुलिया का निर्माण

875. **श्री जेठमल बरबड़** (परबतसर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि किशनगढ़-परबतसर सड़क पर रूपनगढ़ के पास एक पुलिया निर्माणाधीन है ? यदि हां, तो सर्वेक्षण के अनुसार कितनी धनराशि स्वीकृत की गई तथा इस पर अब तक कितनी राशि खर्च की जा चुकी है ?

(2) उक्त पुलिया का कार्य इस समय चल रहा है अथवा बन्द है ? यदि काम बन्द है तो क्यों तथा अब यह पुलिया कब तक बन कर तैयार हो जायेगी।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : (1) जी हां। वेन्टेड काजवे के लिये 49,646 रुपये का अनुमान था। रुपये 57,543 खर्च किये गये।

(2) कार्य बन्द है।

श्री जेठमल बरबड़ : आठ साल से यह पुलिया निर्माणाधीन है और आठ साल के अन्दर यह पुलिया नहीं बनी, आये दिन मोटर कार्स, बसेज को परेशानी होती है और उनको मकराना से होकर जाना पड़ता है। वहां गाड़ियां फंस जाती हैं।

श्री हरिदेव जोशी : इसलिये मैंने निवेदन किया कि अगले साल पूरा कर देंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री राजेन्द्र भारतीया।

श्री मीठालाल : चतुर्भुज जी को छोड़ दिया।

श्री अध्यक्ष : श्री चतुर्भुज।

टोरडी सागर

876. **श्री चतुर्भुज** (टोडारायसिंह) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार की यह योजना थी कि टोरडी सागर नदी में डाई से फीडर लाया जावे ?

Page No 11

(श्री चतुर्भुज)

(2) क्या यह सही है कि उक्त योजना के अन्तर्गत उक्त काम की सर्वे की जा चुकी है? यदि हां, तो इस योजना के लिये कितना रुपया स्वीकृत किया गया तथा यह काम कब तक पूर्ण हो जावेगा?

राज्य मंत्री सिंचाई (श्री मूलचन्द) :

(1) जी हां।

(2) जी हां, इस योजना का सर्वेक्षण करवाया गया था लेकिन योजना बहुत महंगी होने के कारण इसको नहीं लिया जा सका।

श्री चतुर्भुज : यह योजना जो है, यह राज्य सरकार ने मंजूर की है, इसको सरकार को जल्दी चालू करना चाहिए, इससे तीस लाख एकड़ जमीन की सिंचाई होगी। यह जमीन पिछले कई सालों से खाली पड़ी रहती है। जनता द्वारा इसकी मांग की गई है, यह योजना चार साल से पड़ी है. इसको राज्य सरकार हाथ में लेना चाहती हैं या नहीं, राज्य सरकार की मन्शा क्या है?

सिंचाई मंत्री (श्री रामचन्द्र चौधरी): इसमें टोरडी सागर की नहर डालने की स्कीम है, यह 89 लाख 25 हजार की है, इससे सस्ती लसाड़िया बांध बनाने की तजवीज है, जिस पर 35 लाख खर्च आयेगा और पांच हजार एकड़ जमीन की अनुमानतः सिंचाई होगी। इसलिए इस लसाड़िया बांध को पांचवी पंचवर्षीय योजना में ले रहे हैं और इसको पूरा करायेंगे।

श्री पी. के. चौधरी : इससे कितनी जमीन की सिंचाई होगी?

श्री अध्यक्ष : (श्री पी. के. चौधरी और श्री चतुर्भुज के एक साथ बोलने पर) दोनों में से किसी की बात समझ में नहीं आ रही है।

श्री पी. के. चौधरी : 35 लाख की योजना से पांच हजार एकड़ की सिंचाई होगी तो इस 89 लाख की योजना से कितने एकड़ की सिंचाई होगी।

श्री श्रीराम गोटेवाला : यह टोरडी सागर की योजना है...

श्री रामचन्द्र चौधरी : वह महंगी पड़ती है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : आपने 89 लाख की योजना बनाई, तो आप मेहरबानी करके यह बताइये कि उससे कितने एकड़ की सिंचाई होगी?

श्री रामचन्द्र चौधरी : उससे सिंचाई कितनी होगी, इसके मेरे पास आंकड़े नहीं हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : फिर महंगी कैसे मानी है?

श्री पी. के. चौधरी : फिर महंगी कैसे मानी है।

श्रीराम गोटेवाला : उसका कोई तर्क या आधार होगा?

श्री **रामचन्द्र चौधरी** : इसकी लागत आती थी पहले वह 19 लाख 92 हजार आती थी, वह बाद में 80 लाख की हो गई। इसलिए यह महंगी पड़ती है, उसको न लेकर लसाड़िया को लेना चाहते हैं।

श्री **बनवारीलाल** : मंहगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। इससे योजना मंहगी होती जायेगी और योजना ठप्प हो जायेगी।

श्री **रामचन्द्र चौधरी** : यह स्कीम मंहगी है, इसके बजाय ठीक स्कीम मिलती है, वह लसाड़िया की है, उसको ले रहे हैं, उसे पूरा करना है।

श्री **बनवारीलाल** : ऐसा है, लसाड़िया बांध के लिए फर्मा रहे हैं।

श्री **अध्यक्ष** : (दो तीन माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर) कृपा करके एक माननीय सदस्य बोलें तो मैं आभारी होऊंगा।

श्री **पी. के. चौधरी** : आपने कहा कि 35 लाख के बांध से पांच हजार एकड़ की सिंचाई होगी तो 89 लाख के बांध से कितनी जमीन की सिंचाई होगी यह पता नहीं है तो फिर कैसे कहते हैं कि मंहगी है?

श्री **रामचन्द्र चौधरी** : उसके आंकड़े नहीं हैं?

श्री **पी. के. चौधरी** : फिर कैसे मानते हैं कि मंहगी होगी?

श्री **श्रीराम गोटेवाला** : माननीय सदस्य कह रहे हैं कि टोरडी सागर के कम्प्लीट हो जाने से 30 हजार एकड़ को सिंचाई होगी।

श्री **रामचन्द्र चौधरी** : 30 हजार एकड़ की सिंचाई 89 लाख का बांध बनने से होती हैं तो उसे आज ही बनावें। वह आपका अन्दाज है।

श्री **पी. के. चौधरी** : इसका डेफिनेट उत्तर आना चाहिए।

श्री **योगेन्द्रनाथ हान्डा** : इसकी टेक्निकल रिपोर्ट ली है क्या?

श्री **बनवारीलाल** : यह बांध कितने समय में बन जायेगा?

श्री **रामचन्द्र चौधरी** : टोरडी सागर बांध की सर्वे कराई गई है, एस्टीमेट बनाये गये हैं उनके मुताबिक यह महंगा पड़ता है। इसलिए यह नहीं लिया गया और लसाड़िया का इसके पास है, उसे लिया गया है।

श्री **योगेन्द्रनाथ हान्डा** : इसमें पलेटिव स्कीम की टेक्निकल रिपोर्ट ली है?

श्री **अध्यक्ष** : नेक्स्ट।

श्री राजेन्द्र भारतीया।

सहकारी समिति को भूमि का बेचान

877. श्री **राजेन्द्र भारतीया** (बूंदी) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

क्या यह सही है कि कोटा के भूतपूर्व महाराजा को कोठी के पास स्टेशन रोड स्थित जमीन को सहकारी समिति बना कर करोड़ों रुपये की जमीन बेची गई है? यदि हां, तो सरकार को इस सहकारी समिति के कारण कितने रुपये की कोर्ट फीस का नुकसान हुआ?

राज्य मंत्री, सहकारिता (श्री जुझार सिंह) : कोटा के भूतपूर्व महाराजा की कोठी के पास स्टेशन रोड स्थित जमीन कोटा की

(श्री जुझारसिंह)

दो सहकारी समितियों को 54,50,530 रुपये में बेची गयी है ।

इन सहकारी समितियों के कारण राज्य सरकार को कोर्ट फीस के नुकसान का प्रश्न पैदा नहीं होता ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : प्रश्न पैदा नहीं होता है, यह कैसे कहा, 1 लाख 54 हजार की स्टाम्प ड्यूटी का नुकसान हुआ है ।

श्रीमती सुमित्रासिंह : स्टाम्प ड्यूटी का नुकसान हुआ वह कितना हुआ ?

श्री अध्यक्ष : एक माननीय सदस्य ।

श्री राजेन्द्र भारतीया : कोर्ट फीस की बिना पर रजिस्ट्री होती तो कितना राज्य सरकार को पैसा मिलता. मंत्री महोदय, बताने की कृपा करें ?

श्री जुझारसिंह : कोआपरेटिव पर स्टाम्प ड्यूटी लगती नहीं है । यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है और इसका जवाब दिया है । पिछली बार यह कहा था कि रजिस्ट्रार, कोआपरेटिव इसकी जांच करेंगे ? इसके बाद बार बार वही रिपीट होती है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : कितनी कोर्ट फीस लगेगी ?

श्री जुझारसिंह : कोर्ट फीस लगती नहीं है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : जमीन बेची है उसकी रजिस्ट्री हुई होगी तो उस पर कोर्ट फीस लगी होगी ?

श्री जुझारसिंह : कोर्ट फीस नहीं स्टाम्प ड्यूटी लगती है और स्टाम्प ड्यूटी सहकारी समितियों पर नहीं लगती है ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता ।

श्री राजेन्द्र भारतीय : सहकारी समिति कब बनी ?

श्री अध्यक्ष : यह पहले आ चुका है ।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : मैं पूछना चाहूंगा, सहकारी समिति बनने के बाद आज भी जमीन बेची जा रही है । सहकारी समिति बनी है, यह सहकारी समिति बाद में बनी है उसके पहले ही जमीन बेची गई । आज भी पहले की रसीदों से एडजस्ट करके रसीद काटी जा रही है ।

श्री जुझारसिंह : यह सहकारी समिति वही है जिनको जमीन बेची गई है । जिसका प्रश्न पूछा जा रहा है, मैं बता सकता हूं कि दो सहकारी समितियों को जमीन बेची है, श्री नाथ गृह निर्माण समिति को 32 लाख 67 हजार स्क्वायर फीट और गृह निर्माण को 30 लाख स्क्वायर फीट बेची गयी है ।

श्री अध्यक्ष : श्री भरतलाल ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : एक जरूरी प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष : सब जरूरी हैं । सुनिये, बैठिये ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : गवर्नमेंट को पांच लाख रुपया मिल जाता ।

श्री अध्यक्ष : बैठिये । कृपया स्थान ग्रहण करें ।

श्री राजेन्द्र भारतीया : मुझे सप्लीमेन्ट्री पूछने का समय नहीं मिला।

श्री अध्यक्ष : इस पर काफी प्रश्न आ चुके हैं। यह सवालात कई बार आये हैं इनके डिटेल में जवाब आये हैं। एक क्वेश्चन पर सारा टाइम लगेगा तो दूसरे सवाल नहीं आयेंगे।

श्री झाबरमल सूंडा : मैं यह पूछना चाहता हूं···

श्री राजेन्द्र भारतीया : एग्रीकल्चर लैंड पर प्लाट बेचने का अधिकार है क्या ?

श्री अध्यक्ष : श्री भरतलाल।

बामनवास डिस्पेंसरी का भवन

878. श्री भरत लाल (बामनवास) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि बामनवास जिला सवाई माधोपुर की डिस्पेन्सरी के भवन व बाउन्ड्री वाल की हालत बड़ी खराब है ? यदि हां, तो इस डिस्पेन्सरी का भवन किस वर्ष में तैयार हुआ था और उसके बाद सरकार द्वारा इस पर कब कब कितना कितना पैसा इसकी मरम्मत के लिये दिया गया है ?

(2) क्या यह सही है कि पी. डब्लू. डी. द्वारा भवन की लागत का 1 या 2 प्रतिशत प्रति वर्ष भवन को मरम्मत पर खर्च किया जाता है ? यदि हां, तो उपरोक्त डिस्पेन्सरी के भवन को क्यों नहीं मरम्मत की धनराशि दी जाती है ?

चिकित्सा मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : (1) जी हां। रियासत टाइम से चालू है। मरम्मत हेतु वर्ष 1971–72 में···

श्री राजेन्द्र भारतीया : मेरा निवेदन है···

श्री अध्यक्ष : I won't give time.

श्री राजेन्द्र भारतीया : इस पर आप सप्लीमेन्ट्री क्वेश्चन अलाऊ नहीं करेंगे। दिस इज माई क्वेश्चन।

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : I have closed it. It means I have closed it मैंने उस को क्लोज कर दिया, क्लोज कर दिया तो इसका मतलब है क्लोज कर दिया। आप उत्तर आने दीजिये।

श्री हरिदेव जोशी : मैं फिर पढ़ देता हूं।

(1) जी हां। रियासत टाइम से चालू है। मरम्मत हेतु वर्ष 1971–72 में 200 रु. व वर्ष 1972–73 में 400 रु. खर्च किये गये।

(2) जी हां। एस. डी. ओ. हैडक्वार्टर के बाहर होने के कारण।

श्री भरतलाल : माननीय मंत्री यह नहीं बताया, रियासत के वक्त बनी तो कौनसे सन् में बनी ?

श्री हरिदेव जोशी : मेरे पास तारीख नहीं है।

श्री भरतलाल : मैंने सवाल पूछा है, कौनसे सन् में बिल्डिंग बनी है ?

श्री हरिदेव जोशी : मैं वह सूचना दे सकता हूं जो मेरे पास अवेलेबल है।

श्री भरतलाल : मंत्री महोदय की जानकारी के लिए बता दूं कि 1947 में यह बिल्डिंग बनी थी, स्टेट के टाइम में, उससे लेकर 1970-71 तक इस पर कोई धनराशि रिपेअरिंग के लिए खर्च नहीं हुई ?

श्री हरिदेव जोशी : यह कहना सही नहीं है कि कोई पैसा खर्च नहीं हुआ। मैंने निवेदन किया, 1971-72 में दो सौ रुपये, और 1972-73 में चार सौ रुपये खर्च हुए ?

श्री भरतलाल : यह शर्म की बात है कि इतने साल में···

श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा : बड़ी भारी राशि व्यय हुई।

श्री भरतलाल : दो साल में खर्च हुई और वह भी छः सौ रुपये हुई।

श्री अध्यक्ष : आगे ध्यान रखिये।

श्री भरतलाल : मैं निवेदन कर दूं कि डिस्पेन्सरी को बाउन्ड्री वाल करीब करीब समाप्त हो चुकी है···

श्री अध्यक्ष : आपकी तरफ से प्रार्थना कर दी।

श्री भरतलाल : और डिस्पेन्सरी की हालत खराब है।

श्री हरिदेव जोशी : इसको देख लेंगे और अगले वर्ष में मरम्मत करवा देंगे।

प्रश्न संख्या 879

श्री अध्यक्ष : श्री भंवरलाल भदादा !

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिये)

श्री फारूक हुसेन !

वैद्यों व हकीमों की नियुक्ति

880. **श्री फारूक हुसेन** (सवाई माधोपुर) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में आयुर्वेदिक औषधालय तथा मतब (यूनानी डिस्पेंसरी) किस किस श्रेणी के कितने कितने हैं ?

(2) क्या उक्त सभी औषधालयों व मतब पर वैद्य व हकीम उपलब्ध हैं ?

(3) क्या मार्च सन् 1972 से मार्च 1973 तक कोई वैद्य व हकीम रिटायर हुये ? यदि हां, तो कितने किस किस श्रेणी के ?

Page No 16

(श्री फारुक हुसेन)

(4) क्या वैद्य एवं हकीमों की नियुक्ति वैद्यों तथा हकीमों के डिग्री प्राप्त करने के वर्ष को आधार मान कर की जाती है? यदि हां, तो क्या नियुक्तियां इस आधार पर हुईं ?

(5) क्या आयुर्वेद विभाग में वैद्य व हकीमों की नियुक्ति हेतु सीनियोरिटी के लिहाज से मेरिट लिस्ट तैयार की गई है ? यदि हां, तो उसे सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

आयुर्वेद मंत्री (श्री नारायणसिंह) : (1) आयुर्वेद एवं यूनानी औषधालयों की श्रेणी निम्न प्रकार हैं :—

	'अ' श्रेणी	'ब' श्रेणी	'स' श्रेणी
आयुर्वेद	34	146	1613
	3	6	33
कुल	37	152	1646

(2) जी हां।

(3) जी हां, सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(4) जी हां।

(5) जी हां, सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में भेजी गई।)

श्री अध्यक्ष : श्री मोहनलाल छंगाणी।

भूमि एलाटमेंट की जांच

श्री मोहनलाल छंगाणी (फलोदी) व **श्री श्रीराम गोटेवाला** (किशनपोल बाजार) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि 28 जनवरी, 1973 को तत्कालीन राजस्व मंत्री ने सदन में यह आश्वासन दिया था कि विभिन्न तहसीलों में जिलाधीश, अतिरिक्त जिलाधीश, उप-खंड अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, उप-पुलिस अधीक्षक, अन्य पुलिस अधिकारी, तहसीलदार एवं अन्य राजस्व कर्मचारियों व इनके रिश्तेदारों द्वारा अनधिकृत रूप में गत 5 वर्षों में आवंटित भूमि को निरस्त करने के लिए जांच की जावेगी व ऐसे आवंटन को निरस्त किया जावेगा ?

(2) राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में कार्यवाही करने के लिए किस अधिकारी को कब आदेश दिए व किस तिथि को राज्य सरकार को प्रतिवेदन प्राप्त हुए ?

(3) प्राप्त प्रतिवेदनों के क्या परिणाम रहे? अब तक कितने अधिकारीगण एवं उनके सम्बन्धियों के नाम अनधिकृत रूप में कृषि भूमि का आवंटन होना पाया गया ?

(4) राज्य सरकार द्वारा प्राप्त प्रतिवेदनों के आधार पर कितने आवंटनों को निरस्त किया गया ?

(5) राज्य सरकार द्वारा कितने अधिकारियों को जिन्होंने आवंटन करवाया व कितने अधिकारियों को जिन्होंने आवंटन किया, के विरुद्ध कार्यवाही की गई ?

राजस्व मंत्री (श्री रामचंद्र चौधरी) : भरसक प्रयत्नों के बावजूद जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रश्न का उत्तर आएगा ही नहीं। इस सत्र में जवाब आ जाएगा ?

श्री मोहनलाल छंगाणी : इसी सत्र में ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : भरसक प्रयत्नों के बावजूद भी जानकारी नहीं आई तो हाँजो साहब फरमा रहे हैं कि जो राजाओं··

श्री अध्यक्ष : मैं आपकी भावनाओं की कद्र करता हूं।

श्री गोरधन सिंह।

स्कूटरों एवं कारों का आवंटन

882. श्री गोरधनसिंह (सीकर) व श्री आबरमल (फतेहपुर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान विधान सभा के सदस्यों के कार (फियट) अथवा स्कूटर अलाटमेन्ट के लिए आने वाले आवेदन-पत्रों के आधार पर ही सदस्यों को फिएट कार अथवा स्कूटर का आवंटन किया जाता ? यदि हां, तो अब तक किन किन सदस्यों को फिएट कार अथवा स्कूटर का आवंटन विभाग द्वारा किया गया और जिनको आवंटन किया गया उनके सम्बन्ध में विधान सभा के किस किस तारीख को विभाग को पत्र प्राप्त हुआ ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सन् 1972 में विभाग ने अनेक ऐसे सदस्यों को फिएट कार अथवा स्कूटर का आवंटन किया है जिनके आवेदन-पत्र विधान सभा द्वारा नहीं भेजे गए हैं ? यदि हां, तो क्यों ? इसकी सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि विधान सभा सचिवालय द्वारा सदस्यों को फिएट कार एवं स्कूटर के आवंटन के विषय में यातायात विभाग को जो पत्र भेजे जाते हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर विभाग आवंटन नहीं करता है ? यदि हां, तो क्यों और किसके आदेश से ?

(4) क्या यह सही है कि सदस्यों को कार एवं स्कूटर के आवंटन के विषय में विभाग द्वारा प्राथमिकता का निर्धारण करने के सम्बन्ध में अभी तक कोई नियम नहीं बनाये गए हैं ? यदि हां, तो क्यों और यह नियम कब तक बन जायेंगे ?

(5) क्या यह सही है कि आवंटन के प्रति अनेक सदस्यों ने असंतोष प्रकट किया है और विभाग को पत्र भी लिखे हैं ? यदि हां, तो किन किन ने कब ?

यातायात मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : इसका भी उत्तर नहीं आया है, इसलिए इसको स्थगित किया जाए।

श्री आबरमल : पोस्टपोन भले करें लेकिन यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। सारे सदस्यों से सम्बन्धित है इसलिए हमें इसका उत्तर इसी सत्र में दिया जाए।

श्री मीठालाल : जहां तक हमारी जानकारी है स्कूटर और फियट कार का

(श्री मोठा लाल)
आवंटन विधिवत् ढंग से नहीं कर रहे हैं, मनमाने ढंग से कर रहे हैं। इस प्रश्न को जानबूझ कर टाला जा रहा है।

श्री झाबरमल : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : जल्दी जवाब देंगे।

श्री झाबरमल : इसी सत्र में ?

श्री हरिदेव जोशी : जल्दी उत्तर देंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री देवीलाल।

तहसील सराड़ा के ग्रामों का विद्युतीकरण

883. **श्री देवीलाल** (सराड़ा) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर जिले की तहसील सराड़ा के ग्रामों का ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत कोई सर्वेक्षण कराया गया है ? यदि हां, तो इसके अन्तर्गत कौन कौन से गांवों को लिया जाय ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त योजना को भारत सरकार के पास स्वीकृति हेतु भेजा गया है ? यदि हां तो कब ?

विद्युत मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : (1) जी हां सर्वे का कार्य चालू है। अभी तक जिन ग्रामों का सर्वेक्षण किया गया है उनकी सूची संलग्न है।

(2) जी नहीं। अभी स्कीम रिपोर्ट तैयार ही नहीं हुई है।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री अध्यक्ष : श्री उम्मेदीलाल।

गम्भीर नदी पर बांध

श्री उम्मेदीलाल (हिण्डौन) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(1) क्या सवाई माधोपुर तहसील करौली की गंभीरी नदी को दियाधह पर बांध बनाने का क्या सरकार विचार रखती है ?

(2) क्या इसकी सर्वे हो चुकी है ? यदि हां तो कब और किस वर्ष में ?

(3) क्या यह सही है कि इस बांध से निम्न तहसीलों को पानी मिलेगा गंगापुर, नादौती, टोडा भीम, महुवा, हिंडौन तथा लाखों एकड़ भूमि की सिंचाई होगी ? यदि हां, तो फिर सरकार इसमें क्यों विलम्ब कर रही है ?

राज्य मंत्री सिंचाई (श्री मूलचन्द) : (1) जी हां गंभीरी नदी पर करौली तहसील में पांचना नाम को योजना विचाराधीन है।

(2) इस योजना का सर्वे 1970-71 में कराया गया था।

(3) इस बांध के बन जाने के बाद गंगापुर, नादौती टोडा भीम व हिंडोन तहसील की लगभग 8000 एकड़ भूमि में

Page No 19

(श्री मूलचन्द)

फलों द्वारा व 6000 एकड़ भूमि में इन्डेशन द्वारा सिंचाई हो सकेगी। इस योजना का तखमीना केन्द्र सरकार को स्वीकृति हेतु भेजा जा चुका है जिसकी स्वीकृति होने व आवश्यक धनराशि के उपलब्ध होने पर कार्य शुरू कराया जा सकेगा।

श्री मीठालाल : योजना तो स्वीकार कर ली आपने ?

श्री मूलचन्द : केन्द्र से स्वीकृति आने पर काम हाथ में लिया जायेगा ?

श्री मीठालाल : लाभप्रद तो है ना ?

श्री मूलचन्द : जी हां।

श्री उम्मेदीलाल : इस गंभीरी नदी पर बांध बनने से जो इलाका सूखा पड़ा हुआ है और लगभग 4–5 तहसीलों का एरिया है और हमने बार बार निवेदन किया, उस पर मेरे ख्याल से संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया।

श्री रामचन्द्र चौधरी : 2–4–71 को सी. पी. डब्लू. सी. को यह स्कीम भेजी गई है और यह स्कीम बहुत अच्छी है क्योंकि इससे 14 हजार एकड़ सिंचाई होगी तो पंचवर्षीय योजना में हम इसको डेफोनेटली ले लेंगे और काम करायेंगे।

प्रश्न संख्या 885

श्री अध्यक्ष : श्री गोपाल जोशी।

(अनुपस्थित)

(कृपया आगे देखिये)

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव।

मोती डूंगरी रोड पर धार्मिक स्थान की भूमि

886. **सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव** (आमेर) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि मोती डूंगरी रोड पर उनियारा गार्डन के समीप चेतक मार्ग पर प्लॉट संख्या 24, 25 व 26 की सीमा में कोई धार्मिक स्थान है। जहां पर छतरी आदि अब भी स्थापित हैं ?

(2) क्या यह दादू पंथियों का वही प्राचीन पुण्य स्थल है जिसका उल्लेख बन्दोबस्त के रिकार्ड 1910 ईसवीं मौजा भवानी शंकरपुरा के खसरा 275 व 276 में है ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त दादू पंथी समाज की सार्वजनिक सम्पत्ति पर श्री सुखदेव आर्य अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी जयपुर ने अपने राज्य सेवा के प्रभाव से नाजायज कब्जा कर रखा है कि उन्होंने यह जमीन श्री गुलाबदास नामक व्यक्ति से खरीदी है ?

(4) क्या यह भी सही है कि श्री आर्य द्वारा किये अनधिकृत कब्जे के बारे में दादू पंथी समाज की ओर से स्वामी श्री जीवानन्दजी ने राज्य सरकार को शिकायत

Page No 20

(सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव)
की है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

देवस्थान मन्त्री (श्री नारायण सिंह मसूदा) : (1) जी हां। यहां दादू पंथियों का धार्मिक स्थल है जहां पर छतरियों व संतों के पगले (चरणचिन्ह) मौजूद हैं।

(2) जी हां।

(3) यह सही है कि उक्त स्थान पर अब भी श्री सुखदेव आर्य, अतिरिक्त जागीर कलेक्टर जयपुर काबिज हैं। उन्होंने यह स्थान माह अगस्त 1971 में श्री गुलाब दास चेला सुखदेव दास नाम के व्यक्तियों से खरीद की है तथा इसके स्वामित्व का मामला विवाद ग्रस्त है।

(4) इस मामले में उपखंड अधिकारी जयपुर की अदालत में इस्तकरारी हक व बेदखली का दावा चल रहा है तथा सतर्कता आयोग भी इस मामले की जांच कर रहा है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : किसी धार्मिक स्थान को बेचने का अधिकार है क्या ? जब आपने स्वयं ने स्वीकार किया है कि छतरियां व संतों के पगले मौजूद हैं। मेरा जो प्रश्न था श्री छंगानी का और मेरा, वह इसी से सम्बन्धित था कि अधिकारियों ने मिलकर शहरों के आसपास सम्पत्ति खरीद ली मैं पूछना चाहता हूं कि जिस अधिकारी ने जमीन खरीदी और जिन आदमी ने बेची है उसको बेचने का अधिकार था।

श्री नारायणसिंह मसूदा : धार्मिक स्थान को बेचने का अधिकार नहीं था। पंजीयन के लिए कार्यवाही की जा रही है।

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे—शोरगुल)

श्री श्रीराम गोटेवाला : एक आर. ए.एस. अधिकारी ने खरीदी है जो सारे कानून जानता है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : कानून यह है कि खरीददार को सफर करना पड़ता है, खरीददार से छीनते क्यों नहीं हैं ?

श्री नारायण सिंह : मुकदमा चला हुआ है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : सरकार कुछ नहीं कर रही है।

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव : मैं मंत्री महोदय को जानकारी देना चाहती हूं कि जिस दावे का मंत्री महोदय ने जिक्र किया है कि उपखंड अधिकारी की अदालत में चल रहा है वहां से फैसला हो चुका है उन्होंने भी माना है कि धार्मिक स्थान है। उसके बावजूद भी उक्त अधिकारी जमीन को खाली नहीं कर रहा है। राज्य सरकार क्या कर रही है उस अधिकारी के खिलाफ ?

श्री नारायण सिंह : जब पूरी तरह से जिम्मेदारी आयेगी तब कह सकेंगे। इस समय या तो यू.आई.टी. से सम्बन्ध है या राजस्व विभाग से सम्बन्ध है, उसी प्रकार एस. डी. ओ. कोर्ट में भी···

श्री श्रीराम गोटेवाला : यू. आई. टी. से सम्बन्ध नहीं है, देवस्थान विभाग से सम्बन्ध है।

श्री नारायण सिंह : देवस्थान का उन्हीं से सम्बन्ध है जो कि एक्ट के अन्तर्गत आ जाते हैं अथवा डाइरेक्ट चार्ज में मन्दिर है।

श्री हीरालाल देवपुरा : श्री सुख देव, राज्य सरकार के अधिकारी हैं। बिना राज्य सरकार की मंजूरी लिए सम्पत्ति खरीदने का अधिकार उनको नहीं है। उन्होंने खरीदने से पहले सरकार की मंजूरी ली?

श्री नारायण सिंह : देवस्थान विभाग का विषय नहीं है।

श्री हीरालाल देवपुरा : राज्य सरकार का अधिकारी होते हुए भी राज्य सरकार की मंजूरी नहीं ली तो राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की?

श्री नारायण सिंह : सम्बन्धित विभाग को कार्यवाही करनी चाहिए।

श्री हीरालाल देवपुरा : देवस्थान विभाग की जानकारी में कब आया कि उन्होंने इस जमीन को खरीदा है?

श्री नारायण सिंह : जब दादू पंथियों ने रजिस्ट्रेशन के लिए दरख्वास्त दी।

श्री हीरालाल देवपुरा : तो आपके विभाग ने राजस्व विभाग को जानकारी दी कि उक्त अधिकारी ने जमीन खरीद है, मंजूरी हासिल की है।

श्री नारायण सिंह : उनके खिलाफ मुकदमा पहले ही है?

श्री हीरालाल देवपुरा : एक अधिकारी ने अधिकार का दुरुपयोग किया। उनके बारे में क्या कार्रवाई करना चाहते हैं?

श्री नारायण सिंह : वह अधिकारी देवस्थान विभाग का नहीं है।

श्री हीरालाल देवपुरा : राज्य सरकार का है।

श्री राजेन्द्र भारतीया : देवस्थान विभाग राज्य सरकार का नहीं है?

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लग गये)

श्री हीरालाल देवपुरा: कंबीनेट की जोइन्ट जिम्मेदारी है। सवाल यह है कि अधिकारी ने जमीन खरीदी है, आपकी जानकारी में आ गई। तो देवस्थान विभाग ने राजस्व विभाग को सूचना दी कि श्री सुखदेव आर्य आपके विभाग का अधिकारी है, जिम्मेदार अधिकारी है, उन्होंने सम्पत्ति खरीदी, क्या आप से मंजूरी हासिल की?

श्री नारायण सिंह : अधिकारी क्यों मंजूरी हासिल करेगा?

श्री हीरालाल देवपुरा : जब आपको मालूम हो गया कि उन्होंने जमीन खरीदी है तो राजस्व विभाग से पूछताछ की गई?

श्री नारायण सिंह मसूदा : मुकदमा चल रहा है।

(कई माननीय सदस्य बोलने लगे)

श्री हीरालाल देवपुरा : उस अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही चल रही है ?

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : यह तो आपकी कैबोनेट की कलेक्टिव जिम्मेदारी है।

श्री नारायणसिंह : अधिकारी पर अदालत में मुकदमा चल रहा है।

कई माननीय सदस्य : फैसला हो गया यहां।

(शोरगुल)

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : मंत्री महोदय बिल्कुल जवाब नहीं दे पा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : (कई सदस्य एक साथ बोलने पर) Ladies First, Ladies First

श्रीमती नगेन्द्र बाला : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न इस बात का नहीं है यह बात देवस्थान विभाग के अधिकारी से संबंधित है या राजस्व विभाग के अधिकारी से संबंधित हैं प्रश्न तो यह है कि जब सरकार की जानकारी में यह आ गया कि अमुक उच्च अधिकारी ने धार्मिक जमीन खरीदी है और उसके लिये उसने राज्य सरकार से परमीशन भी नहीं मांगी तो राज्य सरकार उनके खिलाफ में क्या कार्यवाही करने जा रही है। अध्यक्ष महोदय जब कानूनी बात जानने वाले कानून की रक्षा करने वाले ही कानून तोड़ेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि क्या राज्य सरकार उनके खिलाफ में कोई कार्यवाही करने जा रही है।

श्री अध्यक्ष : संक्षिप्त में, संक्षिप्त में पूछें जो भी माननीय सदस्य प्रश्न पूछना चाहे वह।

श्रीमती नगेन्द्र बाला : अध्यक्ष महोदय यह बात देवस्थान विभाग के कमिश्नर के जानकारी में आयी होगी तो उन्होंने उनके खिलाफ में कोई कार्यवाही करने के लिये लिखा क्या...

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने खड़े होने पर अध्यक्ष)

श्री अध्यक्ष : एक एक माननीय सदस्य,

निरन्जननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय मैं एक ही प्रश्न पूछ लेता हूं उसका उत्तर दिलाने को मन्त्री महोदय भी बैठे हैं वे अगर इसका कोई सोल्यूशन बतादें तो ठीक रहेगा। मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या कोई राजकीय अधिकारी गवर्नमेंट की इजाजत लिये बिना कोई जमीन खरीद सकता है क्या ? अगर वह अधिकारी कोई जमीन अनियमित ढंग से खरीदता है तो वह क्या आफेन्स कहलायेगा या नहीं और अगर वह आफेन्स है कानून की दृष्टि से उसे तो क्या राज्य सरकार उसके खिलाफ में कोई एक्शन लेने को तैयार है क्या अथवा

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

नहीं और नहीं तो क्यों ? इसका उत्तर दें।

श्री मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या मन्त्री महोदय इतने सक्षम हैं कि उस अधिकारी के खिलाफ में एक्शन ले सकें इसका उत्तर भी दें।

श्री अध्यक्ष : आपको अपनी राय देने की जरूरत नहीं है जो मन्त्री महोदय कह रहे हैं उसे सुनलें।

(कई सदस्य एक साथ प्रश्न पूछने खड़े होकर बोलने पर अश्रव्य)

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : एक एक बोले तो ठीक रहेगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य विराजिये। मन्त्री महोदय।

श्री निरन्जन नाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय, क्यों उपनेता महोदय जवाब देने को खड़े हो गये हैं आप उन्हें ही जवाब देने दें।

श्री गुमानमल लोढा : अध्यक्ष महोदय मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या यह श्री सुखदेव आर्य वही ए. डी. एम. तो नहीं हैं जो कि मेड़ता में थे और उनके खिलाफ में नाथूराम जी के इलेक्शन में उनके पक्ष में गड़बड़ करने के लिए उनके खिलाफ में इन्क्वायरी हुई थी और अब इन्हें इस मामले में भी बचाने का प्रयास किया जा रहा है।

एक माननीय सदस्य : उस मामले में तो कोई बात नहीं हुई सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो चुका है।

(कई सदस्य बोलने से अश्रव्य, शोरगुल)

श्री श्रीराम गोटेवाला : उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट से हो चुका है, यह माननीय सदस्य को पता होना चाहिये।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : सुप्रीम कोर्ट के फैसले का शायद इन्हें पता नहीं है।

श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय एक राजकीय उच्च अधिकारी अगर इस तरह से गैर कानूनी काम करता है, चाहे वह देवस्थान विभाग से ताल्लुक रखने वाला हो चाहे राजस्व विभाग का अधिकारी हो, लेकिन यह केबीनेट की कोरेस्पोंसिबिलिटी होती है। ऐसे अधिकारी के खिलाफ में एक्शन लें। अगर राज्य सरकार उसके खिलाफ में कोई एक्शन नहीं लेती है तो यह अनियमितता की पराकाष्ठा है और घृणित कार्य है। मेरा राज्य सरकार से यह अनुरोध है कि तत्कालीन अधिकारी के खिलाफ कठोर से कठोर कदम उठाये जायें। यह मैं मानता हूं कि यह मामला सबज्युडिस है . . .

एक माननीय सदस्य : कौनसा मामला कोर्ट के विचाराधीन है ?

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : इसका कोर्ट से फैसला हो चुका है।

श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय अगर कोर्ट से फैसला हो चुका है तो मेरा निवेदन

(श्री लक्ष्मण सिंह)

है कि इसके खिलाफ में कठोर से कठोर कार्यवाही की जाय। अध्यक्ष महोदय अब हम विपक्ष के लोगों का यह कटु अनुभव हो चुका है कि सरकार में लायतलाली और रैड टैपिज्म भरा पड़ा है जिससे धीरे धीरे किसी भी मामले में निष्पक्ष जांच होना मुश्किल हो जाता है और मैं तो कहूंगा कि वह मामला रफा दफा हो जाता है। यह तो विपक्ष का काम हो जाता है कि वह इस प्रकार सरकार में होने वाली कार्यवाही की ओर ध्यान दिलाये।

श्री श्रीराम गोटेवाला : यह आप लोगों की रेसपोन्सिबिलटी नहीं रही है। अब यह काम हमने अपने सिर पर ले लिया है।

श्री मनोहरलाल : आप ही गैर कानूनी काम करने वाले और आप ही उसे उठाने वाले हैं।

श्री लक्ष्मण सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि ऐसे मामलों में सरकार की नीति क्या है। क्या सरकार ऐसे मामलों में कोई कार्यवाही करने को तैयार है।

चिकित्सा मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : अध्यक्ष महोदय, यह केस की क्या डीटेल्स है यह तो मैं नहीं जानता क्योंकि आफ हैन्ड मैं अभी क्या बताऊं लेकिन किसी अधिकारी ने कोई जमीन परचेज की है तो उसके लिए यह जरूरी होता है कि वह राज्य सरकार से परमीशन ले। लेकिन अगर ऐसी कोई बात हुई तो गवर्नमेंन्ट इस मामले में जांच करेगी और उसमें अगर कोई नैसेसरी बात हुई एक्शन लेने की तो गवर्नमेन्ट जरूर उस अधिकारी के खिलाफ में एक्शन लेगी।

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न। श्री अजीतसिंह।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 12-3-73)

जिला टौंक की बहुउद्देशीय सहकारी समितियों के हिसाब की जांच

430. **श्री अजीतसिंह (टौंक)** : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जिला टौंक में किन किन बहुउद्देशीय सहकारी समितियों के हिसाब की जांच हो चुकी है? किस किस समिति पर कितना कितना बकाया रहा तथा बकाया राशि वसूल क्यों नहीं हो रही है?

(2) तहसील टौंक में सहकारी समिति मेहदवास पर कृषि विभाग की खाद की कितनी रकम बाकी है और उसका कौन देन दार है तथा वसूली क्यों नहीं हो रही है?

सहकारिता मंत्री (श्री जुझारसिंह) : (1) टौंक जिले में 189 बहुउद्देशीय सहकारी समितियों के हिसाबों की जांच (अडिट) हो चुकी है सूची सदन के पटल पर रखदी गई है। जिन जिन समितियों पर जितना जितना ऋण बकाया है उनकी सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत करदी गई है। बकाया राशि में अवधिपार ऋण जिले में लगातार भीषण

(श्री जुझारसिंह)

अकाल व बाढ़ होने के कारण वसूली नहीं हो सकी।

(2) टोंक तहसील में सहकारी समिति मेहदावास पर आडिट रिपोर्ट के अनुसार कृषि विभाग की खाद की कोई रकम बकाया नहीं है। अतः वसूली का कोई प्रश्न ही नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में भेजी गई)

श्री अजीतसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी जानकारी के लिए यह बात निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे जो सूचना मिली है वह रिपोर्ट गलत है। अध्यक्ष महोदय वास्तविक स्थिति यह है कि वहां के काश्तकारों की हालत बहुत ही खराब है और उन्हें ऋण नहीं मिल रहा है। आज जो लोग पैसा लेकर खा गये, वह खा गये लेकिन जिन समितियों में कुछ भी बकाया है नहीं उन्हें भी ऋण नहीं दिया गया है। इसके अलावा जिन समितियों को मुनाफा हुआ था वह मुनाफा अभी तक उन समितियों के शेयर होल्डर्स में नहीं बांटा गया है। इसके अलावा जो ऋण मिलने वाला था वह भी नहीं मिल रहा है। कहने को तो कहते हैं कि मुनाफा बैंक में जमा करा दिया है। आज अध्यक्ष महोदय लोगों को नुकसान हो रहा है जो कि शेयर होल्डर्स हैं, इसलिए मैं यह सूचना चाहूंगा कि उन लोगों को जो मुनाफा हुआ है वह बैंक से दिलाया जाय। वह ऋण भी उन सहकारी समितियों को दिलाया जाय ताकि वह लोग अपना काम कर सकें। जिन में बकाया है उनसे वसूली की जाय।

श्री जुझारसिंह : वसूली की कार्यवाही जारी है अध्यक्ष महोदय।

श्री अजीतसिंह : अध्यक्ष महोदय का यह कहना ही काफी नहीं है कि वसूली की कार्यवाही जारी है। यह बात मैंने मन्त्रीजी को जितनी बार प्रश्न पूछा उसके बाद में उन्होंने मुझे यही कहा है कि वसूली की कार्यवाही जारी है। यह तो कोई बात नहीं हुई। जिन लोगों ने पैसा खा लिया है उनसे वसूली नहीं हो रही है और बेचारे दूसरे तकलीफ ...

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन श्री मूलचन्द सामरिया।

स्थगित प्रश्न
(दिनांक 16-3-73)

गृह निर्माण सहकारी समितियां

579. श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में जनवरी, 1972 से फरवरी, 1973 तक कुल कितनी गृह निर्माण सहकारी समितियां पंजीकृत हुई ? सूची तहसीलवार सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त समितियों में से देहातों में कितनी सहकारी समितियां हैं, उनकी सदस्य संख्या क्या है ?

(3) उक्त समितियों में से कितनों को गृह निर्माण हेतु कितना ऋण मिला ?

(श्री मूलचन्द सामरिया)

(4) कितने नये भवनों का निर्माण हुआ?

(5) क्या सरकार इसके नियमों को सरल समझती है ?

सहकारिता मंत्री (श्री जुझारसिंह) : जी हां।

श्री मूलचन्द सामरिया : क्या जी हां।

श्री जुझारसिंह : जी नहीं...

श्री खेतसिंह : अब जी नहीं।

सहकारिता मंत्री (श्री जुझारसिंह) : (1) राजस्थान में जनवरी, 1972 से फरवरी, 1973 तक कुल 728 गृह निर्माण सहकारी समितियां पंजीकृत की गई हैं। सूची तहसीलवार सदन की मेज पर रखदी गई है। उदयपुर जिले की सूचना अभी तक प्राप्त न हो सकने के कारण उस जिले के आंकड़े सम्मिलित नहीं किये गये हैं।

(2) उक्त समितियों में से देहात में 565 समितिया हैं व उनकी सदस्य संख्या 16,891 है।

(3) उक्त समितियों में से 147 सहकारी समितियों को गृह निर्माण हेतु 2,27,64,388 रुपये का ऋण स्वीकृत किया गया है।

(4) 4646 नये भवनों के निर्माण के लिए ऋण स्वीकृत किया गया है।

(5) जो हां।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में भेजी गई)

श्री पी. के. चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि इन सहकारी समितियों को कितना ऋण भुगतान हुआ है ?

श्री मीठालाल : करीब 15 लाख रुपये करीब एक दो लाख और बढ़ गया होगा अब।

श्री जुझारसिंह : करीब 20 लाख रुपये स्वीकृत हो चुका है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : 20 करोड़ में से केवल बीस लाख मिला है। इसका मतलब हुआ 10 परसेन्ट वितरित हुआ।

श्री पी. के. चौधरी : अध्यक्ष महोदय, 2 करोड़ रुपये वितरित करना था और आपने दो करोड़ सेंक्शन किया है उसमें से 20 लाख ही वितरित हुआ। उसका क्या कारण है ?

श्री मूलचन्द सामरिया : अध्यक्ष महोदय कुल 728 गृह निर्माण सहकारी समितियां पन्जीकृत हुई और उसमें आपने 147 को ही दो करोड़ 27 लाख रुपये सेंक्सन किये हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि बाकी कि सहकारी समितियों को क्यों नहीं दिया गया है। मैं इसका कारण यह समझता हूं कि लोन देने के लिये जो आपने प्रक्रिया बनायी है वह बहुत ही कठिन है इसलिए उन्हें यह लोन नहीं मिल रहा है गवर्नमेंट इसे सरल क्यों नही बनाती है...

श्री जुझारसिंह : क्या कहा आपने। एक बार फिर रिपीट कीजिये।

एक माननीय सदस्य : माननीय मंत्री महोदय कहते है कि इनके नियम लोन लेने

(एक माननीय सदस्य)

के लिये जो बनाये हैं वह सरल हैं और समाज कल्याण मन्त्री जी यह कहते हैं कि जो सहकारी समितियों को लोन देने के नियम बनाये हैं वह बहुत कठोर है यह क्या बात है कौनसी बात सही है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय बीस लाख रुपये ही वितरित किए गए हैं जबकि दो करोड़ रुपये सेंक्शन किये गये हैं। इसका मतलब यह हुआ कि बाकी सहकारी समितियों ने नियमानुसार फार्म नहीं भरा होगा....

श्री मूलचन्द सामरिया : अध्यक्ष महोदय इन नियमों को सरल बनाया जाना चाहिए। इन्हें चेन्ज किया जाय। इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है वह तो कोन्ट्राडिक्ट्री स्टेटमेंट दिया है।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय कुछ कहना चाहेंगे।

सहकारिता मन्त्री (श्री नारायणसिंह): अध्यक्ष महोदय इसको फोरमिलिटीज होती है वह भरने के बाद जबकि जमीन अलाट हो जाती है तो उसका वन थर्ड दे दिया जाता है उसमें बाद वन थर्ड और दिया जाता है जब वह खर्च हो जाता है तो उसका सर्टिफिकेट देने पर और जैसा कि मैंने कहा वन थर्ड दिया जाता है। इसके अलावा यह भी बात है कि कुछ लीगल कन्सटेक्शन का भी खर्चा होता है। एक हजार रुपये पर फीस लगती है इस प्रकार और भी बहुत सी फोरमलिटिंज होती है जिसके कारण दो करोड़ में से सिर्फ बीस लाख रुपये वितरित किये गये हैं। यह वाकई में नगण्य है। इसके अलावा यह भी बात है कि कलेक्टर के पास भी जाता है। अतः काफी जोर पड़ता है। इसलिए यह पैसा मिलने में थोड़ा समय लग जाता है। और इसमें थोडी दिक्कत तो आ ही जाती है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय समाज कल्याण मन्त्री इसे कठिन बता रहे हैं और इन्होंने अपने जवाब में आसान बताया है, इसका फैसला तो होना चाहिये।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : रूल्स सरल है क्या इसका जवाब दिलावे।

श्री अध्यक्ष : यह तो अपनी अपनी राय है कि कौनसा सरल है कौनसा कठिन है यह अलग अलग है।

माननीय मन्त्री जी को सुनिये वह क्या कहना चाहते हैं।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर अश्रव्य)

कृपया स्थान ग्रहण कीजिये माननीय मंत्री जी को जवाब देने दीजिये।

श्री मानालाल : लोग घबराकर घर बैठ जाते है। प्रोसीजर इतना कठिन है।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय।

श्री बनवारीलाल : 20 लाख रुपया बांटा नहीं गया है लेकिन मंजूर किया गया

(श्री बनवारीलाल)

है। 100 तो उनकी शेयर मनि है और 300 रुपया समाज कल्याण के हैं। वह राशि है। जहां तक नियमों का सवाल है, ये बड़े कठिन हैं और इसको सरल करना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : आगे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री माणकचन्द सोगानी : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि गरीब आदमी है, उनके घर से 400) रुपये और निकल गये।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।

श्री केदारनाथ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : प्रश्न संख्या 586।

श्री मूलचन्द सामरिया : मुझे तो प्रश्न पूछने ही नहीं दिया गया।

श्री अध्यक्ष : मैंने खुद ने तीन दफा कहा है आपको।

श्री मूलचन्द सामरिया : एक को भी यह नहीं मिला है।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय को तकलीफ यह है कि आप सुनने का उनको मौका ही नहीं देते हैं।

श्री नारायणसिंह मसूदा : जिस प्रकार से लोन दिया जाता है उसका प्रोसिजर संक्षेप में निवेदन कर दिया गया है। उसमें कठिनाई मालूम पड़ती है इसीलिये कम दी गई है राशि। इस सम्बन्ध में हाउसिंग को-आपरेटिव सोसाइटी से बात करूंगा कि नियमों का क्या सरलीकरण हो सकता है ताकि लोनीज को यथासमय लोन उपलब्ध करा सकें। उसके बाद निवेदन कर सकता हूं कि इसमें क्या किया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री केदारनाथ। श्री निरंजननाथ आचार्य।

श्री निरंजननाथ आचार्य : प्रश्न संख्या 586।

श्री अध्यक्ष : सहकारिता मंत्रीजी।

(व्यवधान)

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं तीन दफा पूछ चुका हूं। प्रश्न संख्या 586।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 16–3–73)

श्री गोविन्द गृह निर्माण सहकारी समिति

586. श्री केदारनाथ (गंगानगर) : श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) श्री गोविन्द गृह निर्माण सहकारी समिति लि. गोविन्दगढ़ का पंजीयन किस तिथि को हुआ था? पंजीयन के समय इस समिति के पदाधिकारी कौन थे और वर्तमान में कौन हैं? सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या उक्त सहकारी समिति के चुनाव वार्षिक होते हैं? यदि हां, तो वर्तमान

Page No 29

(श्री केदारनाथ, श्री निरंजननाथ आचार्य) में जो पदाधिकारी हैं वे कब चुने गये थे और अब चुनाव कब होंगे ?

(3) क्या उक्त समिति का आडिट विभागीय चीफ आडिटर सहकारी समितियां राजस्थान के कार्यालय द्वारा कराया गया है ? यदि हां, तो किस किस वर्ष का ? आडिट रिपोर्ट की प्रतिलिपियां सदन के पटल पर रखें।

(4) क्या आडिट रिपोर्ट में समिति पर सहकारी स्टाम्प की चोरी, गबन अथवा इसी प्रकार की अन्य अनियमितताओं के आरोप लगाये गये हैं ? यदि हां, तो विभाग ने समिति के पदाधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ? यदि की तो क्या ? और नहीं, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, सहकारिता (श्री जुझार-सिंह) : (1) श्री गोविन्द गृह निर्माण सहकारी समिति लि. जयपुर का पंजीयन दिनांक 11-11-68 को हुआ । इस समिति के पंजीयन के समय के एवं वर्तमान पदाधिकारियों की सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) जी हां, वर्तमान पदाधिकारी दिनांक 2-11-71 को चुने गये थे । आगामी चुनाव के लिये चुनाव अधिकारी की नियुक्ति की जाकर चुनाव की तिथि 15-7-73 निश्चित की जा चुकी है ?

(3) जी हां, वर्ष 68, 69, 70 एवं 71 का आडिट करवाया जा चुका है । सभी आडिट रिपोर्टों की प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(4) जी नहीं । अन्य प्रकार की अनियमितताएं एवं दुरुपयोग के बताये गये मामलों में संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 की धारा 36 व 30 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में भेजी गई)

श्री निरंजननाथ आचार्य : और यह प्रश्न पूछा गया उसकी कार्यवाही उस वक्त से प्रारम्भ हुई या इससे पूर्व में प्रारम्भ हुई अथवा आपको प्राप्त शिकायतों के आधार पर हुई ?

श्री जुझारसिंह : आपके प्रश्न पूछने के और इस प्रश्न के बीच हुई।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट । श्री भंवरसिंह ।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 20-3-73)

वैद्यों को बकाया

602. **श्री भंवरसिंह (नवलगढ़)**: क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि आज तक जिला बोर्ड, झुंझुनू के समय का वेतन वैद्यों को नहीं मिला है ? यदि हां, तो क्यों और इनकी संख्या क्या है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) उक्त वैद्यों और उप वैद्यों को उनका बकाया वेतन कब तक दे दिया जावेगा ?

आयुर्वेद मंत्री (श्री नारायणसिंह) : (1) जी नहीं। अधिक समय का मिल चुका है। कुछ समय का शेष है। जिलाधीश झुंझुनू द्वारा स्पष्ट प्रमाण-पत्र के अभाव में भुगतान की कार्यवाही संभव नहीं हुई। उनकी संख्या 47 है,। सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(2) उक्त वैद्यों तथा उप वैद्यों को बकाया वेतन का भुगतान 6 माह की अवधि में कर दिया जावेगा।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

श्रीमती सुमित्रा : क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि 19 साल का समय बीत गया और फिर छः महीने के समय की आवश्यकता पड़ गयी ?

श्री नारायणसिंह : इनडेमनिटी फोर्म बगैर सब की कार्यवाही करना पड़ेगा। प्रि आडिट भी करना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री यशवन्तसिंह नाहर।

स्थगित प्रश्न
(दिनांक 20-3-73)
विद्युत् मीटरों की खरीद

626. श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत दो वर्षों में राजस्थान विद्युत बोर्ड ने किन्हीं कम्पनीज से कोई विद्युत मीटर खरीदे ? यदि हां, तो कब कब कितने ?

(2) क्या उनके लिये टेण्डर आमंत्रित किये गये ? यदि हां, तो उनकी रेट्स प्रति मीटर क्या क्या थी ?

(3) क्या यह सही है कि 1971-72 में जो टेण्डर आमन्त्रित किये गये और उसमें से जिसका टेण्डर मीटर के लिये एप्रूव हुए उसकी रेट प्रति मीटर 38 रुपये थी ?

(4) क्या यह सही है कि उन्हीं दिनों उक्त कम्पनी ने मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल को इन्हीं मीटरों को 28 रुपये में सप्लाई किया।

विद्युत मंत्री (श्री हरिदेव जोशी): (1) जी हां। गत दो वर्षों में विद्युत मण्डल ने मैसर्स जयपुर मेटल एण्ड इलेक्ट्रिकल्स को दिनांक 31-3-72 को 1,10,000 सिंगल फेज मोटरों की खरीद के लिये आर्डर दिया गया ?

(2) जी हां। तुलनात्मक सूची संलग्न है।

(3) जी नहीं, किन्तु मैसर्स जयपुर मेटल एण्ड इलेक्ट्रिकल्स ने अपने दी हुई टेण्डर की दर को घटा कर 38 75 रुपये की दर पर मीटर देने के लिये सहमत हो गया।

(4) इसकी जानकारी मध्यप्रदेश विद्युत् मण्डल से की जा रही है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में भेजी गई)

श्री यशवन्तसिंह नाहर : सवाल तो रह ही गया। अब तो महत्व ही नहीं रहा

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

स्वशासन का। 28 रुपये में वही मीटर दूसरों को दिया जा रहा है जब राजस्थान विद्युत बोर्ड को 38 रुपये में दिया जा रहा।

श्री प्रद्युम्नसिंह : इसको पुनः स्थगित कर दिया जाय। ऐसी परम्परा भी रही है कि जिस प्रश्न का पूरा उत्तर न मिले उसको स्थगित किया जाता है।

श्री हरिदेव जोशी : यह तो पूरी सूचना है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : हमारा अधिकार है।

श्री हरिदेव जोशी : मैं उसको चेलेन्ज नहीं करता हूं। इन्फोर्मेशन सीक करने का अधिकार है। जो मांग की गई वह मैंने आपको जो अवेलेबल थी वह दे दी

श्री प्रद्युम्नसिंह : Information should be complete in every respect.

श्री हरिदेव जोशी : It is complete in every respect.

श्री प्रद्युम्नसिंह : You have not given reply to our querries.

श्री हरिदेव जोशी : I have given everything that was available with me.

श्री प्रद्युम्नसिंह : आपके पास जो थी वह दी।

श्री हरिदेव जोशी : मेरा रिप्लाई पूरा है।

श्री राजेन्द्र भारतीया : आपके पास पूरी इन्फोर्मेशन नहीं है तो सीक कर लीजिये और बाद में दे दीजिये।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : माननीय मंत्री महोदय के प्रश्न के उत्तर के लिये समय मांगा था। यही इन्फोर्मेशन देनी थी तो आप जयपुर मेटल से ही प्राप्त कर सकते थे।

श्री प्रद्युम्नसिंह : इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को इससे काफी, लाखों रुपयों का नुक्सान हुआ है।

श्री हरिदेव जोशी : एक पर्चेज के लिये टेन्डर इन्वाइट किये गये। टेन्डरर्स आये। लोएस्ट आफ था उसको पर्चेज का ओर्डर दे दिया गया। उसके कुछ अर्से के बाद में दूसरी स्टेट में उसी फर्म में सेल किये। किन कन्डीशन्स और किस कीमत पर सेल किये इसको जब तक मैं न देख लूं मैं ओफ हैंड तो नहीं कह सकता।

श्री प्रद्युम्नसिंह : यह केवल लीपा-पोती है। विभाग की लापरवाही के कारण लाखों का नुकसान सरकारी कोष को हुआ है। जब उनको मध्यप्रदेश के टेण्डर की जानकारी मिल गई तो इस लोएस्ट को भी लोएस्ट होते हुए भी रिजेक्ट कर देना चाहिये था और उस पार्टी को ठीक रेट पर लाना था।

श्री हरिदेव जोशी : नौग्लीजेन्स का सवाल नहीं है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : यह बिलकुल सरासर विभाग की लापरवाही है।

श्री अध्यक्ष : जवाब सुन लीजिये।

श्री हरिदेव जोशी : एक टेण्डर के नियमों के अनुसार पार्टी को टेण्डर देने का अधिकार है। वह कम भी दे सकती है ज्यादा भी दे सकती है। इस ही चीज का एक जगह एक रेट दे सकती है, दूसरी जगह दूसरी रेट दे सकती है। यह पार्टी की सुविधा पर है। इसके अनुसार पार्टी ने पहले राजस्थान में टेण्डर दिया। वह स्वीकार कर लिया गया। इसके बाद में उसने मध्य-प्रदेश में दिया या कहीं और जगह दिया। तो यहां ऊंची रेट पर दिया वहां कम रेट पर दिया। इससे क्या हुआ। यह बिलकुल डिफरेन्ट चीज है। पार्टी की अपनी सहुलियत और परिस्थितियां हैं जिसके अनुसार वह एक जगह कम रेट दे दूसरी जगह अधिक दे। राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को जो टेण्डर दिया गया था वह औरों के टेण्डरों से लोएस्ट था। अब उन्होंने किसी और जगह क्या रेट दी है क्या नहीं दी है। इससे हमारा क्या सम्बन्ध हो सकता है। मैंने लिस्ट सदन में रख दी है। लोएस्ट होने के कारण राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने उनको आर्डर प्लेस किया है। दिस इज ए फैक्ट।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, हम इसको चैलेन्ज नहीं करते। हम तो यह कहते हैं कि इस तरह से नीग्लीजेन्स करने के कारण राजस्थान सरकार को घाटा हुआ है।

श्री हरिदेव जोशी : घाटे का प्रश्न पैदा नहीं होता।

श्री यशवन्तसिंह : घाटे का नहीं पैदा होता पर इस फर्म की इन्टेग्रिटी के बारे में शक तो पूरी तरह से होता है कि एक जगह वह 28 रुपये में दे और हमारे यहां 38 में दे। यह टेण्डर जो दिया गया है इससे फर्म की पवित्रता सिद्ध नहीं होती। उसी महीने में दो जगह के टेण्डरों में इतना अन्तर ? इसके पीछे कई रहस्य हो सकते हैं। सरकार को जब यह तथ्य मालूम हो गया तो इस पार्टी को दबाना चाहिए था।

श्री हरिदेव जोशी : सौ फार दिस परचेज इज कन्सर्न्ड सारे फैक्ट्स मेरे पास हैं। मैंने इनको सदन के पटल पर रख दिया है। आप यह बताइये कि इसमें बोर्ड ने कहां किस तरह से नीग्लीजेन्स बरती है। आया उसने हायर टेण्डर को आर्डर प्लेस किया है या क्या किया है। अगर हायरर को दे दिया है तब तो नीग्लीजेन्स कह सकते हैं। आप इस बात को छोड़ दीजिये कि दूसरी स्टेट में किस रेट पर दिया है। हमारे जनरल फाइनेन्स रूल्स हैं। मुझे भी इनकी जानकारी है। इसके अनुसार एक विभाग में दूसरी प्रकार का टेण्डर आया हो और वही टेण्डर दूसरे विभाग में दूसरी तरह से आया हो तो इनके लिये भी किसी विभाग को यह नहीं कहा जा सकता कि दूसरे को तुम से भी कम आया इसलिये तुमने कैसे एक्सेप्ट कर लिया इस रेट पर वह तो इस बिना पर एक्सेप्ट कर सकता है कि उसके यहां पर लोएस्ट है। अब मध्यप्रदेश में क्या रेट दे दी उसके लिये यह बोर्ड जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

श्री यशवन्तसिंह : अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : मुझे भी सुन लीजिये।

Page No 33

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : एक जगह 28 में दिया हमारे यहां 38 में। हू विल बी रेस्पांन्सिबल फोर दिस लोस। आपको दुबारा टेण्डर काल करना था।

श्री पी. के. चौधरी : एक ही सवाल पूछना है।

श्री अध्यक्ष : आप सुन लीजिये। मैं कुछ कहना चाहता हूं। इसका उत्तर पूरा नहीं होने से इसको मुल्तवी किया जाता है। प्रश्न समाप्त हुए।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

जेतपुरा बांध

879. श्री भंवरलाल भड़ादा (भीलवाड़ा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) भीलवाड़ा जिले की जेतपुरा बांध योजना कुल कितने रुपयों में बनकर कब तक तैयार हो जावेगी ?

(2) इस पर अभी तक कितना रुपया खर्च हो चुका है ?

(3) सन् 1972-73 में इसके निर्माण कार्य के लिए कितने रुपये का प्रावधान किया गया था और अभी तक उसमें से कितना खर्च हो चुका है ?

(4) सन् 1973-74 में इसके निर्माण कार्य के लिए कितने रुपये का प्रावधान किया जा रहा है ?

उत्तर

(1) संशोधित तखमीने के अनुसार जेतपुरा बांध की अनुमानित लागत 79.96 लाख रुपया है और इसके वर्ष 74-75 में पूर्ण होने का अनुमान है।

(2) इस पर अब तक लगभग 40 लाख रुपया खर्च हो चुका है।

(3) सन् 1972-73 में इस काम के लिए 2.60 लाख रुपयों का प्रावधान किया गया था जिसमें से अब तक लगभग 2.54 लाख रुपये खर्च हो चुके हैं।

(4) सन् 1973–74 में इस कार्य के लिए 25 लाख रुपयों का प्रावधान है।

बिजली के बिलों का भुगतान

835. श्री गोपाल जोशी (बीकानेर): क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल बिजली उपभोक्ताओं को बिल वितरण किन नियमों के आधार पर करता है ?

(2) उपभोक्ताओं को बिल वितरण के दिन से भुगतान कितने दिनों में करना पड़ता है ?

(3) क्या यह सही है कि बिल वितरण करने के दिन से भुगतान करने के दिन को पूरी अवधि का समय नहीं मिलता है ?

(4) क्या यह सही है कि पूरी अवधि का समय न मिलने पर भी उपभोक्ताओं को अवधि के अन्दर पैसा न जमा कराने

(श्री गोपाल जोशी)

का जुर्माना भुगतान करना पड़ता है ? यदि हां तो इसे समाप्त करने का सरकार क्या प्रयत्न कर रही है ?

(5) क्या यह सही है कि बीकानेर में बिजली उपभोक्ताओं के लिए बिजली का पेमेंट करने के लिए राजस्थान राज्य विद्युत मंडल आफिस में केवल एक केन्द्र के अतिरिक्त और कोई केन्द्र नहीं है ? यदि हां तो इससे उत्पन्न असुविधा को समाप्त करने के लिए सरकार क्या कर रही है ? यदि नहीं, तो किन किन शहरों में और केन्द्र कहां कहां खोल रखे हैं ?

(उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

जालोर-फालना एवं जालोर सुमेरपुर बस रूटों का राष्ट्रीयकरण

520. **श्री भगराज चौधरी** (रानीवाड़ा) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि जालोर से फालना एवं जालोर से सुमेरपुर तक पक्की डामर की सड़कें बनी हुई हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इन बस रूटों का शीघ्र राष्ट्रीयकरण करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों नहीं ?

उत्तर

जी हां। निगम द्वारा जालोर-फालना व जालोर-जोधपुर मार्गों के राष्ट्रीयकरण की प्रारूप योजनाएं क्रमश: दिनांक 1-8-72 व 8-2-73 को प्रकाशित करदी गई हैं। योजनाओं के अनुमोदित होते ही इन मार्गों पर निगम बस सेवाएं उपलब्ध कराना आरम्भ कर देगा।

राजकीय व्यापार योजना के बिक्री केन्द्र

521. **श्री नत्थीसिंह** (नदबई) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि भरतपुर वन मण्डल में राजकीय व्यापार योजना के अन्तर्गत वर्ष 1971–72 में लकड़ी कोयले में कौन कौन से कूप काट कर माल तैयार किया था ? यदि हां, तो किस किस रैंज में कौन कौन से कूप काटे गये और कितना एकड़ रकबा काटा गया ?

(2) कटे हुए रकबे में कितना कितना कोयला बनाया गया और इस कोयले को किस भाव पर कहां कहां बेचा गया तथा किस किस व्यापारी को किस भाव पर कितना कितना किस किस महीने में दिया गया ?

(3) कूपों में माल तैयार करने की अवधि नियमानुसार कब आरम्भ होती है। और कब समाप्त होती है ?

(4) राजस्थान में राजकीय व्यापार योजना के कितने बिक्री केन्द्र हैं और उन पर माल की बिक्री किन नियमों के अनुसार किस के द्वारा की जाती है ?

(5) राजकीय व्यापार योजना में कितना स्टाफ कार्य कर रहा है उच्च श्रेणी के अधिकारी कितने कितने हैं और उनके

(श्री नत्थीसिंह)

मातहत कितने अधिकारी व कर्मचारी हैं ? इनके वेतन भत्ते पर वर्ष 1971–72 में कितना व्यय हुआ ?

(6) उक्त अधिकारियों के प्रयोग हेतु कितने वाहन काम में आते हैं और उनके रख रखाव पेट्रोल आदि पर 1971–72 में कितनी रकम खर्च की गई है ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखा जावे।

उत्तर

(i) भरतपुर वन मण्डल में राजगढ़ रेंज के निम्नांकित रकबे के कूप राजकीय व्यापार योजना के अन्तर्गत वर्ष 1971–72 में काटे गये:–

नाम कूप	क्षेत्रफल जो कटा
ढवंकन	60.25 एकड़
उमरी देवरी	133.00 एकड़
नाहू	461.00 एकड़
कुल	654.25 एकड़

(2) कटे हुए रकबे में से केवल कूप नाहू में ही कोयला बनाया गया। कुल 7537 कि. कोयला बनाया जिसमें 655 क्विन्टल धोक पंचमेल व 906 की चूरी सम्मिलित है। यह कोयला निम्नानुसार बेचा गया:–

विक्रय की ऐजेन्सी	धोक कोयला	पंचमेल	चूरी
1–राजकीय विक्रय केन्द्र, जयपुर	553 कि. दर 41.25 प्रति क्विन्टल	80 कि. दर 35/– प्रति क्विन्टल	906 कि. दर 20/– प्रति क्विंटल
2–राजकीय विक्रय केन्द्र, राजगढ	124 क्विन्टल दर 41.25 पै. प्रति कि.	–	–
3–व्यपारियों को कूप में दिया गया	796 की दर 38/–प्रति क्विन्टल	–	–

व्यापारियों को बेचे गए कोयले का विवरण संलग्न सूची (क) में अंकित है।

(3) कूपों में माल तैयार करने की अवधि आरम्भ होने का दिनांक एक अक्टूबर तथा समाप्त होने का 30 अप्रेल होता है–

(4) अभी 22 बिक्री केन्द्र हैं। उन पर माल बिक्री फुटकर दरों पर होती है। फुटकर बिक्री की दरें राज्य सरकार द्वारा गठित कमेटी द्वारा निर्धारित की जाती हैं अन्यथा बिक्री सार्वजनिक नीलाम द्वारा की जाती है। नीलाम के नियम संलग्न हैं।

(5) 1971–72 में निम्नानुसार स्टाफ स्वीकृत था। उच्च श्रेणी के 4 अधिकारी

(वन मंत्री)

तथा उनके मातहत 4 अधिकारी तथा 261 कर्मचारी हैं। इनके वेतन व भत्तों पर 7, :8, 697.00 रु. व्यय हुए।

(6) 1971-72 में उक्त अधिकारियों के काम में वाहन (जीप) तथा अधीनस्थ रेंज अधिकारियों के नाम में 10 मोटर साईकल आई उनके रखरखाव पेट्रोल आदि पर उक्त वर्ष 30,631- व्यय हुए।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में भेजी गई)।

पाली जिले के सेन्दडा गांव का विद्युतिकरण

522 श्री केशरीमल (ब्यावर): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

क्या यह सही है कि पाली जिले के सेन्दडा गांव में खनों से पोल बनाने के व अन्य प्रकार के कार्यों का विस्तार हो रहा है और इस गांव को जनता उद्योग, खेती और निजी घरेलू कार्य के लिये विद्युत् की मांग लम्बे अर्से से करती आ रही है? यदि हां तो विद्युत् विभाग इस गांव का विद्युतिकरण करना उचित समझता है? यदि हां, तो कब तक विद्युतिकरण कर दिया जायेगा?

उत्तर

पाली जिले के ग्राम सेन्दडा में किन कार्यों का विस्तार हो रहा है इसकी जानकारी विद्युत् मण्डल को नहीं है। ग्राम सेन्दडा की विद्युतिकरण की मांग अवश्य है। इस गांव का सर्वे वर्ष 1972-73 में किया जा चुका है। स्कीम रिपोर्ट की तकनीकी जांच की जा रही है। विद्युतिकरण के बारे में अभी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता।

तहसील हिन्डौन के ग्रामों का विद्युतिकरण

523. श्री उम्मेदीलाल (हिन्डौन): क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम मंडावर, झोरडा, क्यारदा खुर्द तहसील हिण्डौन जिला सवाई माधोपुर में दिनांक 31-1-73 को बिजली पहुंच गई है?

(2) क्या उपरोक्त ग्रामवासियों ने कुओं पर कनेक्शन देने हेतु प्रार्थना-पत्र संबंधित विभाग को प्रेषित किये हैं? यदि हां, तो प्रत्येक प्रार्थना-पत्र पर क्या कार्यवाही विभाग द्वारा की गई है तथा कुओं पर कनेक्शन नहीं दिये जाने के क्या कारण हैं?

(3) क्या तहसील हिण्डौन के ग्राम झोरडा, क्यारदा खुर्द, मण्डावर, महु इब्राहीमपुर, महूखास, महुदनपनापुरा में वित्तीय वर्ष 1972-73 में विद्युतिकरण किये जाने की स्वीकृति की गई? यदि हां, तो अब तक किन किन स्वीकृत ग्रामों में बिजली पहुंचाई जा चुकी है? यदि नहीं पहुंचाई गई है तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम मंडावर, झारैडा और क्यारदा खुर्द तहसील हिंडौन जिला

(विद्युत् मंत्री)

सवाई माधोपुर में क्रमशः 29,30 और 31 जनवरी 1973 को विद्युत् उपलब्ध करा दी गई है।

(2) जी हां, उपरोक्त ग्रामों में से केवल एक ग्राम झारेडा के ग्रामवासियों ने कुओं पर कनेक्शन लेने के लिये प्रार्थना-पत्र सहायक अभियन्ता (आर. ई. सी.) महुआ के कार्यालय में दिये हैं जिन पर कार्यवाही का विवरण संलग्न तालिका में दिया गया है। ग्राम मंडावर और बयारदा खुर्द के काश्तकारों के कोई प्रार्थना-पत्र अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं।

(3) जी हां। तहसील हिन्डौन के ग्राम झारडा, बयारदा खुर्द और मंडावर, महू इब्राहीमपुर, महूखास और महुदलालपुर को आर. ई. सी. स्कीम के अन्तर्गत जो वर्ष 1972—73 में स्वीकृत हुई, आते हैं। इनमें से ग्राम झारेडा बयारदा खुर्द और मण्डावर का योजना के प्रथम वर्ष 1972-73 में विद्युतिकरण करना था। शेष का विद्युतिकरण वर्ष 1973 में योजना के द्वितीय चरण में करने का प्रावधान है।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

बाड़मेर जिले के ग्राम राखी का विद्युतिकरण

524. **श्री भगराज चौधरी** (रानीवाड़ा): क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले की पंचायत समिति सिवाना के ग्राम राखी से करीब 1 मील की दूरी से बिजली की लाईन सन्दडी से मोकलसर गई है?

(2) यदि हां, तो राखी ग्राम का विद्युतिकरण अब तक क्यों नहीं किया गया है, जबकि इस लाइन पर स्थित अन्य गांवों को काफी अर्से पहले ही बिजली से जोड दिया गया है? क्या सरकार इस ग्राम का शीघ्र विद्युतिकरण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां, राखी ग्राम से एक मील को दूरी पर बिजली की लाईन गुजरती है, परन्तु 33 के. वी. लाईन होने के कारण इस ग्राम का विद्युतिकरण बिना 33/11 के. वी. सब स्टेशन बनाये नहीं किया जा सकता।

(2) 33 के. वी. लाईन से किसी भी गांव का विद्युतिकरण सीधे नहीं किया गया है। जिन गांवों को बिजली दी गई है वह मोकलसर में के. वी. लाइन खींचकर दी गई है। राखी ग्राम की सर्वे कराई जा चुकी है और रिपोर्ट की तकनीकी जांच की जा रही है। विद्युतिकरण के लिये अभी निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता।

तहसील बैराठ के ग्रामों का विद्युतिकरण

525. श्री हनुमान सहाय (बैराठ): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि तहसील बैराठ के ग्राम नामन, हजुतिया, हजुतपुर

(श्री हनुमान सहाय)

बिशनगढ़, मोनाकासर का विद्युतिकरण हो चुका है? यदि हां तो विद्युतिकरण किस तिथि को हुआ और स्वीकृति कब हुई?

(2) क्या यह सही है कि इन गांवों के कृषकों को कनेक्शन नहीं दिए गए हैं? यदि हां, तो इन गांवों के कृषकों ने किस किस तारीख को दरख्वास्त दी और कब कब कनेक्शन स्वीकृत हुए और कब तक कनेक्शन दिए जाने का विचार है?

(3) क्या यह सही है कि इन गांवों के कृषकों को कनेक्शन दिए जाने हेतु स्वीकृति प्राप्त में ट्रान्सफारमर एवं एच. टी. लाईन का प्रावधान नहीं है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। सूची 'अ' संलग्न है।

(2) जी नहीं। ग्राम हनुतिया व हनुतपुरा में 12-12 कृषि कनेक्शन दिये जा चुके हैं। शेष ग्रामों में प्रार्थियों द्वारा एल फार्म न देने के कारण अभी तक कनेक्शन नहीं दिये जा सके हैं। विवरण तालिका 'ब' में अंकित है।

(3) जी नहीं। इन ग्रामों में स्वीकृत आर. ई. सी. स्कीम के अनुसार 11 के. वी. लाईनों व ट्रांसफार्मरों का कार्य पूरा हो चुका है।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

तहसील रायसिंहनगर के ग्रामों का विद्युतिकरण

526. **श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** (सूरतगढ़)—क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) रायसिंहनगर तहसील के किस किस गांव में पिछले पांच वर्षों में बिजली पहुंची है? सूची वर्ष वार, गांववार देने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि रायसिंहनगर के गांव 9 पी. एस., 10 पी. एस., 11 पी. एस., 20 पी. एस. आदि गांवों में विद्युत् स्वीकृत हुए काफी समय हो गया है लेकिन आज तक वहां विद्युत् नहीं पहुंचाई गई? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(2) जी नहीं। ये ग्राम स्वीकृत नहीं किये गये हैं। और न ही इन ग्रामों के विद्युतिकरण हेतु जिला कृषि उत्पादन समिति ने सिफारिश की है।

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

तहसील सूरतगढ़ की गोलूवाल मंडी का विद्युतिकरण

527. **श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** (सूरतगढ़)—क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सूरतगढ़ के किस किस गांव में पिछले पांच वर्षों में बिजली दी गई है? सूची वर्ष-वार, गांव वार देने का कष्ट करें।

Page No 39

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

(2) क्या यह सही है कि गोलूवाला मंडी तहसील सूरतगढ़ में आज तक बिजली नहीं पहुंची है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या राज्य सरकार गोलूवाला मण्डी में जल्दी से जल्दी बिजली पहुंचाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) सूरतगढ़ तहसील में पिछले पांच वर्षों में जिन ग्रामों को बिजली पहुंचाई गई है उनकी सूची संलग्न है।

(2) जी हां। यह ग्राम विद्युतिकरण के लिए स्वीकृत नहीं किया जा सका है और न ही जिला कृषि उत्पादन समिति ने इस ग्राम के विद्युतिकरण हेतु सिफारिश की है।

(3) अभी निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

बकानी प्राइमरी हैल्थ सेन्टर के डाक्टर के विरुद्ध शिकायतें

528. श्री राजप्रसाद बोहरा (झालरापाटन)–क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) बकानी प्राइमरी हेल्थ सेन्टर (जिला झालावाड़) में जनवरी, 69 से 31 दिसम्बर, 69 तक रोगियों की संख्या प्रति माह कितनी कितनी रही तथा कितने कितने रोगी वार्ड में दाखिल रहे ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) जनवरी, 72 से 31 दिसम्बर, 1972 तक इसी चिकित्सालय में रोगियों की संख्या प्रति माह कितनी कितनी रही तथा रोगी कितने कितने वार्ड में दाखिल रहे ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या यह सही है कि चिकित्सालय के डाक्टर के खिलाफ कई शिकायतें विभाग को या राज्य सरकार के पास आई हैं ? यदि हां, तो इन पर क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(2) सूची संलग्न है (प्रश्न सं. 1 की उत्तर सूची में अंकित है)

(3) जी हां, डा. जी. के. चौधरी चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बकानी के विरुद्ध श्री हंसराज जैन का एक शिकायती पत्र जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झालावाड़ के कार्यालय में दिनांक 30-5-72 को प्राप्त हुई जिसकी जांच करने पर कोई सत्यता नहीं पाई गई।

(कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)

लालसोट से सात आठ मील के क्षेत्र में सड़कों की खराब हालत

529. श्री मूलचन्द सामरिया, (दौसा), श्री मीठालाल मीणा (लालसोट)–क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

Page No 40

(श्री मूलचन्द सामरिया,
श्री मीठालाल)

(1) क्या यह सही है कि लालसोट–दौसा, लालसोट–गंगापुर व लालसोट–सवाई माधोपुर रोड पर लालसोट से सात आठ मील के क्षेत्र में सड़क अत्यन्त खराब हो गई है तथा कई स्थानों पर एक एक फुट गहरे खड्डे पड़ गये हैं जिससे वाहनों को सड़कों की बजाय नीचे होकर आना पड़ता है ?

(2) क्या यह सही है कि स्थानीय (लालसोट) ओवरसियर पी. डब्ल्यू. डी. तथा बारहमासी बेलदार इस ओर बिल्कुल ध्यान नही देते ? यदि हां तो क्यों तथा बारहमासी बेलदार द्वारा गत तीन महीनों में किये गये दैनिक कार्य की पूर्ण सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) लालसोट–दौसा, लालसोट–गंगापुर एवम् लालसोट सवाई माधोपुर सड़कों की दशा साधारण है। पैच रिपेयर कार्य प्रगति पर है। दौसा-सवाई माधोपुर सड़क के 50 से 52 तथा गंगापुर लालसोट सड़क के 42 से 43 किलोमीटरों में डामर कार्य प्रगति पर है।

(2) उपलब्ध धनराशि अनुसार कार्य कर रहे हैं।

दौसा-सवाई माधोपुर सड़क के मील 13 से 20, 20 से 25 तथा गंगापुर लालसोट सड़क की तीनों गैंगों की दैनिक कार्य सूची दिसम्बर 72 से फरवरी 73 तक की प्रस्तुत है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में भेजी गई)

ग्राम मन्डावरा से हिन्डौन तक सड़क निर्माण कार्य

530. श्री उम्मेदीलाल (हिण्डौन)–क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि ग्राम मण्डावरा से हिन्डौन तक सड़क का निर्माण धमान घोन्टा रोड से सीधा न किया जाकर 5 मील दूर से किया जा रहा है ?

उत्तर

जी, हां।

यह सड़क मण्डावर होती हुई धामन घोलेटा जाती है।

रेण से आकेली सड़क

531. श्री रामरघुनाथ (डेगाना) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) रेण से आकेली सड़क जिला नागौर जो कि प्लान के अन्तर्गत स्वीकृत है किस वर्ष स्वीकृत होकर किस वर्ष कार्य प्रारम्भ हुआ ?

(2) शुरू होने के बाद प्रति वर्ष आज तक कितनी राशि स्वीकृत की गई और कितनी सड़क बनी ? उसमें कितनी धन राशि वर्षवार खर्च की गई व आज तक

(श्री राम रघुनाथ)

कुल सड़क की लम्बाई का कितना भाग मीलों में बन कर तैयार हो गया व कितना अधूरा पड़ा है ? सूचना सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या इसके अन्तर्गत स्वीकृत धन राशि कभी लेप्स भी हुई है ? अगर हां, तो इसका जिम्मेदार कौन है तथा इसके लिए क्या कार्यवाही की गई ?

(4) अब यह सड़क कब तक बन कर तैयार हो जायेगी ?

उत्तर

(1) यह सड़क वर्ष 68–69 में स्वीकृत की गई थी और वर्ष 68–69 में कार्य प्रारम्भ कराया गया था।

(2) सूची (अ) प्रस्तुत है।
19 किलोमीटर सड़क बन चुकी है।
15 किलोमीटर बनना शेष है।

(3) तखमीना निविदा स्वीकृति अवधि की प्रक्रिया पूर्ण करने में समय लगने के कारण किया गया प्रावधान खर्च नहीं हो सका है।

(4) भावी वित्तीय स्थिति के कारण निश्चित नहीं कहा जा सकता।

(कृपया परिशिष्ट 9 देखिये)

अधिशासी अभियन्ता, जिला खण्ड जयपुर के विरुद्ध शिकायतें

532. **श्री मोहरसिंह (चूरू)** : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) श्री एस. पी. कुच्छल अधिशाषी अभियन्ता जिला खण्ड, जयपुर के विरुद्ध अधीक्षण अभियन्ता वृत्त–3 के द्वारा किन अनियमितताओं की शिकायतें की गई हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) सरकार ने इन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की है।

उत्तर

(1) सूची (अ) प्रस्तुत है।

(2) जांच कराई गई है।
जो विचाराधीन है।

(कृपया परिशिष्ट 10 देखिये)

तहसील राजगढ (अलवर) को ग्राम थाना धमरेड, पृथ्वीपुरा होकर अलवर टाउन से सड़क द्वारा जोड़ना

533. **श्री मनोहरलाल (कामां)** : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तहसील राजगढ़ (अलवर) को ग्राम थाना धमरेड, पृथ्वीपुरा होकर अलवर टाउन से सड़क द्वारा जोड़ने के सम्बन्ध में विभागीय सर्वेक्षण किया गया है ? यदि हां, तो क्या इसकी प्राविधिक एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी थी ?

(2) क्या यह सही है कि ग्राम थाना से गोविन्दपुरा के नाले तक कच्ची सड़क का

(श्री मनोहरलाल)

निर्माण हो चुका है और कई वर्षों से इसे पक्की बनाने के प्रयोजन से रोड़ी व पत्थर भी डाले हुए हैं ? क्या राजगढ़ स्टेशन से ग्राम धमरेड तक के 5 किलोमीटर के टुकड़े को तारकोल से पक्का करने की वित्तीय स्वीकृति भी हो चुकी है ? यदि हां, तो विलम्ब का क्या कारण है ?

(3) क्या सरकार अकाल की विभिषिका की दृष्टि में कमजोर तबके को कार्य दिलाने और इस हिस्से में कोई मोटरैबल रोड नहीं होने के कारण सुविधा हेतु इस 5 किलोमीटर के टुकड़े को अविलम्ब पक्का करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी, हां।

स्वीकृति प्राप्त नहीं थी।

(2) जी, हां।

स्वीकृति की गई थी, किन्तु अर्थाभाव के कारण कार्य नहीं हो सका है।

(3) अर्थाभाव के कारण सम्भव नहीं है।

सवाई माधोपुर के अस्पताल का स्टाफ

534. श्री फारूकहुसेन (सवाईमाधोपुर): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सवाई माधोपुर के अस्पताल में रेशनेलाइज पैटर्न के मुताबिक स्टाफ है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या पैटर्न के मुताबिक स्टाफ उक्त अस्पताल में बढ़ाने की कोई योजना है ? यदि हां, तो कब तक स्टाफ पूरा हो जावेगा ?

(3) क्या उक्त अस्पताल में कम्पाउन्डर तथा डाक्टरों के रहने के लिए आवास पर्याप्त है ? यदि हां, तो क्या इनमें डाक्टर, कम्पाउन्डर रहते हैं ?

(4) क्या यह सही है कि इमरजेंसी के वक्त उक्त अस्पताल में डाक्टर उपलब्ध नहीं होते ?

उत्तर

(1) जी हां। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

(2) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

(3) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

(4) जी नहीं।

तहसील चाकसू का श्यामपुरा बांध

535. श्री मीठालाल (बालसोट) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार ने चाकसू तहसील के श्यामपुरा बांध का कार्य जिसको सरकार ने मानसून 1973 तक कार्य करने का आश्वासन दिनांक 8 अप्रेल 1972 को सदन में दिया था प्रारम्भ कर दिया है ?

Page No 43

(श्री मीठालाल)

यदि हां, तो कितना कार्य हो गया है? कृपया पूर्ण विवरण सभा पटल पर रखने का कष्ट करें। यदि नहीं, तो क्यों तथा कब से पूर्ण स्तर पर कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा?

उत्तर

इस योजना के बचे हुए काम के टेन्डर स्वीकृत कर दिये गये हैं और इस पर शीघ्र ही काम प्रारम्भ कर दिया जायेगा। अब तक इस काम पर लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत कुल 1.18 लाख रुपये व्यय हो चुके हैं। आशा है कि 1973 की वर्षा तक पानी रोका जा सकेगा।

दौसा सिकराय क्षेत्र के बांध

536. श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) गत वर्ष के दौरान दौसा सिकराय क्षेत्र के बांधों पर इमरजेन्सी में कितनी धन राशि व्यय की गयी?

(2) उक्त राशि में कितने सामान व कितनी लेबर की राशि शामिल है? अलग अलग बांध-वाइज बताने की कृपा करें।

(3) बांध वाइज किस किस बांध पर कितने कितने मजदूरों ने कितने रोज कार्य किया?

(4) बांध टूटने से पूर्व कितने व बाद में कितने मजदूर लगाये गये? बांध-वाइज सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या मजदूरों को पूरी मजदूरी वास्तव में दी गई?

उत्तर

दौसा सिकराय तहसील में वर्षा काल (1-6-72 से 30-9-72) में बांधों की सुरक्षा हेतु कुल 36,138।- रुपये की राशि व्यय की गई?

(2) उक्त राशि में सामान पर 1,849।- रुपया और लेबर पर 34,289 रु. व्यय किया गया, सूची संलग्न है।

(3) सूची संलग्न है।

(4) दौसा सिकराय क्षेत्र में सिंचाई का एक बांध नाहर खोरा टूटा है। बांध टूटने से पूर्व गैंग का एक बेलदार था। बांध का पुनः उद्धार का कार्य ठेके पर चालू है।

(कृपया परिशिष्ट 11 देखिये)

करौली तहसील की लघु सिचाई योजना

537. श्री चेतराम (टोडाभीम)–क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या दूर्गसी घटा (बरखेडा नदी) करौली तहसील (सवाई माधोपुर) लघु सिंचाई योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो क्या उसका प्रिलिमिनरी सर्वे हो

Page No 44

(श्री चेतराम)

चुका है और यह योजना कितने कितने रुपये की है ?

(2) इस योजना का उद्देश्य क्या है और उससे किन किन तहसीलों को लाभ होगा और कितने एकड़ भूमि पर सिंचाई हो सकेगी ?

(3) इस योजना पर कितना रुपया व्यय होगा और कब कार्य शुरू होगा और योजना के अनुसार कब पूर्ण हो जायेगा।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) इसका प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) इसका प्रश्न ही नहीं उठता।

वीरदवार से बीकानेर तक लिफ्ट सिंचाई योजनाएं

538. श्री लूनाराम (डूंगरगढ़)—क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिस समय वीरदवार से बीकानेर को लिफ्ट सिंचाई योजनाएं बनी उस समय चूरू जिले के श्री डूंगरगढ़ व सरदार शहर तहसीलों के बीच के ग्राम शामिल किये गये थे और जिन्हें काफी समय पश्चात् हटा दिया गया ? यदि हां, तो उन ग्रामों को बाद में हटाने का क्या कारण है ? इन ग्रामों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या सरकार अब भी उन ग्रामों को उक्त योजना में शामिल करना चाहती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। प्रारम्भिक सर्वे में तो इन तहसीलों के ग्रामों को शामिल किया गया था। तत्पश्चात् 1968 में राज्य सरकार द्वारा एक सीमित 500 से 600 क्यूसेक जल क्षमता वाली छोटी लिफ्ट चैनल ही स्वीकृत की गई। क्योंकि प्रारम्भिक सर्वे की गई बड़ी योजना बड़ी मंहगी एवं अनुपयुक्त समझी गई थी। इस कारण से चूरू जिले के श्री डूंगरगढ़ व सरदारशहर तहसीलों के ग्रामों को अन्य क्षेत्रों के अतिरिक्त हटाया गया। ग्रामों के नाम निम्न प्रकार से हैं:—

तहसील श्री डूंगरगढ

बाडेरा, बीजासर, राजपुरा, पुनरासर, मानडासर, गुसाईसर, समन्तसर जम्बु मय ओवासर, सेरूना, नूरसीसर एवं देराजसर।

तहसील सरदारशहर

मनापानर, रोलासर, भाटवाला बनियासर, सुमेरिया, नोनासर सुमेरिया, मोवासर बड़ा, भोजासर छोटा, राजासर चौरिया, राजासर पंवारान, सोनपालसर, कक्कासर, मनसीसर, घीरासर, कावलासर एवं तोलासर।

(2) जी नहीं। फिलहाल राज्य सरकार का इन ग्रामों को उक्त योजना में शामिल करने का विचार नहीं है। क्योंकि

(सिंचाई मंत्री)

चूरू जिले के क्षेत्र अधिक ऊंचे एवं असमतल होने के कारण सिंचाई भार सहन करने में असमर्थ होंगे।

राजस्थान नहर सूरतगढ़ ब्रांच पर मोगों पर साकट

539. **श्री बेगाराम चौहान** (रायसिंह नगर)–क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान नहर, सूरतगढ़ ब्रांच पर सन् 1972 से अब तक किन किन मोगों में साकट लगाई गई? किन किन मोगों में साकट नहीं लगाई गई व क्यों?

(2) सूरतगढ़ ब्रांच में कौन कौनसी शाखा किस किस जगह पर टूटी? शाखा टूटने का कारण बताने का कष्ट करें?

(3) नहर टूटने से किसानों को कितना नुकसान हुआ?

(4) इस टूटी नहर के दुबारा बांधने में कितना खर्चा हुआ है?

उत्तर

(1) राजस्थान नहर की सूरतगढ़ ब्रांच पर 82 सीधे मोगों में से 66 में आवश्यकतानुसार साकट लगाए गये और 16 में नहीं लगाए गये।

(2) वर्ष 1972 में सूरतगढ़ शाखा की अनूपगढ़ वितरिका आर. डी. 87-88 दायीं ओर से, आर. डी. 23000, 28,000 और 30,500 पर बायीं ओर से टूटी थी। आंधियों के कारण धूल उड़कर नहरों में गिरती है जिससे पानी के बहाव में रुकावट आ जाती है जिसकी वजह से नहरें टूट जाती हैं।

(3) नहर के टूटने से किसानों को नुकसान नहीं हुआ।

(4) उपरोक्त स्थानों से टूटी नहर की मरम्मत पर रु. 10,553.25 का खर्चा हुआ।

भूमि सुधारों पर देख रेख हेतु हाइ पावर कमेटी की नियुक्ति

540. **श्री वृद्धिचन्द्र जैन** (बाड़मेर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने भूमि सुधारों पर देख रेख रखने के लिये सन् 1970 में एक हाई पावर कमेटी की नियुक्ति की थी? यदि हां, तो उक्त कमेटी के कौन कौन सदस्य थे?

(2) उक्त कमेटी की कितनी कितनी बैठकें कब कब हुई और उसमें क्या निर्णय लिये गये?

(3) क्या यह सही है कि उक्त कमेटी की बैठक 26 अक्टूबर, 1970 को हुई थी जिसमें राज्य सरकार की ओर से भूमि सीलिंग सम्बन्धी आंकड़े प्रस्तुत किये थे? यदि हां, तो कितनी एकड़ सरप्लस भूमि उपलब्ध होने के आंकड़े प्रस्तुत किये गये थे?

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

और कितने खातेदार प्रभावित होना बताया गया था ? उक्त कमेटी की बैठक 26 अक्टूबर, 1970 की कार्यवाही की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) राज्य सरकार ने राज्य कृषि भूमि पर सीलिंग लगाने के लिये जो नया अध्यादेश जनवरी, 1973 को जारी किया उससे कितनी जमीन उपलब्ध हो सकेगी ?

(5) राज्य सरकार ने राजस्थान टिनेन्सी (संशोधन) विधेयक, 1972 संख्या बारह सदन में प्रस्तुत किया था, उसके सदन में उसी प्रकार स्वीकृत हो जाने एवं एक्ट के रूप में पारित होने से कितनी जमीन उपलब्ध हो सकती थी ?

उत्तर

(1) जी हां। इस कमेटी के निम्न सदस्य थे :—

1. मुख्य मंत्री	अध्यक्ष
2. राजस्व मंत्री	सदस्य
3. उपनिवेशन मंत्री	,,
4. उप राजस्व मंत्री	,,
5. श्री रघुनाथ बिश्नोई विधायक	,,
6. श्री शंकरलाल (जैतारण)	,,
7. श्री यशवंतसिंह नाहर	,,
8. श्री शिवनाथ सिंह	,,
9. श्री जयनारायण लसाडिया	,,
10. श्री रामानन्द अग्रवाल	,,
11. श्री रामकिसन	,,
12. श्री बद्रीप्रसाद	,,
13. श्री कृष्ण कुमार गोयल	,,
14. श्री जय नारायण सालोदिया	सदस्य
15. श्री हंसराज आर्य	,,
16. सदस्य राजस्व मंडल, अजमेर	,,
17. राजस्व सचिव	सदस्य सचिव

(2) केवल एक बैठक दिनांक 26-10-70 को हुई थी और निम्न निर्णय लिये गये:—

(क) मुख्य मंत्री सम्मेलन जो कि दिल्ली में हुआ था उसमें भूमि सुधार संबंधी लिये गये निर्णयों का पुनरावलोकन।

(ख) कृषि हेतु भूमि आवंटन की प्रगति।

(ग) खातेदारी अधिकार प्रदान करना।

(घ) भू-सीलिंग कानून को शीघ्रता से लागू करना।

(ङ) पास बुकों का वितरण।

(च) अतिक्रमणों को नियमित करना।

(छ) सेटिलमेंट के सम्बन्ध में।

(3) जी हां, भूमि सीलिंग नियम के अन्तर्गत 21, 12, 186 एकड़ सरप्लस भूमि उपलब्ध होने के आंकड़े प्रस्तुत किये थे और 36,624 खातेदार प्रभावित होना बताया गया था। दिनांक 26 अक्टूबर, 1970 की कार्यवाही की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) राज्य में कृषि भूमि पर सीलिंग लगाने के लिये जो नया अध्यादेश, 1973 से जारी किया है, उसकी धारा 13 के अन्तर्गत जब तक विवरण प्रकाशित न हो

(राजस्व मंत्री)

जाता, यह बताना सम्भव नहीं है कि इस अध्यादेश से कितनी जमीन उपलब्ध होगी।

(5) जब तक विस्तृत नियम बनकर प्रकाशित नहीं हो जाते यह बताना सम्भव नहीं है कि राजस्थान टिनेन्सी (संशोधन) विधेयक, 1972 के अन्तर्गत कितनी जमीन उपलब्ध होगी।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में भेजी गई)

लगान वसूली में असमानता

541. श्री मोहनलाल छंगाणी (फलौदी): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत अभी तक राज्य में किस किस जिले अथवा तहसील व उप-तहसील में लगान तय नहीं हुआ है?

(2) जमींदारी, बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम, 1959 के प्रभावशील होने से पूर्व राज्य के किन किन जिलों अथवा तहसीलों में काश्तकारों से लगान के साथ मुनाफा वसूल किया जा रहा है?

(3) क्या यह सही है कि जमींदारी बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम, 1959 के प्रभावशील होने की तिथि से लगान के साथ मुनाफा वसूल करने की व्यवस्था स्वयं समाप्त हो गई है? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

(4) यदि हां, तो क्या कारण है जमींदारी उन्मूलन के 14 वर्ष पश्चात् भरतपुर जिले के खातेदार काश्तकारों से लगान के साथ साथ मुनाफा वसूल किया जा रहा है? लगान एवं मुनाफे की वार्षिक राशि क्या है?'

(5) क्या यह सही है कि राज्य के किसी और जिले अथवा तहसील में खातेदार काश्तकारों से लगान के साथ मुनाफा नहीं लिया जाता केवल मात्र भरतपुर ही एक ऐसा जिला है?

(6) क्या राज्य सरकार इस असमानता को अविलम्ब समाप्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) भरतपुर जिले की तहसील भरतपुर, डीग, कामां, नगर, बयाना, वैर, रूपवास तथा उप-तहसील पहाड़ी, कुम्हेर के अलावा राजस्थान के समस्त जिलों में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अंतर्गत लगान तय हो चुका है।

(2) राज्य के भरतपुर जिले के अलावा किसी भी जिले में लगान के साथ मुनाफा वसूल नहीं किया जाता है।

(3) जी हां।

(4) जमींदारी उन्मूलन के पश्चात भरतपुर जिले के खातेदार काश्तकारों से लगान; जमींदारी बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम, 1959 की धारा 30(1) के अनुसार लगान वसूल किया जा रहा है। जितना कि काश्तकार उन्मूलन से पूर्व जमींदारों, बिस्वे-

(राजस्व मंत्री)

दारों को देते थे, परन्तु बन्दोबस्त ी लगान दर के दुगने से अधिक नहीं। वार्षिक लगान राशि 4592655०।–रुपये है जिसमें लगान मुनाफा 466540।– है।

(5) जी हां।

(6) नया बन्दोबस्त होने पर इस मसले पर विचार किया जायेगा।

कृषि योग्य भूमि को राजस्व में परिवर्तन करने हेतु जिला स्तर पर समिति का गठन

542. श्री भैरूलाल (अकलेरा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) तहसील अकलेरा (जिला झालावाड़) क्षेत्रान्तर्गत कितनी कृषि योग्य भूमि किन किन ग्रामों में कितनी कितनी वन विभाग के अधिकार में है? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि तहसील क्षेत्र में ऐसी काफी भूमि है जिसे काश्त करने हेतु भूमिहीन कृषकों ने तहसीलदार अकलेरा, परगना अधिकारी अकलेरा, एवं जिलाधीश झालावाड़ के यहां आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर रखे हैं? यदि हां, तो ऐसे आवेदनकर्ताओं की संख्या कितनी है? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) उक्त भूमि को राजस्व में परिवर्तन करने हेतु क्या जिला स्तर पर कोई समिति गठित है? यदि हां, तो इस समिति की वर्ष 71–72 एवं 72–73 में कब कब कितनी बैठकें हुई और उनमें क्या निर्णय लिया गया?

उत्तर

(1) तहसील अकलेरा जिला झालावाड के 17 गांवों की 4624।।2 बीघा कृषि योग्य भूमि वन विभाग के अधिकार में है। ग्राम वाइज सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) चूंकि भूमि वन विभाग की है अतः भूमि काश्त हेतु आवंटन वन विभाग द्वारा रिलीज करने पर ही किया जा सकता है। भूमि के काश्त हेतु कोई आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुए। अतः सूची का प्रश्न पैदा नहीं होता।

(3) जी हां। इस समिति की सन् 71–72 में दि. 28-7-71 को तथा सन् 72-73 में दिनांक 2-2–73 को बैठकें हुई। बैठकें हुई जो समस्त जिला स्तर के निर्णय लेने हेतु हुई परन्तु तहसील अकलेरा को वन भूमि के सम्बन्ध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(कृपया परिशिष्ट 12 देखिये)

बड़े काश्तकारों से अवाप्त की गई भूमि अनुसूचित जाति व जनजाति के व्यक्तियों को आवंटन

543. श्रीमती भगवती देवी (भिनाय): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

सीलिंग कानून के लागू हो जाने के बाद कितनी भूमि बड़े बड़े काश्तकारों से अवाप्त

Page No 49

(श्रीमती भगवती देवी)

की गई तथा इसमें से कितनी भूमि अनुसूचित जाति एवं जन जाति के व्यक्तियों को आवंटित की गई? इसमें से कितनी भूमि का कब्जा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों को दिलवाया गया ?

(स्थगित किया गया)

रेलमगरा तहसील के गांव मोरा की चरणोट जमीन

544. श्री नानालाल (पाटन)–क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि रैलमगरा तहसील (जिला उदयपुर) के गांव मोरा में कुछ जमीन चरणोट से बिला नाम की गई यदि हां, तो वह कितनी जमीन है तथा उसका आवंटन हो गया या नहीं ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त जमीन को चन्द जमींदारों ने अपने कब्जे में कर उसमें काश्त कर ली है? यदि हां, तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है?

(3) क्या यह सही है कि उक्त जमीन कुछ हरिजनों को आवंटित की गई थी उसको निरस्त कर दिया गया था ? यदि हां, तो क्यों तथा क्या यही सरकार की नीति है ?

उत्तर

(1) तहसील रैलमगरा जिला उदयपुर के ग्राम मोरा में 31)3 भूमि चरागाह से खारिज कर बिलानाम में परिवर्तित की गई है। आवंटन करने की कार्यवाही उप खण्ड अधिकारी राजसमन्द द्वारा अलग से की जा रही है।

(2) उक्त भूमि पर 7–8 व्यक्तियों ने नाजायज कब्जा किया जिन्हें तहसीलदार द्वारा बेदखल करने का आदेश दिया जा चुका है।

(3) इस भूमि में हरिजनों को कोई भूमि आवंटित नहीं की गई है।

नागौर जिले की रेवेन्यू अदालत

545. श्री रामसिंह कुड़ी (जायल) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) नागौर जिले में रैवेन्यू की कितनी अदालतें हैं एवं कहां–कहां कितनी–कितनी स्थित हैं ?

(2) नागौर जिले की रैवेन्यू अदालतों में कितने–कितने मुकदमे किस–किस वर्ष के पेंडिग हैं ?

(3) नागौर जिले की रैवेन्यू अदालतों में कितने मुकदमें तारीख 15–10–55 के बाद निर्णीत हुए एवं उनमें से कितने मुकदमों की फायलें अभी तक जिला रेकार्ड कार्यालय में नहीं आई एवं कितनी ऐसी फाइलें जिला रेकार्ड में किस–किस अदालत से कब–कब प्राप्त हो गई ?

(4) नागौर जिले की रेवेन्यू अदालतों में से निर्णीत रेवेन्यू दावों की फाइलों में तहसील से फैसले का अमल बरामद रेकार्ड में होने का पत्र शामिल है एवं कितनी फाइलों में ऐसा पत्र प्राप्त करना है ? कितनी

(श्री रामसिंह कुडी)
फाइलों में रेकार्ड के अमल बरामद हेतु तहसील को भी लिखना बकाया है ?

उत्तर

नागौर जिले में रैवेन्यू की अदालतें 26 हैं जो निम्न प्रकार से हैं:—

1. नागौर	में रेवेन्यू अदालतें	7
2. मेड़ता	"	4
3. डीडवाना	"	3
4. परबतसर	"	3
5. मकराना	"	1
6. नावां	"	2
7. लाडनूं	"	2
8. जायल	"	2
9. डेगाना	"	2
		26

(2) नागौर जिले की रेवेन्यू अदालतों में निम्न प्रकार मुकदमे पेंडिंग हैं:—

6 माह से कम	3104
एक वर्ष से कम	2831
दो वर्ष से कम	2445
तीन वर्ष से कम	476
तीन वर्ष से अधिक	1105
पांच वर्ष से अधिक	225
योग:–	10186

(3) नागौर जिले की विभिन्न रेवेन्यू अदालतों में दिनांक 15–10–55 के बाद 180756 मुकदमे निर्णीत किये गये जिनमें से 145747 मुकदमात की पत्रावलियां रेकार्ड रूम में जमा नहीं करवाई गई हैं। मातहत अदालतों से जिला रेकार्ड रूम में जो पत्रावलियां प्राप्त हुई हैं उनका विवरण संलग्न है।

(4) रेवेन्यू अदालतों में मुकदमा निर्णीत होने के पश्चात् सम्बन्धित पक्ष अपने स्तर पर अमल बरामद करवाती है। जहां तक ऐसे केसेज का प्रश्न है जिनमें राज्य सरकार भी एक पक्ष होता है सम्बन्धित पदासीन अधिकारी उस अमल बरामद के लिए जिम्मेदार होते हैं अतः प्रत्येक केस में मिसलों के साथ अमल बरामद का प्रमाण-पत्र होना आवश्यक नहीं।

(कृपया परिशिष्ट 13 देखिये)

जिलाधीश नागौर द्वारा कर्मचारियों के स्थानान्तरण

546. श्री रामेश्वर लाल चौधरी (नावां): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिलाधीश नागौर ने जिला कार्यालय व तहसील कार्यालयों के कर्मचारियों के गत दो साल की अवधि में किस-किस के व कब-कब और क्यों स्थानान्तरण किए हैं ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) इन अनियमित स्थानान्तरणों के कारण राज्य सरकार को कितना टी. ए. व डी. ए. कर्मचारियों को देना पड़ा ?

(स्थगित किया गया)

अजमेर जिले के किसानों को पास बुकों का वितरण

547. श्री केशरीमल (ब्यावर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अजमेर जिले में कितने ऐसे किसान हैं जिन्हें पास बुक दिया जाना आवश्यक था तथा कितने ऐसे किसानों को पास बुक दी गई ? ऐसे किसान हैं जिन्हें अब पास बुक देना बाकी है ?

(2) क्या यह सही है कि किसानों को पास बुक न मिलने से लोन आदि प्राप्त करने में बाधा उपस्थित हो रही है ?

उत्तर

(1) अजमेर जिले में 3,12,559 किसानों को पास बुकें दिया जाना आवश्यक था जिनमें से 45,952 किसानों को पास बुकें दी गई तथा अब 2,66,607 ऐसे किसान हैं जिन्हें पास बुक देना बाकी है।

(2) किसानों द्वारा ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई जिससे यह कहा जा सके कि पास बुक न मिलने के कारण लोन आदि प्राप्त करने में बाधा उपस्थित हो रही है।

सांख्यिकी सहायक के चयन हेतु विभागीय पदोन्नत समिति की बैठक

548. श्री यसवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा): क्या सांख्यिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि 1965 में सांख्यिकी विभाग के सांख्यिकी सहायक के चयन करने के लिए विभागीय पदोन्नत समिति की बैठक हुई ? यदि हां, तो इस समिति ने कितने व्यक्तियों को इस पद के लिए चयनित किया ? नामों की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) इनमें से कितनों को प्रोवेशन एक वर्ष की अवधि की समाप्ति पर स्थायी किया और बकाया के लिए क्या आदेश हुए ?

(3) क्या यह सही है कि निदेशक ने बकाया को सस्पेन्डेड लीयन वेकेन्सी के अधीन स्थायी किया था ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने फिर इन्हें अस्थायी क्यों किया ?

उत्तर

(1) जी हां, 1965 में सांख्यिकी सहायक के पद पर पदोन्नति द्वारा नियुक्ति करने के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक हुई थी। समिति की सिफारिश पर और लोक सेवा आयोग के अनुमोदन के पश्चात् 13 व्यक्तियों को इस पद पर नियुक्ति हेतु चयन किया गया। चयनित व्यक्तियों के नामों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) नियुक्त व्यक्तियों में से केवल 7 को ही स्थाई किया गया क्योंकि इतने ही स्थाई पद उपलब्ध थे। बकाया को स्थाई पदों के अभाव में स्थाई नहीं किया जा सका।

(3) जी हां, यह सही है। राज्य सरकार ने इन व्यक्तियों को अस्थाई करने के आदेश निदेशक को इस कारण दिये

(सांख्यिकी मंत्री)

क्योंकि नियमानुसार लियन वेकेन्सी (Lien vacancy) के विरुद्ध किसी का स्थाई-करण नहीं किया जा सकता।

(कृपया परिशिष्ट 14 देखिये)

प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि

549. **श्रीमती भगवती देवी** (भिनाय): क्या आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल में प्रति व्यक्ति आय में कितनी वृद्धि हुई ?

(2) अनुसूचित जातीय व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय में इन चारों योजना काल में कितनी वृद्धि हुई ?

उत्तर

(1) प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े वर्ष 1954—55 से उपलब्ध प्रचलित व स्थिर मूल्यों पर आधारित प्रति व्यक्ति आय के अंक मय वृद्धि के संलग्न तालिका में दिये गए हैं।

(2) अनुसूचित जाति व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय के अलग से अनुमान नहीं लगाए जाते।

(कृपया परिशिष्ट 15 देखिये)

भूमि विकास बैंक सिरोही द्वारा दिये गये कर्जे की वसूली

550. **श्री जेठमल आर्य** (रैवदर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सिरोही भूमि विकास बैंक द्वारा ट्रेक्टर और पम्पिंग सेट के लिये गत 10 वर्षों में कितना कर्जा दिया गया तथा किस किस सदस्य में कितना कितना पैसा बकाया है और कितना अवधिपार है। सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) अवधिपार कर्जे की वसूली के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

(1) सिरोही सहकारी भूमि विकास बैंक लि., सिरोही द्वारा ट्रेक्टर और पम्पिंग सैट के लिये गत 10 वर्षों में दिये गये कर्जे तथा किस-किस सदस्य में कितना-कितना पैसा बकाया है और कितना अवधिपार है इसकी सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(2) बैंक से प्राप्त सूचना के अनुसार अवधिपार ऋण की वसूली के लिये 28 मामलों में सहकारी अधिनियम की धारा 106 के तहत कार्यवाही बैंक द्वारा की गई है इनमें 3 मामलों में पूरी ऋण राशि वसूल हो गई है। शेष 58 मामलों को अवधिपार ऋण की वसूली हेतु बैंक स्तर पर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में भेजी गई)

राज कार्य में हिन्दी भाषा का प्रयोग

551. **श्री मनोहरलाल** (कामा) : क्या भाषा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री मनोहरलाल)

(1) क्या सरकार द्वारा हिन्दी को राज्य भाषा घोषित किया गया है? यदि हां, तो कब से?

(2) ऐसे कितने विभाग हैं जिनमें अभी तक सरकारी कार्य अंग्रेजी में किया जाता है?

(3) क्या यह सही है कि श्रम आयुक्त जयपुर के कार्यालय में अभी तक सरकारी कार्य अंग्रेजी में किया जाता है?

(4) क्या यह भी सही है कि इस विभाग में कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची स्थानान्तरण आदेश, अवकाश स्वीकृति तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को दिये जाने वाले पत्र, सूचनाएं आदि भी अंग्रेजी में जारी की जाती हैं? यदि हां, तो क्यों? यदि नहीं, तो 1972 में इस कार्यालय द्वारा जारी की गई टेंटेटिव वरिष्ठता सूची तथा स्थानान्तरण आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। 1956 से राजभाषा अधिनियम द्वारा हिन्दी घोषित की गई है।

(2) केवल अपवाद स्वरूप ही कुछ विभागों द्वारा अंग्रेजी में कार्य किया जाता है।

(3) कुछ अंशों में अंग्रेजी और कुछ में हिन्दी में काम हो रहा है।

(4) जी नहीं। हिन्दी टाइपराइटर तथा हिन्दी टंकण की तात्कालिक अनुपलब्धि के कारण ही ऐसे आदेश यदाकदा अंग्रेजी में भी निकाल दिये गये थे। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को दिये जाने वाले अधिकांश पत्र हिन्दी में होते हैं। सन् 1972 में जारी की गई वरिष्ठता सूची व स्थानान्तरण आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

विशेष:— अंग्रेजी में सूची व आदेश निकालने वाले संबंधित अधिकारियों को भविष्य में ऐसा न करने की हिदायत दे दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में भेजी गई)।

श्रद्धांजलि

भूतपूर्व विधान सभा सदस्य श्री हरिदत्त के निधन पर श्रद्धांजलि

श्री अध्यक्ष : शोक प्रकट।

मैं ही इसे मूव कर देता हूं।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि भरतपुर क्षेत्र से प्रथम राजस्थान विधान सभा के लिये निर्वाचित भूतपूर्व सदस्य श्री हरिदत का दिनांक 27 मार्च, 1973 को देहान्त हो गया है।

श्री हरिदत्त का जन्म 23 अप्रेल, 1899 को भरतपुर में हुआ था। आपने शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात् भरतपुर व करौली स्टेट में न्यायिक सेवाओं में उच्चतम पदों पर कार्य किया। भरतपुर स्टेट के अंग्रेज प्रधान मंत्री के साथ कुछ राजनैतिक

(श्री अध्यक्ष)
मतभेद होने के कारण आपने नौकरी से त्यागपत्र दे दिया तथा स्वतन्त्रता आन्दोलन एवं समाज सेवा में लग गये। आप हिन्दू संस्कृति एवं सभ्यता के महान् पक्षपाती, उच्चकोटि के समाज सुधारक एवं कुशल राजनैतिज्ञ थे। आप 1952 से 1957 तक राजस्थान विधान सभा के सदस्य रहे।

मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि दो मिनिट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्मा की शान्ति के लिये प्रार्थना करें।

(सदन ने दो मिनिट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्मा की शान्ति के लिये प्रार्थना की)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि :

(1) सर्वश्री केशरीमल और श्री मोहम्मद गफ्फारअली, सदस्य विधान सभा ने गत 19 मार्च को टाटगढ पुलिस थाने में एक आदिवासी महिला के साथ किये गये बलात्कार के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। इस प्रश्न पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा।

(2) सर्वश्री योगेन्द्रनाथ हांडा और गिरधारीलाल भार्गव सदस्य विधान सभा ने राजस्थान विश्वविद्यालय के दो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के साथ अमानवीय व्यवहार के सम्बन्ध में दो स्थगन प्रस्तावों की सूचना दी है। इन प्रस्तावों में सम्बन्धित घटना की तिथि नहीं दी गई है और न यही बताया गया है कि इन कर्मचारियों के साथ किसने अमानवीय व्यवहार किया है। अतः मैं इन स्थगन प्रस्तावों को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(3) श्री गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य विधान सभा ने राजस्थान अधीनस्थ सांख्यिकीय कर्मचारी संघ द्वारा 31 मार्च तक सरकार द्वारा उनकी मांगें स्वीकार नहीं किये जाने पर आन्दोलन करने के निर्णय से सम्बन्धित एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। यह प्रश्न किसी भावी घटना की आशंका पर आधारित है अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(4) श्री गिरधारीलाल भार्गव सदस्य, विधान सभा ने सवाई मानसिंह चिकित्सालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को सार्वजनिक अवकाश न देने और गत 9 माह से वेतन का भुगतान न करने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। यह प्रश्न अविलम्बनीय लोकमहत्व का नहीं है। अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(5) श्री केशरीमल, सदस्य विधानसभा ने पुलिस विभाग में सिलाई कार्य के श्रमिकों की पिछले 10 दिनों से चली आ रही हड़ताल के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। यह प्रश्न अविलम्बनीय लोकमहत्व का नहीं है अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(श्री अध्यक्ष)

(6) दिनांक 16—3—73 को सर्वश्री गुमानमल लोढ़ा, गिरधारीलाल भार्गव, भानुकुमार शास्त्री और मनोहरलाल, सदस्य विधान सभा ने गंगानगर में कुछ पाकिस्तानी जासूसों की गिरफ्तारियों के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी।

(7) दिनांक 16 मार्च को ही श्री रामलाल, बाड़ी, सदस्य विधान सभा ने अनुसूचित जाति के किसानों की फसल में आग लगा देने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी।

ये दोनों ही प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं अतः मैं इन्हें स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विश्वविद्यालय के दो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के साथ··

श्री अध्यक्ष : कब हुआ यह इन्सीडेन्ट यह तारीख आपने नहीं बताई है और किसके साथ किसने किया यह भी नहीं बताया।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : वहां के अधिकारियों ने अमानवीय व्यवहार किया। यही नहीं, बल्कि मारपीट तक की। इस कारण वहां के दो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सवाई मानसिंह अस्पताल में एडमिट हैं और इसके विरोध स्वरूप वहां के कर्मचारियों में बड़ा रोष है। सम्बन्धित अधिकारियों से मिलकर इस मामले में निपटारा करने का प्रयास किया गया। पर वह भी असफल हो जाने से वहां के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आज दोपहर से हड़ताल पर जा रहे हैं। राज सरकार को इस सम्बन्ध में तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिये और जिनके साथ मारपीट की गई है उन अधिकारियों को उचित दण्ड मिले इसकी भी व्यवस्था करनी चाहिये।

दूसरा मेरा प्रस्ताव यह है कि सवाई मानसिंह अस्पताल के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को राज्य सरकार साप्ताहिक अवकाश जो मिलना चाहिये, नहीं मिलता। बल्कि उनको और भी राजपत्रित अवकाश नहीं मिलते। इस महंगाई के युग में नौ नौ महीने तक वेतन नहीं मिलने से उनकी क्या हालत हो सकती है इसका सहज अनुमान लगाया जा सकता है। मुझे आशा है सरकार उनको इन तीनों कठिनाइयों को दूर करेगी। साप्ताहिक अवकाश, राजपत्रित अवकाश और नौ नौ महीने से चढ़ी हुई तनख्वाह तुरन्त देने की व्यवस्था करेगी।

तीसरा, मेरा स्थगन प्रस्ताव, राजस्थान अधीनस्थ सांख्यिकीय कर्मचारी की मांगों के सम्बन्ध में है जो अगर नहीं मानी गई तो पहले वे दो तारीख को अपना वेतन नहीं लेंगे और इसके बाद चार तारीख को काली पट्टी बांधकर विरोध प्रकट करेंगे। तो उस प्रकार गड़बड़ी न हो, अशान्ति न हो, राज्य सरकार उनके असन्तोष को दूर करे, यह मेरी मान्यता है।

श्री केशरीमल (ब्यावर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव पुलिस विभाग के बारे में · ·

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (गंगानगर) : अध्यक्ष महोदय नाम इसलिये नहीं दिया जा

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)
सका स्थगन प्रस्ताव में कि कौन अधिकारी था, इसकी जानकारी अभी प्राप्त नहीं हुई है बल्कि घटना ने भयंकर रूप लिया है। अभी मालूम हुआ है डिप्टी रजिस्ट्रार और उच्च अधिकारियों ने दो कर्मचारियों को पीटा और इस बुरी तरह पीटा कि दोनों कर्मचारी अस्पताल में दाखिल हैं और स्थिति गम्भीर है। वाइस चान्सलर और उच्च अधिकारियों से बातचीत की लेकिन कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं मिला जिससे वहां के कर्मचारियों ने सारे विश्वविद्यालय में हड़ताल कर दी। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों ने भी विश्वविद्यालय का काम रोक दिया इसलिये मेरा अधिक न कहते हुए यही निवेदन है कि इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करली जाय ताकि ··

श्री केशरी मल : अध्यक्ष महोदय मैंने स्थगन प्रस्ताव में यह निवेदन किया था कि यहां सरकार द्वारा पुलिस विभाग की वर्दियां सीने का काम किसी एक ठेकेदार के जरिये करवाया जा रहा है और वह ठेकेदार सिर्फ सिलाई करने का काम करता है। उस ठेकेदार को जो पुलिस विभाग से पैसा मिलता है वह 66 पैसा एक बुशर्ट के लिये मिलता है। यह ठेकेदार उन कर्मचारियों को जो सिलाई का काम करते हैं 35 पैसा देता है और अब 35 पैसे के बजाय 33 पैसा देना चाहता है, मतलब तनख्वाह कम करना चाहता है। पहले 66 पैसे मिलते थे तो उसमें 35 पैसे देता था और अब 35 के बजाय भी 33 पैसे कर देना चाहता है। इस सिलसिले को लेकर 10 दिन से हड़ताल चल रही है। वर्दियां पुलिस को मिलेगी और वर्दियां बिना पुलिस कहीं जा नहीं सकती है। अभी कहीं डण्डा चलाने की जरूरत पड़ जाय तो उनको बड़ी मुश्किल हो जायगी। जो पैसा मिलता था वह कम किया जा रहा है। न छुट्टियां मिलती है, न श्रम कानून लागू हैं और 10-10 साल के बच्चों से काम लिया जाता है। न हाजिरी रजिस्टर है न और कुछ है। इनके साथ बहुत ज्यादती हो रही है और इस कारण हड़ताल की है। मेरा आपके जरिये मन्त्री महोदय से यह निवेदन है कि इस सम्बन्ध में बीच बचाव करें। जहां तक थानेदार की जानकारी के लिए भेजा है, उस थानेदार ने कुकृत्य किये हैं और जब तक उसको पहले सस्पेन्ड नहीं किया जाय तब तक क्या जांच होगी और क्या मामला होगा।

श्री गुमानमल लोढा (जोधपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय आपने पाकिस्तान से जो गुप्तचर गंगानगर में अपनी गतिविधियां पिछले कई सप्ताहों से कर रहे हैं उसके बारे में स्थगन प्रस्ताव के बारे में एक व्यवस्था दी है कि लोक सभा में···

श्री अध्यक्ष : प्राप्त जानकारी के अनुसार लिखा है।

श्री गुमानमल लोढा : अध्यक्ष महोदय प्रश्न यह है कि समाचार पत्रों ने यह समाचार छपते कि लगातार 3—4 दिन तक पाकिस्तान के गुप्तचर गिरफ्तार होते रहे। एक व्यक्ति के पास फाउन्टेन पेन मिला वह पाकिस्तानी गुप्तचर था और उस पेन का इन्वेस्टीगेशन के बाद वह पेन घातक पिस्तोल पाया गया। अध्यक्ष महोदय इसके साथ ब्लेक दिसम्बर के द्वारा कई लोगों को

(श्री गुमानमल लोढा)

खतरनाक चेतावनी पिछले सप्ताह में दी गई। इसके साथ राजस्थान में कई स्थानों पर मुस्लिम गतिविधियां बढ़ी और पाकिस्तान राजस्थान की बोर्डर पर है। पाकिस्तान में कन्सट्रेन्शन आफ आर्मी का बढ़ना, रूस, अमेरिका द्वारा हथियार देना, ये सारे तथ्य ऐसे हैं जिनके द्वारा राजस्थान की सुरक्षा और राजस्थान की शान्ति एक खतरे में आ गई है। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा यदि वे पाकिस्तान के गुप्तचर नहीं थे तो भी आवश्यक है मन्त्री महोदय वक्तव्य दें तो जो राजस्थान में भ्रान्ति फैली हुई है वह दूर हो सके और यदि पाकिस्तान के गुप्तचर हैं और पेन की जगह घातक पिस्तौल मिली है तो भी आवश्यक है कि मन्त्री महोदय यहां इसके बारे में वक्तव्य दें और स्पष्टीकरण करें। मैं प्रार्थना करूंगा, मुझे बताया गया है ब्लेक दिसम्बर के बारे में वक्तव्य होने वाला है और जैसा सदन में आया है सी. पी. एल. नेताओं को धमकियां और अरेस्ट दी गई है, मुझे स्वयं को मिला है और कई लोगों को मिला है। मैं चाहूंगा इस विषय को उस विषय के साथ मिलाकर स्पष्टीकरण कर दें ताकि राजस्थान की जनता में जो संन्देहास्पद वातावरण बना हुआ है, उसमें सही स्थिति का ज्ञान हो सके।

अध्यक्ष : मुख्य मन्त्रीजी द्वारा वक्तव्य।

शासकीय वक्तव्य

झाडोल तहसील जिला उदयपुर में सिंचाई के लिए पानी न दिये जाने व राजनैतिक कार्यकर्ताओं को हथकड़ी डालकर घुमाने सम्बन्धी

श्रीमती कमला बेनीवाल (राज्य मंत्री गृह): माननीय अध्यक्ष महोदय झाडोल तहसील, जिला उदयपुर में सिंचाई अधिकारियों द्वारा वनवासियों के खेतों में बोये हुये गेहूं को पानी न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति तथा उदयपुर जिले के झाडोल कस्बे में दिनांक 11 मार्च, 1973 को पानी न दिये जाने के विरोध में किये गये प्रदर्शन में राजनैतिक कार्यकर्ताओं को हथकड़ियें डाल कर घुमाये जाने से उत्पन्न स्थिति से सम्बन्धित जानकारी निम्न प्रकार है :—

मौजूदा रवी की फसल की बुआई के पहले पंचायत समिति झाडोल के सदस्यों द्वारा अन्य अधिकारियों की एक मीटिंग गत वर्ष 30 अक्टूबर को हुयी थी। जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि इस वर्ष वर्षा की कमी के कारण मवेशी और इन्सानों के पीने के लिए झाडोल के तालाब में करीब 8 फीट पानी बनाये रखना अति आवश्यक है। अतः सर्वसम्मति से यह तय किया गया था कि इस वर्ष रवी की फसल पिछले साल के मुकाबले में कम एरिया में की जावे और जो भी फसल की जावे उसमें कम पानी से पैदा होने वाले अनाज जौ, तथा गोजू बोई जावे जिनको केवल तीन पिलाई ही करनी पड़ती है।

लेकिन इस निर्णय के विपरीत काश्तकारों ने अधिक एरिया में ज्यादा पानी मांगने वाले अनाज वो दिये जिसके फलस्वरूप पानी की कमी पड़ गयी और ज्यादातर किसानों को तीसरी पिलाई के लिये पूरा पानी उपलब्ध नहीं हो सका। लेकिन कुछ लोगों ने चौथी पिलाई का पानी भी चोरी छिपे ले लिया। जिसके फलस्वरूप तालाब

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

में 8 फीट की बजाय केवल पौने चार फीट पानी ही रह गया। ऐसी सूरत में प्रशासन को तालाब में पानी रोके रखने का निर्णय लेना पड़ा और फसल की पिलाई बन्द करनी पड़ी।

इस पर झाडोल के जनसंघ कार्यकर्ता श्री फतेलाल मेहता ने श्री कौशल किशोर मंत्री जिला जनसंघ उदयपुर तथा अन्य जनसंघ कार्यकर्ताओं को 10 मार्च को आन्दोलन हेतु झाडोल बुलाया और वहां पर 11 मार्च को करीब साढे दस बजे सुबह 70-80 काश्तकारों को लेकर श्री कौशल किशोर तथा उनके कार्यकर्ता नारे लगाते हुये उपजिलाधीश के निवास स्थान पर पहुंच गये तथा सिंचाई हेतु पानी खोलने की मांग बाबत उन्हें एक ज्ञापन दिया। इस पर उपजिलाधीश ने उन्हें बताया कि 13 मार्च को उदयपुर में अकाल राहत सम्बन्धी एक बैठक हो रही है जिसमें पेय जल की व्यवस्था बाबत निर्णय लिये जाने के बाद सिंचाई हेतु पानी खोलने के संबंध में निर्णय लिया जावेगा।

आन्दोलनकारी उपजिलाधीश की इस सलाह पर 13 मार्च तक निर्णय का इन्तजार करने के लिये राजी नहीं हुये और उन्होंने तालाब पर जाकर जबरदस्ती नहर खोलने की धमकी दी। तत्पश्चात् आन्दोलनकारी तालाब की ओर रवाना हो गये। उपजिलाधीश ने जिलाधीश उदयपुर से टेलीफोन पर सम्पर्क स्थापित करने का प्रयत्न किया लेकिन लाइन खराब होने से बातचीत नहीं हो सकी। अतः उन्होंने सर्किल आफिसर पुलिस को विचार विमर्श हेतु अपने पास बुलाया। इस दरमियान आन्दोलनकारियों ने तालाब पर पहुंचकर नहर खोलने की चाबी निकालने के लिए चौकीदार और मिस्त्री के रिहायशी कमरों के तालों को पत्थर से तोड़ना शुरू कर दिया। ऐसी सूरत में घटनास्थल पर उपस्थित मुख्य आरक्षक पुलिस इन्चार्ज पुलिस थाना झाडोल ने श्री कौशलकिशोर, श्री फतेलाल मेहता, रेवाशंकर और जीवा को जेर दफा 128 जा.फो. गिरफ्तार कर लिया और इन्हें थाने चलने के लिये कहा।

लेकिन इन लोगों ने बिना हथकड़ी पहने किसी हालत में थाने चलने से इन्कार कर दिया। चूंकि इंचार्ज पी. एस. के पास पुलिस का जाप्ता बहुत ही कम था और बिना हथकड़ी लगाये इन्हें थाने ले जाना मुमकिन नहीं था। अतः इन्चार्ज पुलिस थाना ने उन्हें हथकड़ी लगाई। जब पुलिस इन गिरफ्तार शुदा व्यक्तियों को एकान्त के रास्ते से थाने ले जाने लगी तब फिर इन लोगों ने जिद्द की कि उन्हे गांव में से होकर थाने पर ले जाया जावे।

पुलिस को मजबूर होकर फिर इनकी बात माननी पड़ी और इन्हें गांव में से होते हुये थाने ले गये और ये लोग प्रदर्शन करते हुये तथा नारे लगाते हुए थाने पर पहुंचे। थाने पहुंचने के बाद जब भीड तितर बितर हो गई। तब इन्चार्ज पुलिस स्टेशन ने इन्हें आजाद कर दिया। इसी दिन शाम को लालजी भाई एम.पी. और कैलाश मेघवाल भी जीप से झाडोल आये और उन्होंने मोटर स्टेन्ड पर जनता को आन्दोलन हेतु उकसाया लेकिन जनता ने कोई प्रदर्शन या आंदोलन

(श्रीमती कमला बेनीवाल)
नहीं किया। स्थिति नियन्त्रण में है और शान्ति है।

श्री अध्यक्ष : दोनों का उत्तर आ गया?

श्रीमती कमला बेनीवाल : जी हां।

श्री गुमानमल लोढा : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में मैंने स्थगन प्रस्ताव और ध्यान आकर्षण प्रस्ताव रखे थे। जहां तक पानी की पिलाई के लिए काश्तकारों को पानी देने का प्रश्न है मैं यह जानना चाहूंगा कि उसके पश्चात् क्या काश्तकारों को जो उनकी फसल खड़ी हुई थी वहां पर उसमें तीसरी पिलाई का पानी दिया गया या नहीं? एक बात तो यह भी जानना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय कि जहां तक आन्दोलन करने का प्रश्न है आन्दोलन किया गया और आन्दोलनकर्त्ता काश्तकार समाज और किसान समाज के लिए जो धान पानी के अभाव में नष्ट हो रहा था और ऐसे समय में जबकि राजस्थान में धान की बहुत बड़ी आवश्यकता है और उसके अभाव में जगह जगह त्राहि त्राहि मची हुई है, स्थान-स्थान पर लोग परेशान हैं और दिल्ली जाकर धान लेने के लिए वहां पर याचनायें और मांग करते है वहां पर राजस्थान में धान पानी के अभाव में हम तैयार नहीं कर सकें और उसमें किसी प्रकार की बाधा आये तो मैं समझता हूं अध्यक्ष महोदय वहां पर इसका आन्दोलन किया और मांग की कि पानी पिलाया जाये तो पानी पिलाने की मांग थी, इसमें किसी प्रकार की राजनीति नहीं थी और चाहिए था एस.डी.ओ. को या जो भी अधिकारी थे उनको कि काश्तकारों को पानी दिया जाता परन्तु अध्यक्ष महोदय, आन्दोलन के लिए उनको गिरफ्तार किया जाये इसमें कोई आपत्ति नहीं है। जो आन्दोलन करता है, जो आन्दोलन करने के लिए जाता है वह गिरफ्तार होने की तैयारी भी करके जाता है और जनतंत्र के अन्दर सभी पक्ष समझते हैं कि यह आन्दोलन उचित नहीं है और उनको गिरफ्तार करें तो उसमें आपत्ति नहीं समझता। उनका यह काम है और उनको गिरफ्तार करना पुलिस का कर्तव्य है। परन्तु प्रश्न यह है कि इसमें जो यह कहा गया कि आन्दोलनकर्ता को हथकड़ियां डाली यह अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसकी ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा वह छोटा सा प्रश्न है कि राजनैतिक और सामाजिक कार्यकर्ताओं को आन्दोलनों के संबंध में हथकड़ियां डालने का।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज 30 तारीख है और हम राजस्थान दिवस मना रहे हैं और बड़ी बड़ी घोषणायें की जा रही हैं आज दी के बाद प्रगति की, विकास की ओर बढ़ते हुए चरणों की लेकिन क्या आज हम उसी स्थिति में हैं जिस स्थिति में यहां आज अंग्रेज फिरंगी लोग राज्य करते थे? जो पहले साम्राज्यवाद था, जिसके काले कारनामों के कारण से देश पीड़ित था और उस समय भी यह दलील दी जाती थी, जब हथकड़ियां डाली जाती थीं उस समय कहा जाता था कि कांग्रेस के कार्यकर्ता भाग जाते फरार हो जाते और उनको पकड़ कर लाना मुश्किल था। कितना शर्मनाक है, कितना घृणास्पद है कि आज भी वही दलील, वही गयी गुजरी, वही दकियानूसी, [illegible]

(गुमानमल लोढ़ा)

आपट-रिपेटेड और कन्डैम उसी बात को वापिस दोहराया जाय और श्री कौशल किशोर जो कि जनसंघ के संघठन मंत्री हैं जो आज लगातार वहां के सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं और इस आन्दोलन को कर रहे थे। क्या वहां से वह भाग जाते? जब स्वयं मंत्री महोदया कह रही हैं कि आन्दोलन करने के लिए वह वहां पर आये और उन्होंने जानबूझकर पानी दिलाने के लिए आन्दोलन किया। तो अध्यक्ष महोदय, यहां पर मैं यह निवेदन करना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि इस बारे में पालिसी स्टेटमेन्ट हो। पहले भी हुआ है यहां पर जिस समय गृह मंत्री श्री मथुरादासजी माथुर थे या अन्य गृह मंत्री थे। उस समय उन्होंने इस प्रकार का स्टेटमेंट दिया, सरकुलर भी जारी किये गये और पुलिस मेनुअल में, पुलिस एक्ट में आज तक के जो प्रावधान हैं उसमें स्पष्ट है कि जहां तक हथकडियों का प्रश्न है यह उसी समय डाली जाती है जब कि मुलजिम खतरनाक हो, डाकू हो, कातिल हो, फरार होने वाला हो, देशद्रोही हो, पाकिस्तानी स्पाई हो या प्रोब्लेम्ड आफेन्डर हो। लेकिन राजनैतिक कार्यकर्ता को धान में पानी पिलाने पर और पवित्र मांग को लेकर जो गया उसके हाथों में हथकडियां डाली जायें और थाने में ले जाया जाये मैं अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहूंगा इस बारे में सदन में उप नेता महोदय बिराजमान है मैंने मुख्यमंत्रीजो से भी निवेदन किया था और यह कहा था कि इस बारे में स्पष्ट रूप से वक्तव्य होना चाहिए। मतों के मतभेद हो सकते हैं विचारों में भेद हो सकते हैं भेद बहुत अधिक हो सकते हैं लेकिन जनतंत्रीय पद्धति के अन्दर यदि सामाजिक राजनैतिक कार्यकर्ता को हथकडियां डाली गयीं तो अध्यक्ष महोदय मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि जनतंत्र में जो आस्था है उसको चुनौती होगी। यह संविधान के साथ खिलवाड़ होगी। यह जनता का राज्य नहीं होगा बल्कि जनरल का राज्य होगा। इसलिए मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि इस हथकड़ी की घटना को यह कह कर टालने का प्रयास नहीं किया जाये कि वह थाने मे जाने के लिए तैयार नहीं हुए। मैं जानना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय कि यदि वह थाने में जाने के लिए तैयार नहीं हुए तो क्या उनको फिजिकली लिफ्ट करके ले जाया गया? हथकड़ियां डालने से कैसे चले जायेंगे। क्या उनका फरार होने का अन्देशा था? जो स्वयं आकर कहे कि मैं गिरफ्तार होना चाहता हूँ।

'जज बोला माफी मांग अरे,
मैं छोड़ूं तेरा भाग जगे।
वह सिंहनाद कर बोल उठा,
तेरी माफी में आग लगे।
मेरा मतवालापन ही तो,
यह लाया वारन्ट गिरफ्तारी।"

ऐसे कार्यकर्त्ता जो समाज की समस्याओं को लेकर जाते हैं उनके हाथों में हथकड़ियां डालते हैं। मुझे याद आता है आजादी का समय...

श्री अध्यक्ष: संक्षेप में।

श्री गुमानमल लोढ़ा: अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का दुख है कि जिस समय

(श्री गुमानमल लोढ़ा)
इन बातों को लेकर गंभीरता से विचार करना चाहिए हम इनको लाइट कर देते हैं। यह ठीक है कि हम विरोधी पक्ष बहुमत में नहीं हैं···

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपने भी तो सदन को कवि सम्मेलन का अखाड़ा बना दिया है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : कवि सम्मेलन भी हो सकता है, मुशायरा भी हो सकता है।

श्री दीपंकर : सदन में नहीं हो सकता है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : हम यहां बैठकर समाज की धारा को अलग नहीं कर सकते··

श्री अध्यक्ष : आप तो जारी रखिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपकी वीर रस की कविता में शृंगार रस की कविता भी जागृत हो जाती है।

श्री अध्यक्ष : समय-समय की बात है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : हम उस समय कहा करते थे और जिस समय जेलों में जाया करते थे, आजादी के दीवानों को हथकड़ियां डाली जाती थीं। उस समय कहा करते थे···

श्री दीपंकर : लोढ़ा साहब आप कौन से ख्वाब की बात कर रहे हैं?·

श्री गुमानमल लोढ़ा : यह सन् 43 की बात है और 38, 39 की बात है। जब हम जोधपुर में आन्दोलन करते थे और कहा करते थे :

'हाथ में हथकड़ी,
जिव्हा पे वन्दे मातरम्,
चलकर कारागार पर,
हम सब अब करें अपना कर्म।

और आप में से कई व्यक्ति ऐसे हैं कि जिन्होंने आजादी की जंग में भाग लिया है और जिन्होंने भाग नहीं लिया वह कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं कि जिन्होंने भाग लिया। केवल मैं इतना ही कहना चाहूंगा इस बारे में कि आज स्पष्टीकरण किया जाये और मैं यह आश्वासन चाहूँगा कि राजनैतिक कार्यकर्ताओं को और सामाजिक कार्यकर्ताओं को जो गया गुजरा तरीका है हथकड़ियां डालने का इसको हमेशा के लिए समाप्त किया जाय।

आप उनको जेलों में रखें, अधिक से अधिक सजा दें इसके लिए वह तैयारी करके आते हैं लेकिन यह कौन सा तरीका है कि हथकड़ियां डालकर उनको घुमाया जाये। इसके लिए डिफेन्स तो कई हो सकते हैं और पुलिस के आफिसर्स कोई न कोई एक्सक्यूज लगाकर काम करते हैं। मंत्री महोदया ने भी आज तक कभी नहीं कहा कि हमने ज्यादती की। आपके सामने धौलपुर के काण्ड के सम्बन्ध में श्री जनार्दनसिंहजी गहलोत ने बताया था कि एक व्यक्ति को डाकू बनाकर मार डाला गया। इसके लिए भी डिफेन्स आया था लेकिन हम कौनसी वैल्यूज को क्रियेट करना चाहते हैं इसके लिए मेरी प्रार्थना है कि इसके बारे में निश्चित रूप से आश्वासन दिया जाये।

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मणसिंह,

श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) । अध्यक्ष महोदय, मैं भी दो शब्द इस सम्बन्ध में निवेदन करूंगा, बिल्कुल संक्षेप में । यह जो इसमें कहा गया है कि राजनीतिक कार्यकर्त्ताओं को हथकड़ी डालकर घुमाया गया, यह अगर ऐसा हुआ है तो मैं समझता हूं कि पुलिस का आचरण आपत्तिजनक है, अशोभनीय है, काबिले ऐतराज है । क्या पुलिस ऐसे राजनीतिक कार्यकर्त्ताओं को मोटर में बिठा करके अदृश्य रूप से अगर गिरफ्तार करना था तो ले जा सकती थी । गिरफ्तारी करना पुलिस का अधिकार है । ला एण्ड आर्डर को मेन्टेन करके शान्ति स्थापित करने के लिए वह ऐसा कर सकती है लेकिन ऐसी स्थिति के अन्दर मोटर में बैठा कर उनको क्यों नहीं ले जाया गया । इस सम्बन्ध में भी सरकार का क्या विचार है मैं यह जानना चाहूंगा ।

श्री अध्यक्ष : राज्य मंत्री गृह ।

श्री मनोहरलाल : एक प्रश्न है साहब ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न का आधार क्या है ।

श्री मनोहरलाल : एक अहम मुद्दा है ....

श्री अध्यक्ष : एडजोर्नमेन्ट मोशन पर बोलने का प्रश्न है । फिर भी आप बोलना ही चाहें तो बोल लें ।

श्री मनोहरलाल : मैं क्लेरिफिकेशन के लिए पूछना चाहता हूं । जैसा कि मंत्री महोदया ने फरमाया कि उनको अभियुक्तों को या कार्यकर्त्ताओं को उनके कहने पर हथकडी लगा कर ले जाया गया । मैं इस सम्बन्ध में एक बात पूछना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, कि क्या पुलिस की डायरी में, रोजनामचे जो घटना हुई उसका यह इन्द्राज यह किया गया है कि उस आदमी के कहने पर, कार्यकर्त्ताओं के कहने पर उनके हथकड़ी लगाई गई और उसके बाद वहां से ले जाया गया ।

श्री भावरमल : एक प्रश्न मुझे भी पूछना है अध्यक्ष महोदय, ऐसा है अध्यक्ष महोदय, स्पष्टीकरण के हिसाब से कि जैसा लोढ़ा साहब ने फरमाया था आजादी के दिवाने थे तो उस समय क्या स्थिति थी और आज जो पीढ़ी है, शासन में हैं उन्होंने विरोध देखा नहीं है । इसलिए जिन्होंने विरोध देखा है पुलिस ज्यादतियों को सहन करते थे उन लोगों ने यह चेष्टा की थी कि इस स्वतन्त्र भारत में जो अपने उसूलों के लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं उनके साथ ठीक व्यवहार किया जाय । लेकिन कल परसों भी ऐसी चर्चा आई थी कि राजनैतिक कार्यकर्त्ताओं के कल्प्रिट को तरह से उनके हथकडी जो लगाई जाती है वह न लगाई जाय । मुझे याद है कि जब आप स्वयं गृह मंत्री थे आपने यह आदेश दिया था कि जहां तक सम्भव हो कल्प्रिट के भी हथकड़ी नहीं लगाई जाय । लेकिन आज कल तो यह परम्परा हो गई है कि हथकड़ी डाल कर उनको बेइज्जत करते हैं । यह हथकडी डालकर उन कार्यकर्त्ताओं को बेइज्जत करते है इसलिए कि उनका हौसला दब जाय । अध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहता हूं कि राजनीति के मामले के अन्दर

(श्री झाबरमल)

जो यह सत्याग्रह वगैरा करते हैं जो आन्दोलन करते हैं उनके साथ इस तरह का व्यवहार करना क्या उचित है।

श्री अध्यक्ष : राज्य मंत्रीजी।

श्रीमती कमला बेनीवाल (राज्य मंत्री, गृह) : अध्यक्ष महोदय, माननीय श्री लोढाजी द्वारा जो प्रश्न उठाया गया कि काश्तकारों को तीसरी पिलाई नहीं दी गई। इस संबंध में मेरा निवेदन है कि आमतौर पर करीब करीब सभी को, काश्तकारों को तीसरी पिलाई का पानी दे दिया गया था लेकिन चौथी पिलाई का पानी देने की स्थिति नहीं थी इसलिए वह पानी नहीं दिया गया। और चौथी पिलाई का पानी अगर दे दिया जाता तो गांव में पीने के पानी की स्थिति नहीं रहती जबकि फसल के बारे में यह स्थिति थी कि तीन पिलाई का पानी मिल-जाने के बाद में वह फसल अपने आपको कायम रख सकती थी और उसमें कोई दिक्कत नहीं आती कि जिससे उसमें कोई फसल खत्म होने का अन्देशा होता। इसलिए यह व्यवस्था की गई कि काश्तकारों को चौथी पिलाई का पानी नहीं दिया जाय और पीने का पानी को कायम रखने के दृष्टिकोण से यह व्यवस्था की गई थी।

जहां तक दूसरा एक सवाल है कि राजनीतिक कार्यकर्त्ताओं को हथकड़ी डाल कर क्यों घुमाया गया और क्यों उनको जबरन हथकड़ी डालकर ले जाया गया और किसी पुलिस वेहिकल में डाल कर नहीं ले जा सकते थे। वास्तव में हम अगर अपरेन्टली देखें तो यह नजर आता है कि यह कार्यवाही गलत हुई। लेकिन उसके पीछे जो स्थिति बनी उसके कारण आप जानकारी में लें तो आप स्वयं इस बात से कन्वींस होंगे कि ऐसी स्थिति में इस प्रकार से किया जाना नितान्त आवश्यक और मजबूरी हो गई थी। क्योंकि जो भी कार्यकर्त्ता वहां प्रदर्शन के लिए गए थे और तोडफोड करने लग गए थे, उनको शान्त हो जाने का निवेदन किया गया। उस वक्त उन्होंने स्वयं ने यह मांग की कि जब तक हथकड़ी डाल कर नहीं ले जायेंगे वे वहां से हटेंगे नहीं। हथकड़ी डाल कर ले जाने की जरूरत नहीं थी लेकिन पुलिस थी जितनी भी पुलिस थी उस समय को उस वक्त में यह जरूरी था कि किसी भी प्रकार को जो शांति भंग होने का अंदेशा है उसको खत्म किया जाय। जिस प्रकार से प्रदर्शनकारियों की जो भावनाएं थीं उनको ध्यान में रखते हुए उसके मुताबिक यह कार्यवाही की गई और जब उनको एकान्त के रास्ते से ले जाने लगे तो उन्होंने इस बात की जिद की कि हमें गांव में से ले जाया जाय। गांव में किसी प्रकार की घटना उस वक्त न घटी, न किसी प्रकार की अशांति पैदा हुई। ये सब जो कार्यकर्त्ता वहां एकत्रित हुए उन्होंने जिद करके और परेशान करके इस बात की कोशिश कि हमें इस ढंग से ले जाया जाय और क्योंकि घटना अचानक घटी जिसमें दूसरी तरह से व्यवस्था करना सम्भव नहीं हो सका इसलिये इस तरह से जैसा सत्याग्रही चाहते थे उस ढंग से कार्यवाही की गई। बाकी राजनैतिक कार्यकर्त्ताओं को, आन्दोलनकारियों को, सत्याग्रहियों को कुचलने को राज्य सरकार की कत्तई तौर पर कोई मंशा नहीं है। इससे

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

भी बहुत बड़े आन्दोलन राज्य में हुए हैं लेकिन किसी प्रकार से ग्राम परम्परा नहीं पड़ी है कि हथकड़ी डाल कर ले जाया जाय। लेकिन एक विशेष परि-स्थिति उत्पन्न हो जाने और कार्यकर्त्ताओं के चाहने के कारण अचानक स्थिति पैदा होने के कारण यह करना पड़ा।

श्री रघुनाथ विश्नोई : उनके कहने पर भी घुमाना तो उचित नहीं था।

श्री गुमानमल लोढ़ा : एक प्रश्न है अध्यक्ष महोदय। यह ठीक है कि आपकी कोई विशेष परिस्थिति होगी। लेकिन यह कहां तक उचित है कि अगर एक मुल्जिम ने कह दिया कि पुलिस मेरा सिर फोड़े तो ही जाऊंगा या मुझे फांसी देंगे तो जाऊंगा तो क्या पुलिस उसके कहने से फांसी दे देगी। यह कहना कि उन्होंने जिद्द की, मैं इस बात की सच्चाई के विवाद में अभी जाना नहीं चाहता लेकिन मैं उसूलन यह चाहता हूं कि यह पहली घटना नहीं है, चौहटन में इस प्रकार की घटना हुई है और मैं उसको माननीय मुख्य मंत्री के ध्यान में लाया था और विशेष तौर मे मैंने कहा था कि चौहटन में 15 लोगों को जो किसी राजनैतिक दल के नहीं थे, माताजी के मंदिर का प्रश्न था, उस मामले में भी हथकड़ियां डाली गई बाड़-मेर जिले में। मैं अध्यक्ष महोदय, आपसे कहना चाहता हूं कि यह आज के युग में आज के वैल्यूज के अनुकूल नहीं हैं। अतः आज कम से कम मैं यह चाहूंगा कि आप इसके बारे में यह चाहूंगा कि आप इसके बारे में स्वयं अगुआ होकर इस बात की घोषणा करें। विशेष परिस्थिति को छोड़दें। मैं एक घटना की बात नहीं कहता लेकिन जो बारबार घटना रिपोर्ट हो रही है वह शोभा-जनक नहीं है वह है। हमारे राज्य पर; जनतांत्रिक पद्धति पर हमारे संविधान और राज्य के प्रशासन पर एक कलंक के रूप में यह बात आती है। अतः इस बात की घोषणा करें कि भविष्य में···

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, जहां तक सामाजिक कार्यकर्ताओं आन्दोलन-कारियों के हथकड़ी लगाने का सम्बन्ध है राज्य सरकार इसको उचित नहीं मानती है और जब विवशता हो जाती है तब तो बात दूसरी है वरना आम तौर पर किया भी नहीं जाता है।

श्री अध्यक्ष : समितियों प्रतिवेदनों के उपस्थापन।

समितियों का प्रतिवेदन

याचिका समिति, नियम समिति व आश्वासन समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्री गंगाराम चौधरी (सभापति याचिका समिति) : अध्यक्ष महोदय, मैं याचिक समिति 1972-73 के प्रथम प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री पूनमचन्द बिश्नोई।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : श्री अध्यक्ष महोदय मैं नियम समिति के दूसरे प्रतिवेदन में की गई सिफारिशें सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री रघुनाथ बिश्नोई।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सभापति, सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति) : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति, 1972–73 के प्रथम प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

वित्तीय समितियों का निर्वाचन

जनलेखा समिति, प्राक्कलन समिति व राजकीय उपक्रम समिति के नामजद सदस्यों की सूचना

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि जन लेखा समिति 1973–74 प्राक्कलन समिति 1973–74 तथा राजकीय उपक्रम समिति 1973–74 के चुनावों हेतु निम्नलिखित उम्मीदवारों के पर्चे जांच के पश्चात्, सही पाये गये हैं:–

जन लेखा समिति—

1. श्री हीरालाल देवपुरा (182)
2. श्री मोहन लाल छंगाणी (110)
3. श्री राजेन्द्र कुमार भांतीय (119)
4. श्री सहदेव शर्मा (169)
5. श्रीमती प्रभा मिश्रा (70)
6. श्री रामचन्द्र रौत (125)
7. श्रीमती कान्ता कथूरिया (10)
8. श्रीमती मदन कौर (97)
9. श्री जनार्दनसिंह (39)
10. श्री प्रद्युम्नसिंह (69)
11. श्री भीमसेन (90)
12. श्री रामनारायण चौधरी (130)
13. श्री भानुकुमार शास्त्री (87)
14. श्री मूलचन्द सामरिया (108)
15. श्री मोहम्मद गफ्फार अली (113)
16. श्री गुरदयालसिंह संधु (123)
17. श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (115)
18. श्री झाबरमल सूण्डा (50)
19. श्री भीमाराम (96)
20. श्री रामसिंह कुण्डी (135)।

प्राक्कलन समिति—

1. श्री पूनमचन्द विश्नोई (67)
2. श्री गोरीशंकर (31)
3. श्री सज्जनसिंह (166)
4. श्री नाथूराम (58)
5. श्री लूणाराम (148)
6. श्री बीरबल (78)
7. श्री रामसिंह विश्नोई (137)
8. श्री रोशनलाल शर्मा (143)
9. श्रीमती निर्मलाकुमारी (62)
10. श्रीमती नगेन्द्रबाला (55)
11. श्रीमती गोरी पूनिया (30)
12. श्री मोहनराज जैन (109)
13. श्रीमती उषा प्रकाश (6)
14. श्री विजयसिंह (149)
15. श्री भंवरलाल मदोदा (82)
16. श्री फारुक हसन (71)
17. श्री ज्ञानसिंह (184)
18. श्री ब्रजोसिंह (1)
19. श्री गोरधनसिंह (29)
20. श्री केशरीमल (16)
21. श्री विट्ठलभाई (150)
22. श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (115)
23. श्री झाबरमल सूण्डा (50)
24. श्री भीमाराम (96)
25. श्री मीठालाल मीणा (105)
26. श्री रामसिंह कुण्डी (135)

राजकीय उपक्रम समिति—

1. श्री शिवचरण माथुर (160)
2. श्री शंकरलाल पाली (156)
3. श्री श्रीनिवास शारदा (164)
4. श्री गुलाबसिंह शक्तावत (24)
5. श्रीमती सुमित्रा (173)
6. श्री गोपाल जोशी (26)
7. श्री विद्या सागर (152)
8. श्री गोकुलचन्द (25)
9. श्री घासीराम यादव (32)
10. श्री रघुनाथ विश्नोई (116)
11. श्री भुवनेश चतुर्वेदी (91)
12. श्री अमृतलाल गहलोत (3)
13. श्री गिरधारीलाल भार्गव (20)
14. श्री सुरेशचन्द्र (175)
15. श्री रामसिंह कुड़ी (135)
16. श्री भोमाराम (96)
17. श्री झाबरमल सूण्डा (59)
18. श्री गुरदयालसिंह सन्धु (23)
19. श्री केशरीमल (16)
20. श्री रामानन्द अग्रवाल (139)

जो माननीय सदस्य उक्त समितियों से अपने नामजदगी के पर्चे वापस लेना चाहें वे दिनांक 3 अप्रेल 1973 के सायं 5 बजे तक लिखित सूचना द्वारा अथवा सदन में घोषणा द्वारा ऐसा कर सकते हैं।

विधायी कार्य

विधेयक का पुरःस्थापन

श्रीमती कमला बेनीवाल (राज्य मंत्री गृह) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान पुलिस अप्राप्ति उद्बोधन विधेयक, 1973 को पुरःस्थापित करने के लिए मैं अनुमति के लिए प्रार्थना करती हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को पुरः स्थापित करने के लिए अनुमति दी जाए।

श्री गुमानमल लोढा: अध्यक्ष महोदय, अनुमति देने के लिए मैं विरोध करना चाहता हूं··

श्री अध्यक्ष : अभी तो पुरःस्थापित करने के लिए अनुमति चाही है। इन्ट्रोडक्शन की स्टेज है।··

श्री गुमानमल लोढा : क्षमा चाहता हूं अध्यक्ष महोदय। आज नान आफिशियल डे है, प्राइवेट मेम्बरस डे पर आफिशियल बिजनेश को नहीं लिया जा सकता है। यह इसलिए रखा गया है ताकि सदस्यों को अधिक से अधिक समय मिल सके।

दूसरा कारण यह है कि यह जो विधेयक लिया जा रहा है पुलिस के लोगों के बारे में, मैं यह प्रार्थना करूंगा कि हमारे यहां का जो स्ट्रक्चर है, जो प्रावधान बना हुआ है, उसके बारे में डिमान्ड के समय चर्चा की जाती है, इसके संगठन के बारे में, इसके अधिकारियों के बारे में चर्चा की जा सकती है। वे भी अपनी मांगों को लेकर जैसे दूसरे व्यक्ति करते हैं, मांग कर सकते हैं··

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह कौनसा कानूनी पाइंट है कि यह नहीं लाया जा सकता है··

श्री गुमानमल लोढा : कानूनी पाइंट नहीं मैं तो इसका विरोध कर रहा हूं··

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : समय की बचत के नाम और समय नष्ट नहीं किया जाना चाहिए अध्यक्ष महोदय··

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की सहमति है ?

(स्वीकृत)

अनुमति दी जाती है।

श्रीमती कमला बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान पुलिस अप्रीति उद्दीपन विधेयक, 1973 को पुरःस्थापित करती हूँ।

श्री अध्यक्ष : विधेयक पुरःस्थापित किया गया।

श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय··

श्री अध्यक्ष : यह तो समाप्त हो गया है।

श्री महारावल लक्ष्मणसिंह : आप इजाजत देंगे तो बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष : फरमाइये।

श्री लक्ष्मणसिंह : मैं यह समझता हूं कि सदन की परम्पराओं के अनुसार नानआफिशियल डे के अन्दर कोई आफिसियल वर्क नहीं लिया जाता है। इन्ट्रोडक्शन की स्टेज पर भी वह नहीं लिया जाना चाहिए और कोई माननीय सदस्य इस पर आपत्ति उठाना चाहता है तो उसको इसकी लिबर्टी है, आजादी है, अधिकार है। यह उसका वैधानिक अधिकार है। सदस्यों के अधिकारों को संरक्षण देने के लिए मैं आपसे निवेदन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : मैं आपसे सहमत हूं। मैं भी यह मानता हूं कि जिस दिन गैर-सरकारी कार्य हो आमतौर से उस दिन सरकारी बिजनेस नहीं लिया जाना चाहिए। चूंकि यह इन्ट्रोडक्शन का मामला था इसलिए रखा गया है। यह जो सिद्धांत की बात है, वह मुझे स्वीकार है। आइन्दा इस बात का ध्यान रखेंगे। दूसरी बात यह है कि नार्मली इन्ट्रोडक्शन की स्टेज पर, मौके पर वैधानिक आपत्ति नहीं उठायी जाती है। फिर भी मैंने आपत्ति उठाने का मौका दिया है। मौका देने के बाद ही हाउस ने स्वीकृति दी है। गैर सरकारी कार्य।

श्री भीमसेन।

अशासकीय विधेयक

विधेयक का पुरःस्थापन

श्री भीमसेन : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान पशु एवं पक्षी बलि (निषेध) विधेयक, 1973 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : क्या आज्ञा प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

आज्ञा दी जाती है।

श्री भीमसेन : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान पशु एवं पक्षी बलि (निषेध) विधेयक, 1973 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : विधेयक पुरःस्थापित किया गया।

अशासकीय संकल्प—

राजस्थान के मरु क्षेत्र के विकास के लिए एक क्षेत्रीय समिति के निर्माण सम्बन्धी

Page No 68

संकल्प पर अग्रेतर विचार

श्री श्रीराम गोटेवाला : सदस्य विधान सभा द्वारा मरुस्थल क्षेत्र के विकास के लिए एक क्षेत्रीय समिति के निर्माण करने सम्बन्धी अनिर्णित संकल्प पर अग्रेतर विचार।

श्री गुमानमल लोढा (जोधपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने विचार उस समय व्यक्त कर रहा था...

श्री अध्यक्ष : You can continue

श्री गुमानमल लोढा : अध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान दिवस है और राजस्थान ने गत कई वर्षों के अन्दर...

श्री केदारनाथ : अध्यक्ष महोदय इसके लिए समय बांध लिया जाय। हाईकोर्ट बैंच का मसला भी है...

श्री अध्यक्ष : हाउस चाहे तो...

एक माननीय सदस्य : इस पर हम भी बोलना चाहेंगे।

श्री अध्यक्ष : जब क्लोजर का मोशन मूव करें या जब आप चाहें तब खतम करें। मैं सभी सदस्यों की भावनाओं का ध्यान रखूंगा।...

श्री गुमानमल लोढा : जनसंघ दल की भावना मरुस्थल प्रदेश के विकास के लिए कोई अलग नहीं है और राजस्थान के विकास के साथ ही मरुस्थल का विकास है। यह उसका अविभाज्य अंग है। उससे अलग नहीं किया जा सकता है और इसमें जनसंघ या कांग्रेस, समाजवादी दल या स्वतन्त्र पार्टी अलग अलग रूप से अधिकतर नहीं सोचती है? मरुस्थल का विकास राजस्थान का विकास है। मरुस्थल राजस्थान का हृदय है। राजस्थान के अन्दर वास्तव में रेगिस्तान और राजस्थान या यूनिवर्सल रूप से दुनियां के दूसरे मुल्कों में या हिन्दुस्तान में जाना जाता है। यद्यपि राजस्थान सारा का सारा रेगिस्तान नहीं है। फिर भी आम धारणा है कि जो वास्तव में रेत के बड़े बड़े टीले हैं, कहीं पर मीलों तक पत्ता तक नहीं है, यही नहीं पीने के लिए पानी भी उपलब्ध नहीं है। सिचाई की बात तो छोड़िए पानी के कारण से वहां के व्यक्ति, वहां पर रहने वाले लोग और पशु त्राहि त्राहि करके परेशान होते हैं, ऐसे राजस्थान की भूमि जो मरुस्थल के नाम से पुकारी जाती है अध्यक्ष महोदय यह जोधपुर क्षेत्र का इलाका, जैसलमेर क्षेत्र का इलाका, बीकानेर क्षेत्र का इलाका, सीकर और झुंझुनू का इलाका, यह सारा इसके अन्दर समाहित होता है और इसलिए अध्यक्ष महोदय मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यदि हमें राजस्थान का विकास करना है, यदि हमें राजस्थान को हिन्दुस्तान के नक्शे के ऊपर, हिन्दुस्तान के अन्दर उच्च स्तर पर लाकर कि राजस्थान भी एक ऐसा प्रदेश है जहां पर विकास की दर बढ़ चुकी है, जहां पर लोगों की लीविंग वेजेज बढ़ चुकी है, जहां पर लोगों को जीविका के साधन बढ़ चुके हैं, लोगों की सर्वांगीण उन्नति शिक्षा के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, सभी प्रकार से हुई है। ऐसा एक नक्शा हम भारत के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं तो राजस्थान और मरुस्थल के विकास की ओर हमें सब से अधिक ध्यान देना होगा।

Page No 69

(श्री गुमानमल लोढा)

अध्यक्ष महोदय, यह दुर्भाग्य है कि आज हम राजस्थान दिवस मना रहे हैं और लगभग 24 साल, 25 साल का समय निकल चुका है। रियासतों का एकीकरण हुआ और राजस्थान का निर्माण हुआ। सरदार पटेल का सपना साकार हुआ और इस प्रकार ऐतिहासिक राजस्थान बना। तब भी और आज भी हम इन्द्र भगवान की ओर देख कर अपनी समस्याओं का हल चाहते हैं चाहे वह पीने का पानी ही क्यों न हो इसके बारे में एक प्रकार की दयनीय स्थिति है जिससे हृदय में इतनी वेदना होती है कि वास्तव में हम युग के बढ़ते हुए चरणों के साथ नहीं बढ़ सके। अध्यक्ष महोदय मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि किसी युग के अन्दर इस रेगिस्तान पर समुद्र या सरस्वती नदी यहां पर थी। यह इलाका हरा भरा था। यह ऐतिहासिक बात है। भूगर्भ के वैज्ञानिकों ने इस बात को स्वीकार किया है।

(12.50 म. प.)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)

दुर्भाग्य है कि आज वहां पर टीले हैं, सेन्ड्यूज हैं जिसके अन्दर वृक्ष तो क्या यदि पाकिस्तान की टैंकों की फोज जब वहां पर आई थी वह धोरों के अन्दर फंस गई और इन धोरों के अन्दर उसके जो सिपाही थे वे फंस गये।

लेकिन वह रेगिस्तान भीषण और विकराल है। वास्तव में वहां पर किसी प्रकार के आवागमन के साधन नहीं है। मैं आपसे निवेदन करूं एक छोटी सी घटना सुनाऊं। मैं गया था बाड़मेर जिले के अन्दर अकाल के प्रश्न के ऊपर पता लगाने के लिए, और बाड़मेर से हरसाना की ओर रवाना हुआ। उपाध्यक्ष महोदय, इतनी प्रगति हमने की है या करने की हम कहते हैं उसके बाद भी हरसाना के रास्ते में रेत के इतने बडे बड़े टोले थे कि वहां पर बस का जाना बहुत मुश्किल से होता था। बस खराब हो गई। दूसरा कोई साधन नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, आपको ताज्जुब होगा कि 6 घन्टों तक लगातार हम रेत के टीबों पर बैठे रहे। यह दो-तीन महीने पहले की बात है, लेकिन वहां पर पानी नहीं मिल सका। हमारे एक साथी जाकर वहां पर खेत से मतीरे लाये और मतीरे को तोड़ कर पानी पीकर हमने किसी प्रकार से पानी की तृषा को शान्त करने का प्रयास किया। शाम तक कोई साधन नहीं मिला, और उसके बाद बहुत मुश्किल से 8–9 के बाद विशेष साधन से वापिस आये। सिन्ध के इलाके में, शेरगढ़ के इलाके में, उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार की परिस्थिति है कि जहां पर मीलों तक पानी के दर्शन नहीं होते, हरी पत्ति के दर्शन नहीं होते। ग्रीन रिवोल्यूशन की तो बात छोड़ दे लेकिन हरा रंग कैसा होता है यह भी पता नहीं लगेगा। वहां पर टीबे 8–8 फीट, 10–10 फीट और 12–12 फीट ऊंचे होते हैं रात्रि को यहां पर है और आंधि आगई और तूफान आ गया तो सवेरे सड़क को ढके हुए दूसरे स्थान पर आ जायेंगे। इस प्रकार की भयावह स्थिति वहां की है।

तो, उपाध्यक्ष महोदय, इसका विकास, इन टीबों को समाप्त करके हरे भरे खेत

श्री गुमानमल लोढा)

लहलहाते खेत बनाते हैं और रेत के समुद्र की जगह पर पानी नदियां वहां आ सकें यह केवल इच्छा ही नहीं बल्कि आवश्यकता है, राजस्थान की प्रगति के लिए यह आवश्यक ही नहीं बल्कि अनिवार्य है। इसलिए मैं, उपाध्यक्ष महोदय, कहना चाहूंगा कि राजस्थान नहर के बारे में जो कुछ किया है उसको द्रुत गति से बढ़ाकर, वार लेवल के ऊपर या युद्ध–स्तर के ऊपर जैसलमेर की ओर से प्रारम्भ करके और वह सेन्ट्रल प्रोजेक्ट हो या न हो इस बात में जाने की आवश्यकता नहीं है, उसको हर प्रकार से पूरा करने का प्रयास किया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर इर्रीगेशन पर बहस हो रही थी उस समय मंत्री महोदय ने बताया था कि घग्घर और गंगा के अन्दर जो बाढ़ का पानी है उसको रेगिस्तान के इलाके में लाने के बारे में गंगा लूनी योजना एक बहुत बड़ी योजना बनाई गई है, लेकिन आज उस पानी को कावेरी में ले जा रहे हैं केन्द्र के अन्दर। मैं निवेदन करना चाहूंगा सिंचाई मंत्री महोदय से कि मरुस्थल के विकास की दृष्टि से गंगाधर-घग्घर के फ्लड के पानी को लूनी के साथ में मिलाने का जो प्रोजेक्ट बना हुआ है और इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए विशेष एलाटमेंट कराया जाय और विशेष एलाटमेंट कराकर गंगा के पानी को चाहे वह भुन्भुनूं और अन्दर से या जोधपुर जालोर के रास्ते के अन्दर से लूनी तक लाकर, गंगा के पानी को यहां पर लाने के लिए सब प्रकार का प्रयास करके, फण्ड्स का एलाटमेंट करके वार लेवल पर, इमर्जेन्सी के साथ राजस्थान के सारे केन्द्र के साथियों को लेकर गंगा को लूनी में लाकर जोधपुर और जालोर के इलाके में पानी लाये। और मैं कहूंगा कि सिंचाई मंत्री इस बात के लिए बधाई के पात्र होंगे यदि वह यह कर सके तो, और आज का युग उन्हें नये भागीरथ की तरह देखेगा। जैसे गंगा को भागीरथ आकाश से लाये थे जमीन के ऊपर वैसे ही गंगा को अगर वे रेगिस्तान के समुद्र में ले आयें। सिंचाई मंत्री या राजस्थान की सरकार तो मैं समझता हूं कि वे भागीरथ के समान बधाई के पात्र होंगे।

इसी प्रकार से नर्मदा की जो योजना है या अन्य योजनाएं हैं इनको रेगिस्तान डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है कि शीघ्र से शीघ्र इम्प्लीमेंट किया जाय।

और एफोरेस्टेशन का मामला है वह केन्द्र की ओर से बड़ी मन्द गति से चल रहा है। यदि रेगिस्तान के बढ़ते हुए प्रवाह को नहीं रोका गया तो यह जो राजस्थान के अन्दर आगे बढ़ रहा है वह आगे बढ़कर अन्य इलाकों के अन्दर भी उनको ग्रसित कर सकता है इसलिए रेगिस्तान को मिटाने के लिए यह आवश्यक ही नहीं बल्कि दूसरे प्रदेशों के भागों को भी वीरान होने से बचाने के लिए, रेगिस्तान होने से बचाने के लिए आवश्यक है कि इस रेगिस्तान को नखलिस्तान बनाया जाय। कोई कारण नहीं है हम नहीं बना सकते हैं जब कि इजराइल जैसा एक छोटा सा मुल्क जो कि चारों ओर दुश्मनों से घिरा हुआ है, जहां कि रात-दिन युद्ध चलता रहता है, जहां कि हमेशा आकाश में युद्ध के बादल मंडराते रहते हैं, सेबर जेटों की लड़ाई होती रहती हैं, इस प्रकार का एक छोटा सा मुल्क इजराइल रेगिस्तान को नखलिस्तान में परिणत कर

(श्री गुमानमल लोढा)

सकता है, जब कि सहारा के डेजर्ट को मिटाने की योजना को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है तो इस देश के अन्दर हम रेगिस्तान को समाप्त नहीं कर सके तो मैं समझता हूं कि यह वास्तव में विडम्बना है। यह असम्भव नहीं है, यह इम्प्रेक्टिकेबल नहीं है। यह वास्तव में उसके लिए कन्सेन्टेशन करने की बात है। इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा कि इस रेगिस्तान के लिए, मरुस्थल के विकास के लिए, चाहे कोई बोर्ड बनाया जाय, चाहे डेजर्ट बोर्ड के नाम से पहले से बनाया हुआ बोर्ड हो उसके माध्यम से किया जाय। प्रश्न रिसोर्स के माध्यम का नहीं है उसका नाम चाहे बोर्ड है या किसी प्रकार कोई कमेटी हो, कमीशन हो, या अन्य कोई नामकरण किया जाय, लेकिन हमारा तो आब्जेक्टिव एचीव करने का अर्थ है। हम चाहते हैं कि इस आब्जेक्टिव को एचीव करके यहां पर हम इसको सही रूप में कर सकें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहूंगा कि यह शिंदे साहब ने यह भी कहा है, केन्द्र में लोकसभा में हाफ अवर डिसकशन में एक बात कही है वह रेगिस्तान से ताल्लुक रखती है, वह मरुस्थल से ताल्लुक रखती है, अगर उन्होंने कहा कि जहां तक यह प्रोडक्टिव वर्क्स का प्रश्न है इसमें राजस्थान केनाल भी शामिल है मरुस्थल को मिटाने के लिए, रेगिस्तान को मिटाने के लिए। इसके बारे में उन्होंने यह कहा है कि यदि इसके बारे के अन्दर बजट में जो एलाटमेंट है, जो फण्ड्स राजस्थान सरकार को एलाटमेन्ट किया गया है उसको एक्सीड करके कोई रकम खर्च करना चाहे तो केन्द्रीय सरकार उसके लिए तैयार है। यदि केन्द्रीय सरकार उसके लिए तैयार है, यदि शिन्दे साहब इस प्रकार का वक्तव्य देते हैं लोक सभा के अन्दर तो मैं नहीं समझ सका कि क्यों न हम उसका युटिलाइजेशन करें आये हुए फण्ड्स का या आने वाले फण्ड का राजस्थान के नहर के अन्दर इम्प्लीमेन्ट करने में, इस रेगिस्तान को मिटाने के अन्दर विलम्ब करें या अगर वह राजस्थान सरकार के स्तर पर होता है तो उसका कारण वास्तव में या तो यह हो सकता है कि इन्वीजिलेशन नहीं है या इन्वीजिलेशन के साथ में इम्प्लीमेन्टेशन नहीं कर सकें, या सरकारी मशीनरी या अन्य प्रोजेक्ट की मशीनरी इतनी कमजोर है, या वहां पर लाल फीताशाही है या वहां अकर्मण्यता है, या वहां पर घपलेबाजी है, जिनके कारण उसका इम्प्लीमेनटेशन नहीं किया जा सकता है।

माननीय उपाध्यक्ष, उन्होंने यह भी कहा, वहां पर लोकसभा के अन्दर—

"......Out of the amounts available, why are they not being Spent......"

उन्होंने इस मरुस्थल के एरिया के अन्दर जो 10 जिलों के अन्दर ड्राट प्रोन प्रोग्राम या इस एरियाज का, उसके बारे में कहा है—

"Under that head 20 crores were available last year, Only 8.14 crores have been spent."

Page No 72

(श्री गुमान मल लोढ़ा)

उन्होंने यह भी कहा है—For this year 7.14 crores were available and only 3.43 crores have been spent.

In fact he even told the Rajasthan Government even if they go beyond these limits because this is a part of Rs. 20 crores scheme in the next year budget, we are prepared to support them if there are sound schemes. We told them to go ahead even beyond the budget limits.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर यह कहना चाहूंगा कि मरुस्थल के विकास के बारे में जो अवेलेबिल रिसोर्सेज हैं, उनको यूटिलाइज करें। 20 करोड़ की रकम मिले, उसको आप यूटिलाइज नहीं कर सकें। आगे उन्होंने कहा—

"....Out of the actual amount available, only 2.54 crores have been spent. So whatever productive schemes there are there is no limit of funds and we shall give all the necessary funds. If the Rajasthan Government takes up productive schemes for employment or draught schemes, we shall give financial help and there will be no difficulty...."

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यदि केन्द्र की ओर से इस प्रकार की घोषणा है और यूटिलाइजेशन नहीं कर सकें और मरुस्थल के विकास की बातें करते हैं लेकिन जो अवेलेबिल है, उसका उपयोग करें, यह नितान्त आवश्यक है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा, रेगिस्तानी इलाके में से जैसे जोधपुर विभाग है, बीकानेर विभाग है। इसके लिए इस प्रकार की अगर कौंसिल स्थापित की जाती है तो मैं यह भी कहना चाहूंगा कि बीकानेर, जोधपुर इसके अतिरिक्त जो दूसरा एरिया है, जैसे सीकर है, झुंझुनूं है, उन एरियाज का भी उसमें दिग्दर्शन हो सके। उसके अनुसार यह कार्य कर सके। इस प्रकार से कौंसिल की स्थापना की जानी चाहिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा यदि आज के युग में पीने के पानी की समस्या है, हम उसे हल नहीं कर सकें तो कितनी दर्दनाक स्थिति है। खड़ी फसल को पानी नहीं दिया जा सकता है। रेत का समुद्र है। रेत की धरती है। चारों तरफ धोरे हैं। गरम लूयें चलती हैं। जिनको आंधियां कहते हैं। उन सबके कारण दर्दनाक स्थिति हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में आप का कोई भी पढ़ा लिखा अधिकारी वहां जाकर रहना नहीं चाहता है। डॉक्टर या टीचर जिसको आप भेजेंगे वह वापिस आ जायेगा। आपने मेजर शैतानसिंह के नाम से जो नगर बसाया है। वहां जाने वाले लोगों ने यह बताया है कि वहां रहने के लिए कोई स्थान नहीं है। कोई मकान नहीं है। तो यह सारी बातें हैं, जिन पर हम को विचार करना पड़ेगा मैं अधिक नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि इसके बारे में गलतफहमी भी हो सकती है। इतना ही कह कर

(श्री गुमानमल लोढ़ा)
मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती मदनकौर ।

श्रीमती मदन कौर (पचपदरा): उपाध्यक्ष महोदय, मरुस्थल का विकास हमारे राज्य के लिए सबसे गम्भीर समस्या है। इसका समाधान किए बिना राज्य में खुशहाली नहीं आ सकती पिछले वर्षों के निरन्तर अकाल के कारण मरुस्थल के लोगों की आर्थिक हालत अत्यन्त खराब हो चुकी है, यदि उस पर ध्यान नहीं दिया गया तो थोड़े ही समय में उस क्षेत्र से मानव सभ्यता का नामों निशान ही न बचे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। उपाध्यक्ष महोदय, मरुस्थल का विकास पानी के बिना सम्भव नहीं है और, मरुस्थल क्षेत्र के भूतल में विशेष पानी नहीं है। हाल सर्वे के आधार पर मैं इतना कह सकती हूं कि जितना भूतल में पानी मिला है, वह पर्याप्त नहीं है कहीं पानी मिला ही नहीं है। कहीं खारा पानी मिला है जो कि न तो पीने के लायक है और न सिंचाई के ही लायक। जहां पीने के पानी की भयंकर कठिनाई हो और 80/85% गांव ऐसे हैं, जहां पीने का पानी नहीं है वहां भूतल से पानी मिले जिससे सिंचाई हो सके ऐसी स्थिति में वहां के लिए यह असम्भव बात होगी। ऐसी स्थिति में राजस्थान के मरुस्थल क्षेत्र में सिंचाई के लिए पानी नदियों से ही लाया जा सकता है। इसके लिए उत्तर भारत की नदियों से पानी लेना सम्भव हो सकता है। जिसमें मुख्य गंगा और जमुना हैं। भूगर्भ वैज्ञानिकों और पुराने विद्वानों का यह कहना है कि जमुना नदी राजस्थान से होती हुई रन के कच्छ में गिरा करती थी। इसी तरह से सरस्वती और बृहस्पति नदी यह भी राजस्थान में होती हुई रन के कच्छ में गिरा करती थी। इससे इतना स्पष्ट है कि शिमला और यमनोत्री के पहाड़ी क्षेत्रों से राजस्थान की ओर प्राकृतिक ढलान है, तब फिर गंगा का पानी पर्याप्त मात्रा में हमें मिलना चाहिये। हमारे सिंचाई विभाग ने गंगा-लूणी लिंक योजना बनाई है। अब बढ़े हुए वैज्ञानिकों और तकनीकी ज्ञान से गंगा कावेरी जैसी महत्वाकांक्षी योजना भी संभव है। राजस्थान में तो बहुत ही थोड़े खर्चे से गंगा का पानी लाया जा सकता है। बिजनौर के पास से लायें या नरौरा बैराज के पास से लायें, वहां से पर्याप्त पानी सिंचाई के लिए हमें उपलब्ध कराया जाना चाहिये। इस सम्बन्ध में सरकार को पूरा प्रयास करना चाहिए। अपने एक्सपर्ट्स के माध्यम से और दूसरी तरफ से जांच कराकर, इन्वेस्टीगेशन कराकर मजबूती से अपने पक्ष को पावर एण्ड वाटर कमीशन के सामने मजबूती से रखना चाहिए। मैं समझती हूं कि हमारी सरकार नदियों का पानी राज्य में सिंचाई के लिए लाने का प्रयास करेगी। सरकार ने प्रयास किया भी है। भांकरा और राजस्थान नहर परियोजना, इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। लेकिन इन दोनों योजनाओं से राजस्थान के थोड़े से ही इलाके की सिंचाई होगी। इसमें पानी भी कम है। अतः क्षेत्र भी सीमित है। ऐसी स्थिति में गंगा लूनी लिंक, इसके साथ नर्मदा, माही कम्प्लैक्स से भी गंगा के पानी का सम्बन्ध जोड़ दिया जाये तो 40 हजार क्यूसेक पानी मिल सकेगा। और इससे 80 लाख हैक्टेयर

Page No 74

(श्रीमती मदन कौर)
भूमि जो आज सूखी पड़ी है उसकी सिंचाई हो सकेगी। इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करूंगी कि बारबार घग्घर में बाढ़ आती है, और उसका काफी पानी अनूपगढ़ होता हुआ पाकिस्तान में चला जाता है। और उसके उपयोग से हमारा देश वंचित रहता है। यदि इस पानी को डाइवर्शन देकर कहीं ऊंचा उठाना पड़े या पम्प करना पड़े तो भी इसके ऊपर विचार करना चाहिए और इस पानी का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष जी, गंगा और जमुना का पानी अगर मरुस्थल क्षेत्र में आये तो मैं इतना विश्वास इस सदन को दिला सकती हूं कि हमारी पैदावार में बहुत अधिक बढ़ोतरी होगी। राजस्थान का मरुस्थल क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है, बहुत व्यापक क्षेत्र ऐसा है, जहां आज नाम मात्र को खेती होती है। यदि उस क्षेत्र को सिंचाई के लिये पानी मिले तो सदन भी यह समझ सकता है कि इस पानी की एक एक बूंद अनाज पैदा करने के काम में आसकेगी, और मरुस्थल क्षेत्र जो आज सारे देश के लिए समस्या बना हुआ है, वह पानी आने के बाद देश का खलिहान बन सकेगा। उपाध्यक्ष महोदय, यह पानी दक्षिण के क्षेत्रों में दिया जाय तो इस का फायदा हमें उतना नहीं मिलेगा क्योंकि वहां जमीन पहले से सिंचित है और कुछ न कुछ तो वहां पैदा होती है पानी का लेवल इतना ऊंचा उठा हुआ है कि वहां सिंचाई के साधन उस क्षेत्र में उपलब्ध कराये गये तो बहुत थोड़े समय में जमीन पानी से ढक जायेगी। जैसा आज चम्बल, पंजाब, हरियाणा में हो रहा है। यह जो मैंने सुझाव दिया, नदियों के पानी को राजस्थान में लाने का और सिंचाई करने का, यह बहुत लम्बे समय का प्रोजेक्ट है, इसमें काफी समय लगेगा, इसमें बीस पच्चीस या शायद तीस वर्ष भी इस परियोजना को लागू करने में लगेगा, और आज मरुस्थल में अकाल और अभाव से पीड़ित किसान इसमें लम्बे समय तक प्रतीक्षा कर सकेंगे नहीं। इसलिए यह जरूरी है कि तात्कालिक कदम अकाल और मरुस्थल की समस्या के समाधान के लिए उठाये जाने चाहिए। आम तौर पर ऐसा कहा जाता है कि अकाल राहत के माध्यम से मरुस्थल में सड़कों का निर्माण होता है—वह बेकार जाता है और पैसा फालतू खर्च किया जाता है। उपाध्यक्षजी, इस बात को मानना पड़ेगा, किसी भी क्षेत्र का विकास करना है, विकास का रास्ता खोलना है, तो सड़कों का बनाया जाना अत्यन्त जरूरी होगा। रेगिस्तानी क्षेत्र में मिट्टी की सड़कों का उपयोग नहीं है, मेरा मतलब है सड़कों से, कोरी मिट्टी की सड़क बना देने से कतई नहीं है। वहां आंधियां आने से मिट्टी की सड़कें बनने के दो महीने के बाद ऐसा लगेगा कि सड़क बनाई ही नहीं है। और तरह तरह के आरोप लगाये जायेंगे और हमारे पास कोई स्थाई काज दिखाने को नहीं होगी जिस पर हमने खर्च किया। इसलिए हमें यह समझना चाहिए, खास तौर पर मरुस्थल क्षेत्र में जितनी सड़कें बनाई जायं, जितनी राशि इसके लिए उपलब्ध हो, उस सबसे डामर या ग्रेवल की सड़कें बनाई जायं ताकि उसका पूरा पूरा उपयोग विकास के काम के लिए हो सके।

उपाध्यक्ष जी, चरागाह का सुधार, खेतों की मेड़ों का काम, पेड़ लगाये जायं—इसका

(श्रीमती मदन कौर)

काम, कुओं को गहरा करने का काम और नल कूप खोदने का काम—यह काम ऐसे हैं जिन्हें तात्कालिक सुधार के सम्बन्ध में काम में लाये जा सकते हैं। राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार, उपाध्यक्ष महोदय, मरुस्थल के विकास के सम्बन्ध में जागरूक अवश्य है लेकिन मरुस्थल के विकास के सम्बन्ध में दोनों सरकार की स्पष्ट और मजबूत नीति नहीं रही है, कभी कोई प्रोग्राम चालू करती है, एक दिन प्रारंभ करते हैं और उसे दूसरे दिन बन्द कर देती है, दूसरा प्रोग्राम चालू हो जाता है। उदाहरण में देना चाहती हूं कि केन्द्रीय सरकार ने डेजर्ट डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना की। उस बोर्ड ने कुछ काम चालू किया ही था कि उसको एकदम भंग तो नहीं किया लेकिन उसके हाथ पांव सभी कुछ काट लिये गये, केवल नाम मात्र को बोर्ड बना हुआ है। इसके स्थान पर केन्द्रीय सरकार ने मरुस्थल के विकास के लिए बाड़मेर और जैसलमेर जिलों के लिए परियोजना चालू की। पहले साल में तो पैंतीस पैंतीस लाख रुपये की, पहले दो वर्ष में पैंतीस पैंतीस लाख धनराशि की इन योजनाओं पर इसके माध्यम से खर्च किया गया। तीसरे साल वह खर्च 21 लाख मात्र कर दिया गया। और ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि चौथे वर्ष में इन परियोजनाओं के लिए भारत सरकार कोई पैसा नहीं देगी। उपाध्यक्ष जी, मरुस्थल विकास प्रारम्भ हुआ ही था। इस प्रोग्राम को गति मिली थी कि इसके सम्बन्ध में केन्द्र सरकार ने पैसा देना बन्द कर दिया। राजस्थान सरकार के पास अपने साधन नहीं, यह प्रोग्राम भारत सरकार के पैसे से चल रहा है, उसको चालू रखा, और बाड़मेर में चरागाह तैयार किये गये, तीन वर्ष से वहां घास दिखने लगी थी। अब उस पर और पैसा खर्च नहीं किया गया, उसकी रखवाली नहीं की गई, तो बहुत थोड़े समय में वह पैसा बेकार हो जायगा। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि मरुस्थल के विकास के सम्बन्ध में अपनी नीति को स्पष्ट करना चाहिए। साथ ही भारत सरकार को भी इस प्रकार की सलाह देनी चाहिए कि जो भी रुपया मरुस्थल के विकास के सम्बन्ध में आवंटित किया जाय, उस पैसे का उपयोग फेज्ड प्रोग्राम के आधार पर किया जाना चाहिए। काफी लम्बे समय तक इस प्रोग्राम को चालू रखा जा सके तभी जो पैसा मरुस्थल विकास पर खर्च होगा, उसका अच्छा परिणाम हमें मिल सकेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा उदाहरण जोधपुर में स्थित एरिड जोन, भारत सरकार और राजस्थान की इन्स्टीट्यूट का देना चाहती हूं। जोधपुर में बीस इक्कीस वर्ष पहले सैन्ट्रल एरिड जोन इन्स्टीट्यूट को स्थापित किया गया था, उस इन्स्टीट्यूट ने, मैं मानती हूं, काफी उपयोगी काम किया है। लेकिन जो कुछ रिसर्च परिणाम इन्स्टीट्यूट ने निकाले, उनका जन साधारण को फायदा नहीं मिला, वह इन्स्टीट्यूट वाटर टाइट कम्पार्टमेंट की तरह काम कर रहा है, राजस्थान के विभिन्न विभागों से उसका कोई सम्बन्ध नहीं। जन साधारण की क्या समस्यायें हैं उनसे इन्स्टीट्यूट का सम्बन्ध नहीं है। मेरा सुझाव है, इस इन्स्टीट्यूट से हमारी राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों और जन

(श्रीमती मदन कौर)
प्रतिनिधियों को भी सम्बद्ध किया जाना चाहिए। इसके द्वारा समय समय पर ऐसी सेमानार या सम्मेलन आदि बुलाये जायं जिनमें जन प्रतिनिधि मरुस्थल के सम्बन्ध में सुझाव दे सकें और उनका समन्वय करके, उन विचारों को समझ कर इन्स्टीट्यूट के रिसर्च करने वाले अधिकारी इनके ऊपर रिसर्च करें और परिणाम बता सकें और इसका व्यवहारिक फायदा मरुस्थल के विकास के लिए हो सके।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ, अभी हाल ही में हमारी राजस्थान सरकार ने अपने सचिवालय में एक नये सेल की स्थापना की है, जो खास तौर से स्थायी रूप से सूखाग्रस्त जिलों के विकास की योजनायें तैयार करती है। यह स्कीम स्वागत योग्य है। इसको और मजबूत बनाया जाना चाहिए, लेकिन एक सुझाव मैं इसके सम्बन्ध में देना चाहूंगी। कुछ जिलों के लिए ड्राट प्रोन एरियाज प्रोग्राम और बुस्टर प्रोग्राम फार ट्यूब वेल की योजनाएं बनी हैं, जिनको देखने का मौका मिला है। मुझे ऐसा लगता है, यह योजनायें केवल अधिकारियों के स्तर पर बनाई गई हैं। वहां की स्थानीय क्या तकलीफें हैं, स्थानीय लोग इन योजना के सम्बन्ध में क्या सुझाव दे सकते हैं–उनकी इस स्कीम में कतई ध्यान नहीं रखा गया है। मैं सुझाव देना चाहती हूं, राज्य सरकार को, इस सेल में जो योजनाएं बनाई गई हैं, उनको जन साधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित कर दिया जाय और इन पर अगर कोई सुझाव देना चाहे, जन प्रतिनिधि हों, प्रधान, सरपंच, एम. एल.ए. या कोई और जो इसमें दिलचस्पी रखने वाले हैं, वह विकास के बारे में अपने सुझाव इस सेल को भेज दें इससे यह होगा कि जो सरकार की योजनायें बनेंगी उनके पीछे लोगों की पापूलर सेंक्शन होगी। उनकी उपयोगिता अधिक होगी, साथ ही इम्प्लीमेन्टेशन में लोग ज्यादा मदद दे सकेंगे।

मैं मरुस्थल के विकास के सम्बन्ध में और अधिक निवेदन नहीं करते हुए एक ही बात कहना चाहूंगी, कि मरुस्थल के समुचित और सर्वांगीण विकास के लिए अलग से कोई बोर्ड कोर्पोरेशन या और कोई बॉडी जिसे सरकार उचित समझे, उसकी स्थापना करे और उस को यह काम दे कि जो भी योजनायें अब तक मरुस्थल के विकास के लिए बनाई गई हैं उनका मूल्यांकन करे और राज्य सरकार और भारत सरकार को इस सम्बन्ध में जानकारी दे। इसके साथ साथ जो भी धन-राशि मरुस्थल के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं के लिए खर्च करना चाहे, वह भी एक इन्डिपेन्डेन्ट एजेंसी को दी जानी चाहिए, द्वारा उसे प्रवंटित हो और वह उसको विभिन्न योजनाओं पर खर्च करे। ऐसा बोर्ड, कारपोरेशन या बाडी बनाये, उसमें सरकारी प्रतिनिधि हों, गैर सरकारी लोग हों और साथ साथ मरुस्थल से सम्बन्ध रखने वाले, पशुपालन, खेती, फारेस्ट, पीने का पानी सिंचाई है–इन सभी के एक्सपर्ट्स को इसमें शामिल किया जाय। तो मैं समझती हूं, मरुस्थल के विकास के लिए अच्छा कदम होगा।

अन्त में जो संकल्प माननीय श्री श्रीराम गोटेवाला ने रखा है, मैं उसका समर्थन

(श्रीमती मदन कौर)

करती हूं और राज्य सरकार से पुनः निवेदन करती हूं, मरुस्थल के विकास के प्रश्न को गम्भीरता से लेकर इसके लिए अलग से कारपोरेशन, बोर्ड या रीजनल काउन्सिल बनाये और इसमें शार्ट टर्म नीति नहो रहे, लांग टर्म नीति रहे तो मरुस्थल का विकास हो सकेगा। अन्यथा आये दिन अकाल राहत कार्य खोलने पड़ेंगे, अकाल पीड़ित लोग हाथ जोड़ कर सरकार के सामने आते रहेंगे। मरुस्थल का विकास हो तभी रेगिस्तान के लोग स्वाभिमान से अपने पांवों पर खड़े होकर जीवन बिता सकेंगे और राज्य की आर्थिक स्थिति में अपना अच्छा योगदान दे सकेंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : उपाध्यक्ष महोदय, आज आपकी पवित्र घंटी मरुस्थल को हटाने में लगी नजर आती है।

(बहुत से माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

संकल्प पर विचार समापन प्रस्ताव पर विचार

श्री सुरेन्द्र व्यास : Under Rule 56 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Raj. Leg. Assembly, I want to move a closure motion that the debate be closed.

श्री हरिदेव जोशी : I oppose.

श्री शंकरलाल (पाली) : He can oppose it.

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : You have already spoken.

श्री सुरेन्द्र व्यास : Any member.

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री सुरेन्द्र व्यास : At any time after a motion has been made, any member may move that the question be now put to vote, and unless it appears to the Speaker that the motion is an abuse of these rules or an infringement of the right of reasonable debate, the Speaker shall then put the motion. "That the question be now put."

Now sir, the matter is very very clear. Unless it appears that the motion is an abuse of these rules or an infringement of the right of reasonable debate...."

रीजनेबुल डिबेट हो चुकी है। नॉन आफीशियल संकल्प है, सब लोग बोल चुके हैं। जिन लोगों ने अमेंडमेंट्स दिए हैं वे भी बोल चुके हैं। नये लोग बोल चुके हैं, आगे बोलने की गुंजाइश नहीं है। आपको डिजेमिन करना है कि क्योंकि यह जो मोशन मैंने मूव

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

किया है वह मोशन अब यूज of the debate or an infringement of right of reasonable debate रीजनेबुल डिबेट हुई या नहीं, यह आपको निर्णय करना है, मैंने क्लोजर मोशन मूव किया है कि डिबेट को क्लोज किया जाए।

श्री हरिदेव जोशी : माननीय सदस्य ने जो क्लोजर का प्रस्ताव रखा है मैं उसका विरोध करता हूं इसलिए कि मरु विकास की समस्या क्लोजर मोशन मूव करने से क्लोज हो जाती है, ऐसी बात नहीं है। बल्कि...

श्री मोहम्मद गफार अली : हल भी नहीं हो जाती है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : रीजनेबुल डिबेट...

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : हमारा आज का दूसरा इम्पार्टेन्ट इश्यू है उस पर आप डिस्कशन का मौका नहीं देना चाहते, हमें अफसोस है। हम विरोध करते हैं। हम जानना चाहते हैं कि सरकार का व्यू क्या है इस मामले में ?

(शोरगुल)

श्री शंकरलाल : पाइन्ट ऑफ आर्डर..

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य ने मोशन रखा है उसके बाद उपनेता महोदय को मैंने जवाब देने का मौका दिया है, उनको सुनने का अवसर दें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आखिरकार एक एक सदस्य के लिए कितना समय निर्धारित है। यह अच्छा है कि मरुस्थल पर आप की घंटी दो घंटे तक बजेगी नहीं। हाई कोर्ट का जो विषय है वह ज्यादा आवश्यक है या 5 बजे तक मरुस्थल पर विचार करना चाहते हैं।

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री हरिदेव जोशी : माननीय सदस्यों ने क्लोजर मोशन के बारे में कहा। उस बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। किन्तु मुझे एक निवेदन करना है वह यह कि इस सदन में आधे से ऊपर राजस्थान की धरती के विकास के बारे में माननीय सदस्य कहना चाहते हैं, उनको शांति पूर्वक सुनना चाहिए। अगर हम नहीं सुनते हैं तो हम यह इम्प्रेशन देंगे कि हम उनकी समस्याओं में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं और इस प्रकार का इम्प्रेशन देना बहुत ही अनफार्चूनेट होगा। आज की स्थितियों के अन्दर हमें सहिष्णु होना चाहिए और सहिष्णु होकर स्थितियों के बारे में सही प्रकार से नतीजे पर पहुंचना चाहिए। कुछ माननीय सदस्यों ने अपनी राय व्यक्त की है। किन्तु मरुस्थल से आने वाले कई माननीय सदस्य अभी भी अपनी राय रखना चाहते हैं, ऐसा मैं समझकर चलता हूं। जयपुर जनसंघ के माननीय नेता अभी बोले। उस समय माननीय सदस्यों को कोई ऐतराज नहीं हुआ..

श्री गिरधारीलाल भार्गव : उस समय भी आपत्ति थी, अब भी आपत्ति है।

श्री मोहनलाल (बाली) : आपने कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की।

Page No 79

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं फिर मांग करता हूं कि मरुस्थल पर कितना समय...

श्री हरिदेव जोशी : जब तक सदन चाहेगा।

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री शंकरलाल (पाली) : माननीय सदस्य बीच में व्यवधान डाल रहे हैं।

श्री हरिदेव जोशी : जब तक सदन चाहे, मरुस्थल के प्रश्न पर चर्चा करने में कोताही नहीं की जानी चाहिए और सभी लोगों को इसके लिए अवसर दिया जाना चाहिए कि मरुस्थल का विकास किस प्रकार हो और कैसे हो, इस पर निश्चित रूप से कहा जाना चाहिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : रोजनेबुल डिबेट की पोईंट पर आप जवाब दें।

श्री हरिदेव जोशी : माननीय सदस्य ने जो क्लोजर मोशन मूव किया है वह यह समझकर किया है कि रोजनेबुल डिबेट हो चुकी। किन्तु मेरी राय में यह एब्यूज होगा रूल्स के प्रति इस चर्चा को क्लोज किया जाना चाहिए। इसलिए मैं आपके विवेक से अपील करते हुए प्रार्थना करूंगा कि माननीय सदस्य जब तक भी बोलना चाहें, इस बात की इजाजत इनको दी जानी चाहिए।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : कितना समय?

(कई माननीय सदस्य बोलने लगे)

श्री उपाध्यक्ष : श्री निरंजननाथ आचार्य।

श्री निरंजनाथ आचार्य : मैं उस स्थिति में हूं कि इस प्रश्न को बहुत विवेक और संतुलन से विचार कर सकूं। उप नेता महोदय ने बड़े अच्छे शब्द का प्रयोग किया है "सहिष्णुता"। संभवतः इस बेंच का प्रश्न यहां नहीं आता। तो उप नेता महोदय, इस क्लोजर मोशन को आपोज करने के लिए तकलीफ न करनी पड़ती।

श्री हरिदेव जोशी : मेरी नीयत पर शक किया जा रहा है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : तकलीफ मैंने कहा...

(शोरगुल)

श्री शंकरलाल : यह सवाल होता तो क्लोजर मोशन मूव नहीं होता।

श्री निरंजननाथ आचार्य : I am in possession of the Floor.

मेरी बोनाफाइड्स पर शक न करें।

श्री खेतसिंह : कुछ शक हो रहा है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह प्रश्न हैसियत का है, जैसे उप नेता महोदय ने कहा, यह बेंच का प्रश्न, मैं फिर बार बार कहता हूं, मैं किस पक्ष में हूं, अभी नहीं कहना चाहता लेकिन बेंच का प्रश्न [illegible] प्रश्न

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

है। राजस्थान का प्रश्न बनता जा रहा है। मरुस्थल का भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, दोनों महत्वपूर्ण प्रश्नों में टकराहट है। अगर दोनों अलग अलग दिन होते तो आपस में नहीं टकराते, अलग अलग तरफ से चलते।

इसलिये मैं जैसा कि सदन के उप नेता महोदय ने सहिष्णुता प्रयोग में लाने की बात कही है वह तो ठीक है लेकिन मेरा इसमें यह निवेदन है कि समय का अगर व्यवहारिक निर्धारण हो जाय तो ठीक रहेगा। मेरा मतलब यह है कि दोनों ही प्रश्न महत्वपूर्ण हैं इसलिये दोनों ही प्रश्नों पर विवेचन हो, चिन्तन हो और दोनों ही प्रश्नों पर अगर आप बहस कर लेते हैं तो इसका मतलब यह नहीं हो जाता कि इससे आप बहस कर लेंगे तो समस्या का हल हो जायगा। यह तो नहीं है। लेकिन ऐसा हो सके तो ठीक रहेगा जिससे कि माननीय सदस्यों के विचारों की अभिव्यक्ति हो सके बिना उग्रता के। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस छोटे से मसले पर जो क्लोजर हो गया है उससे क्षेत्रीय भावना न उखड़े, और न माननीय सदस्यों में आक्रोश पैदा हो। इसलिये माननीय सदस्यों में उग्रता नहीं फैले, आक्रोश नहीं फैले इसलिये इस गंभीर प्रश्न पर सोच विचार करने के बाद फैसला किया जाय। ताकि यह जो समान्य प्रश्न है उसे असामान्य प्रश्न नहीं बनाया जाय। और यह जो क्लोजर मोशन आया उसके लिये मेरा यह निवेदन है कि जो सदन में संकल्प आया है उसे भी समय दिया जाय और इस हाईकोर्ट वाले मामले को भी नहीं छोड़ा जाय। इस बारे में आप अगर कोई सारी स्थिति को समझ कर निर्णय लेकर इस सदन को अवगत करावें तो ठीक रहेगा।

श्री **उपाध्यक्ष** : मन्त्री महोदय।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, मेरी बात को लोग गलत समझ गये हैं मैं इसके खिलाफ में नहीं हूं। मैं इससे असहमत नहीं हूं। और न ही मैं यह चाहता हूं कि मरुस्थल प्रश्न लेकर हाई कोर्ट वाले मामले को हजम किया जाना चाहिये। और कोई सदन में अननेसेसरी बात हो⋯

श्री **लक्ष्मणसिंह** : उपाध्यक्ष महोदय इस बीच में मैं भी कुछ निवेदन करना चाहूंगा। यह बात तो निर्विवाद है कि दोनों ही संकल्प जो कि सदन में आये हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इससे इन्कार नही किया जा सकता। इससे भी इन्कार नहीं किया जा सकता कि रेगिस्तान के प्रश्न पर जो क्लोजर मोशन आया है उसे खतम कर दिया जाय, लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि रेगिस्तान का विषय बहुत ही गम्भीर विषय है इस पर जो क्लोजर मोशन उठाया गया वह गलत है क्योंकि यह भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है उस पर खुले दिल से विचार किया जाना चाहिये। पर इसके साथ साथ ही उपाध्यक्ष महोदय, हाईकोर्ट का जो प्रश्न है वह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है⋯

श्री खेतसिंह - इसके बाद में।

श्री लक्ष्मणसिंह : इसलिये उपाध्यक्ष महोदय मेरा विनम्र निवेदन है कि सदन

(श्री लक्ष्मणसिंह)

के समय का बंटवारा हो जाना चाहिये। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि रेगिस्तान के बारे में संकल्प पर बहस होनी चाहिये और उसको भी उचित समय दिया जाय। और इसके साथ साथ हाईकोर्ट के प्रश्न को भी लिया जाय। उसे इग्नोर नहीं किया जाय। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हाउस को डिवाइड नहीं किया जाय। हमको कम्प्रोमाइज बेसिस पर एकोमोडेट करना चाहिये यह गिव एण्ड टेक की परम्परा अपनाते हुए मेरा विनम्र निवेदन है कि तीन बजे तक तो रेगिस्तान के प्रश्न पर चर्चा रखी जाय और अगर सदन के उपनेता महोदय को कोई आपत्ति नहीं हो तो बाद में हाइकोर्ट के मसले को लिया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही गम्भीर और महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि चूंकि दोनों ही प्रश्न महत्वपूर्ण हैं इसलिये सदन में सही निर्णय लिया जाय।

श्री श्रीराम गोटेवाला: उपाध्यक्ष महोदय, यह मेरे ही द्वारा दिया गया प्रस्ताव है उसका सारा झंझट है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी कुछ निवेदन करना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, पिछले सदन में यहां चार गैर सरकारी संकल्प आये थे। और यह संकल्प चौथे नवम्बर का संकल्प था और सबसे अहम और महत्वपूर्ण मसला जो सबसे पहला और अहम मसला था वह था 80 हजार एकड़ जमीन ऐग्रोकल्चरल लैंड की सिचाई के बारे में, राजस्थान कैनाल एरिया के बारे में लेकिन उसको कोई इम्पोर्टेन्स नहीं दी गई। अगर सदन के उपनेता महोदय रेगिस्तान को इतना ही ज्यादा महत्व उसे हटाने में देना चाहते थे तो उन्हें राजस्थान नहर वाले संकल्प पर विचार करना चाहिये था जोकि एक ठोस और कांक्रीट प्रस्ताव था। जिससे आपकी रेगिस्तान की प्रोबलम हमेशा के लिये सीधी सीधी हट सकती थी। उपाध्यक्ष महोदय, वह एक प्रस्ताव था जो जन जीवन के लिये बहुत ही जरूरी था। इसी प्रकार एक और प्रस्ताव था महंगाई के बारे में उपाध्यक्ष महोदय, वह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है लेकिन उसको इतना आवश्यक नहीं माना गया...

एक माननीय सदस्य: बिलकुल ठीक।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: उपाध्यक्ष महोदय, जो भी प्रस्ताव आये हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण हैं इसको इन्कार नहीं किया जा सकता। पर यह बात भी इन्कार नहीं की जा सकती हाईकोर्ट का मसला भी कम महत्वपूर्ण है। यह भी अहम मसला है आज उपाध्यक्ष महोदय, रेगिस्तान की धरती का प्रश्न जलता हुआ है और वहां की जमीन तप रही है उसी प्रकार आज यह हाईकोर्ट का प्रश्न है यह भी तप रहा है। और इस प्रश्न को लेकर एक गर्मी पैदा हो गई है। उपाध्यक्ष महोदय, यह हाईकोर्ट का मसला सदियों से चला आ रहा है कि जयपुर में हाईकोर्ट की बैंच स्थापित हो। और अब तो यह स्थिति बहुत ही विस्फोटक बनती जा रही है। इसलिये सदन अपनी परम्पराओं को निभाये। ऐसा दृष्टिकोण अपनायें कि जिससे सदन की परम्परायें जो कि हमारा इतिहास बनाती

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

हैं उन्हें इम्पोर्टेन्स दी जाय। इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि समय का विभाजन कर दिया जाय। और तय कर दिया जाय कि कौनसा विषय कब तक चलेगा और कौनसा विषय कब लिया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कोई पक्षपात वाली बात नहीं करना चाहता पर दोनों ही प्रश्न गम्भीर हैं और महत्वपूर्ण हैं इसलिये समय का निर्धारण कर दिया जाना चाहिये। जिससे कि सदन के माननीय सदस्यों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचे। और सदन के माननीय सदस्यों में कोई मतभेद नहीं हो। जनता में मतभेद नहीं हो। इसलिये मेरा निवेदन है कि हाईकोर्ट के मसले पर भी गौर किया जाना चाहिये। उसे ऑर्गेनाईज तरीके से लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : (श्री खेतसिंह के उठकर खड़े होने पर) श्री चीफ व्हीप साहब।

श्री खेतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय····

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मुझे कहने दीजिये। पहले मुझे समाप्त तो करने दीजिये।

श्री खेतसिंह : आप बोल नहीं रहे हैं। सदन का समय बरबाद कर रहे हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : समय बरबाद तो आप कर रहे हैं।

श्री खेतसिंह : आप पहले मेरी सुनलें। बेकार समय बरबाद कर रहे हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : माननीय श्री खेतसिंह जी साहब आप एक बड़े दल के सचेतक हैं आपको सदन की भावना को समझना चाहिये। आप एक बहुत बड़े दल को रिप्रिजेन्ट करते हैं। आपको केवल अपने मरुस्थल का ही ध्यान नहीं रखना चाहिये आपको सदन की परम्पराओं के अनुसार काम करना चाहिये। यह आपको मालूम होना चाहिये कि आप उस सदन के सचेतक हैं जो कि इतिहास बनाता है। बड़े दल के सचेतक होने के नाते आपको गम्भीरता पूर्वक काम करना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री खेतसिंह जी साहब!

श्री खेतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि सदन का समय दो भागों में बांट दिया जाय और जो बोलना चाहें उन माननीय सदस्यों को दस दस मिनट का समय दिया जाय।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैंने क्लोजर मोशन मूव कर दिया है····

श्री हरिदेव जोशी : उपाध्यक्ष महोदय····

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिदेव जोशी सदन के उपनेता महोदय।

श्री हरिदेव जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात से पहले भी असहमत नहीं था। और मैंने शुरू शुरू में कहा था कि हमको सदन के अन्दर जो भी प्रस्ताव आयें उन्हें इम्पोर्टेन्स देनी चाहिये। हम हाईकोर्ट के मसले को मरुस्थल के नाम से हजम नहीं करना चाहते हैं। लेकिन जो सदन के सामने मसला आ जाता है उस पर हमें विचार करना पड़ जाता है। रेगिस्तान का मसला बहुत ही गम्भीर और महत्वपूर्ण है लेकिन इसका

(श्री हरिदेव जोशी)

मतलब यह नहीं कि हाईकोर्ट की बैंच जयपुर में आये, उसके लिए सदन में चर्चा नहीं हो। लेकिन इसके लिये हमें सदन की परम्पराओं को ध्यान में रखना पड़ेगा। उपाध्यक्ष महोदय, कौनसा प्रस्ताव पहले लिया जाय यह तो मेरे हाथ की बात नहीं है यह मैं तो नहीं कहता हूँ कि प्रस्ताव को पहले लिया जाय और अमुक प्रस्ताव को बाद में लिया जाय इसमें मेरे क्या हाथ में है।

अभी माननीय सदस्य ने कहा कि राजस्थान कैनाल के प्रश्न को क्यों नहीं लिया गया। यह मुझ से पूछते है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह मैंने नहीं कहा। यह गैर सरकारी संकल्प पहला संकल्प है उसको अधिक समय नहीं दिया।

श्री शंकरलाल : उनको नियमों की जानकारी नहीं है। नियम 23 के तहत......

(व्यवधान)

श्री मनोहरलाल : उपाध्यक्ष महोदय,

श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास : उपाध्यक्ष महोदय ...

श्री मनोहरलाल : जान बूझ कर बजट को इग्नोर किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ? माननीय सदस्य।

श्री हरिदेव जोशी : इसलिये कि आपने एक दल के माननीय नेता को जितना वे बोल सकते थे उतना उनको बोलने का टाइम दिया। मेरी यह प्रार्थना है, जैसा महारावल साहब ने कहा था कि आप प्रायोरिटी उनको दीजिये जो मरुस्थल के इलाके से आते हैं। उनको बोलने दीजिये। दूसरे बोलना चाहते हैं तो उनको सेकिण्ड प्रायोरिटी दीजिये। उनको कम से कम फस्ट प्रायोरिटी दीजिये जो मरुस्थल से आते हैं और उनकी भावना को समझ लीजिये। गवर्नमेन्ट को बनिंग इश्यूज को फेस करना है पार्टीज को बनिंग इश्यूज को फेस करना है और पोलिटिकल विवेक को काम में लेना है। कहीं कोई गर्मी पैदा हुई तो आपका और हमारा इमेज पर निर्भर करेगा कि कौन कैसे क्या करता है। जो राजनैतिक प्रश्न है उनका उसी तरीके से हल निकालना है। यह नहीं कि कोई नहीं बोल सकता। हाई कोर्ट के इश्यू को पोलिटिकल लेवल पर, ऑर्डिनेरी लेवल पर मोट कर सकते हैं और इसके लिये अपने विवेक को काम में लें। मैं यह कहने के लिये खड़ा हुआ हूं कि इस प्रकार का इम्प्रेशन मत दीजिये कि मरुस्थल पर चर्चा हो रही थी तो कुछ लोगों को बोलने नहीं दिया।

श्री पी.के. चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय...

श्री उपाध्यक्ष : मैं भी अर्ज करना चाहता हूं। मैं आपकी भावना को समझ गया हूं।

श्री पी. के. चौधरी : मैं कुछ बोला ही नहीं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मेरा संकल्प था। 23 तारीख को निवेदन किया था।

श्री पी. के. चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, सवाल यह था कि दो बातें इसमें हैं एक

(श्री पी. के. चौधरी)

तो सबजेक्ट मेटर और दूसरा यहां जो डिबेट हुई उससे क्या इम्प्रेशन बनता है लोगों का। मरुस्थल पर पूरे दिन की डिबेट हो चुकी है। और आज इसको कन्टीन्यू किया है।

(व्यवधान)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इस सम्बन्ध में मोशन नहीं दिया था।

श्री पी. के. चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, सवाल यह था कि मरुस्थल पर डिबेट करेंगे तो उसका समाधान नहीं होगा। कम से कम हम चाहते हैं, उप नेता महोदय से कहते हैं और चीफ व्हीप महोदय से कहते हैं कि इस पर क्लोजर मूव होगा तो लोग समझेंगे कि इसको जल्दी में करना चाहते थे और हाईकोर्ट बैंच के प्रश्न को नहीं आने दिया जावेगा तो उसका क्या लोगों पर इम्प्रेशन होगा यह भी आप सोच सकते हैं।

श्री हरिदेव जोशी : कांग्रेस पार्टी के एक पदाधिकारी के नाते मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि हमारी कतई मंशा नहीं है कि प्रस्ताव न आये। आपको मेरे कथन पर विश्वास होना चाहिये।

एक माननीय सदस्य : विश्वास है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : उपाध्यक्ष महोदय, 28 तारीख को संकल्प पर विचार हो रहा था तो मैंने 4 बजे निवेदन किया था कि इस बहस को समाप्त करके जबाव दिलाया जाय। मैंने संकल्प प्रस्तुत किया था, सारे प्रश्न पर प्रकाश डाला जा चुका है। सुरेन्द्र जी ने जो क्लोजर मूव किया है उससे भी निवेदन करूंगा, सदन के उपनेता और कांग्रेस पार्टी के मुख्य सचेतक महोदय से भी निवेदन करूंगा कि समय निश्चित कर दें और उसके लिये मैं सजेस्ट करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा 2½ बजे तक का समय मरुस्थल के विकास पर बहस का समय निश्चित कर दें और बाकी के लिये आज जो संकल्प है उसके लिये समय निर्धारित कर दें ताकि समस्या पर प्रकाश डाला जा सके। जितने संकल्प आज प्रस्तुत हुए हैं सब ही महत्वपूर्ण हैं और अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं और सदन के उप नेता ने भी उनको गम्भीरता से लिया है। पिछले 25 वर्ष से मरुस्थल के लिये कुछ नहीं कर पाये। सरकार की सजगता के लिये तो धन्यवाद है। संकल्प को पारित करायें और रीजनल कमेटी के गठन की जो डिमान्ड की गयी है उसका गठन करके पूरा करें ताकि सारी बातों पर योगदान दे सकें। मुख्य सचेतक महोदय और दल के उप नेता महोदय से निवेदन करूंगा कि सख्ती के साथ समय की पाबन्दी करायें।

श्री हरिदेव जोशी : समय के बारे में निश्चित नहीं कह सकता हूं। चर्चा करके समय बता दूंगा। भाषणों में ही समय न बिता कर इस पर डिबेट को जारी रखने दीजिये। समय के लिये निश्चय करके बता दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : अभी संकल्प के विषय में माननीय सदस्यों ने कुछ बातें रखीं विशेष रूप से आचार्यजी ने और महारावल साहब ने कि समय का निर्णय किया जाय। समय के निर्धारण के सम्बन्ध में जैसा उपनेता महोदय ने कहा, मैं भी निवेदन करना

(श्री उपाध्यक्ष)

चाहूंगा कि नियमों में यह प्रावधान है कि समय का निर्धारण या तो कार्य सलाहकार समिति करे कि किस विषय के लिये कितना समय दिया जाय और कितना नहीं या उसके लिए फिर सदन निश्चित करे कि किस संकल्प को कितना समय दिया जाय। यह दो ही सिद्धान्त हमारे नियमों में मिलते हैं और लोक सभा के नियमों में भी यह ही सिद्धान्त मिलते हैं, जहां तक मैंने अध्ययन किया है। इससे और कोई सिद्धांत नहीं है। हवा महल से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि समय का प्रावधान नहीं है। उनकी धारणा गलत है। नियमों में समय का प्रावधान है। अधिक से अधिक 15 मिनिट बोलें। आप यदि अधिक समय लेते हैं तो आपके दल के नेता पर यह उत्तरदायित्व अधिक आता है। लेकिन आसन जबरदस्ती अधिक समय लेने पर क्या कर सकता है। आपने बात कही मैं उसको बुरा नहीं मानता। इसलिये समय के सम्बन्ध में आप कोई भी निर्णय लें आसन को उसमें कोई आपत्ति नहीं है। सदन को पूरा अधिकार है। आप जब तक संकल्प पर बहस करना चाहें, घंटे दो घंटे, तीन घण्टे, यह आप पर और सदन पर छोड़ता हूं कि यह सदन इस संकल्प पर कब तक बहस करना चाहता है। इस सदन की मर्जी पर ही यह छोड़ना है आप जैसा भी तय करना चाहें तय करें।

श्री खेतसिंह : 15 मिनिट का समय तय किया है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : कब तक संकल्प पर बहस हो यह तय कर लीजिये।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास : सीधी बात है। यह कन्डक्ट ऑफ बिजनिस है। मूल मुद्दा यह है कि यदि डिबेट किसी विषय पर नहीं हुई ऑनरेबल स्पीकर महसूस करे तो क्लोजर मोशन को वोट पर नहीं रखा जावेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, आप भी अनुभव कर सकते हैं उप नेता भी बताने में असमर्थ हैं।

श्री हरिदेव जोशी : Speaker is guided by the House.

श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास : आज तक जितने गैर सरकारी संकल्प लिये गये हैं उन पर कितनी डिबेट हो चुकी है। माननीय मीठालालजी का जो संकल्प है उससे ऊपर हाई कोर्ट का प्रश्न आता है। मेरे क्लोजर मोशन को वोट करवा लीजिये डिबेट क्लोजर हो जाय और फिर उस पर समय निर्धारित हो जाय ताकि हाईकोर्ट का इश्यू आ सके।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, एक माननीय सदस्य ने क्लोजर मूव किया है और क्लोजर उस वक्त स्वीकार किया जाता है जब रीजनेबल डिबेट पहले हो गई हो और किसी कारण से प्रेरित होकर उसे सदस्य लम्बा करना चाहते हों। मैं समझता हूं, ऐसी स्थिति यहां पर नहीं है कि जानबूझकर इसे लम्बा किया जा रहा हो और न हो यह स्थिति है कि इस पर रीजनेबल डिबेट हो चुकी हो। यह तो आज ही आया है।

आप जानते हैं कि मरुस्थल का विषय महत्वपूर्ण है और जब मैं यह कहता हूं तो महारावल साहब और आचार्य जी इसे स्वीकार करेंगे। हालांकि इस विषय के प्रति

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

मेरा लगाव है। पर इतना नहीं जितना हाईकोर्ट के प्रति मेरे साथी लोगों का गले तक है। आज इस पर सवा घंटे से अधिक बोले नहीं हैं।

जहां तक परम्पराओं का सवाल है इसी सदन में पिछली बार पेयजल के सम्बन्ध में एक संकल्प चार साल तक चला और कभी उसमें क्लोजर मूव नहीं किया गया। महत्वपूर्ण विषयों पर सभी पक्षों को बराबर सुना है, यह भी यहां की परम्परा रही है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस पर डिबेट हो अभी फिर दूसरा विषय ले लिया जाय। अब एक माननीय सदस्य ने यह कहा कि रीजनेबल स्तर तक डिबेट उनके हिसाब से तो इस पर हो गई पर मैं निवेदन करूं कि यह संकल्प अकेले किसी की सम्पत्ति नहीं है। यह संकल्प सदन की सम्पत्ति बन गया है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं भी आपकी सम्पत्ति हूं। हम आपके भाषणों से लाभान्वित होना चाहते हैं।

श्री पूनमचन्द विश्नोई: इसलिए मेरा नम्र निवेदन है कि समय सीमा नहीं रखी जावे और क्लोजर का जो मूव है उसमें कोई औचित्य नहीं है। इसलिये इसे अस्वीकार किया जाना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने नियम 81 के अन्तर्गत आसन से व्यवस्था चाही है कि मौजूदा संकल्प पर क्लोजर लगाकर बहस समाप्त की जावे। मैं यह कहना उचित समझूंगा कि माननीय सदस्य इस पर बोल चुके हैं। मेरा मतलब श्री सुरेन्द्र व्यास से है और जिन्होंने उनके क्लोजर का विरोध किया है माननीय सदस्य पूनमचन्द जो इस पर नहीं बोले हैं। वे इस पर बोलना चाहते हैं और भी माननीय सदस्य, जिनकी सूची मेरे पास है इस पर बोलना चाहते हैं। यह उनकी भावना का प्रश्न है और आपकी भी भावना को सदन अच्छी तरह जानता है क्योंकि इस संकल्प की उपयोगिता का अनुमान आपने भी किया है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अमेण्डमेन्ट पर बोला हूं।

श्री उपाध्यक्ष : जहां तक समय देने का प्रश्न है कि कितना दिया जाय, कितना नहीं इस बारे में निवेदन करूंगा कि यह सदन पहले भी इस तरह से विचार कर चुका है। मैं सदन का इस विधायक परम्पराओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना अधिक उपयुक्त समझूंगा। जैसा कि श्री पूनमचन्द विश्नोई ने कहा एक संकल्प इस सदन में प्रस्तुत किया गया जो ग्रामीण क्षेत्र की पेयजल समस्या से सम्बन्धित था और जिसके द्वारा एक बोर्ड की स्थापना की मांग की गई थी और यह भी चाहा गया था कि इसको प्राथमिकता दी जावे। चार अप्रेल सन् 68 को यह संकल्प सदन में आया पहली बार। इस पर उस सत्र में निर्णय नहीं हो सका। द्वितीय सत्र में भी नहीं हो सका। तृतीय सत्र में 16 अगस्त 69 को फिर विचार किया गया। इससे पहले 8 सितम्बर 68 को भी आया। पर निर्णय इन दोनों सत्रों में नहीं हो सका। 31 मार्च, 1970 में पुनः आया और तब इसे सदन की अनुमति से वापिस लिया गया। तो जहां तक परम्पराओं

(श्री उपाध्यक्ष)

का प्रश्न है यह संकल्प इस सदन के प्रांगण पर तीन साल तक बराबर चला। इसलिये आज अगर एक दिन की बहस के बाद ही सदन आसन से यह मांग करे कि क्लोजर किया जाय तो इसे स्वयं आप भी समझ सकते हैं कि यह सदन की भावना और परम्परा के कहां तक अनुकूल है। जिस प्रश्न को आप उठाना चाहते हैं क्लोजर के बाद, उसको आप कितनी इम्पोर्टेन्स देते हैं और उसके साथ आपकी कितनी भावना जुड़ी हुई है, इस बात से मैं कहीं दूर नहीं हूं। मैं उससे अच्छी तरह से परिचित हूं और माननीय सदस्य श्री श्रीराम गोटेवाला ने कहा है कि उनके संकल्प को आज ही पारित किया जाय। मैं इस भावना से भी परिचित हूं। मैं किसी की भावना को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता। इसलिये मैं इस प्रश्न को पुनः सदन के माननीय सदस्यों पर छोड़ता हूं कि आज जो संकल्प सदन के समक्ष प्रस्तुत है उसे कब तक चलाना चाहते हैं। अगर सदन यह चाहता है कि इसे क्लोज किया जावे तो आसन को इसमें कतई ऐतराज नहीं है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : उपाध्यक्ष महोदय, लीडर आफ दी पार्टी ने कह दिया कि हाई कोर्ट के प्रश्न पर बहस हो, मैं इससे सहमत हूं। अब उनका कहना है कि समय निर्धारित कब किया जावे? मैं चाहता हूं कि यह उन पर ही छोड़ दिया जावे कि वे इसे दो या ढाई बजे तक, कब तक चलाना चाहते हैं और इसे कब लेना चाहते हैं। हमें उनके सद्भावना से कहे हुए कथन पर भरोसा करके चलना चाहिये।

श्री हरिदेव जोशी : मैंने लिस्ट आफ बिजनेस देखी नहीं है। इस बहस को चालू रखिये। मैं देख लेता हूं तब तक और then I will discuss it with the Speaker and let the House know.

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्या आप यह आश्वासन उपनेता महोदय से दिला सकते हैं कि आज ही हाई कोर्ट के मामले पर सदन में बहस का अवसर दिया जावेगा। जयपुर हाई कोर्ट को बैंच का प्रश्न यहां डिसकस न हो इस प्रकार की भावना से बातें यहां कही गई हैं, अब किसने क्या कहा इस डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता। मैं चाहता हूं कि आप समय निर्धारित कर दें। तीन बजे तक यह संकल्प चले, इसके बाद यह मामला ले लिया जावेगा, इस तरह का स्पष्ट आश्वासन मैं सदन के उपनेता से चाहता हूं। मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं कि क्या आप ऐसा आश्वासन दे सकते हैं कि इस हाई कोर्ट के मसले पर पांच बजे तक या बाद तक भी, रात को बारह बजे तक भी हम इन्तेजार करने को और यहां बैठकर इस पर बात करने को तैयार हैं। क्या आप इस प्रकार का आश्वासन दे सकते हैं? यदि नहीं, तो मैं यह दावे के साथ कहता हूं कि मेरा सन्देह पक्का है। इस प्रश्न पर यह सरकार सदन में बहस करना चाहती नहीं।

रहा मरुस्थल का प्रश्न है। मेरा इससे किसी तरह से भी विरोध नहीं है। मैं दिल से चाहता हूं कि इस पर विचार किया जाना चाहिये। पर साथ ही निवेदन करना चाहता हूं कि उसके समान ही एक बड़े प्रश्न पर सारे जयपुर के वकील, पूर्वी राजस्थान के

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

लोग, यहां बहस हो इसके लिए उत्सुक हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि आप आश्वासन दें कि इस पर विचार आज ही सदन में किया जावेगा।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : उपाध्यक्ष महोदय, सदन के उपनेता ने जो इस पर हमें आश्वासन दिया है मैं उस पर विश्वास करता हूं। अब वे हर इण्डिविजुअल को विश्वास दिलावें इसकी आवश्यकता नहीं है। इस पर बहस होगी यह मानकर चलना चाहिये, खामखां वक्त जाया क्यों किया जाता है।

श्री हरिदेव जोशी: आई एप्रीसियेट दिस स्पिरिट।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : पर उपाध्यक्ष महोदय, मुझे विश्वास नहीं है। मुझे अभी भी शंका है कि वे इसको टालना चाहते हैं। और इसके प्रोटेस्ट में मैं सदन का बहिष्कार करके जा रहा हूं।

(सदन से बहिर्गमन)

श्री हरिदेव जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि मेरे कहने के बावजूद भी माननीय सदस्य अविश्वास करके सदन त्याग गये हैं तो मैं अपना कथन वापिस लेता हूं। मैं कोई विश्वास नहीं दिलाता। मैंने इस बारे में जो कुछ भी कहा है, मैं उस को वापिस लेता हूं।

(शोरगुल : अश्रव्य)

श्री मनोहर लाल : मेरे क्षेत्र की जनता चाहती है कि बेंच यहां आवे।

(शोरगुल अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : मैं एक निवेदन करना चाहता था। जिस भावना से जिस संकल्प पर आप विचार कर रहे हैं और जिस भावना से आने वाले संकल्प की इच्छा कर रहे हैं क्या इन दोनों ही भावनाओं को दूर रख कर चलना चाहते हैं सदन में कोई कार्यवाही न हो। कम से कम एक माननीय सदस्य बोल रहे हैं तो कम से कम इतना ख्याल कीजिये जिस संकल्प के लिये समय निर्धारण की बात करते हैं। इसके बाद आपस में वाद-विवाद में समय लगाया जा रहा है। दोनों संकल्प हैं, दोनों को ही इससे सहायता नहीं मिलेगी। जो माननीय सदस्य क्रम से बोलना चाहें, बोले।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मेरी गुजारिश है जो उधर के लोगों ने कहा उससे गुस्सा होकर और अपनी बातों को बदलना यह उनकी शान की बात नहीं है। वे हुकूमत चला रहे हैं, सदन के उपनेता हैं। उनको इस तरह गुस्सा और रोष आना ठीक नहीं है। मैं इसको कतई उचित नहीं मानता। उसी आधार पर जैसा उन्होंने कहा है कायम रहना चाहिये इसलिये कि हम में और उनमें फर्क है। आप हुकूमत चला रहे हैं, आपको गम्भीर होना चाहिये और एक तरफ से कोई ऐसी बात आ जाय तो उस पर आपको गुस्सा नहीं आना चाहिये।

श्री हरिदेव जोशी : हुकूमत का सवाल नहीं है, सदन का सवाल है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : आप एक व्यक्ति के पीछे सारे सदन की भावना को दबाना चाहते हैं।

Page No 89

श्री मूलचन्द सामरिया : सदन के उप नेता हैं। आपने एक व्यक्ति विशेष की बात को लेकर अपने कहे हुए शब्दों को वापिस ले लिया यह कोई शोभा की बात नहीं है। सारे सदन की भावना को आप दबा रहे हैं। महज आपकी स्थिति ऐसी है कि आप दबा सकते हैं लेकिन यह ठीक नहीं है।

श्री खेत सिंह : आपको गलतफहमी है।

श्री मोहनलाल छंगानी : आपकी भी भावना है, हमारी भी भावना है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर, व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! माननीय सदस्य।

(माननीय सदस्यों के बोलते रहने पर)

माननीय सदस्य ! एक साथ एक सदस्य बोले सब नहीं।

श्री मूलचन्द सामरिया : (बराबर बोलते रहे, अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य !

(श्री झाबरमल के खड़े होने पर)

श्री झाबर मल !

श्री झाबरमल सून्डा (फत्तेहपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, जिस एक बात के ऊपर उप नेता महोदय अपनी बातों से मुकरने की स्थिति में पहुँच गये और यह प्रश्न भी ऐसा बन गया कि कौनसा प्रश्न पहले डिसकस करें और कौनसा प्रश्न बाद में डिसकस करें···

एक माननीय सदस्य : टाइम का सवाल है।

श्री झाबर मल सून्डा : टाइम का वही सवाल है, आप समझने की चेष्टा करिये इसलिये मैं यह चाहता हूं सदन की राय ले लीजिये।

श्री हरिदेव जोशी : उपाध्यक्ष महोदय माननीय सदस्य ने जो कहा मुझे एतराज है। मैंने इस सदन से यह प्रार्थना की थी कि मेरी यह कतई मंशा नहीं है कि हाई कोर्ट के प्रश्न की चर्चा यहां पर नहीं हो। मैंने यह निवेदन किया था कि हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिये जिससे मरुस्थल की चर्चा नहीं हो सके। ऐसा वातावरण पैदा न करें। मैंने यह भी निवेदन किया था कौन बोलने वाला, कितना टाइम लगेगा। मैंने इसको देखा नहीं, चर्चा शुरू हो जाय और मैं इसको देखकर कितना समय लग सकता है, मैं निवेदन करूंगा इस बीच में माननीय सदस्य जो जनसंघ के और हवा महल क्षेत्र से आते है, उन्होंने मेरी नीति पर शक करके कुछ कहा और वाक आउट कर गये ऐसी स्थिति में मेरे लिये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि उन लोगों की भावनाओं को और दूसरे लोगों की भावनाओं के बीच में सामंजस्य बिठा सकूं। इसलिये मैंने कहा है कोई रेसपान्सिबिलिटि नहीं लेना चाहता हूं। उनके कहने के बाद मैं मुकरता नहीं हूं लेकिन मैं सदन में बैठा रहूं और अपनी···

श्री निरंजन नाथ आचार्य : वही तो विशेष व्यक्तित्व उभरता है।

श्री हरिदेव जोशी : जो नहीं, इससे हैरानी बढ़ जाती है। उसका जवाब देना पड़ता है। इस तरह एक तरह की जिम्मेदारी बढ़ जाती है मैं यहां बैठा रहता हूं इसका तात्पर्य यह नहीं है कि जबरदस्ती इल्जाम लगाना शुरू कर दें।

Page No 90

श्री गफ्फार अली : एक आदमी इल्जाम लगा दे और आप इतने नाराज हो जायं, यह ठीक नहीं है।

श्री हरिदेव जोशी : फिर भी . . .

श्री निरंजन नाथ आचार्य : फिर भी . . (माननीय मोहम्मद गफ्फार अली जी को बैठाते हुये)

श्री हरिदेव जोशी : फिर भी अगर सदन, जनसंघ सहित सदन मेरे ऊपर छोड़ना चाहता है तो मैं सभी लोगों से बात करके माननीय अध्यक्ष महोदय को बतला दूंगा कि किस समय यह खतम होवे और किस समय दूसरा संकल्प होवे।

राजस्थान के मरु क्षेत्र के विकास के लिए एक क्षेत्रीय समिति के निर्माण सम्बन्धी संकल्प पर अग्रेत्तर विचार

श्री उपाध्यक्ष। मरुस्थल विकास क्षेत्रीय संकल्प पर प्रस्ताव। श्री शंकरलाल।

श्री शंकर लाल (कपासन) : उपाध्यक्ष महोदय, वास्तव में मरुस्थल की जो समस्या है वह हमारे राजस्थान से . . .

(मा. सदस्यों के व्यवधान करने पर, अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री शंकरलाल : मैं समझता हूं कि यह मसला जितना गंभीर है जितनी गंभीरता से माननीय सदस्यों को लेना चाहिये, नहीं ले रहे हैं। मैं बहुत ही कीमती सुझाव पेश करना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय जो प्रस्ताव माननीय सदस्य श्री गोटेवाला ने रखा है कि एक रीजनल कोन्सिल होनी चाहिये जिससे विकास के लिये जितनी निर्धारित धन राशि है . . .

(पुनः व्यवधान)

श्री मोहन लाल छंगाणी : बीच में आप इन्टरप्ट नहीं कर सकते हैं।

श्री मूलचन्द सामरिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं . . .

श्री उपाध्यक्ष: मैं प्रश्न पूछने की इजाजत नही देता हूं।

श्री मनोहर लाल : हाई कोर्ट की बैन्च का मसला . . .

(व्यवधान, अश्रव्य)

श्री मूलचन्द सामरिया : ऑन ए पाइन्ट आफ आर्डर सर। अभी उप नेता महोदय ने यह फरमाया था कि मैं बात करके निर्णय करूंगा कितनी चर्चा किस संकल्प पर की जाय तो मरुस्थल पर कब तक चर्चा की जायेगी और हाई कोर्ट बैन्च पर कितने बजे चर्चा शुरू होगी। इस पर क्या व्यवस्था हुई ?

श्री मोहन लाल छंगाणी : अभी तो बात हुई ही नहीं है।

श्री शंकर लाल : उपाध्यक्ष महोदय जिस मरुस्थल के बारे में . . .

(माननीय सदस्यों के पुनः व्यवधान करने पर)

श्री उपाध्यक्ष : आप क्या चाहते हैं सारा समय यों ही चला जाय।

श्री हरिदेव जोशी : मैं अभी बात कर रहा हूं, तत्काल बाहर निकला था। फिर मेरी बात आई और मैं भागकर वापस आ गया।

श्री शंकरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, जो यह चर्चा बीच में हुई है वह समय मेरे समय में से निकाल दिया जाय....

श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा : आप साईलाक कब से हो गये शंकरलाल जी।

श्री शंकरलाल : जितना समय ये लेंगे उपाध्यक्ष महोदय, उतना मेरा समय नहीं माना जाय।

निवेदन यह है उपाध्यक्ष महोदय, जो रेगिस्तान के सम्बन्ध में रीजनल कौन्सिल बनाने का प्रस्ताव और सारी धनराशि जो भी निर्धारित की जाय वह उस कोन्सिल के मारफत व्यय की जानी चाहिये। यह जो माननीय सदस्य श्री गोटेवाला ने रखा है मैं उसका पूर्णतया समर्थन करता हूं। वैसे आज इस रेगिस्तान के बारे में जिस प्रकार की योजना भारत सरकार द्वारा जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर में की गई है मैं उस बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा और उस बात की पुष्टि करना चाहूंगा जो भी योजनायें चलाई जा रही हैं वह रीजनल कौन्सिल के प्रभाव में सफलता नहीं मिल पाई है इसलिए करोड़ों रुपया खर्च होने के बाद हम इस रेगिस्तान की समस्या का हल इसलिए नहीं कर पायेंगे कि इसमें गैर सरकारी सदस्यों की राय नहीं ली गई है। उपाध्यक्ष महोदय यह बात सही है विश्व के अन्दर छोटे छोटे देशों ने इस रेगिस्तान की समस्या का हल निकाल डाला। आज हम इजरायल और आस्ट्रेलिया को लें जिसने सारे रेगिस्तान को हटाकर अंगूर की खेती करने लग गया है जहां का रेगिस्तान शस्य श्यामला भूमि हो गई है लेकिन हम आज इतने वर्षों बाद भी इस रेगिस्तान की समस्या का, थार नाम का जो रेगिस्तान है, राजस्थान में इसकी समस्या का हल नहीं निकाल सके। यह बात सही है कि भारत सरकार द्वारा पहले जोधपुर के अन्दर 2 अक्टूबर, 1952 में एक केन्द्रीय विभाग का जन्म हुआ था और उसको मरु से जंगल में बदलने वाला अफोर्सटेशन के नाम से उसकी स्थापना की गयी थी और 1959 से इसका नाम बदल कर केन्द्रीय मरु अनुसंधानशाला रख दिया गया था और 21 वर्षों के अन्दर इसके ऊपर प्रति वर्ष 52 लाख रुपया खर्च होता है और वह 52 लाख रुपया प्रति वर्ष खर्च होने के बाद और 21 वर्ष गुजर जाने के बाद भी इस समस्या के अन्दर हम समझते हैं कि कोई हल नहीं निकल पाया चाहे वह वन लगाने की बात हो, चाहे चारागाह के विकास की बात हो, चाहे पानी के विकास की बात हो। जो भी उन्होंने योजनाएं कार्यान्वित की हैं उन कार्यान्वित योजनाओं के फलस्वरूप हमारे सामने कोई कारगर नतीजा नहीं आया। आज भी इन योजनाओं के तहत अगर हम तारबन्दी देखकर रुकते हैं, जहां लिखा हुआ होता है 'केन्द्रीय मरु अनुसंधान शाला चारागाह का विकास' तो हम देखते है कि तारबन्दी के अन्दर तो और भी घास कम है बल्कि बाहर घास ज्यादा है, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे समझ में नहीं आता कि इतने लाखों रुपया खर्च होने के बाद भी इस केन्द्रीय मरु अनुसंधान शाला में और भारत सरकार की इस योजना में सफ-

Page No 92

(श्री शंकरलाल)

लता क्यों नहीं हुई। इसलिए मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य का जो प्रस्ताव है वह वास्तव में जरूरी है क्योंकि वह जो काम चल रहा है वह केवल भारत सरकार के आफिसर्स अपने ढंग से चला रहे हैं। न तो राजस्थान सरकार के आफिसर्स का और न राजस्थान सरकार का उससे कोई सम्बन्ध है क्योंकि गत दिनों वन विभाग की मांग आई थी तो हमारे माननीय वन मंत्री जी ने यह कहा था कि हमारा भारत सरकार की योजनाओं से कोई सम्बन्ध नहीं है, उस पर प्रशासनिक कन्ट्रोल हमारा नहीं है। तो उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की योजनाएं राजस्थान में चले, जिसके बारे में राजस्थान सरकार को पता नहीं, उससे लगाव नहीं, और न गैर सरकारी सदस्यों का उससे लगाव है जो कि उस स्थान से आते हैं जो उस धरती के लाल हैं, सन आफ दी साइल हैं, जो कि उन समस्याओं को जानते हैं न उनका उससे लगाव है। ऐसी हालत में वास्तव में ऐसी कौंसिल होनी चाहिये जिसके अन्दर रैगिस्तान से ताल्लुक रखने वाले माननीय सदस्य प्रतिनिधि उसके सदस्य हों, राजस्थान के प्रतिनिधि भी उसमें मेम्बर हों, भारत सरकार के भी हो और वह जो कौंसिल होगी वह उस चीज का हल निकाल सकेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार का 21 वर्षों में उन्होंने काम किया है मैंने उस संबंध में एक संशोधन प्रस्ताव रखा था कि उसकी जांच भी होनी चाहिए। वह जांच चाहे भारत सरकार की तरफ से हो। आज करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है। आज हमने कई अखबारों में पढ़ा है और एक अखबार जोधपुर से निकलता है "लोक दिवस" उसमें सिरीज आई है मरु अनुसंधान शाला के बारे में और उसने बहुत भर्त्सना की है और उन्होंने इतना ही नहीं जो भारत सरकार के कृषि अनुसंधान परिषद् के डाइरैक्टर है स्वामीनाथन महोदय उनका भी हवाला दिया है। वह आये थे और उन्होंने कहा कि जितना भी पैसा खर्च हो रहा है उसका नतीजा हमारे सामने नहीं आया। इस प्रकार जो भी वहां पर स्कीम चल रही है उनके तहत सबसे पहली जो बात थी वह सर्वे की थी लेकिन सर्वेक्षण की जो रिपोर्ट आई वह न तो हमारे हाउस के सामने आई, न भारत सरकार ने उस रिपोर्ट को प्रकाशित किया और न लोगों में वह बांटी गई कि आखिर उन्होंने इतने लाखों और करोड़ों रुपये खर्च करने के बाद किस प्रकार की सर्वे की। यह कहा जाता है कि वहां पर करीब 400 कर्मचारी हैं और जो रुपया है वह 400 कर्मचारियों के बंगलों के ऊपर, उनकी जीपों के ऊपर और उनकी खानपीन में और गुलछर्रे उड़ाने में खर्च किये जा रहे है। उपाध्यक्ष महोदय, यह अखबार लगातार दो तीन सिरीज में लिख रहा है। और इसके कोई डाक्टर मान बताये जो कि इतने रीजनल हैं कि राजस्थान के एक भी आदमी को तो वह न स्कीम बताते, न उनके कहे मुताबिक चलते, आखिर राजस्थान के अन्दर भी साइन्टिस्ट हैं। राजस्थान में भी लोग हैं जो 'सन आफ दी साइल' हैं जिन्होंने यहां पर ही नहीं बल्कि यू एन. ओ. तक में रिप्रेजेन्ट किया है। डाक्टर दास है, घोष हैं, ऐसे व्यक्ति हैं लेकिन जो डाक्टरमान है और जो राजस्थान के नहीं हैं उन्होंने बहुत

(श्री शंकरलाल)

ज्यादा रीजनेलिटी फैला रखी है। वह राजस्थान के आदमियों को नहीं लेते, कोई सुझाव हो उसकी तरफ ध्यान नहीं देते और जितना पैसा खर्च किया जा रहा है वह बिलकुल फालतू किया जा रहा है और इसलिए इसका यह नतीजा है कि इतने वर्ष बीतने के बाद भी और करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद भी नतीजा कुछ नहीं हुआ। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि उन्होंने वन मंत्री की हैसियत से इसका दावा किया था कि उनका इससे कोई संबंध नहीं है लेकिन हमारी जिम्मेदारी है, सरकार की और सदन की जिम्मेदारी है कि इस प्रश्न को आप इतना महत्वपूर्ण समझते हैं कि आप इसकी जांच कराये। भारत सरकार से कहे कि जितना रुपया खर्च कर रहे हैं यह आपका फालतू जा रहा है। इसलिए रीजनल कौंसिल बना कर जिस प्रकार माननीय सदस्य ने प्रस्ताव रखा है जिसके अन्दर ऑफिशियल्स, नान-आफिशियल्स सभी हों और जो रेगिस्तान से आने वाले माननीय सदस्य हों वह हों, उनकी मार्फत रुपया खर्च किया जाना चाहिए और इस बात की आवाज राज्य के जरिये उठनी चाहिए और जो सुझाव हैं राजस्थान सरकार को बहुत ही सीरियसनैस से भारत सरकार के सामने भेजना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के दो तीन तरीके हैं। एक तो जंगलात लगाये जायें, पौधे लगाये जाये और चारागाह का विकास हो। यह जितनी भी योजनाये हैं इन योजनाओं के बारे में खुद यहां के लोग जानकारी रखते हैं। इसके साथ साथ पशुओं का भी विकास हो। किस प्रकार के पौधे होते हैं, किस प्रकार की घास होती है, आज जो बाहर के लोग आये हुए हैं वह घास का नाम तक नहीं जानते और वह लोग हजारों और लाखों रुपये तनख्वाह के और टी.ए., डी.ए. के उठाते हैं और अनापशनाप रुपया खर्च हो रहा है। इस लिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार इसको गम्भीरता से देखे और देखने के बाद जो अलग अलग 6 डिविजन हैं उनके अन्दर अलग अलग अपनी खुद की मशीनरी कायम करे और केवल यह नहीं कहे कि यह भारत सरकार का काम है। मेरा कहना है कि इसको स्टेट लेवल पर रखकर बजट में प्रावधान करें।

दूसरे मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि वास्तव में जो बाड़मेर से आने वाली माननीय सदस्या ने कहा था कि पानी के बिना रेगिस्तान का हल नहीं हो सकता, यह बात भी सही है। जंगलात लगाना, पौधे लगाना, चारागाहों का विकास करना इन सब के साथ साथ पानी भी बहुत जरूरी है लेकिन जिस मन्थर गति से राजस्थान नहर का काम चल रहा है उस गति से तो हमें कतई उम्मीद नहीं है कि राजस्थान नहर का पानी बाड़मेर और जैसलमेर में जल्दी आ करके इसका हल निकल जाये। इसलिये जो गंगा का पानी लाने की बात माननीय सदस्या ने कही मैं भी उसका पूर्ण समर्थन करता हूं और भारत सरकार से इस सदन के मार्फत और राजस्थान सरकार के मार्फत निवेदन करना चाहता हूं कि इस सुझाव

(श्री शंकरलाल)

को पूर्ण रूप से अग्जामिन किया जाना कि वास्तव में इस रेगिस्तान को हटाने के लिए और इसको जड़ मूल से नष्ट करने के लिए और जो अकाल पड़ते हैं उनकी भी समस्या साथ हो साथ हल करने के लिए और राजस्थान को हरा भरा करने के लिए हमारे साइन्टिस्ट और हमारे वैज्ञानिक और दूसरे लोग इसको अच्छी तरह से देख करके इसको पूर्णरूपेण एग्जामिन करें, सर्वे करें। हम यह नहीं कह सकते कि भूजल में पानी नहीं है। मैं इससे सहमत नहीं हूं क्योंकि इस सम्बन्ध में जो सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है उसमें बताया गया है कि कई जगह पानी है, नल कूपों से पानी निकला है इसलिए यह भी हमें देखना पड़ेगा कि गंग केनाल से और दूसरी जगह से पानी कितना आ सकता है और भूजल मण्डल के मार्फत जो अण्डर-ग्राउण्ड वाटर है उसका भी सर्वे कराके कहां कहां अण्डरग्राउण्ड वाटर को एक्सप्लोर कर सकते हैं उसका पूरा सर्वे होने के बाद ही इसका हल निकल सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इसमें ज्यादा डिले नहीं करनी चाहिए और राजस्थान सरकार को इमीडियेटली इस पंचवर्षीय योजना में जो कि बनने वाली है इसमें इनकारपोरेट करना चाहिए और इसके तहत कितना रुपया और मशीनरी चाहिए इसका पूरा प्लान इस पंचवर्षीय योजना में इसको स्थान मिलना चाहिए। केवल हमारे यहां चर्चा करने से, केवल प्रस्ताव पास करने से समस्या का हल नहीं होगा इसलिए मैं माननीय उप-नेता महोदय से निवेदन करूंगा कि वह प्रस्ताव के साथ ही साथ जो माननीय सदस्यों की भावना है इसके बारे में यहां का जो प्लानिंग बोर्ड है, डवलपमेन्ट कौंसिल है और मंत्रीमण्डल है उसमें पूर्णरूप से विचार करके भारत सरकार से सम्पर्क करके इस प्रकार को कौंसिल बनाकर पंचवर्षीय योजना के अन्दर यह काम कम से कम इस साल पांच वर्षों के अन्दर जब हमारी पांचवीं पंचवर्षीय योजना खतम हो तो हम देखें कि यह रेगिस्तान के अन्दर जो हमारा भूत है थार रेगिस्तान का यह 5 साल के बाद कहेंगे कि हमने भी इस्राइल और आस्ट्रेलिया की तरह से रेगिस्तान को हटाने के अन्दर वास्तव में सीरियसली काम किया है और अपने साधनों का उपयोग करके रेगिस्तान को हटाने के लिए हमने काम किया है। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, इस सारी प्राब्लम को बड़ी सीरियसली लेना पड़ेगा। इतना कहते हुए मैं माननीय सदस्य का जो प्रस्ताव है उसका पूर्ण समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय उपनेता महोदय।

श्री हरिदेव जोशी : जैसाकि मैंने सदन को विश्वास दिलाया था कि यह दूसरा मोशन कर लिया जाय और यह कब खत्म हो। इसके बारे में मैंने सबसे विचार किया और मैंने विभिन्न पार्टियों के नेताओं से बातचीत की। मैं इस राय का हूं कि साढ़े तीन बजे तक जो डेजर्ट के ऊपर प्रस्ताव है उसके बाद में दूसरा आए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री वृद्धिचन्द्र जैन।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, श्री श्रीराम गोटेवाला

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

द्वारा जो प्रस्ताव या संकल्प रखा गया है मरुस्थल विकास के बारे में मैं उसका समर्थन करता हूं। राजस्थान प्रान्त भौगोलिक दृष्टि से बहुत ही इस प्रकार से बसा हुआ है कि एक तरफ तो रेगिस्तान का क्षेत्र आता है, दूसरी तरफ पहाड़ी क्षेत्र आता है और इस प्रकार का भी क्षेत्र आता है कि जिसमें शिड्यूल्ड टाइब डूंगरपुर और बासवाड़ा वाले क्षेत्र में हैं। इस प्रकार इस राजस्थान प्रान्त में रेगिस्तानी क्षेत्र भी है पहाड़ भी हैं और ऐसे भी क्षेत्र हैं अलवर, भरतपुर जिसमें बाढ भी आया करती हैं और जो सर सब्ज क्षेत्र है। मैं इस समय मरुस्थल क्षेत्र के बारे में जो कि राजस्थान प्रान्त का 55 प्रतिशत क्षेत्र है उस क्षेत्र के बारे में जिक्र करना चाहूँगा। यह डेजर्ट क्षेत्र जो कि 18,82,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है जिसकी आबादी 84 लाख है और जो राज्य की कुल आबादी का 33 प्रतिशत हिस्सा है, उसके विकास के लिए राज्य सरकार ने प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जो अभी चल रही है, राज्य सरकार ने इसके बारे में गहराई से नहीं सोचा। राज्य सरकार ने इसके बारे मे सीरियस स्टेप्स नहीं उठाए और इसके कारण इस रेगिस्तानी क्षेत्र की बड़ी दुर्गती हो रही है। तीन साल में दो साल अकाल आते है और अकाल में राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार की मदद से

(2.25 म. प.)

(श्रीमती मदनकौर, सभापति, पदासीन)

करोड़ों रुपये अकाल सहायता के नाम से खर्च करती है और उस अकाल सहायता के नाम पर जो कार्य होते है वह उपयोगी कार्य नहीं होते और जिसके कारण हमारा सेन्ट्रल गवर्नमेंट से जो प्राप्त किया हुआ धन है, जो राशि है वह बिल्कुल वेस्ट में चली जाती है और उसका उपयोग नहीं हो पाता। मैं मेरे जिले के बारे में कहूं कि इन चार वर्षों में अकाल में 14 करोड़ खर्च किए गए अकाल राहत कार्यों के लिए और योजना के लिए सिर्फ एक करोड खर्च किया गया। इस अविकसित प्रदेश में, इस प्रजातंत्र की प्रणाली में हम किस प्रकार चल रहे हैं और हमारी योजनाएं किस प्रकार की हैं जिसमें 14 करोड़ रुपया तो अकाल राहत कार्यों में खर्चं करें और विकास में सिर्फ एक करोड। इसके लिए हमें सोचना है। अभी मैंने अप्रोच टू दी फिफ्थ फाईव ईयर प्लान पढ़ा और मैंने यह पाया कि मरुस्थल के विकास के लिए राज्य सरकार खुद क्या करने जा रही है। बारबार जो इस अप्रोच पेपर में कहा गया है, इस मरुस्थल का विकास हमारी शक्ति के बाहर की चीज है। जो व्यवस्था की जानी चाहिए वह योजना के बाहर व्यवस्था करनी चाहिए और सेन्ट्रल गवर्नमेंट योजना के बाहर, योजना के अलावा, किस प्रकार की वित्तीय व्यवस्था करेगी यह प्रश्न भी बड़ा विचाराधीन है। तो मैं यह राज्य सरकार को कहना चाहता हूँ और राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि यह जो फिफ्थ फाइव ईयर प्लान बनने जा रहा है उसमें रेगिस्तानी क्षेत्र का विकास करने के लिए राज्य सरकार योजना में क्या व्यवस्था कर रही है। इसके लिए राज्य सरकार को भी योजना में प्रावधान रखना चाहिए। अगर राज्य सरकार सिर्फ यह कहे

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

कि हमारी यह शक्ति की चीज नहीं है, हम मरुस्थल क्षेत्र को हमारे वित्तीय साधनों से कभी मिटा नहीं सकते हैं, मरुस्थल क्षेत्र का विकास नहीं कर सकते हैं तो इससे काम नहीं चलने का है। मैंने यह देखा है और यह पाया है कि पहली पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना में जो विकास के लिए व्यय हुआ है बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट और जालोर डिस्ट्रिक्ट में प्रति व्यक्ति वह बहुत ही कम हुआ है। 68 रुपया और 72) रुपया प्रति व्यक्ति व्यय, इस प्रकार जो अविकसित जिले हैं उनका हम विकास नहीं करें।

एक यह भी बात है और बहुत आवश्यक बात है कि यह रेगिस्तानी क्षेत्र जो है वह पाकिस्तान की सरहद पर आए हुए हैं। ये सीमावर्ती क्षेत्र भी हैं। आप योजना में इसका प्रावधान करें, जो योजनाएं बनायें उसमें बराबर इस बात पर जोर दें कि केन्द्रीय सरकार यह सब कार्य करे। चीफ मिनिस्टर सिक्स्थ फाईनेंस कमीशन के सामने अपना भाषण दे उसमें भी यही व्यक्त करें कि यह हमारी शक्ति की चीज नहीं है। तो मेरा यह निवेदन है कि इस मरुस्थल का विकास यदि हम करना चाहते हैं तो राज्य सरकार को भी कुछ साझेदार होना पड़ेगा, राज्य सरकार को भी कुछ कन्ट्रीब्यूट करना होगा।

पहले मैं इस बात पर आना चाहता हूं कि इन रेगिस्तानी क्षेत्रों में भूतल जल प्राप्त हुआ, जैसलमेर में भूतल जल प्राप्त हुआ, बाड़मेर जिले में प्राप्त हुआ। अब इन दिनों में जिलों का विस्तृत सर्वेक्षण करना आवश्यक है परन्तु अभी बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट और जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट जो कि थार रेगिस्तान का महत्वपूर्ण अंग है उनका अभी तक सर्वेक्षण भूतल जल प्राप्त करने की दृष्टि से नहीं हुआ है। मैं बराबर सदन में राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रहा हूं कि आप यदि यहां का रेगिस्तान हटाना चाहते हैं, यहां के जल की समस्या को हल करना चाहते हैं तो भूतल जल प्राप्त करने की दृष्टि से इन क्षेत्रों का वार फूटिंग के आधार पर सर्वे कराना चाहिए और सर्वे करा कर बाद में ज्यादा से ज्यादा ट्यूबवेल खोदने चाहिए।

श्री डी. पी. धर साहब पधारे थे और उनके सामने प्रस्ताव रखे गए तो उन्होंने यह स्वीकार किया था कि सैंट्रल गवर्नमेंट इस सम्बन्ध में पूर्ण तौर पर अमल करना चाहती है। सैंट्रल गवर्नमेंट को अधिक से अधिक ट्यूबवेल खोदने चाहिए। परन्तु मैं आपको कहना चाहता हूं कि डी. पी. धर चाहे या सैंट्रल गवर्नमेंट चाहे पर राजस्थान सरकार इण्टरेस्ट न ले, उनका विस्तृत सर्वेक्षण न करे तो फिर यह प्रश्न उठेगा कि कहां 2 ट्यूबवेल खोदे जायं। यह प्रश्न स्वाभाविक रूप में उठ जायेगा और फिर बाद में ट्यूबवेल के बारे में केन्द्रीय सरकार मदद भी देना चाहेगी परन्तु प्रोपर प्लेस में जहां ट्यूबवेल खोदे जाने चाहिए वहां खोद नहीं सकेंगे और यह स्थिति पैदा होगी कि वह ट्यूबवेल सक्सेस नहीं हो सकेंगे।·· और करोड़ों रुपये जो केन्द्रीय सरकार सहायता देगी वह बेकार जाएगा। तो

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

इसलिए मेरा यह कहना है कि भूतल जल प्राप्ति की दृष्टि से इन रेगिस्तानी क्षेत्रों का वार फुटिंग पर, पूरी शक्ति लगाकर इनका सर्वेक्षण कर के इन क्षेत्रों को पानी की समस्या को हल करने की कोशिश करनी चाहिए। आज राजस्थान सरकार ने यह ठीक है कि नगरों में नगरीय नल जल योजना को स्वीकृत कर के नगरों में काफी विकास किया है परन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में अभी तक विकास का काम नहीं हुआ है। राजस्थान प्रान्त में सिर्फ 34 हजार गांव हैं उनमें से सिर्फ 1200 गांवों में ही ग्रामीण जल प्रदाय योजनाएं कम्पलीट की गई हैं। तो यहां पर जितना कार्य होना चाहिए था उनका कार्य नहीं हुआ है। ठीक है इस वर्ष गवर्नमेंट 15 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है परन्तु उससे भी ज्यादा खर्चा करना होगा और उसके लिए योजनाएं बनानी होगी। अभी सर्वे का कार्य जिन ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की दिक्कत है, उनके लिए सर्वे का काम वार फुटिंग पर लेना है और उसको ले कर के योजनाएं बना कर के इस धनराशि का उपयोग करना होगा। ऐसा न हो कि जो 15 करोड़ रुपया का वर्ष 73-74 के लिए प्राविजन किया है उसके लिए हम कोई योजना नहीं बना सके और इस पैसे का उपयोग न हो पावे। ऐसी स्थिति न हो। बहुत सी योजनाओं के लिए केन्द्रीय सरकार सहायता देती है, धनराशि देती है और हमारी राज्य सरकार उसका लाभ नहीं उठा सकी है और गवर्नमेन्ट मशीनरी पर कन्ट्रोल नहीं कर सकी है। गवर्नमेन्ट मशीनरी उन योजनाओं को क्रियान्वित नहीं कर पायी है। इसलिए यह आवश्यक है कि जो भी योजनाएं राज्य सरकार बनावे उसको पूरी तरह से क्रियान्वित करे। आज राजस्थान सरकार के पास एक्सपर्ट्स नहीं है। इसके लिए पूरा स्टाफ नहीं है। बाड़मेर जिले के लिए जो ड्राट प्रोन स्कीम्स बनी हैं, जोधपुर के लिए जो यह स्कीम्स बनायी गयी थी, जैसलमेर के लिए ड्राट प्रोन स्कीम्स बनायी गयी है, तो एग्रीकल्चर में वह ठीक है क्योंकि वहां पर दो-तीन एक्सपर्ट्स हैं परन्तु दूसरे कोई एक्सपर्ट्स नहीं है। एक्सपर्ट्स नहीं होने के कारण योजनाएं नहीं बनती हैं। तो राज्य सरकार को यह निवेदन करना है कि इन मरुस्थली क्षेत्रों के बारे में वह एक कम्पलीट योजना बनावे और योजना बना करके उसको पंचायत समिति से सम्बद्ध किया जाए और सम्बद्ध करके उन क्षेत्रों का विकास किया जाए।

जल की समस्या के निवारण के सम्बन्ध में पहले एक गैर सरकारी संकल्प श्री रघुनाथ जी विश्नोई ने रखा था। उसके बारे में राजस्थान गवर्नमेन्ट ने यह मान लिया था कि जल बोर्ड का गठन होगा। बोर्ड का गठन भी हो गया, मैं भी उसका सदस्य था। अब इस जल समस्या के निवारण के लिए गठित बोर्ड की क्या स्थिति है, एक्टिवली यह कार्य नहीं कर रहा है। तीन साल तक लगातार जल समस्या निवारण बोर्ड के बारे में यहां पर रिजोलूशन आया था और राज्य सरकार ने माना और मानने के बाद उसका इम्पलीमेन्टेशन नहीं किया गया है। ऐसा न हो कि इस मरुस्थलीय विकास के बारे में रीजनल कौन्सिल के बारे में राय दे रहे

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

हैं राज्य सरकार उसको मान लें और बाद में इम्पलीमेन्टेशन नहीं करे। मैंने देखा है कि राज्य सरकार बहुत से निर्णय ले लेती हैं परन्तु उनका इम्पलीमेंटेशन नहीं करती है।

अब मैं राजस्थान नहर के बारे में कुछ विचार रखूंगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो राजस्थान नहर है, जैसी पाकिस्तान में इच्छोगिल नहर है, यह उसके प्रोटेक्शन के लिए महत्वपूर्ण नहर है, उसी प्रकार से सीमावर्ती क्षेत्र के लिए, सुरक्षा के लिए यह महत्वपूर्ण नहर बने परन्तु इसके कार्य के लिए जो मंद गति चल रही है उसको तीव्र गति दी जानी चाहिए। यह राजस्थान नहर सन् 58 में शुरू हुई थी। चाहिए तो यह था कि फर्स्ट स्टेज प्रस्ताव के अनुसार 68-69 में हो कम्पलीट हो जानी चाहिए थी परन्तु यह फर्स्ट स्टेज 68-69 में कम्पलीट होना तो क्या आज तक कम्पलीट नहीं हो पायी है। सेकेन्ड स्टेज का कार्य भी आज तक शुरू नहीं हुआ है। राज्य सरकार इसके लिए केन्द्रीय सरकार से सहायता लेती रही है और इस प्रकार इस नहर को चलाती रही है। मैं यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार की क्षमता नहीं है, उसकी वित्तीय स्थिति नहीं है कि वह राजस्थान नहर के कार्य को जल्दी से जल्दी कम्पलीट करके सिंचित क्षेत्र को उपजाऊ बना कर के कल्टीवेशन के लिए किसानों को दे सके। इसके लिए केन्द्रीय सरकार को यह नहर अपने हाथ में लेना चाहिए और हमारी यह रिक्वेस्ट है कि राजस्थान सरकार को यह स्पष्ट कह देना चाहिये कि हमारी यह शक्ति की चीज नहीं है इसलिए केन्द्रीय सरकार इसको अपने हाथ में ले और हाथ में लेकर जल्दी से जल्दी इसको कम्पलीट कराना चाहिए। यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस नहर के बारे में जब श्री कंवरसेन चीफ इन्जीनियर थे उन्होंने स्कीम बनायी थी कि यह नहर हमारे बाड़मेर से होती हुई, लूनी नदी से होती हुई और यह कच्छ की खाड़ी में गिरेगी, याने काण्डला तक पहुंचती थी। राज्य सरकार को इसका एक्जामिनेशन दुवारा करना चाहिए और जैसा मैंने मालूम किया है हमारे सिंचाई मंत्रीजी भी इसके बारे में इच्छा रखते हैं। आज एक प्रश्न भी आया था परन्तु उसके बारे में डिस्कसन नहीं हुआ यह आश्वासन दिया गया है कि राजस्थान सरकार इसके बारे में कन्सीडरेशन करेगी, कोशिश करेगी कि राजस्थान नहर बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में होती हुई कच्छ की खाड़ी तक पहुंचे।

जो ट्यूबवैल बनने जा रहे हैं और जैसलमेर, बाड़मेर जिलों में इन ट्यूबवेल्स में पानी कितने कितने वर्षों तक रह सकेगा? यह स्थिति आती है कि यह पानी दस, पन्द्रह वर्षों तक या बीस वर्षों तक ही चल सकेगा और उसके बाद में एग्जास्ट हो जाएगा। तो इस क्षेत्र में पानी के लिए बाड़मेर, जालोर, जैसलमेर जिलों के लिए एक भयानक स्थिती आने वाली है। इसलिए यह निवेदन करना चाहूंगा कि बाड़मेर, जैसलमेर जिलों के लिए जब तक इस तरह से यह कैनाल न पहुँचे, चाहे यह कैनाल इरीगेशन परपजेज के लिए नहीं पहुँचायी जाए, पीने के पानी के लिए तो अवश्य ही पहुँचायी जानी चाहिए। पहले स्कीम दोनों की थी। अब पानी की व्यवस्था तो अवश्य

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

ही करनी चाहिए। जो हमारे यहां पर भूतल जल के स्रोत हैं, हमें विश्वास है कि ये भूतल जल के स्रोत 15/20 वर्षों से अधिक देर तक नहीं चल सकेंगे और बाद में एग्जास्ट हो जाएंगे और एक स्थिति यह पैदा हो जाएगी कि बाड़मेर, जैसलमेर जिलों में जल समस्या का एक गंभीर संकट होगा। इसके लिए हमारी राज्य सरकार को भविष्य के लिए पूरी तरह से सोचना होगा। वैज्ञानिकों से राय लेकर, एक्सपर्ट्स से राय लेकर, सोच कर के राजस्थान नहर बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट पहुँचे और वहां से होकर कच्छ की खाड़ी पहुँचे, यह मेरा निवेदन है।

लूनी नदी के बारे में निर्णय लिया है कि पाली में बांध नहीं बनाये जाएंगे। लूनी नदी का जो क्षेत्र है वह जोधपुर जिले के सिवाना, बालोतरा क्षेत्र, गुढ़ा क्षेत्र, सांचोर क्षेत्र इसमें बहुत अच्छा पानी था परन्तु एक लूनी नदी और दूसरे बांध के बंध जाने से

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

इस क्षेत्र में यह स्थिति बन गई है कि वहां के कुओं में पानी नहीं है, वे सूख रहे हैं। तो एक तरफ इस तरह की स्थिति बन रही है। इस तरह के स्टेप्स ले रहे हैं जिससे कि जो स्थिति पहले थी वह भी बिगड़ती जा रही है तो इसके लिए हमारे को विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है और हमारा जो मरुस्थल का विकास है जब तक हम जो हमारे पशुओं का विकास नहीं करेंगे, हमारी भेड़ों का विकास नहीं करेंगे जब तक फोडर बैंक के बारे में बारबार घोषणा करते हैं उसकी स्थापना नहीं करेंगे, जब तक हमारे चारागाहों का विकास नहीं करेंगे तब तक यह क्षेत्र कभी भी विकसित नहीं होने वाला है इस क्षेत्र में कांकरेज, राठी, थारपारकर ब्रीड के बहुत अच्छी गायें हैं और वे दुधारू गायें हमारे देश के लिए, प्रान्त के लिए एक बड़ी सम्पदा है। यह स्थिति बनती जा रही है कि हमारी कांकरेज ब्रीड और थारपारकर ब्रीड यह धीमे धीमे जो है खराब होती जा रही हैं। इस ब्रीड में सुधार करने की आवश्यकता है। यद्यपि हमने कोशिश की जैसलमेर में थारपारकर ब्रीड का विकास करने के लिए, परन्तु हमारा प्रयास जो है वह सफल नहीं हुआ है। इसके बारे में यह कोशिश की जानी चाहिए कि बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में थारपारकर को विकसित करें और कांकरेज ब्रीड को सांचोर में विकसित करें, और अच्छे पशुधन का विकास करने के बारे में कोशिश करेंगे, डेरी प्लान्ट लगायें और हमारी प्रगति करें। (समय समाप्ति सूचक घंटी) तो हमारा विश्वास है कि रेगिस्तान का क्षेत्र विकसित हो सकेगा।

इन क्षेत्रों में खनिज सम्पदा भी बहुत है, जिप्सम, बैन्टोनाइट कोयला है और राक फास्फेट है और गैस के मिलने की सम्भावना है। तो इन सभी का सर्वेक्षण करके इस क्षेत्र को विकसित करने की कोशिश करना चाहिए, और जो खनिज पदार्थ निकलें उन पर इन्डस्ट्रीज कायम करके इस क्षेत्र का विकास करना चाहिए।

ऊन भी 40 परसेंट हिन्दुस्तान की इस रेगिस्तानी क्षेत्र में उपलब्ध होती है। ऊन की जो व्यवस्था है, ऊन के जो धन्धे हैं और ऊन के मिल की वहां पर स्थापना करना चाहिए और इन क्षेत्रों को विकसित करना चाहिए।

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

मरुस्थल का विकास करने के लिए यदि हम कोशिश करें, राज्य सरकार दिलचस्पी से कार्य करे और केन्द्रीय सरकार इसके लिए पूरी कोशिश करे। केन्द्रीय सरकार से जो भी हम मदद लेना चाहते हैं वह तभी मदद देगी जब कि हम इसकी योजनाबद्ध तरीके से योजना पेश करेंगे। प्रोजेक्ट्स उनके सामने पेश करेंगे, उनके सम्मुख रखेंगे। यदि प्रोजेक्ट्स उनके सम्मुख रखेंगे और योजना उनके सामने प्रस्तुत करेंगे तो हमें विश्वास है कि केन्द्रीय सरकार इसमें मदद देगी। मेरा यह कहना है कि मरुस्थल क्षेत्र को, जहां पर बाढ़ आती है; जो अकाल है, इन क्षेत्रों को विकसित करने के लिए केन्द्रीय सरकार को पूर्ण तरीके से मदद देना चाहिए ताकि यह क्षेत्र भी जो हैं दूसरे क्षेत्रों के बराबर हो सके और तरक्की कर सकें और यहां की जनता उन्नति कर सके। जयहिन्द।

श्रीमती सभानेत्री : श्री पूनमचन्द बिश्नोई।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई (भीनमाल) : सभापति महोदया, माननीय श्रीरामजी गोटेवाला ने जो संकल्प रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं। इस संकल्प में उन्होंने यह कहा है कि राजस्थान में मरुस्थल के विकास के लिए एक इस तरह की परिषद् बनाई जाय जो कि मरुस्थल के विकास को देखे, और जितनी भी मरु विकास के लिए धनराशि राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार उपलब्ध कराये वह उसको सुपुर्द कर दी जाय।

मरुस्थल का विकास यदि हम राजस्थान को आगे बढ़ाना चाहते हैं पूरे राजस्थान को तो कम से कम समय के अन्दर हमें कर लेना चाहिए। जब मरुस्थल के बारे में हम सोचते हैं तो आम धारणा यह है कि इसमें इतने पैसे की जरूरत पड़ेगी कि भारत सरकार और राजस्थान सरकार इतनी धनराशि निकट भविष्य में उपलब्ध नहीं करा सकती। सबसे पहले मैं नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि यदि सही योजनाएं बनाई जायं तो राजस्थान के मरुस्थल का विकास इतना खर्चीला सिद्ध नहीं होगा जितना कि हम आम तौर से सोच बैठे हैं।

इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि पिछले 25 सालों में मरुस्थल का काफी विकास हुआ है, और यदि विकास नहीं हुआ होता तो इतने भयंकर अकाल और दूसरी आपत्तियां मरुस्थल के ऊपर आई शायद वहां के लोग उसमें नहीं निभ सकते थे और हजारों लाखों लोगों को मौत के मुंह में जाना पड़ता। कई दफा राजस्थान के मरुस्थल की हम चर्चा करते हैं तो लोगबाग उदाहरण दे देते हैं कि इजराइल का मरुस्थल था उसने तरक्की करली और वहां पर अंगूर पैदा होने लगे। मध्य एशिया के मरुस्थलों को भी विकसित किया गया है, लेकिन मैं नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि हमें हमारे मरुस्थल की समस्याएं जो हैं उनका गहराई से अध्ययन करना है। इजराइल की जब हम बातें करते हैं तो वह बात हमारे पर पूरी तरह से लागू नहीं होती है, क्योंकि इजराइल पूरा देश है और उस का क्षेत्रफल कोई 4—5 हजार वर्गमील होगा····

श्री मोहन सिंह : 8 हजार वर्गमील।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : जो हमारे एक जिले के बराबर है, और इजराइल के अन्दर जो लोग आये वह लोग पढ़े-लिखे, इन्जीनियर थे, डाक्टर थे और अपने देश को छोड़कर आये थे इसलिए हिम्मत वाले भी थे और तकलीफों का सामना करना भी जानते थे, और इसके अलावा विदेशों के अन्दर जितने यहूदी लोग थे वह भी उनको मदद करते थे। तो उन्होंने कुछ समय के अन्दर इजराइल देश, एक छोटा सा देश उक्त बन सकता है तो वह बात हमारे पर लागू नहीं हो सकती है। वहां की भौगोलिक और जलवायु की परिस्थितियां भी कुछ हमारे से भिन्न हैं इसलिए हमारी उन्नति का मार्ग हमें स्वयं को ढूंढना होगा।

दूसरी तरफ राजस्थान का मरुस्थल इस तरह का मरुस्थल नहीं है जैसा कि कालाहारी, सहारा, गोबी या मध्य एशिया के मरुस्थल हैं। वह मरुस्थल ऐसे हैं कि जिनमें न आबादी बसती है, न घास होता है, न पेड़-पौधे, न पीने का पानी और न वहां पर पशु और पक्षी होते हैं, लेकिन राजस्थान का मरुस्थल ऐसा है जो इलाका आबादी से भरा हुआ है, घास बरसात होने पर अच्छी होती है, वहां पर पेड़-पौधे भी होते हैं और कुछ अच्छे लोग अगर अच्छी बरसात हो तो आपको देखने को मिलते हैं। तो राजस्थान के मरुस्थल के विकास की जब हम बात करते हैं तो उसकी उपलब्धि का सबसे पहले अध्ययन करना पड़ेगा। हमारे देश के अन्दर अच्छे विशेषज्ञों, डाक्टरों, इन्जीनियरों और पढ़े-लिखे लोगों की कोई कमी नजर नहीं आती है, लेकिन कमी नजर आती है वह एक बात की हमारी जितनी भी जानकारी है वह व्यावहारी जो चीजें हैं उनसे मेल नहीं खातीं। हमारी जानकारी यथार्थता का मुकाबला नहीं कर सकतीं। आज विज्ञान ने कई नई नई चीजें मानव समाज को दीं, लेकिन उसका यदि सही उपयोग होता है तो वह लोग भी इसका आश्रय लेते हैं तरक्की कर लेते हैं और जो उसका सही उपयोग परिस्थितियों के अनुसार नहीं कर पाते उनको फायदा नहीं मिलता है। राजस्थान के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। मरुस्थल की कुछ हमारी समस्याएं हैं। उनमें विज्ञान का और विज्ञान की उपलब्धि का सही उपयोग नहीं कर सकें, और हमारी जो पंचवर्षीय योजनाएं बनी हैं, जैसा कि मैंने निवेदन किया कुछ लाभ तो हुआ, लेकिन सही मायने में जो दूसरे प्रदेशों को लाभ हुआ है उतना मरुस्थल को नहीं हो सका है, क्योंकि मरुस्थल के बारे में कुछ समय पहले आम तौर से जानकारी के अभाव में विशेषज्ञ लोग और बड़े बड़े लोग यह कह दिया करते थे कि इस क्षेत्र के अन्दर कुछ नहीं हो सकता। उचित होगा कि इस क्षेत्र को खाली कर दें और लोग उन स्थानों पर बसे नहीं। उन लोगों को दुबारा बसाना ज्यादा आसान होगा, लेकिन उनको वहां पर ही रखकर तरक्की करना और पालना एक कठिन समस्या होगी। तो इस कमी के कारण इस दृष्टि से हम तरक्की नहीं कर सके। पंचवर्षीय योजना में जो प्रावधान होते हैं उनमें मैं निवेदन करूंगा कि एक प्रावधान जैसे पीने के पानी का सवाल है तो उसको यह कहा जाता है कि एक लाख रुपये जहां

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

हम खर्च करेंगे वहां 300 की जन संख्या को हम पानी पिला सकेंगे तब तो वह योजना स्वीकृत होती है, और यदि यह नहीं होता है तो वह योजना स्वीकृत नहीं हो सकती। बंगाल के लिए, उत्तर-प्रदेश के लिए और राजस्थान के कुछ हिस्सों के लिए यह नापतौल ठीक है, लेकिन जहां पर 5, 10, 15 व्यक्ति प्रत्येक किलो मीटर में रहते हैं या 50 रहते हैं वहां पर यह योजना कैसे उपयोगी हो सकती है? यह हमारे सोचने की बात है दूसरी जगहों पर एक मील भी पाइप लाइन ले जायं तो चार हजार लोगों को पानी की उपलब्धि हो सकती है, लेकिन मरुस्थल में 25 मील भी अगर पाइप लाइन ले जायं तो कहीं जा कर हजार दो हजार की जनसंख्या को लाभ पहुंचा सकते हैं · ·

· · आमतौर से पीने के पानी के लिए कुएं खुदवाये जाते हैं। इसके लिए दो, चार, पांच हजार का प्रावधान होता है। लेकिन हम और आप, मरुस्थल के रहने वाले जानते हैं कि मरुस्थल में 50 हजार रुपया एक कुंवें पर खर्च करें तभी पीने का पानी पिला सकते हैं। इसी प्रकार से 300 की जनसंख्या पर एक अध्यापक रख सकते हैं। तो आप सोचें कि मरुस्थल में एक छोटे बच्चे को कितनी दूर जाना पड़ेगा। यह सोचने की बात है। मेरे कहने का आशय यह है कि हमारी जितनी योजनाएं हैं, वह अव्यवहारिक है। वहां की परिस्थितियों का अध्ययन बिना किये बनाई गई हैं। जो हमारे एग्रीकल्चरिस्ट हैं, सिंचाई है, ज्यूलोजिस्ट हैं, इन्जीनियर हैं, हमारे और विशेषज्ञ हैं, वह बहुत अच्छे हैं। लेकिन जब उनको कोई समस्या दी जाती है, विशेषकर मरुस्थल की समस्या, तब उनकी उस ऑक्सफोर्ड की पढ़ाई का विशेष उपयोग नहीं होता है। हम पेयजल योजना के लिए कई करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं। हो सकता है कि हम पेयजल योजना से इस समस्या को हल कर सकें। लेकिन हम मरुस्थल में पानी पिला सकेंगे, मैं समझता हूं कि यह उपयुक्त नहीं होगा। इस योजना में पशुओं को पानी के लिए कुछ नहीं बनाया है। उसका दुबारा निर्माण करें या नये निर्मित करें। कई बार ऐसा होता है कि घास के लिए मवेशी चल रहे हैं। 10, 10, 15, 15 हजार मवेशी चलते हैं। आपने कुंवे बना दिये हैं। तालाब बनाये नहीं। तो 15 हजार पशुओं को पानी किस जगह पिला सकेंगे? इसी प्रकार से नस्ल सुधार के बारे में। बीमार होने के बारे में। चारागाह के बारे में। यह योजना ऐसी होती है, या तो कोई पशु बन्धा रहे या खेत में चराये। लेकिन रेगिस्तान में, पश्चिमी राजस्थान में 50, 60 मील तक बढ़ते रहते हैं। जहां चाहें वहां ठहर नहीं सकते हैं। इसके अलावा हमारी योजना यह भी होनी चाहिए कि पशुधन का वैज्ञानिक ढंग से पालन भी कर सकें। आज की यह योजनाएं बिल्कुल अव्यवहारिक हैं। विशेष बात यह है कि हमारे विशेषज्ञों के सामने यह समस्याएं आई हैं। वह विशेषज्ञ भी कैसे; चूंकि अन्य जगह पर एडमीशन नहीं हो सका तो उन्होंने पशुपालन के लिए ही एडमीशन करा लिया। जितनी तेजी से यह कार्य होना चाहिए उतनी तेजी से नहीं हुआ है। इसी प्रकार से सिंचाई की

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

बात है। सिंचाई के विशेषज्ञ पंजाब, यू. पी., और राजस्थान के पूर्वी भाग के लिए तो योजना बना सकते हैं, लेकिन मरुस्थल में किस तरह की सिंचाई योजना हो, इसके लिए अलग से विचार करना होगा। सिंचाई योजना वह अच्छी होगी जो बारानी खेती के लिए उपयोगी हो। जितना पानी जमीन में जाये, या हवा में उड़े यह योजना होनी चाहिए। योजना ऐसी होनी चाहिए कि नीचे जो इलाके आये हुये हैं, उनमें आंधियां भी चलती हैं। यह भी सोचना होगा। ट्यूबवेल के जो कुवें हैं, तो उनमें फसल किस प्रकार की हो, जिससे कि खेती करने वालों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। तो इन समस्याओं पर विचार नहीं किया। अण्टशण्ट बांध बनाना शुरू कर दिया है। उसका नतीजा यह हुआ है कि इलाके उजड़ने लगे हैं। गलत योजनाएं बनाने से नुकसान होने वाला है। मारवाड़ में नदियों के ऊपर बांध नहीं बनने चाहिए। ऐसा सुनते आये हैं। एक अंग्रेज था, हैप रोप मैन, उसने 70 साल पहले यह बात लिख दी थी कि मारवाड़ की नदियों पर कोई ऊपर से बांध नहीं बनाने चाहिए। मैं प्रशंसा करता हूं उस अंग्रेज की कि उसने वहां की भौगोलिक स्थिति का गहरा अध्ययन करके एक बात लिखकर, छोड़ कर गया है। लेकिन अफसोस की बात है कि हम मामूली बात को भी नहीं समझ सकते हैं। आज का हमारा जो प्रशासन है, वह जनता से दूर है। पुराने जागीरदार थे, या राजा थे, वह सुबह शाम अपनी जनता से, गांव वालों से जरूर मिलते थे। उनके शामिल बैठते थे। दो तीन घण्टे स्वयं देते थे। अंग्रेज भी डिप्टी कमिश्नर घोड़े या ऊंट पर बैठकर जाते थे। तम्बुओं में ठहरते थे। जनता की समस्याओं को और शिकायतों को सुनते थे। आज हमारे अधिकारी जाते हैं तो डामर की सड़क से नीचे नहीं उतरते हैं। डाक बंगले के अलावा दूसरी जगह ठहरने वाले नहीं हैं। मिलने वाला कोई आये तो अर्जी देते ही रवाना। इस प्रकार का आज का यह अमला है। तो मैं निवेदन करता हूं कि मरुस्थल की समस्याएं हैं। वह अपने ढंग की अलग समस्याएं हैं। दिल्ली में जो बैठे हुये विशेषज्ञ हैं, यह बहुत दूर हैं। इसलिए ऐसी परिस्थिति अपनाई जाये जिसमें ये सारी चीजें रख दें। ताकि पश्चिमी क्षेत्र सही माने में उन्नति कर सके। इस प्रकार उस क्षेत्र को हम विज्ञान का लाभ दे सकते हैं। जो दूसरी समस्याएं हैं, समय समय पर माननीय सदस्य ध्यान आकर्षित करते आये हैं। यह खुशी की बात है कि सरकार ने कृषि योजना को अपने हाथ में लिया है। लेकिन मुझे डर है कि अव्यवहारिकता और अनुभव की कमी के कारण वह असफल न हो जाये। पिछले मेरे भाषण में मैंने निवेदन किया था, मरुस्थल को सही मायने में विकसित करना चाहते हैं तो उसमें सड़कें हमको ज्यादा बनानी पड़ेगी। बड़ा दुःख होता है, केन्द्रीय सरकार के जिम्मेदार अधिकारी बराबर यह कह रहे हैं, इन सड़कों की लोएस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिये क्योंकि डामर रोड़ नहीं है, और ग्रेवल रोड़ है वह किसी काम की नहीं है। सभापति महोदय, पुरजोर शब्दों में निवेदन कर देना चाहता हूं, यदि हम सही मायने में मरुस्थल को विकसित

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

करना चाहते हैं, डामर रोड़ नहीं, मैटल रोड़ नहीं, यह ग्रेवल रोड़ हैं, इसमें राजस्थान को उन्नत कर सकते हैं। हमारा पिछड़ा हुआ प्रदेश है, इतना बड़ा इसका क्षेत्रफल है, उसके अन्दर डामर की रोड्स कब बन पायेंगी, निकट भविष्य में पचास साल में तो नहीं बन सकती हैं। रोड़ अच्छी बने, नौ इन्च का ग्रेवल हो, तो ग्रेवल रोड़ भी अच्छा काम देती है। ग्रेवल बनावटी हो और उसके अन्दर गलती होती है तो उसके कारण वह टूट जाती है, रेत उन पर आ जाती है, लेकिन ज्यादा रेत नहीं आती। इस तरह उपयोगी होने की बात को नजर अन्दाज कर दिया। कोई अच्छी बात कहे उसे पकड़ ले, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान के अभाव में ऐसी बात को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि सड़कों की लोएस्ट प्रायोरिटी है। सड़कों का यहां अभाव है, उसको हम पूरा करके ही केवल तरक्की कर सकते हैं।

इस तरह से बिजली का प्रश्न है। पंजाब में बिजली देनी चाहिए, हरियाणा में देनी चाहिए, वहां पांच हजार की जनसंख्या के गांव हैं, उन गांवों में दूरी दो तीन मील है। हमारे यहां कितनी लम्बी लाइन खींचनी पड़ेगी, यदि हम गांवों का बिजलीकरण करना चाहे और वहां उद्योग धन्धे किसी तरह से चलाना चाहें तो उसमें ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी, उपयोगी योजनायें बनाने की जरूरत पड़ेगी और इस काम के लिए ऐसे लोग चाहिए जो शाम को दूसरे लोगों के साथ उठने बैठने वाले हों।

मरुस्थल अनुसंधान केन्द्र है जोधपुर में, उसकी बात कहूं, उस पर लाखों करोड़ों रुपया खर्च हुआ है। उसमें बहुत से जान पहचान वाले थे, वह कहते थे, हम यह कर रहे हैं, हम वह कर रहे हैं। मैंने कहा, बगीचा नुमा चीजें इस देश में कई की जा सकती हैं, देश विदेश के पेड़, पौधे और घास लाकर बगीचे में लगा सकते हैं, लेकिन राजस्थान के मरुस्थल को हरा भरा कर दें, यह इस तरह से नहीं कर सकते। यहां वही पेड़, पौधे और घास पनपेगी, जो यहां होती आई है। राजस्थान में पेड़ पौधे और घास का अभाव नहीं है। हिन्दुस्तान में पशुओं के लिए उपयोगी सबसे अच्छे पेड़; पौधे और घास राजस्थान में है; और पश्चिमी राजस्थान में है। इसको समझे नहीं और मरुस्थल को विकसित करना चाहते हैं। भई, विज्ञान तभी मदद दे सकता है, जब भौगोलिक परिस्थितियों का ज्ञान हो और जहां जो चीजें पनप सकती हैं उन चीजों की समझ हो। परिषद् हो या परिषद् नहीं हो—यह प्रश्न नहीं है, राज्य सरकार इस बात को स्वीकार कर लें। हमें व्यवहारिक योजनायें मरुस्थल के विकास के लिए बनानी हैं, व्यवहारिक योजनाओं के लिए बनवाते हैं तो राजस्थान में पशुओं की नस्ल काफी अच्छी है, ऊन काफी होती है, बरसात होने पर फसल भी अच्छी होती है—इस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा।

इसी तरह से विश्वविद्यालय भी है, कृषि का महाविद्यालय भी, लेकिन उसमें जो पाठ्य क्रम है, वह भी व्यवहारिक नहीं है। हमारे यहां होने वाली फसल है, खास तौर से जो कम पानी में होने वाली फसल है, अनावृष्टि है—इस पर अनुसंधान करना चाहिए। आम तौर पर देखा गया है कि कोई

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

भी विषय ले लेते हैं, किसी भी तरह का बैसिक विषय लेते हैं और उस पर अनुसंधान करते हैं वह यहां के काम में आते नहीं हैं, दूसरी जगह, दूसरी यूनिवर्सिटी में काम में आते होंगे। इस प्रकार के असफल प्रयोग नहीं करने चाहिए। विश्वविद्यालय है, कृषि विश्वविद्यालय है उनके अन्दर इस प्रकार के उपयोगी अनुसन्धान होते हैं तो अपना योगदान वे दे सकते हैं। हमारे यहां जो माहिर हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनका ध्यान हमारी यहां की समस्याओं की ओर जाना चाहिए। जिसके बारे में दुनिया दिमाग लगा रही है, फण्डामेन्टल्स के बारे में, मौलिक आधार क्या हो, उसके बारे में, हमारे जैसे गरीब प्रदेश के लिए खर्च करना, और समय पर खर्च करना, मैं समझता हूं, कोई उपयोगी नहीं है और कोई आवश्यक नहीं है। यदि इस हिसाब से समझें तो चाहे कोई परिषद् हो, चाहे कोई आथोरिटी हो, जो इन समस्याओं की तरफ ध्यान दिला सके, माहिरों का भी, सरकार का भी और जितना पैसा मिले उसका सही उपयोग हो सके तो मेरे ख्याल में मरुस्थल के विकास के अन्दर तेजी लाई जा सकती है।

एक बात यह है नल कूप हम काफी खोद रहे हैं। लेकिन नल कूपों का आगे क्या करना है, उन्हें उपयोग में किस तरह से लाना है–इस बाबत राजस्थान में किसी ने नहीं सोचा। दो सौ नल कूपों का टार्जेट बना दिया गया तो दो सौ नल कूप खोदे जायेंगे, लेकिन वापिस कितने काम में आ रहे हैं? मेरे ख्याल में यह देखें कि जितने नल कूप खोदें हैं, वह कोई जल योजना में पानी दे रहे हों तो काम में आ रहे होंगे, लेकिन बाकी काम में नहीं आ रहे हैं। नल कूप खोदे, पन्द्रह पन्द्रह, सत्रह सत्रह, अठारह अठारह, बीस बीस साल हो गये हैं, एक तरफ अनाज की कमी है देश में, दूसरी तरफ लाठी ट्यूब वैल की बात चल रही है, उनके इलेक्ट्रिफिकेशन की योजना है उसके लिए लाइन ले जाई जा रही है 32 के वी के जिस पर पैसा खर्च होगा लेकिन ट्यूब वैल्स का उपयोग नहीं कर सकते। उपयोग करना आसान नहीं है, कोई व्यक्ति अकेला या सहकारी समिति ट्यूब वैल नहीं चला सकती क्योंकि उसके लिए विशेष मशीनरी होती है, उनसे सिंचाई के ऊपर खर्च बहुत ज्यादा होता है। उनके लिए आप पैसा नहीं दे सकते हैं। अकाल नाम पर करोड़ों रुपये खर्च कर रहे हैं। अच्छा हो, पच्चीस पर्सेन्ट तीस पर्सेन्ट सिंचाई की दर मुकर्रर करदें। ट्यूब वैल आप चलाइये और गरीब आदमियों को पानी के लिए प्रायोरिटी दीजिये और कोई दूसरे आदमी लेना चाहे तो उनको दे दीजिये। आप समझ लीजिये, दो सौ रुपये एकड़ पड़ता है तो डेढ़ सौ रुपये सब्सीडी के रूप में, गरीब लोगों को मदद के रूप में न दे कर सब्सीडी के रूप में दे दीजिये, यह अच्छा तरीका होगा। ट्यूब वैल जो खोदे जाते हैं वह आम तौर पर वहां पर खोदे जाते हैं, जहां सड़क से आसानी से जा सकते हैं, आसानी से आ जा सकते हैं। जो गांव में रहते हैं, गांव में रहने वाले लोग जानते हैं, जो हद आई हुई है गांव की सड़क है, उसके अन्दर टुकड़े हैं, इधर राजपूतों के खेत हैं, इधर जाटों के खेत हैं, इधर हरिजनों के खेत हैं और उधर फलां लोग के खेत हैं। बाकी छोटे छोटे लोग हैं उनको पानी की सुविधा

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

देना चाहें तो उनके बीच में ट्यूब वेल खोद दीजिये । यहां बैठे जब प्रश्न सामने रखते हैं तो हमारे विशेषज्ञ और प्रशासक है, वह कहते है, यह जरूरी नहीं है कि गरीब आदमियों के खेत एक जगह हों । मैं कहता हूं कि 90 पर्सेन्ट एक जगह खेत मिलेंगे। यह असलियत है । लेकिन इस हिसाब से ट्यूब वेल बनाते नहीं है । ट्यूब वेल मेरे क्षेत्र हो, मेरे क्षेत्र में बना दीजिये । दूसरा कहे, दूसरे के क्षेत्र में हो तो उस क्षेत्र में बना दीजिये । इससे क्या फायदा होगा । एक एक करके धीरे धीरे खराब हो जायेंगे । क्योंकि रिपेयर करने में पन्द्रह बीस दिन लगते हैं, उस समय में जो फसल खड़ी होगी, वह खत्म हो जायगी इसलिये जहां पानी मिल जाय वहां बीस पच्चीस ट्यूब वेल, जितनी जरूरत हो, जितनी क्षमता हो धरती की, उसके अनुसार खोद दीजिये, उस पर एक आफिसर रख दीजिये, और वहां मशीनरी ठीक करने वाला रख दीजिये, स्पेयर पार्ट्स वाला रख दीजिये और उनको बाध्य कर दीजिये कि अगर फसल खराब हो जाती है तो आपकी जिम्मेदारी है। इससे व्यवहारिक काम होगा और ट्यूब वेल का उपयोग होगा । नहीं तो आप टयूब वेल रोकिये क्योंकि काश्तकार ट्यूब वेल से पानी कहीं ले पायेंगे, कहीं नहीं । इसलिए आप ट्यूब वेल रोक दें, क्योंकि पानी का अभाव है और करोड़ों रुपये लगे हुए उनका उपयोग नहीं हो रहा है ।

इसी तरह से कई दफा कहते हैं कि गेहूं की खेती वहां पोसा नहीं सकती, यह नहीं हो सकता, वह नहीं हो सकता । भाई, विज्ञान का युग है । ठीक है, पंजाब के अन्दर गेहूं अच्छा होता है, प्रति एकड़ उत्पादन भी अधिक है, वहां की जलवायु ऐसी है कि गेहूं ज्यादा निकलता है । लेकिन बहुत सी दूसरी फसल हैं, बहुत से दूसरे फल हैं, जो हमारे इधर लग सकते हैं । हमारे यहां अगर पानी मंहगा है तो दूसरी चीजें सस्ती हैं । उधर पांच हजार रुपये में एक एकड़ जमीन मिलती है तो इधर सौ रुपये में एक एकड़ जमीन मिल जाती है, वहां पांच रुपये में खाद का एक ट्रक आयेगा तो यहां दस रुपये में आ जायगा, वहां आठ रुपये मजदूरी है मजदूर तो यहां दो रुपये में मिल जायेगा । तो इधर से उधर कम्पेन्सेट हो सकेगा । यहां बहुत तरह की योजनायें नहीं बनी हैं, इसलिए ऐसा लग रहा है कि हम असफल होते जा रहे हैं और मरुस्थल समस्या बन कर खड़ा हो रहा है ।

वे कहते हैं कि बहुत सा पैसा मरुस्थल पर खर्च हो रहा है, वह भार है हम पर । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वह किसी पर भार नहीं है । देश में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो मरुस्थल का इलाका देता है और इतना ही नहीं विदेशी मुद्रा भी वह प्राप्त करता है चाहे उनसे चाहे चमड़े से चाहे दूसरी चीजों से और क्वालिटी आफ मैनपावर अच्छी है । दूर दूर जाकर कमाई करते हैं । तो मरुस्थल के विकास से पैसे का भार पड़ेगा उसको हम अदा नहीं कर पायेंगे, ऐसा नहीं है । अगर मरुस्थल पर आप इन्वेस्ट करेंगे तो हम बड़ी जनसंख्या को संभाल सकेंगे और आगे भी जो जो समस्यायें आएंगी, वह एक विकसित क्षेत्र हमारे देश व प्रांत के लिए उपयोगी होगा ।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

इसी तरह से जैसे मेरे पूर्ववक्ताओं ने कहा, राजस्थान नहर का प्रश्न है। 1957 में जब इसकी शुरूआत हुई थी, उस समय से 1972–73

(3.00 म. प्र.)

(श्री रामसिंह यादव उपाध्यक्ष, पदासीन)

तक समय मिला लेकिन अफसोस है कि उसको समाप्त नहीं कर पाए हैं। यदि सही रूप से विकास करना चाहते हैं तो राजस्थान नहर को जल्दी से जल्दी सम्पूर्ण करना चाहिये ताकि उस क्षेत्र में हमारी आबादी बस सके और बाहरीय आक्रमण के खतरे से मुक्त हो सकते हैं। राजस्थान में 3–4 जिले जो सीमा पर हैं पहले उनको महसूस नहीं होता था क्योंकि सिंध और पंजाब पास में थे, नहरी इलाका था लोग वहां चले जाते थे। वह क्षेत्र पाकिस्तान में आ जाने के कारण मजदूरी का क्षेत्र हो चाहे खेतीवाड़ी या अनाज प्राप्त करने को जगह हो, वर्षा के अभाव में वह 400–500 मील दूर पड़ जाता है उस कारण पशुधन की क्षति होती है। इन शब्दों के साथ में संकल्प का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रणजीत सिंह !

श्री मनोहरलाल : इधर से भी कई बोलने वाले हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आपको कोई समस्या नहीं।

श्री मनोहरलाल : मुझे मरुस्थल पर बोलना है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : कामा में है ?

श्री मनोहरलाल : हमदर्दी है।

श्री उपाध्यक्ष : 3।। बजे इस विषय को समाप्त करना है।

श्री रणजीतसिंह (ओसीयां) : माननीय सदस्य जो संकल्प लाए हैं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : कोटेवाले नहीं गोटेवाला।

श्री खेतसिंह : घोटाले वाले।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : आप क्यों घोटाला कर रहे हैं ?

श्री रणजीतसिंह : जिस भावना से संकल्प पेश किया है, मरुस्थल को बदलने के लिए इसके लिए हम श्री श्रीराम जी के आभारी हैं। मरुस्थल राजस्थान का एक अंग है और इस इलाके में हमारे पूर्वजों ने जन्म लिया उसका पश्चाताप हमको तो करना ही है परन्तु पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान पर भार बना हुआ है क्योंकि आए साल अकाल से यह इलाका पीड़ित रहता है, यह कहना कि उस कारण से जितना खर्चा राज्य सरकार···

श्री हरिदेव जोशी : मैं जबाब कब दूंगा ?

श्री उपाध्यक्ष : दो मिनट बाद।

श्री रणजीत सिंह : दो मिनट के बाद कैसे ?

श्री उपाध्यक्ष : सरकार की तरफ से जवाब तो जरूर आप सुनना चाहेंगे।

श्री रणजीतसिंह : 3।। बजे के बाद।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, 3।। बजे हाई कोर्ट बेंच का संकल्प है।

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री मोहनलाल छंगाणी : हाई कोर्ट बेंच को डेजर्ट से भी ज्यादा

श्री मोहनराज (बाली) : आज हमको मौका नहीं दिया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : समय निश्चित किया जा चुका है।

श्री मोहनलाल छंगाणी : 5-5 मिनट तो मिलने चाहिये। डेजर्ट के बारे में हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा?

एक माननीय सदस्य : पूर्वी राजस्थान वाले लांछन लगाते हैं कि सारा पैसा हम पर लगाते हैं।

श्री मोहनलाल छंगाणी : आधार यह था कि रीजनल काऊंसिल तेलंगाना की लेविल पर हो और उसके हिसाब से उसकी सिफारिशों पर पैसे देना, हम पूर्वी राजस्थान पर भार बने हुए हैं, उसको हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो कौन समझाएगा?

श्री उपाध्यक्ष : उपनेता महोदय आपकी भावनाओं से परिचित हैं।

श्री हरिदेव जोशी : मैं सबकी भावनाओं का समय पर जवाब दूंगा।

श्री रणजीत सिंह : कहते हैं कि जो रेगिस्तानी इलाके के हैं वे पूर्वी इलाके के रहने वालों पर भार बने हुए हैं। राजस्थान का 1/3 से ज्यादा हिस्सा मरुस्थल के अन्दर रहने वाले आदमी भार बने हुए वो आए दिन जो अकाल पर खर्चा होता है उसमें राजस्थान के हर नागरिक को पैसा खर्च करना पड़ता है, उस समय वह आदमी सोचता है कि हम हरे भरे इलाके के हैं और जो पैसा पश्चिमी राजस्थान पर खर्चा हुआ है उसका भार हम पर क्यों? यह उनके सोचने की बात तो ठीक है परन्तु हिन्दुस्तान में रहने वाला नागरिक चाहे कहीं भी रहे वह भारत का नागरिक है। भारत के नागरिक के नाते उसको सब तरह के अधिकार हैं तो कम से कम रेगिस्तान के इलाके के निवासियों को भी जीने का अधिकार होना चाहिए। सरकार अकाल पर पैसा खर्च करती है और हम हमेशा सरकार का मुंह देखते हैं। परन्तु सरकार अच्छे ढंग कुछ राहत कार्य चला कर निभाती है। परन्तु उससे मूल समस्या का हल नहीं होगा। वह तब होगा जब डेजर्ट को इजरायल की तरह हराभरा बनाया जाए और जादू का डंडा नहीं। राजस्थान में शक्ति नहीं कि इतना पैसा खर्च करे और इजराइल की तरह बन सके। परन्तु यह हो सकता है कि जितना इलाका अच्छा बन सके उस इलाके को अच्छा बनाकर ऐसा प्रयत्न करना चाहिए। इसके लिए सरकार ने जोधपुर में रिसर्च इन्सटीट्यूट खोल रखा है। उसको काम करते हुए काफी समय हुआ उसके बावजूद भी वह अभी तक गांवों

(श्री रणजीत सिंह)

में नहीं पहुंचा। जब तक वह गांवों में नहीं पहुंचता। डेजर्ट को मिटाने के लिए उनके पास योजना नहीं तब तक हम नहीं कह सकते कि हमारा भविष्य क्या होगा? इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो डेजर्ट रिसर्च पर केन्द्रीय सरकार पैसा खर्च कर रही है उसमें जो अनियमिततायें हैं अगर उनको दूर किया जाए तो भी हमारी समस्या का हल हो सकता है। जैसे अभी माननीय पूनमचन्द जी ने फरमाया, वह आदमी गांव वालों से मिलते नहीं हैं। यह सही है कि वे रहने वाले कहीं के है, उनको तो सिर्फ 31 दिन पूरे करने पड़ते हैं पहली तारीख तनख्वाह चाहिए, गांव वालों से लेना देना नहीं। काफी समय की रिसर्च के बाद हमने पूछा कि यहां कौनसा वृक्ष लगाया जाए, कौनसी घास उगाई जाए क्योंकि वैज्ञानिक युग में हमको उनके रिसर्च के परिणामों का पता लगना चाहिए। लेकिन 20 साल के बाद में करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद उसी नतीजे पर पहुंचे जिस पर बुजुर्ग पहुंचे तो फिर रिसर्च वालों ने क्या किया?

श्री उपाध्यक्ष : मजबूरन घंटी बजानी पड़ती है।

10 मिनट बाकी है, सरकार की तरफ से जवाब होना है।

श्री रणजीत सिंह : उस इलाके में किस तरह के वृक्ष लगाए जायं, घास उगाई जाए जिससे डेजर्ट विकसित हो सके, यह योजना उनके पास नहीं है। आज के वैज्ञानिक युग में हमारे यहां नीचे पानी के भंडार हैं, ऐसा सर्वे किया गया है; ज्योलोजिकल विभाग ने किया है, जमीन में पानी है, 400, 500 फीट गहरा है। वहां के आदमी की हैसियत नहीं कि उस पानी को निकाल कर मरुस्थल को हराभरा बना सके। इसके लिए बोर्ड बने और उसके जरिये पैसा खर्च हो। एक मिनट और उपाध्यक्ष महोदय बस एक बात निवेदन करके समाप्त कर दूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, हम यह चाहते हैं कि जो भी पैसा आज वहां पर खर्च किया जाता है वह मेरा निवेदन है कि सरकार के माध्यम से जन प्रतिनिधियों के माध्यम से खर्च किया जाना चाहिये। आज तेलंगाना में आप देख लीजिये वहां जो भी खर्च इस बारे में किया जा रहा है वह सरकार के माध्यम से खर्च किया जा रहा है, तो मेरा भी यह निवेदन है कि यहां पर जो भी पैसा खर्च हो वह हमारी राजस्थान सरकार के माध्यम से होना चाहिये। आज सरकार इतना पैसा खर्च करती है और कहती है कि हमने इतना पैसा खर्च कर दिया लेकिन वह सभी भारत सरकार के अन्तर्गत हो रहा है। राजस्थान सरकार को यह पता नहीं है कि कितना पैसा खर्च किया गया और कहां पर। आज यह कहा जा रहा है कि हमने पश्चिमी भाग में डेजर्ट को खतम कर दिया है। पता नहीं, कौनसा डेजर्ट इन्होंने खतम किया और कहां किया। कौनसा इलाका इन्होंने हराभरा कर दिया है। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जैसा कि श्री श्रीराम गोटेवाला ने संकल्प दिया है कि इसका बोर्ड बनना चाहिए और उसमें जन प्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इसी प्रकार आज वहां पर ट्यूब वैल्स लगाये हैं उसकी व्यवस्था भी

(श्री रणजीत सिंह)

सरकार को अपने हाथ में लेनी चाहिए। नहीं तो वह काम ठीक नहीं होगा। उपाध्यक्ष महोदय मैं आपसे बीकानेर स्टेट के जमाने की बात का उदाहरण देकर कुछ निवेदन करना चाहता हूं आज से करीब 35 साल पहले की बात जबकि वहां पर गंगासिंह जी महाराजा राज करते थे उस वक्त एक गरीब आदमी की औरत को एक धनी सेठ भगा कर ले गया। वह गरीब पुलिस के आगे बहुत रोया गिड़गिड़ाया पर कुछ भी नहीं हुआ लेकिन एक दिन गंगासिंह जी कहीं पर जा रहे थे ट्रेन पर। उनकी यह आदत थी कि जहां पर भी गाडी रुकती वह वहां पर अपनी जनता से पूछते थे कि कहो भाई कोई चिन्ता तो नहीं है और उनकी तकलीफों का निवारण करते थे। उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो लोगों की हिम्मत ही नहीं पड़ती थी कि उनके पास पहुंचते लेकिन उस गरीब आदमी को जब पता पड़ा तो वह बावजूद पुलिस के पकड़ने के भी दूर से भाग कर गंगासिंह जी के पास पहुंच गया और उसने बताया कि किस प्रकार अमुक धनी व्यक्ति उसकी औरत को भगा कर ले गया। तो गंगासिंह जी ने उस जगह के पुलिस के एस. पी. को बुलाकर कहा कि या तो आज शाम तक इस गरीब आदमी की औरत इसके घर पर पहुंच जानी चाहिए अन्यथा उस धनी व्यक्ति की औरत को उस गरीब आदमी के घर ले जाकर डाल दो। उपाध्यक्ष महोदय, आप आश्चर्य करेंगे कि शाम पहले पहले उस गरीब आदमी की औरत उस धनी आदमी के पन्जे से छुड़ा कर उसके घर पर पहुँचा दी। इसलिये मेरे कहने का मतलब यह है कि जो भी काम हो वह सही ढंग से होना चाहिये और इसमें अगर कोई गलती करता है तो उसे दण्ड दिया जाना चाहिये चाहे वह सरकारी अधिकारी हो चाहे धनी सेठ। इसलिये अब मैं अन्त में यही निवेदन करके अपना स्थान ग्रहण कर लूंगा कि जैसाकि श्री श्रीराम गोटेवाला ने अपने संकल्प में बताया है कि इसका बोर्ड बनना चाहिये मैं उसका समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : सदन के उप नेता महोदय, श्री हरिदेव जोशी।

श्री हरिदेव जोशी (चिकित्सा मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों का बहुत ही आभारी हूं कि उन्होंने राजस्थान के मरुस्थल के विकास के बारे में अपने बहुमूल्य सुझाव दिये। उपाध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से आज वैज्ञानिक का युग है जब कि साइन्स और टैक्नोलोजी इतनी हदतक आगे बढ़ गयी है कि इस समय अब मानवता को इस प्रकार से पीड़ित रहना मनुष्य समुदाय को चुनौती देना है। उपाध्यक्ष महोदय राजस्थान का पश्चिमी भाग जिसमें जोधपुर डिविजन का अधिकांश भाग बीकानेर डिविजन का अधिकांश भाग तो क्या पूरा ही डिवीजन ले लीजिये इसमें आता है। यह पूरे इलाके अर्द्ध रेगिस्तान और रेगिस्तानी है।

उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि समय बहुत कम है इसलिये कहीं ऐसा न हो कि माननीय सदस्य मेरे ऊपर यह इलजाम लगाये कि मैंने काफी लम्बा समय लेकर हाई कोर्ट वाले प्रश्न के लिये समय कम कर दिया इसलिये मैं संक्षेप ही कह रहा हूं। मैं

(श्री हरिदेव जोशी)

माननीय सदस्यों की इस को भी बिलकुल गलत नहीं कहता लेकिन फिर भी इन वर्षों में राजस्थान सरकार द्वारा जो कुछ भी काम किया जा सकता था वह राज्य सरकार ने किया। मैं यह भी नहीं कहना चाहता कि जो सारा काम करना चाहिये था वह सारा का सारा काम हो गया। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश के आजाद होने के बाद में राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके की तकलीफों को मिटाने के लिये हमने कदम उठाये हैं। और राज्य सरकार द्वारा निष्ठापूर्वक इस तरफ प्रयत्न किये जा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान का एक ऐसा रेगिस्तानी इलाका है जहां पर एक तरफ तो स्केअर्सली पोपूलेटेड ऐरिया है, इसके अलावा वहां पर पीने के पानी की समस्यायें हैं, कुछ आवागमन की समस्यायें हैं तो राजस्थान के लिये यह एक बहुत बड़ी चुनौती का प्रश्न है। आज केरला में उपाध्यक्ष महोदय, एक टीचर के पास पचास विद्यार्थी पढने आते हैं लेकिन यहां पर राजस्थान के पश्चिमी भाग में एक टीचर के पास 7 लड़के भी पढने नहीं आते। क्योंकि पापूलेशन इस ऐरिया की बहुत स्केअर्स है। जहां उत्तर प्रदेश में एक हजार आदमियों और केरल में जहां कि थिकली पोपूलेटेड ऐरिया है बिजली के लिये दस हजार रुपया खर्च आता है वहां पर राजस्थान के इस इलाके में हमें एक लाख रुपया खर्च करना पड़ता है। उसी प्रकार सड़कों के लिये और दूसरी समस्याओं के लिये जैसे पीने के पानी की समस्या जो कि जन जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है आप जैसे यह कहते हैं कि वह भी हमें उपलब्ध नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय यह नितान्त आवश्यक है। मैं किस रूप से निवेदन करूं अगर मैं किसी दूसरे इलाके की बात करूंगा तो सदन के माननीय सदस्य कुछ इधर उधर समझेंगे। इसलिये मैं मेरे हो इलाके की बात करता हूं–डूंगरपुर, बांसवाड़ा जिस इलाके का मैं हूं वह रेगिस्तानी इलाका भी नहीं कहलाता और न ही अच्छी तरह विकसित ही है जो कि क्रोनाकली ड्रॉट प्रोन एरियाज है वह एरिया राजस्थान के पश्चिमी भू भाग से भी खराब हालत में है। लेकिन किसी एक इलाके का ही तो काम नहीं है हमें कोम्प्रोमाईज एफर्ट करके चलना चाहिये। और ऐसा काम करना चाहिये कि राजस्थान का यह भू भाग जो कि रेगिस्तानी है उसे अधिक से अधिक विकसित किया जाय। लेकिन इतने बड़े भू भाग का एक वर्ष में ही विकास हो जाय या एक दशक मे या दो दशक में विकास हो यह देखना है कि इसमें कितनी कमी रही है। इसमें यह भी देखना है कि कितना काम होगया है और अब कितना और समय इसमें लगेगा। लेकिन यह तो हमारे रिसोर्सेज पर निर्भर है। जिसको काम लेकर इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसके बारे में जो यह कहा गया है कि इस ओर कोई काम नहीं हुए है वह गलत है या जो भी प्रयत्न किये गये हैं इस ओर वह निरर्थक हैं। आज हमने भाखरा नहर और राजस्थान नहर निकाल के जो कि हमारे देश की सबसे बड़ी योजनायें हैं जिसके बनने से रेगिस्तान का काफी इलाका सरसब्ज हो जायेगा। इसलिये कहना कि

Page No 112

(श्री हरिदेव जोशी)

हमारे इलाके में काम नहीं हुआ यह मैं मान कर नहीं चल सकता। लेकिन जिस किसी माननीय सदस्य के इलाके में कम होता है तो वह कहने लग जाते हैं कि राजस्थान में कुछ नहीं हुआ है। मैं यह मान कर नहीं चल सकता। उपाध्यक्ष महोदय, अगर बीकानेर की लूणकरणसर तहसील में पीने के पानी की व्यवस्था की गयी है तो वह भी एक राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में से एक है तो हमें सभी प्रान्त को एक मान कर चलना चाहिये। हमें तो राजस्थान से रेगिस्तान को खतम करने की कल्पना करके चलना है हमने इस दिशा में काफी प्रयत्न किये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के पश्चिमी भाग के लोगों का जरियायेमास पशु पालन और खेती रहा है। जब अनडिवाईडेड इन्डिया था और जब उस समय अकाल पड़ता था तो रेगिस्तानी इलाके के लोग सिन्ध की तरफ चले जाते थे उस वक्त यह कमी महसूस नहीं करते थे लेकिन अब यह कमी महसूस करते हैं मगर ऐतिहासिक कारणों को भी हम नजरन्दाज करके नहीं चल सकते है इन 25 वर्षों में आर्थिक सामाजिक क्षेत्र के अन्दर काफी बड़े पैमाने पर काम हुए हैं। मैंने भाखरा और राजस्थान कैनाल की बात कही।

उपाध्यक्ष महोदय मैं घड़ी की ओर देखते हुए चलता हू। मन में सोचता हूं कि फिर मुझे माननीय यह नहीं कहें कि लम्बा बोल कर हाई कोर्ट की बात को कम समय दिलवाओगे। पूरी विगत में न आकर कहना चाहता हूं कि एक उदाहरण ले लीजिये पीने के पानी का। देश की आजादी से पहले जो बेसिक नैसेसिटी हैं हमारे पीने के पानी की उसकी हालत क्या थी और आज हाल क्या है। इन पिछड़े वर्षों में पीने के पानी के ऊपर करोड़ों रुपया खर्च किया गया है और हमारा यह प्रयत्न है कि पांचवी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक इस प्रकार के प्रोब्लेमेटिक एरियाज के अन्दर पीने के पानी की समस्या का समाधान कर दें। अगर राजस्थान सरकार रेगिस्तानी इलाके में और प्रोब्लेमेटिक इलाकों के अन्दर पीने का पानी पूरी तरह से दे दें तो मैं इसको बहुत बड़ी सफलता मानता हूं। और बहुत बड़ी सफलता होगी और एक ऐतिहासिक काम होगा। उस दिशा में आपने देखा होगा कि हमने कदम उठाये हैं और हम यह कोशिश कर रहे हैं कि पांचवी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक पीने के पानी की समस्या का समाधान हो जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से विकास का दूसरा आधार है अन्डर ग्राउन्ड वाटर का पता लगाना। यह केवल आजादी के बाद में सबसे पहली बार उस हिस्से के अन्दर प्रयत्न शुरू हुए और आज हम सब लोग यह कह सकते हैं कि रेगिस्तान के उस हिस्से में कहां कितना पानी है, अन्डर ग्राउण्ड वाटर अवेलेबल है या नहीं। रिसोर्सेज का पता सबसे पहले चलाना होता है और आज लगभग 150 से ऊपर ट्युबवेल उस इलाके में ड्रिल करके अन्डर ग्राउन्ड वाटर का पता लगाया गया। अब जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनका किस प्रकार और कैसे उपयोग किया जाय यह सेकिन्ड फेज हमारा शुरू होता है।

उपाध्यक्ष महोदय, चिकित्सा के क्षेत्र में आजादी से पहले क्या स्थिति थी और आज

(श्री हरिदेव जोशी)

क्या स्थिति है इसको आप भली भांति जानते हैं।

इसी प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में क्या हालत थी और क्या है मैं इस विगत में नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन मैं यह निश्चित रूप से मानता हूं कि जब तक गंगा का और यमुना का पानी राजस्थान के इलाके में नहीं आता है, जब तक नर्मदा का पानी जालोर और बाड़मेर में नहीं आता है, जब तक इस प्रकार की बड़े पैमाने पर योजना नहीं बनती है तब तक राजस्थान का मरुस्थल विकसित हो सके पूर्णरूप से यह दुराशा मात्र होगी। इसलिए यह हमारा प्रयत्न होना चाहिये कि गंगा का पानी, यमुना का पानी और नर्मदा का पानी राजस्थान को मिले और राजस्थान की प्यासी धरती की प्यास बुझाई जा सके।

आज जहां गंग कैनाल आयी, हम देखते हैं आज से 50 वर्ष पहले उस इलाके की हालत क्या थी और आज हाल क्या है? जहां भाखरा का पानी आया, आज से 25 वर्ष पहले वहां हालत क्या थी और आज हालत क्या है। दूर की बात क्या कहूं। जहां राजस्थान कैनाल खोदी जा रही है एक भी वहां पर मनुष्य का और पशु पक्षियों का जीवित रहना दुर्लभ था लेकिन धरती की शक्ल बदलेगा स्वरूप बदलेगा। मुख्य कोशिश इन मुद्दों को पूरा करने की है जिसके लिए राज्य सरकार प्रयत्नशील है। दूसरा अफोरेस्टेशन का है। जिसके द्वारा सेन्डयुल्स को सेटल करने का है। इस ओर भी हम प्रयत्नशील हैं। किन्तु प्रश्न यह है कि किस प्रकार का और कैसा हो।

माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव रखा है वह प्रस्ताव मैं समस्या का समाधान नहीं मानता। मैं उसे एक विचार मानता हूं। अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि यह प्रस्ताव एक भावना से रखा गया है। तेलंगाना की तरह अलग कौंसिल बनायी जाय जिसमें ऐसा मालूम पड़े की कोई अलगाव की भावना रखते हैं। मैं प्रस्तावक महोदय ने जो प्रस्ताव रखा है उसमें दुर्भावना देख कर नहीं चलता न उनकी नीयत में संदेह करना चाहता हूं किन्तु कुछ व्यवहारिक कठिनाइयां है यदि यह सदन यह पास करता है कि कौंसिल बना दी जाय तो आखिर वह किस प्रकार की हो, कैसी हो, उसके पावर्स क्या हों, उसको फन्ड्स दिये जायं अथवा एडवाईजरी हो अथवा एक्जीक्यूटिव हो अथवा क्या स्थिति हो, यह सब निश्चित न हो जाय तब तक इस प्रकार का प्रस्ताव पास करना एक प्रकार से वेस्ट चीज होगा। परन्तु इस डिबेट से गवर्नमेन्ट को एक लाभ हुआ है और वह यह है कि सदन की भावनाएं राज्य सरकार को मालूम पड़ी हैं वह एक उससे गाइडेन्स ले सकती है और डेजर्ट के डेवलपमेन्ट के लिये प्रयत्न कर सकती है कोई स्टेचुटरी बोर्ड बनाना अथवा नहीं बनाना, उसके लिये कोई फन्ड्स अलोकेशन्स से करना अथवा क्या करना। जो सक्टर है उन पर एम्फेसिस देना अथवा क्या करना है ये सारी चीजें हैं और आज की डिबेट से एक प्रकार से गाइड लाइन मिलती है। इसलिये प्रस्तावक महोदय से आग्रह करूंगा कि इस प्रस्ताव पर आग्रह न करके प्रस्ताव को वापिस ले लें। इसलिये कि गवर्नमेन्ट को इस दिशा में काम करने की अधिक खुली छूट रहेगी, अधिक अच्छे

(श्री हरिदेव जोशी)

ढग से जो करना है वह कर सकेगी। निश्चत रूप से गवर्नमेन्ट की ओर से माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमने पिछले वर्ष से डेजर्ट एरिया डेवलमेन्ट के लिये काम किया है उससे अधिक तत्परता और मुस्तैदी से उस क्षेत्र के लिये काम करना चाहता है इन्हीं शब्दों के साथ माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिये हैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं और प्रस्तावक महोदय से प्रस्ताव को वापिस लेने के लिये आग्रह करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री श्रीराम गोटेवाला।

(विराम)

(श्री श्रीराम गोटेवाला के खड़े होने पर) आप तशरीफ रखिये।

श्री उपाध्यक्ष : अमेण्डमेन्ट जिन्होंने मूव किये हैं वे पहले विथड्रा कर लें।

श्री श्रीराम गोटेवाला : पहले मुझे जवाब तो दे लेने दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : आपको फिर 3-40 पर।

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे इस संकल्प पर 16 माननीय सदस्यों ने अपने अपने विचार व्यक्त किये। हमारे उप नेता महोदय ने भी इस प्रश्न पर प्रकाश डाला है। मैंने भी जिस समय इसे प्रस्तुत किया था उस समय वित्त मन्त्री जी और अकाल राहत मन्त्री जी से भी कुछ निवेदन किया था पर चूंकि समय नहीं रहा और आपने समय निर्धारित कर दिया इसलिये इस बारे में डिटेल में नहीं जाना चाहता। पर इतना जरूर निवेदन करना चाहूगा कि इस संकल्प के पक्ष में ही सारे सम्माननीय सदस्य बोले हैं। उनमें इस के लिये तड़प है और वही तड़प माननीय उपनेता महोदय के दिल में भी दिखती है और मुझे भी आश्वासन दिया है और सदन में भी कहा है कि उनमें भी तड़प है राजस्थान के रेगिस्तान को समाप्त करने की। गंगा जमुना का पानी यहां लाने की। मैं उम्मीद करके चलता हूं कि गंगा को बाढ़ का पानी, जिसके पानी के लिये कल्पना करते हैं राव साहब कि उसको कावेरी से मिला दिया जावेगा, मेरा निवेदन है उनसे, कि कावेरी तो बहुत दूर की बात है, आप उस पानी को आसानी से राजस्थान को दे सकते हैं इसलिये अभी तो आप उस पानी को राजस्थान की सूखी प्यासी धरती को दीजिये। वह गंगाजल इस धरती को पिला कर इसे अमर कर दीजिये। हमारे दिमाग ये राजस्थान के आज के निर्माण दिवस पर आज इसकी तस्वीर रहनी चाहिये। आज के 30 मार्च के महत्वपूर्ण दिवस पर हम इस पुनीत संकल्प पर विचार कर रहे हैं और मेरे दिमाग में तो केवल एक ही संकल्प है कि हमारे राजस्थान का 65 प्रतिशत हिस्सा जो आज रेगिस्तानी है, वह रेगिस्तान समाप्त हो और हम इस पवित्र काम में अपने भाव को डिवोट कर दें, होम दें और संसार को यह दिखा दें कि रेगिस्तान को समाप्त करने में दुनिया में अकेला इसराइल ही नहीं है वह हैसियत राजस्थान के जुझारू लोग भी रखते हैं, वह हिम्मत इस धरती के पुत्रों मे भी है। इस धरती के सपूत इस काम को करने की स्थिति में भी हैं। मैं इस अवसर

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

पर यह निवेदन करके चलना चाहूंगा कि आज भले ही हम पश्चिमी हिस्से में हरित क्रान्ति न कर पावें, पर श्वेत क्रान्ति तो कर ही सकते हैं। हमारे इस पश्चिमी भूभाग में पशुधन इतनी बड़ी संख्या में और इतनी उत्तम नस्ल का है कि जिसके ठीक तरह से पालन पोषण की भी व्यवस्था हमने करदी और केवल चारा और पीने के पानी के लिये भी स्थाई व्यवस्था कर दी तो जहां आज हमें गुजरात और गुड़गांव से दूध पीने के लिये मंगाना पड़ता है जो हमारे लिये बड़े शर्म की बात है, उससे हम छुटकारा ही नहीं पा लेंगे, वरन काफी बड़े देश के भूभाग को हम अपने यहां का दूध पिला सकेंगे और इस पर आधारित अनेक प्रकार के उद्योग धन्धों का यहां जाल बिछा सकेंगे और इस तरह से यहां पड़ने वाली अकाल की काली छाया का भी काला मुंह कर सकेंगे।

मेरे इस संकल्प का आशय एकमात्र यही था कि हम संगठित रूप से इस बात का प्रयास करें और इस पूरे राजस्थान को हरा भरा और समृद्ध बना दें। राजस्थान की आज की हालत को बदलने का संकल्प राजस्थान सरकार के पांचवीं योजना के प्रारूप में भी दिया हुआ है। आज राजस्थान हर क्षेत्र मे पिछड़ा हुआ है उसके पिछड़ेपन को दूर करने के लिये उपनेता महोदय ने दृढ़ता को बात कही है और संकल्प जाहिर किया है। इस बारे में उनसे एक बात का आश्वासन चाहते हुए जो आदेश उन्होंने दिया है इस संकल्प को वापिस लेने के लिये।

श्री हरिदेव जोशी : मैंने आदेश नहीं या है, प्रार्थना की है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं आपके हर शब्द को आदेश मानता हूं। इसलिये मैं कहता हूं कि एक बात के लिये जरूर आप हमें आश्वासन देंगे कि गंगा के बाढ़ का जो पानी है और जो पानी वेस्ट जाता है कम से कम इस बात के लिये तो राजस्थान सरकार भरोसा दिला दे कि उसका पूरा पूरा उपयोग राजस्थान की धरती की प्यास को बुझाने में किया जावेगा और आज घग्घर की बाढ का पानी और भरतपुर में जमुना के बाढ़ का पानी का जो मसला है, उसमें घग्घर के लिये आपने छः करोड़ की योजना बनाई थी उसको पूरी दृढ़ता से, लगन से और पूरी तड़प से कार्यान्वित करेंगे और आपके पास एरिट जोन्स इन्स्टीट्यूशन की जो रिपोर्ट है उसके सारे सुझावों को क्रियान्वित करने में सक्रिय और दृढ़ प्रयास करेंगे और इसके लिये इस प्रकार की लगनशील चुस्त मशीनरी का गठन करेंगे जिसके दिमाग में राजस्थान को विकसित करने की पूरी पूरी लगन हो और जो इन सारे कामों के लिये अपने आपको होम दे।

मैं मानकर भी चलता हूं कि मेरी इस बात को लेकर मेरे साथी माननीय सदस्य छंगाणीजी और दूसरे दूसरे राजस्थान के प्रतिनिधिगण, देश की हमारी प्रधान मन्त्री से भी मिले थे और यह साफ साफ उन पर प्रकट कर दिया था कि इस रेगिस्तानी भूभाग का पूरा पूरा विकास होना चाहिये और इस तरह से यह भी बता दिया कि हमारे दिमागों में कहीं पर भी कोई क्षेत्रीयता की भावना नहीं है। हमारे दिमागों में इस तरह की क्षेत्रीयता की बात पैदा करने की जो बात करते हैं उनसे मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

चाहता हूं कि वे राजस्थान के मित्र नहीं हैं शत्रु हैं। हमारे में किसी प्रकार की न कोई क्षेत्रीयता की बात है, न और बात है। केवल मात्र एक ही बात है और वह है कि राजस्थान पिछड़ा हुआ नहीं रहना चाहिये राजस्थान का रेगिस्तान समाप्त होना चाहिये। जो मिनरल वेल्थ जो धरती का धन धरती में पड़ा है उसे बाहर आकर इस भूभाग को समृद्धि की ओर ले जाना है। हमारे यहां के सारे संसधानों का पूरा पूरा उपयोग हमें करना है और यहां के पिछड़ेपन और गरीबी को दूर करना है।

अब जैसा उपनेता महोदय ने बताया इस सारे काम को करने के लिये चाहे कौंसिल के रूप में कोई संगठन बना कर इस दृढ़ता से चलायें या किसी रूप में भी करें। उन्होंने इसके लिये एक संगठित रूप से प्रयास करने की बात कही है तो उनकी भावना का आदर करते हुए मैंने जो संकल्प प्रस्तुत किया था उसको मैं वापिस लेने की स्वीकृति चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : संशोधन प्रस्ताव रखने वालों को पूछना चाहता हूं कि आया वे विथड्रा करना चाहते हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : आश्वासन तो दे दें माननीय उपनेता महोदय।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : जब मूल संकल्प ही वापिस ले रहे हैं तो अमेन्डमेंट वापिस लेने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता वे तो ओटोमेटिकली ड्राप हो जाते हैं।

श्री केदारनाथ : मूवर के रिप्लाई के बाद इन अमेण्डमेंट का कोई सेंस नहीं है।

श्री हरिदेव जोशी : इसके लिये सदन की सहमति है।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की यह अनुमति है कि संकल्प वापिस लिया जाय।

(स्वीकृत)

श्रीराम गोटेवाला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना संकल्प वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : संकल्प वापिस हुआ।

श्री मीठालाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना संकल्प प्रस्तुत करना नहीं चाहता।

श्री उपाध्यक्ष : आप नहीं पेश करना चाहते ?

श्री मीठालाल : जी नहीं।

राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ जयपुर में स्थापित करने सम्बन्धी संकल्प

श्री उपाध्यक्ष : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय मैं निम्न संकल्प प्रस्तुत करता हूं : "सदन की यह राय है कि राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ जयपुर में स्थापित की जावे"।

हाई कोर्ट के प्रश्न को लेकर काफी दिनों से काफी उत्तेजना चल रही है। वैसे तो 4 जुलाई, 1958 को राजस्थान कैपिटल एन्क्वायरी कमीशन की रिपोर्ट के बाद जयपुर से हाई कोर्ट बैंच का जनाजा

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)
निकल गया था और इसकी कब्र खोद दी गई थी ।

श्री मोहनलाल छंगाणी : आप उस पर मरसिया गा रहे हो।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : और इसके बाद हर साल उसका मरसिया पढते चले आ रहे हैं। हर साल यह प्रश्न आता है। बहुमत से आता है और चला जाता है। चार जुलाई के बाद राजस्थान के 176 एम. एल. ओ. में से 106 ने इसके लिये आवाज उठाई।

श्री मोहनलाल छंगाणी : कइयों ने विथड्रा कर लिया। यह कहा जा चुका है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : 106 एम. एल. ए. ने हस्ताक्षर किये और यह अपनी राय उन्होंने जाहिर की कि हाई कोर्ट की बेंच जयपुर से न हटाई जावे। इस सत्र में भी 118 सदस्यों ने अपनी राय जाहिर की कि हाई कोर्ट की बेंच जयपुर से न हटाई जावे और आज भी 118 न हों और 58 में 106 न हों, लेकिन यह तो कोई इन्कार नहीं कर सकता कि राज करने वाले पक्ष के 145 सदस्यों में भी एक राय नहीं है इस पर, उनमें भी दो रायें हैं। और एक पक्ष अपना गंभीर मत रखता है इसका एक आकार है जो कहता है कि हाई कोर्ट की बेंच जयपुर में रहनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न हाई कोर्ट की बेंच का नहीं है। यह प्रश्न जिस रूप में आज तक चला आया है इसने एक प्रजातन्त्र के प्रश्न के रूप में आकार प्राप्त कर लिया है। प्रश्न यह है कि इस आदरणीय सरकार में जिसकी मर्यादायें जिसकी विचारधारा की हम चर्चा करते हैं बार बार उसको ऐसा क्यों होना चाहिये उसको माननीय सदस्यों की भावनाओं का आदर करना चाहिये या नहीं। अगर नहीं करते तो फिर प्रजातन्त्र का क्या अर्थ रह जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, हर बार यह प्रश्न जब सदन में आया है हमें हाई कोर्ट के इतिहास में जाना पड़ा है। इस बेंच के पिछले इतिहास में जाना पड़ा है। कैपिटल इन्क्वायरी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और इसके जो सदस्य थे सत्यनारायण राव और उस समय के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस श्री जस्टिस वांचू वे ला कमीशन के भी सदस्य थे। कैपिटल इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट के अन्दर उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि हम ला कमीशन के भी सदस्य हैं और ला कमीशन की चौथी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई 56 में। कैपिटल एन्क्वायरी कमेटी का निर्माण 10/11 जुलाई 57 को हुआ और इससे पहले पटेल कमेटी की भी रिपोर्ट आई ला कमीशन की यह दृढ धारणा थी कि सारे भारतवर्ष में एक एन्टीग्रेटेड हाई कोर्ट बनना चाहिये और कैपिटल इन्क्वायरी कमेटी के सदस्यों ने इस बात को स्वीकार किया जो कि मैं, अगर आप चाहें तो सदन में पढ़ कर सुना दूं कि चूंकि हम लॉ कमीशन के भी सदस्य रहे हैं इसलिये उसकी रिपोर्ट की पूरी छाया हमारे उपर है, पूरा इन्फलूएन्स हमारे ऊपर है, पूरा प्रभाव हम पर है और उसी के अनुसार अगर आप इसके सारे क्लाजेज में

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

जायं, कैपिटल एन्क्वायरी कमीशन की रिपोर्ट के अन्दर तो जो उन्होंने विचार ला कमीशन में प्राप्त कर लिये, उन विचारों पर अन्त तक दृढ रहे। उन्होंने आंकड़े इकट्ठे किये उसी के टर्म्स आफ रैफरैन्स जो कैपिटल इन्क्वायरी कमेटी की है, उसको टिवस्ट किया और जो उनकी भावना बन गई थी जो वायस बन गई थी, उस टर्म्स आफ रैफरैन्स को भी टि्वस्ट किया। जैसा कि मैं सारा का सारा पढ़ कर बताऊँ। उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्ट कह दूं जो फोर्थ कमेटी है उसकी एक भी सिफारिश सारे भारतवर्ष में कहीं नहीं मानी। एक भी सिफारिश जो फोर्थ ला कमीशन ने प्रस्तुत की है जिससे प्रिजूडिस होकर कमेटी ने सिफारिश की आज एक भी सिफारिश नहीं मानी। अगर इस फोर्थ ला कमीशन की रिपोर्ट को मान लिया जाता तो सारे हिन्दुस्तान का नक्शा अलग होता। आज महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल, पंजाब, उत्तर प्रदेश में कुछ और स्थिति होती।

आज मध्य प्रदेश जहां नागपुर के अन्दर बैंच है जिसको रिट लेने का अधिकार है, जिसको अपील लेने का अधिकार है। रिट दायर होती है, अपील दायर होती है। अगर वहां आज नागपुर की बेन्च हटाली जाती तो विदर्भ के लोग कहां जाते? आज जबलपुर और इन्दौर में बेन्च नहीं रखी जाती? आज उत्तर प्रदेश के अवध की स्थिति नजर नहीं आती और वे उसी प्रकार नजर नहीं आती? अवध के जमाने से हमारी बैंच चली आती है। इसका इतिहास महत्वपूर्ण है इसको अधिकार दें और आज अधिकार प्रदान किये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान का जन्म 19 रियासतों के इन्टीग्रेशन से हुआ और माननीय, वल्लभ भाई पटेल ने 30 मार्च, 1949 को उद्घाटन किया। एक नवम्बर, 1956 के अन्दर अजमेर मर्ज हुआ। 26 जनवरी, 1950 से जब संविधान लागू हो गया तो राजस्थान (बी) स्टेट बन गया और उस के (बी) स्टेट बनने के पश्चात् ही हाई कोर्ट आर्डिनेन्स ने जन्म लिया और इसी सेक्शन 10 (1) के तहत यह स्पष्ट अधिकार दे दिया गया कि 'High Court shall sit at Jodhpur and at such other place or places as the Rajpramukh may from time to time appoint either permanently or for specified period'. यह उस आर्डिनेंस की मुख्य धारा है 10 (1) और इसी के अनुसार उपाध्यक्ष महोदय राजप्रमुख ने जयपुर के अन्दर बेन्च कायम की, उदयपुर में बेन्च कायम की और जब बाद में काम का अधिक भार आया तो बीकानेर और कोटा में बेन्च कायम की और इनके पेन्डिग कैसेज के निपटाने के मामले थे और जब सारे कैसेज का निपटारा हो गया तो 10(1) के तहत उन्हीं राजप्रमुख महोदय के आदेश है 8 मई, 1955 को और इसके साथ जब राजस्थान (बी) क्लास डिक्लेयर हो गया तो उन्होंने दो इन्टेगरेटेड हाई कोर्ट के नाम का रूप प्रस्तुत हो गया और उनमें उदयपुर, बीकानेर के कैसेज जोधपुर में सम्मिलित कर दिये गये और जयपुर में कोटा के केसेज सम्मिलित कर दिये गये।

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं उस समय के चीफ जस्टिस ने इसी आर्डिनेन्स के सेक्सन 44 सब क्लाज (2) के तहत मोहर लगा दी। 26 नवम्बर, 1952 को उन्होंने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया और उस नोटिफिकेशन के अनुसार हाई कोर्ट की बेन्च जयपुर के अन्दर एस्टेब्लिश हो गई। उपाध्यक्ष महोदय उस बेन्च का रूप आप देखें और उस बेन्च की स्थिति देखें और उस बेन्च के कायम होने के बाद न कहीं से प्रोटेस्ट हुआ और न कहीं से ऐतराज हुआ सारे के सारे केसेज पहले डिफरेन्ट केसेज निपटा दिये गये और जस्टिस वान्चू ने क्लियर कट नोटिफिकेशन जारी किया सारे रैवेन्यू केसेज इन दो कोर्ट्स में चले जायेंगे–जोधपुर और जयपुर। जयपुर की बेन्च का रूप क्या था, कुल 7 जजेज थे जिनमे तीन जोधपुर को हाई कोर्ट में बैठते थे और चार जजेज जयपुर की बेन्च में बैठते थे और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एक महीने में पूरे एक सप्ताह जयपुर में रहते थे।

उपाध्यक्ष महोदय, अगर केसेज के आंकड़े देखें तो अब एक नवम्बर, 1956 को अजमेर का मर्जर राजस्थान में हुआ तो अजमेर की ज्यूडिशियल कमिश्नरीज थी वह सारी की सारी जयपुर में मर्ज हो गई और स्थिति यह थी कि जहां अजमेर वालों को 150 मील दूर जाना पड़ता था वहां अब केवल 82 मील दूर आना पड़ा और जयपुर में हाई कोर्ट की बेन्च से विशेष सुविधाएं प्राप्त हुईं लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, जब यह कैपिटल एन्क्वायरी कमेटी कायम हुई और अगर आप इसके टर्म्स आफ रेफरेन्स को देखें तो इस एन्क्वायरी कमेटी का जन्म क्यों हुआ। अजमेर के राजस्थान मे मर्जर होने के बाद अजमेर की समस्याओं के लिए हुआ था। अगर मैं टर्म्स आफ रेफरेन्स पढ़कर सुनाऊं तो बड़ा स्पष्ट और क्लियर है। इसके टर्म्स आफ रेफरेन्स में यह स्पष्ट है कि अजमेर के कैपिटल बनने के सम्बन्ध में विचार किया जाय अजमेर में हाई कोर्ट लाने के सम्बन्ध में विचार किया जाय। अजमेर का अधिकार किन किन आफिसेज से है, कौन कौन से डिविजनल आफिस कायम किये जायं। इसके टर्म्स आफ रेफरेन्स में यह भी है जो डिफरेन्ट बेन्चेज हैं राजस्थान में, उनको रखा जाय, कम किया जाय या समाप्त किया जाय। इस टर्म्स आफ रेफरेन्स से एक बात स्पष्ट होकर सामने आती है और वह यह है कि भारत सरकार के सामने यह चित्र नहीं था कि जोधपुर की हाई कोर्ट और एक उसकी बेन्च जयपुर में है और बाकी सारी बेन्चें समेट ली गई हैं। उनके सारे पेन्डिग केसेज मिटिगेट कर दिये गये हैं। उदयपुर डिविजन और बीकानेर डिविजन के केसेज जोधपुर में भेज दिये गये और कोटा डिविजन के सारे केसेज जयपुर के अन्दर आ गये। यह स्पष्ट हो जाता है कि जहां बेंच का सवाल टर्म्स रेफरेन्स में आता है, इन सारे टर्म्स आफ रेफरेन्स को देख लीजिये। यह प्रश्न नहीं था कि जयपुर से बेंच हटा दी जाय या जोधपुर से बेंच हटा कर अजमेर के अन्दर ले आया जाय। प्रश्न यह था कि बाकी राजस्थान को क्या दिया जाय और उसकी जगह अजमेर को क्या दिया जाय। यह राजस्थान और अजमेर का प्रश्न था लेकिन हमारी कैपिटल इन्क्वायरी कमीशन के सदस्य एक्स्ट्रा रिजिलेन्ट थे। ला कमीशन के अन्दर जो

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

उन्होंने अपने विचार रखे थे वह पूरी तरह से उनके दिमाग के ऊपर छाये हुए थे। उन्होंने हाई कोर्ट की बैंच के सम्बन्ध में आंकडे इकट्ठे किये। सन् 1956 से लेकर 1958 तक के आंकड़े इकट्ठे किये। उसमें यह कहा कि जोधपुर के अन्दर केसेज ज्यादा होते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में नहीं आता कि अजमेर की जुडीशरी के आंकड़े उन्होंने बीच में क्यों नहीं जोड़े जब कि अजमेर की जुडीशरी जयपुर के अन्दर मर्ज हुई और फिर सारे उन्होंने विचार ला कमीशन के सामने रखे लेकिन ला कमीशन को यह विचार उनके दिमाग में कहां से खिसक गया कि हाईकोर्ट वहीं होना चाहिए जहां कि कैपिटल हो। ला कमीशन ने यह स्पष्ट बात रखी थी और कोई मिसाल नहीं है हिन्दुस्तान के अन्दर मैं चेलेन्ज के साथ कहता हूं कि कहीं हाई कोर्ट कैपिटल में नहीं हो। एक ही मिसाल है राजस्थान की जहां कि हाई कोर्ट कैपिटल के अन्दर नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, जोधपुर और जयपुर के लोगों में कोई मतभेद नहीं था। जब अजमेर के अन्दर हाई कोर्ट जाने का प्रश्न हुआ तो सितम्बर, 1959 के अन्दर बार कौंसिल जोधपुर और बार कौंसिल जयपुर ने मिल कर प्रस्ताव पास किया और उसके अन्दर इस स्थिति को अच्छी और उपयुक्त स्थिति माना, इस बात को स्वीकार किया कि हाई कोर्ट जोधपुर के अन्दर और बैंच जयपुर के अन्दर फंक्शन करे और एक लैटर उन्होंने उस समय के माननीय मुख्य मंत्री महोदय श्री मोहनलालजी सुखाड़िया को भी दिया। उपाध्यक्ष महोदय लेकिन स्पष्ट है और उसका उत्तर, चीफ मिनिस्टर ने दिया, जो कि उस समय का उनका एटीट्यूड बताता है। उस समय तक कैपिटल इन्क्वायरी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट नहीं दी थी। सुखाड़ियाजी का एक पत्र है–

Letter No. 7088/Contr/56/
Sept. 22/24 1956.

My dear General Secretary,

Received your telegram dated 20th Sept., 56. I think, due to some press reports, rumours about the shifting of the Jaipur Bench of High Court to Ajmer is gaining ground. I may however, assure you that the Raj. Government is not to favour of shifting the High Court Bench from Jaipur.

This has been made clear whenever the question came up for consideration.

With regards,

Yours sincerely,
M. L. Sukhadia.

उपाध्यक्ष महोदय, 9 दिसम्बर, 1954 को राजस्थान की केबिनेट ने सर्वसम्मति से रेज्योल्यूशन किया और वह रेज्योल्यूशन लिया गया जस्टिस वांचू साहब के डी. ओ. लैटर के ऊपर। यह डी. ओ. लैटर 1953 के अन्दर जब इसी केबिनेट ने हाई कोर्ट के लिए 10 लाख रुपया को स्वीकृति दी। सन् 1954 के अन्दर उसी हाई कोर्ट का

(श्री योगेन्द्र नाथ हांडा)

फाउण्डेशन स्टोन श्री गोविन्द वल्लभ पंत के द्वारा रखाया गया तब 1953 अगस्त के अन्दर डी. ओ. लेटर वांचू साहब ने चीफ सेक्रेटरी को लिखा और चीफ सेक्रेटरी ने यह डी. ओ. लेटर केबिनेट के अन्दर प्रस्तुत किया। इस डी. ओ. लेटर के अन्दर उन्होंने अपनी वह ला कमीशन वाली बात कही कि इन्टीग्रेटेड हाई कोर्ट चाहिए उन्होंने यह बात कही कि एकोमोडेशन नहीं है। उन्होंने यह भी बात कही कि दो लाइब्रेरी बनानी पड़ेगी उन्होंने यह बात कही कि इन्टीग्रेटेड हाईकोर्ट होना चाहिये। उनके लेटर के सारे प्रास एण्ड कान्स के ऊपर केबिनेट ने विचार किया और 9 दिसम्बर, 1954 को यह फर्म डिसीजन लिया कि हाई कोर्ट की बिल्डिंग का निर्माण आरम्भ होगा जयपुर में और तेजी से हाईकोर्ट की बिल्डिंग बननी शुरू हो गयी।

4 जुलाई, 1958 से पहले कोई ख्वाबो ख्याल के अन्दर भी यह प्रश्न नहीं था, किसी के दिमाग में नहीं था, न केबिनेट के दिमाग में था और न राज्य सरकार के दिमाग में था। यह सारी की सारी खुराफात केपटिल इन्क्वायरी कमीशन ने पैदा की और केवल राजस्थान में पैदा की। सारे भारतवर्ष के अन्दर कहीं भी पैदा नहीं की।

उपाध्यक्ष महोदय, केपिटल इन्क्वायरी कमीशन की रिपोर्ट के बाद बहुत सारे तत्वों ने अपना पार्ट प्ले करना शुरू कर दिया। उपाध्यक्ष महोदय आज क्या स्थिति है? आज भी जब कि हम बहुत गम्भीर प्रश्नों के ऊपर निर्णय ले रहे हैं और सारा भारत वर्ष एक ऐसा निर्णय ले रहा है जिसका कि इम्पेक्ट इस समाज के हर वर्ग के ऊपर पड़ने जा रहा है एक खेत के अन्दर काम करने वाले मजदूर पर, एक मण्डी के अन्दर मसक्कत करने वाले धानके के ऊपर, एक फैक्ट्री के आंगन पर काम करने वाले मजदूर के ऊपर और एक अरबपति के ऊपर। सब के ऊपर उस फैसले का इम्पेक्ट पड़ने वाला है। उपाध्यक्ष महोदय, जो कुछ तत्व यह चाहते हैं, आन्दोलन की यह दिशा जो सारा का सारा देश पकड़ता जा रहा है वह दिशा बदलनी चाहिये। बहुत गहरा मतलब है। सारा आन्दोलन और सारी स्थिति का आपको अवलोकन करना पड़ेगा। आपके कुछ निर्णय सिद्धान्त के अनुसार लेने पड़ेंगे और वह निर्णय आपको अपनी पालिसी की रक्षा के लिए लेने पड़ेंगे। आज इस बैंच की तरफ बड़े लैण्डलार्ड्स और भूपति और सेठ एक जुट होकर उनके विरुद्ध उठाये गये कदमों के विरुद्ध जनता के ठोस आन्दोलन को फेल करने के लिए एक वातावरण सारे देश में पैदा कर रहे हैं। आपके सामने तेलंगाना की मिसाल है। वहां किन लोगों का आन्दोलन है? वहां किन लोगों ने डंडे खाये हैं? कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ने कन्धे से कन्धा मिला कर बड़े से बड़ा आक्रोश बरदाश्त किया है। वहां पर किन के दफ्तर जलाये गये? रोडवेज के दफ्तर जलाये गये, रेवेन्यू रेकर्ड को जलाया गया। किन लोगों को जरूरत थी कि यह जला दो? उन लोगों को जरूरत थी कि सीलिंग कानून होने से जिनकी जमीन छिनने वाली थी, जिनकी बसें छिनने वाली थीं। आज जनसंघ जो कि अखण्ड भारत की बात करता है देश के 40 टुकड़े कराना चाहता है...

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जनसंघ देश के टुकड़े कराना चाहता है यह बात कभी नहीं कही।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : आप पत्थर धरिये छाती पर।

श्री मनोहरलाल : आप तो हाई कोर्ट की कहिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : हाई कोर्ट के बारे मे कह रहा हूं और आपकी जलन के बारे में भी कह रहा हूं। मैं जानता हूँ कि आपको हाई कोर्ट बेंच इतनी तंग नहीं कर रही है जितना अनाज का थोक व्यापार कर रहा है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अनाज के थोक व्यापार का यहां कोई प्रश्न नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : आप जनता को हाई कोर्ट के आन्दोलन की तरफ मोड़ रहे हैं।

श्री दीपंकर : खूब खेल खेल रहे हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : हाई कोर्ट की बात नहीं है। यह अन्दाज ही दूसरे हैं। आज गिरधारीलालजी भार्गव दल से निकल जायें, सदन में गायब हो जायें और यह कह दें कि हम उपनेता की बात नहीं मानते और 15 मिनिट के बाद बात मान जाये··

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं यह मानता हूं कि हाई कोर्ट की बैंच के बारे में विचार किया जायेगा। वह विचार नहीं करना चाहते थे।

श्री दीपंकर : माननीय सदस्य हवा-महल से आते हैं। हवा में बात करने वाले हैं इनकी तरफ ज्यादा तवज्जोह नहीं दी जाये।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : उपाध्यक्ष महोदय, यहां जनसंघ के दो दिग्गज नेता रहे, सतीशचन्द्र जी और भैरोंसिह जी। और इस सदन में सन् 52 से लेकर 72 तक रहे। और 72 में एक नौजवान ने उनको परास्त किया। किस लिए किया ? उन्होंने हाई कोर्ट बैंच के लिए···

श्री गिरधारीलाल भार्गव: हाई कोर्ट की बैंच के लिए भैरोंसिह जी ने कहा है

(शोरगुल—अश्रव्य)

नौजवान ने क्या परास्त किया, वह तो इन्दिरा जी की हवा ने परास्त किया है।

(निरन्तर शोरगुल—अश्रव्य)

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : आप तो इन्दिरा जी की हवा को ही मान लीजिए। इन्दिरा जी को मान लिया तो हम समझ लेंगे कि सबको मान लिया।

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलते रहे—भयंकर शोरगुल)

(अश्रव्य)

श्री दीपंकर : इन बातों में कुछ नहीं रखा है। इनमें खुद में मतभेद है। गुमानमल जी लोढ़ा अलग हैं। उनको तो यहां भिजवा दो।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह गुमानमल जी लोढ़ा का प्रश्न नहीं है। कांग्रेस और जनसंघ का कोई प्रश्न नहीं है।

(निरन्तर शोरगुल–अश्रव्य)

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : मैं बोल रहा हूं तो आप क्यों बोल रहे हैं ? आपकी भी बारी आएगी।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : खेतसिंह जी से पूछ लीजिए उनके क्या विचार हैं ?

(मा. स. श्री गिरधारीलाल भार्गव एवं श्री मोहन छंगाणी एक साथ बोलते रहे–अश्रव्य)

श्री मोहनलाल छंगाणी : खेतसिंह जी का क्या नाम लेते हो, आप तो अपनी बात करो।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : इस प्रकार से खेतसिंह जी ने...

(निरन्तर भयंकर शोरगुल–अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : खेतसिंह जी ने इस सम्बन्ध में लोबिंग किया है कांग्रेस के व्हिप ने लोगों के पास जा-जा कर बात की है। क्या यह अच्छी परम्परा है ?

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलते रहे–अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं यहां पर मौजूद हूं जनसंघ की ओर से, गुमानमल जी का यहां प्रश्न नहीं है। मैं यहां पर कह रहा हूं कि जयपुर में हाई कोर्ट की बैंच होनी चाहिए।

श्री मोहम्मद गफ्फारअली : उपाध्यक्ष महोदय, यहां इश्यु हाई कोर्ट का है इस बारे में ही डिबेट होनी चाहिए।

(निरन्तर कई मा. सदस्य बोलते रहे–अश्रव्य)

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : यह कह रहा था कि राज्य करने वाले लोगों को कम से कम यह मौका नहीं देना चाहिए प्रतिक्रियावादी शक्तियों को कि आज जो देश की प्रगति में...

श्री मोहनलाल छंगाणी : प्रगतिशील शक्तियों को भी यह मौका नहीं लेना चाहिए कि वे इस तरह की भाषा में बोले जो कि दुश्मन की भाषा जैसी लगे।

(भयंकर शोरगुल–अश्रव्य)

आपकी आवाज भी दुश्मन की आवाज से तो नहीं मिलती है ?

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीया : ओन ए पोइन्ट आफ आर्डर सर। आसन की तरफ से आदेश होना चाहिए। हाउस डिस्टर्ब हो रहा है, डिबेट डिस्टर्ब हो रही है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : मैं यह कहना चाहता हूं कि हाई कोर्ट की मांग है यह बड़ी जस्टीफाइड है और इसको लेकर और

(श्री योगेन्द्र नाथ हांडा)
इसके सम्बन्ध में किसी क्षेत्रीय विवाद को भड़काने का और विभाजन की भावना को भड़काने का यह मौका प्रतिक्रियावादी शक्तियों को नहीं देना चाहिए। कोई मांग नहीं कि जोधपुर से हाई कोर्ट हटा दी जावे। मांग केवल एक बैंच कायम करने की है। आज हम जब पढ़े लिखे नौजवानों की बेरोजगारी की बात करते हैं तो जहां हजारों डाक्टर और इन्जीनियर और शिक्षित बेकारों की बेकारी की बात करते हैं तो वहां मेहरबानी करके आप कुछ पढ़े लिखे हजारों नवजवान वकीलों को भी देखिए। इन डाक्टर्स और इन इन्जीनियर्स के साथ साथ, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एक हजार वकील जयपुर में आज बेरोजगार घूम रहे हैं गली गली में और जिनकी आमदनी सौ डेढ़ सौ से ज्यादा नहीं है...

श्री मोहनलाल छंगाणी: हाई कोर्ट की बैंच आने से कौनसी बेरोजगारी रुकेगी ?

(भयंकर शोरगुल—कई मा. सदस्य एक साथ बोलते रहे)।

(अश्रव्य)

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : क्या फर्क पड़ जाएगा ? आपके द्वारा सदन से पूछना चाहता हूं कि अगर हाई कोर्ट की बैंच जयपुर में आ जायेगी तो क्या जोधपुर की जनता को इससे फर्क पड़ जाएगा ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य अब आप जल्दी समाप्त करिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : उपाध्यक्ष महोदय, एक रोजगार...

श्री दीपंकर : यह हाई कोर्ट बैंच की मांग जयपुर वाले सेठों के ऐजेन्ट कर रहे हैं और प्रतिक्रियावादियों के साथ देकर देश के टुकड़े कराना चाहते हैं।

(भयंकर शोरगुल—कई मा. सदस्य एक साथ बोलते रहे)

(अश्रव्य)

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत आपत्तिजनक है, माननीय सदस्य को अपने शब्द वापिस लेने पड़ेंगे।

(अनवरत शोरगुल—अश्रव्य)

माननीय सदस्य ने हमको सेठों का एजेण्ट कहा है।

श्री हरिदेव जोशी : उपाध्यक्ष महोदय...

श्री जयकिशनलाल : हम क्षेत्रीय आधार पर टुकड़े नहीं कराना चाहते हैं। जयपुर भी राजस्थान का हिस्सा और जोधपुर भी राजस्थान का हिस्सा है...

श्री उपाध्यक्ष : आप तशरीफ रखिए।

श्री जयकिशनलाल : बीच में जो फर्क डालना चाहते हैं यह नहीं हो सकता है।

(निरन्तर शोरगुल—अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक मिनिट मैं भी अर्ज करना चाहता हूं। जिस संकल्प के बारे में आप इतने उत्सुक थे और

(श्री उपाध्यक्ष)
इतना महत्वपूर्ण मानते हैं कि जिसके विचार के बारे में इतना विवाद हुआ, जिसको आप विचार के लिए लेना चाहते थे और जब विचार का समय आया तो आप इस प्रकार से पारस्परिक विवाद में इतना समय ले रहे हैं इससे तो कोई अच्छाई नहीं होगी।

श्री हरिदेव जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रार्थना माननीय सदस्यों से मैं भी करना चाहता हूं···

(व्यवधान–शोरगुल–अश्रव्य)

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीया : आसन से व्यवस्था होनी चाहिए कि डिबेट रिस्टर्ब नहीं हो।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री हरिदेव जोशी : पहले ऐसा समझा जाता था कि शायद मैं इस प्रस्ताव को सदन में डिस्कस नहीं होने देना चाहता हूं लेकिन वह चीज स्पष्ट हो गई कि केवल एक प्रकार से हमारे ऊपर लांछन लगाने की बात थी। जैसा कि सदन के अन्दर साढ़े तीन बजे से अपने को इस प्रस्ताव को डिस्कस करना है। सदन में दो प्रकार की राय है इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ यूनिफाइड हाई कोर्ट के पक्ष में हैं और दूसरे बैंच यहां हो इस पक्ष में हैं। माननीय सदस्य जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वे उत्तेजना में आवें यह ठीक नहीं लगता है। अच्छा नहीं मालुम पड़ता है। मैं यह प्रार्थना करूंगा कि कोई भी चाहे प्रस्तावक हों वे भी अथवा दूसरे भी, इस पक्ष के भी सदस्य हैं, किसी के लिए भी यह बात नहीं है कि जिसमें उत्तेजना आवे और कड़वापन पैदा हो। आज यह कड़वापन पैदा करके हम एक बहुत ही बुरा उदाहरण पैदा कर रहे हैं जो अनुचित है। आप जो कुछ कहना चाहते हैं तर्क संगत कहिये। अगर लोजिक आपके साथ में है तो वह प्रभावित करेगा। हल्ला गुल्ला कभी प्रभावित कर नहीं सकेगा। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि कौन क्या करता है और कौन क्या नहीं करता है इसमें न जाकर हाई कोर्ट की बैंच क्यों होनी चाहिए और बैंच क्यों नहीं होनी चाहिए, यह बात कहिये।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : उपाध्यक्ष महोदय, लाडनूं से आने वाले माननीय सदस्य ने जो शब्द कहे हैं वे तो कार्यवाही में से निकाल दिए जाने चाहिए।

(कई माननीय सदस्य एक साथ इसकी मांग करते रहे–अश्रव्य)

माननीय सदस्य ने जयपुर के सदस्यों को सेठों का एजेन्ट कहा है। लाडनूं से आने वाले माननीय सदस्य अपने शब्द वापिस लें वह हमारे पर गम्भीर आरोप है।

श्री हरिदेव जोशी : मैं माननीय सदस्यों से···

श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास : जो इन्होंने कहा है कि एजेन्ट हैं यह शब्द कार्यवाही से हटाये जावें। यह बहुत गम्भीर बात है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : वे और हम एक ही दल के सदस्य हैं। हम सेठों के हैं तो वे किन के एजेन्ट हैं ?

श्री हरिदेव जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इन माननीय सदस्य की ओर से जो

(श्री हरिदेव जोशी)

उन्होंने जो कुछ कहा है वापस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप जल्दी समाप्त करें। (श्री हाण्डा की ओर मुखापेक्ष)

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : मैं अधिक समय नहीं लेते हुए…

श्री उपाध्यक्ष : श्री हांडा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं अपने भाषण को समाप्त करूंगा।

मैं क्षमा चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय कि मेरा यह इरादा नहीं था कि कोई माननीय सदस्य उत्तेजित हों। मैंने अपनी विचारधारा सिद्धान्त के मुताबिक, अपने पक्ष को प्रस्तुत किया है। जो मैं और मेरी पार्टी महसूस करती है वह बात रखी और अन्त में मैं यह कहूंगा कि जहां तक हाईकोर्ट बैंच जयपुर में स्थापित करने का प्रश्न है, चाहे गोविन्द नारायण हों, चाहे अशोक सेन हों, जो कि भारतवर्ष के लॉ मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने यह स्थिति स्वीकार की है। अशोक सेन की स्पीच 25 सितम्बर, 66 की है। हाई कोर्ट का जो कन्वेन्शन हुआ और वहां पर उन्होंने जो स्पीच दी है, जो शब्द कहे हैं वह मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा।

"When I was the Law Minister of the Govt. of India I presided over the conference of Law Ministers in 1966. That Conference decided not to accept the recommendations of the Law Commission that the High court of the each State should be located only at one place. We had before us the example of U. P., M.P. Maharashtra and Pun-Jab and in all these States High courts Concerned sits in more than one place and for very good reasons."

उपाध्यक्ष महोदय, यह केवल श्री नगर में भारत के लॉ मिनिस्टर की कान्फ्रेंस नहीं हुई थी, यह सारे भारतवर्ष के सारी स्टेट के लॉ मिनिस्टर्स की कान्फ्रेंस हुई था जिन्होंने फोर्थ ला कमीशन की रिपोर्ट को आउट राइट रिजेक्ट किया था और यूनाइटेडली हाईकोर्ट थीसिस को अस्वीकार किया था और यह माना था कि हाईकोर्ट की बेन्चेज हो सकती हैं और ये बेन्चेज वेरियस प्लेस पर फंक्शन कर सकती हैं। और ये बेन्चेज वेरियस प्लेस पर फंक्शन कर सकती है फिर मेरी समझ में नहीं आता है कि इतना वेल एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है, उसको क्यों नहीं माना जा रहा है। हाईकोर्ट जोधपुर में रहे और चार जजेज, हाईकोर्ट के जज की बेन्च जयपुर में हो जावे तो क्या दिक्कत की बात है? चार जजेज को, पांच जजेज को रिट के राइट्स थे, अपील सुनने के राइटस थे उस हाईकोर्ट की बेन्च को जो पहले जयपुर में ही थी, 4 जुलाई 1958 को एक कैपिटल इन्क्वायरी कमेटी, जो कि एक बायस कमेटी थी, उसकी रिपोर्ट के आधार पर हटा दिया गया। पहली बार यह प्रश्न

(श्री योगेन्द्र नाथ हांडा)
सन् 57 में उठा था । उस समय सदन के नेता, उस समय के राज्य के मुख्य मंत्री को सदन को अपने विश्वास के अन्दर लेना चाहिए था । दोनों पक्षों के बारे में सदन के अन्दर विचार करते और विचार करके इस सम्बन्धी कोई निर्णय लेते । अब यह प्रश्न दुबारा उठा है 62 में । उस समय यह प्रश्न दो टूक तरीके से हल किया जा सकता था । यही प्रश्न तिबारा उठा सन् 67 में तब भी इस पर निर्णय लिया जा सकता था परन्तु अब यह चौथी बार प्रश्न उठा है और इसका निर्णय लिया ही जाना चाहिए...

श्री उपाध्यक्ष : जितना आपका भाषण लम्बा होगा उतना ही हाईकोर्ट की बैंच का प्रश्न लम्बा होता जाएगा । कृपया जल्दी समाप्त करें ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय मैं अपना भाषण समाप्त करूं उसके पहले कान्स्टीट्यूशन आफ इंडिया के आर्टीकल 225, इस आर्टीकल को सदन में पढ़कर सुनाना चाहता हूं । जिसके अन्दर यह स्पष्ट कहा गया है कि सुप्रीम डिसीजन जो है वे इस सदन के हैं और यही बात हम आज भी कहते हैं । जिस प्रकार के जजमेन्ट हमारी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने दिए हैं उनसे हमारे प्रोग्रेसिव कदमों को बाधा पहुंची है । परन्तु हमारी पालियामेन्ट विधानसभा सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट से सुप्रीम है । इसके बारे में हमारे संविधान का आर्टिकल 225 स्पष्ट है इसको पढ़कर में समय जाया नहीं करूंगा । मैं इतनी ही प्रार्थना करूंगा कि इस प्रश्न पर चाहे गुप्त बैलेट हो या चाहे उदयपुर की सुरम्य, सुन्दर वनों के अन्दर बसी झीलों में हमारे उपनेता महोदय इसका निर्णय करवायें जोधपुर और जयपुर की क्षेत्रीय भावनाओं को समाप्त कर के देश के अन्दर बढ़ते हुए प्रगतिशील कदमों को रुकने न दें और यह आन्दोलन फूट डालने वाले, क्षेत्रीयवादी भावना फैलाने वाले और देश के पृथकतावादी लोगों के हाथों में न जाने दें । मेरा अंत में यही निवेदन है कि इस सदन की भावनाओं को देखते हुए इस पर निर्णय लें ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री झाबरमल सूंडा !

श्री झाबरमल सूंडा (फतेहपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो हाईकोर्ट बैंच का प्रश्न है, उस पर मैं बहुत थोड़ा ही बोलना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय, जिस वातावरण में यह हाईकोर्ट बैंच को बात सामने आई है, वह विचारणीय है । जब नये सिरे से राज्य चालू किया गया, नये सिरे से सत्ता संभाली गई तो बहुमत जिन जिन डिवीजन का था उन्होंने एक बात यह सामने रखी, उदयपुर और जोधपुर के लोगों ने मिल जुलकर इस राजस्थान पर राज्य करने की बात सोची और फिर चीजों को बांटने लगे । मुख्य मंत्री उदयपुर का हो, राजधानी जयपुर में रहे और समूची को समूची हाई-कोर्ट जोधपुर को मिले । उसके बाद आज भी इन लोगों को यह भय है कि हमारा यह पुराना गठबन्धन कहीं कमजोर न हो जाए इसलिए हाईकोर्ट की बैंच जयपुर में स्वीकार करने की बात के समय यह प्रश्न इनके दिमाग में आता है ।

एक माननीय सदस्य : क्या आप छोटे राजस्थान की बात कह रहे हैं ?

श्री झाबरमल सूंडा : उपाध्यक्ष महोदय, मिनिस्टर महोदय ने जयपुर में बैंच रखने की बात को इस सदन में रिजेक्ट कर दिया। मैं इस बात को समझ नहीं पाता हूं कि मुकदमों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है परन्तु इस ओर भी नहीं सोचा जा रहा है। जोधपुर में पापुलेशन ज्यादा होती तो वहां के लोग भी अपने केस को प्लीड करने के लिए आते। परन्तु हमारे राजस्थान में सारी पापुलेशन इस ढंग से है, एप्रोच का भी साधन इस ढंग से है कि सब को जयपुर नजदीक पड़ता है। अगर हाईकोर्ट की बैन्च जयपुर में स्थापित हो जावे तो लोगों को सुविधा मिलेगी। इसके लिए सदस्यों की संख्या, जजों की संख्या भी बढ़ानी पड़े तो बढ़ानी चाहिए। उदयपुर और जोधपुर के सदस्यों से मेरा निवेदन है कि वे इस में किसी तरह की आनाकानी और अड़चन पैदा नहीं करें और मंत्री महोदय ने जो मेरिट ग्राउन्ड पर इसको रिजेक्ट किया है वे फाल्स हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और निवेदन करना चाहता हूं, चाहे कोई कांग्रेस के हों, चाहे अपोजोशन के मेम्बर हों, उसमें एक बात महत्वपूर्ण है कि जो सारी की सारी पार्टी अन्तरात्मा पर गठित की गई है, मैं यह चाहता हूं कि उनके अन्दर में भी जो कांग्रेस पार्टी में बैठे हैं उनकी अन्तरात्मा भी यह कहती है कि जयपुर में हाईकोर्ट की बैन्च स्थापित होना चाहिये तो उनको छूट दे देनी चाहिए उनको अपनी बात कहने के लिए, वरना अन्तरात्मा पर गठित पार्टी की अन्तरात्मा मर जाएगी। उनको खुला मौका दीजिए बोलने का नहीं तो मतदान करने का उस संकल्प पर जो कि सदन में प्रस्तुत हुआ है ताकि यह सदन इस संकल्प को बेझिझक स्वीकार कर सकें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल भार्गव।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवा महल, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जो पहले जयपुर में था उसको ही वापस जयपुर में लाने की बात कह रहा हूँ। जोधपुर में था वह वहीं पर रहे। तो कोई चीज जोधपुर से वापस लाने की बात में यहां नहीं कह रहा हूँ। जो चीज यहां पर थी और उसको उठाकर जोधपुर ले गए उसको वापस यहां पर लाने के लिये ही मैं यहां पर निवेदन कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि राजस्थान बहुत बड़ा है। यह एक लाख बत्तीस हजार तीन सौ स्क्वायर मील के क्षेत्र में है। दो करोड़ पचास लाख इसकी जन संख्या है और उसमें एक ही हाईकोर्ट हो और उसमें तीन चौथाई जनता अजमेर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, कोटा, बूंदी, झुंझुनूं, सवाई माधोपुर, झालावाड़, सीकर और टोंक में है और जो एक सीमावर्ती नगर है जोधपुर वहां पर हाईकोर्ट है। हाईकोर्ट पहुंचने के लिए राजस्थान के लोगों को 250 मील, 400 मील की दूरी तय करनी पड़ती है, 24 घंटे का सफर तय करना पड़ता है। तो लोगों का यह समय खराब न हो उस सम्बन्ध में हमको विचार करना चाहिए।

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जयपुर में 1958 तक यहां पर बेंच थी। जिसको कि हम जयपुर में पुनःस्थापित करने की बात करते हैं; और यह बेंच 58 में समाप्त कर दी गयी। उस समय जयपुर में चार जजेज बैठते थे, दो जोधपुर में बैठते थे और तीन जस्टिस जयपुर में भी बैठते थे और जोधपुर में भी बैठते थे इसके बाद बेंच एवालिश कर दी गई। 58 तक 11 जिलों के सारे के सारे वर्कलोड, सारे के सारे मुकद्दमों का भार जोधपुर की हाईकोर्ट को स्थानान्तरित कर दिया गया। वहां हाई कोर्ट में यह भार बढ़ा है। यह प्रश्न यों तो सन् 47 में राजस्थान बना तो राजस्थान जिस समय बना तो जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, और कोटा में बेंचें स्थापित कर दीं, तत्काल उसके बाद 8 मई 1954 में उदयपुर, कोटा और बीकानेर को बैन्चेज को समाप्त करके एक तो जोधपुर में और उसकी जो बेंच है वह अस्थाई रूप से जयपुर में होगी। इस प्रकार की व्यवस्था कर दी। उसके बाद 9–12–54 को मंत्रि-मंडल ने निर्णय लिया चीफ जस्टिस के अनुरोध पर कि जोधपुर में हाईकोर्ट रहे और जयपुर में बेंच रहेगी और इसके लिए जयपुर में एक नया भवन बनाया जाना चाहिए उस भवन के लिए महाराजा सवाई मानसिंहजी से सस्ते दरों पर जमीन ली गई और हाईकोर्ट भवन बनाया गया। आज भी लोग तांगे वाले, रिक्शे वाले उसे नई हाई कोर्ट की बिल्डिंग से पुकारते हैं चाहे आप उसमें चिकित्सा विभाग खोल दें; चाहे उसमें कृषि विभाग खोल दें, चाहे उसका नाम कृषि भवन कर दें। वह नई हाईकोर्ट की बिल्डिंग 10 लाख रुपये में बनी। जिस समय वह बनी तो उसकी नींव वह भी कोई मामूली आदमी ने नहीं रखी। श्री गोविन्द वल्लभ पंत ने जो उस समय यूनियन में गृहमंत्री थे भारत सरकार के उन्होंने उसकी नींव रखी। तब तक कोई प्रश्न नहीं आया। अब वहां पर बिल्डिंग बन गई, तैयार हो गई और अब कोई कहे कि स्थान नहीं है। आपको खुद को पता है कि जयपुर में जौहरी बाजार में जो गोलीकाण्ड हुआ था उसकी जांच करने के लिए जो वेरी कमीशन नियुक्त किया गया था तो उसकी बैठकें वहां पर होती थीं और लोग वहां जाते थे तो मालूम पड़ता था कि माननीय वेरी साहब को यहां पर ही बैठा दिया जाय और जयपुर में हाई कोर्ट की बेंच आ जाय तो नुकसान होने वाला नहीं था, और यह मालूम पड़ता था कि आज न्यायालय के काम में यह बिल्डिंग आ रही है। भगवती प्रसाद जी वेरी वहां पर बिराजते थे।

उसके बाद न कोई उसका विरोध हुआ और न क्षेत्रीय भावना से कहीं पर निर्णय हुआ। केबिनेट ने निर्णय लिया और जयपुर और जोधपुर के सारे वकीलों ने निर्णय लिया सर्व सम्मति से 22 सितम्बर, 1956 को और यह प्रस्ताव पास कर दिया कि यह जो व्यवस्था केबिनेट ने की है कि जोधपुर में हाई कोर्ट की सीट रहे और जयपुर में उसकी बेंच रहे इसमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। उस समय के तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री मोहनलालजी सुखाड़िया ने एक, डी. ओ.

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
लिखा संख्या 70/80/कान्फीडेन्शल।56 डेटेड 22 सितम्बर, 1956 जिसमें बार एसोसियेशन के मंत्री को यह लिखकर दिया है कि जयपुर से हाई कोर्ट की बेंच हटाने का कोई प्रश्न पैदा नहीं होता। यह था कि जोधपुर में हाई कोर्ट रहे और जयपुर में बेंच रहे। इस निर्णय को जयपुर और जोधपुर के लोगों ने सर्व सम्मति से स्वीकार किया था। वकीलों ने भी स्वीकार किया था।

आज बड़े खेद का विषय है कि सदन में इस प्रकार का वायुमंडल बनाया जाय लेकिन जोधपुर की जनता से जाकर पूछा जाय और यह कहा जाय कि जो चीज तुम्हारे पास पहले थी वह कन्टीन्यू रहे और जो चीज हमारे पास थी जयपुर में वह चीज केवल वापिस आ जाय, उसको वापिस ले जाना चाहते हैं, तो मैं समझता हूं और दावे के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान की जनता, मैं पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान का फर्क उपस्थित नहीं करना चाहता, न मालूम किस कारण से पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान का फर्क लाया जा रहा है, कोई फर्क नहीं है, वहां की जनता से मतदान कराया जाय तो लोग यही कहेंगे कि जोधपुर में हाई कोर्ट की सीट रहे तो हमारा काम चल रहा है और यदि पूर्वी राजस्थान की जनता को सस्ता न्याय इस आधार पर मिलता है, इस बेंच के ले जाने से तो मैं निवेदन करूंगा कि पश्चिमी राजस्थान की जनता का जहां तक प्रश्न है उनको किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है, लेकिन नेता लोग इसके बारे में पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान के नाम पर बेंच नहीं आने देना चाहते तो मैं समझता हूं कि कम से कम जो पढ़े लिखे और बुद्धिमान लोग हैं उनको विचार करना चाहिए।

मैं निवेदन करूंगा कि अजमेर के राजस्थान में मिलने के बाद जयपुर राजधानी रहे या अजमेर राजधानी रहे राजस्थान की तो उसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी का नाम था केपिटल एन्क्वायरी कमेटी न कि हाई कोर्ट एन्क्वायरी कमेटी। केपिटल एन्क्वायरी कमेटी केवल इस बात के लिए थी सीधी सादी कि वह यह तय करे कि जयपुर राजस्थान की राजधानी रहे या अजमेर राजस्थान की राजधानी रहे। तो उस केपिटल एन्क्वायरी कमेटी ने अपने विषय से बाहर जाकर यह व्यवस्था कर दी राजधानी कहां पर हो इस बात की एन्क्वायरी, केपिटल एन्क्वायरी कमेटी ने नहीं की–कि जयपुर की हाई कोर्ट की बेंच को एबालिश कर दिया जाय। यह उसका विशेष क्षेत्र नहीं था। उसको किसी प्रकार से इस प्रकार का फैसला करने का अधिकार नहीं था। क्योंकि उस केपिटल एन्क्वायरी कमेटी के चैयरमैन जो ला कमीशन बना था उस लॉ कमीशन के मेम्बर थे, और उस ला कमीशन को यह कहा गया था कि हाईकोर्ट की बेंचेज होनी चाहिए या नहीं इस बारे में निर्णय दें। ला कमीशन ने आखिरकार रिपोर्ट दी वह रिपोर्ट भारत सरकार के पास जाने वाली थी। ला कमीशन ने रिपोर्ट दी लेकिन ला कमीशन की रिपोर्ट भारत सरकार ने अस्वीकार कर दी कि हम तुम्हारी रिपोर्ट नहीं मानते। बेन्चेज के एबालिशन के बारे में वह सारे भारतवर्ष के बारे में लिखा है वह केवल राजस्थान के बारे में ही नहीं

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
बना था। वह केवल राजस्थान के बारे में ही नहीं बना था वह सारे भारतवर्ष के लिए था कि कहां पर बेन्चेज होना चाहिए। और कहां पर नहीं होना चाहिये भारत सरकार ने उसको अस्वीकार कर दिया। लॉ कमीशन की बात को खत्म कर दिया, लेकिन कैपिटल एन्क्वायरी कमेटी के जो चेयरमैन थे उनसे जयपुर शहर के नागरिकों ने और पूर्वी राजस्थान की जनता ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की ताकि जयपुर की बेंच समाप्ति हो जाय इस बात का निर्णय अपने पक्ष में न कर लें। उस समय विधान सभा के 176 सदस्य थे वह चुनकर आये थे। अब भी जो चुनकर आये हैं उनमें से 118 माननीय विधायकों ने दस्तखत किये और संसद सदस्यों ने जोर डाला है। एक बार दस्तखत कर दें उनको वापिस लेना कोई मजाक नहीं है। एक बार दस्तखत कर दिये तो यह सोच-समझकर हस्ताक्षर किये हैं किसी के दबाव से नहीं किये हैं कि वापिस ले लें। वापिस लेने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। यदि एक सज्जन वापिस भी ले लें तो 118 के स्थान पर 117 रह जायेंगे। 187 में से 117 विधायक दस्तखत करें। उस समय जब यह प्रश्न आया तो वह चेयरमैन थे उन्होंने अपने साथियों को मनवा लिया, लेकिन उस समय भी 176 सदस्यों में से 107 सदस्यों ने लिखकर दिया कि जयपुर से बेंच न हटाई जानी चाहिए, लेकिन उन 107 सदस्यों की भावनाओं पर विचार नहीं किया और जयपुर से बेंच हटा ली गई। लेकिन ला कमीशन की रिपोर्ट का यह हवाला देते हैं जिसमें कहा गया था कि बेन्चेज एवालिश कर देना चाहिए, उसकी रिपोर्ट के बाद भी ग्वालियर में हाई कोर्ट की बेंच बनी इन्दौर में बनी मध्य प्रदेश में, नागपुर में बनी, दिल्ली में बनी, केरल जैसी छोटी स्टेट में दो बेंचें हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट दूसरी बेंच खोलने जा रहा है, तो आखिर में केवल राजस्थान में ही ला कमीशन की रिपोर्ट को अक्षरशः सत्य मानकर यह कहा जाय कि लॉ कमिश्नर ने यह कहा है कि बेंच नहीं होना चाहिए। ला कमिशन की रिपोर्ट को भारत सरकार ने रद्द कर दिया। जिस भारत सरकार ने ला कमिशन बैठाया था उस भारत सरकार ने उस ला कमिशन की रिपोर्ट को रद्द कर दिया। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि वह रिपोर्ट रद्द हो गई ला कमीशन की रिपोर्ट रद्द होने के आधार पर जब भारतवर्ष में कई स्थानों पर बेंचेज खोली गई हैं तो इस गरीब राजस्थान की जनता ने ऐसा कौनसा अपराध किया है कि उसको जयपुर और जोधपुर का प्रश्न बनाया गया। उसको नहीं बनाना चाहिए। जोधपुर की जनता यह प्रश्न नहीं बनाना चाहती है। जो चीज हमारे पास थी उसको ही हम वापस मांग रहे हैं।

जयपुर में हाई कोर्ट की बेंच के लिए आन्दोलन चलना चाहिए और राजस्थान की जनता को सस्ता न्याय मिलना चाहिए। और मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इस प्रश्न पर भारत के राष्ट्रपति ने भी कहा है (समय समाप्ति-सूचक-घण्टी) कि यह अन्याय है। श्री गोविन्द मैनन, और श्री गोखले जो वर्तमान में भारत सरकार के ला मेम्बर हैं उन्होंने यह कहा है, वाई. आर. चव्हाण,

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
राजबहादुरजी, जगन्नाथ पहाड़िया आदि ने कल दिल्ली में कहा था कि हाई कोर्ट की बेंच जयपुर में होना चाहिए। पटना हाईकोर्ट के भूतपूर्व चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, कृष्णा मैनन और ए. के. जैन साहब ने कहा है और जिस समय 117 विधायकों ने हस्ताक्षर करके दिये इस बारे में तो उन्होंने आश्चर्य प्रकट किया···

श्री उपाध्यक्ष : (शोरगुल) आर्डर, आर्डर प्लीज !

श्री गिरधारीलाल भार्गव : इतनी बात हो जाने के बाद यहां के राज्यपाल महोदय श्री जोगेन्द्रसिंह ने, जगतनारायणजी की रिपोर्ट के साथ भारत सरकार को रिपोर्ट भेजी है देश के प्रधानमंत्री के पास। इसलिए मैं कहूंगा कि इस सम्बन्ध में गम्भीरता से विचार करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : आपको प्रस्ताव का समर्थन करना है और लोग भी बोलने वाले हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनिट में समाप्त करता हूं। सुखाड़िया जी ने कहा है, बरकत जी ने कहा है, चन्दनमल जी वैद ने स्वीकार किया है। आखिर रामचन्द्र चौधरी ने भी स्टेटमेण्ट दे दिया कि सभी को सस्ता न्याय मिल जायेगा। एक ही स्थान पर बैठ कर फैसला करने की बात कहते हैं। जहां तक लाइब्रेरी का सवाल है, जयपुर की जनता की ओर से, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, जिस प्रकार की लाइब्रेरी है, रामचन्द्र जी चौधरी जिसकी बात करते हैं तो मैं दावे से यह कहता हूं कि चन्दा करके, भीख मांग कर जयपुर में लाइब्रेरी कायम करा कर रहूंगा।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

मैं निवेदन करूंगा कि वकीलों ने अदालतों का बहिष्कार कर रखा है। उन्होंने जो बेंच की मांग की है, उसको प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बना कर, जो थी उसी को वापिस लाना चाहते हैं। सरकार उसको प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाये। सरकार आज यह घोषणा करे। जयपुर में हाई कोर्ट की बेंच बनाने के लिए सरकार को कोई प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री श्रीराम गोटेवाला !

श्री मूलचन्द सामरिया : सभी 5, 5 मिनट बोल लें।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं 2 ही मिनट बोलूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, गंगानगर से आये हुये माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज राजस्थान स्थापना दिवस है। इस अवसर पर आज 24 वर्ष के बाद भी हम क्षेत्रीयता की भावनाओं में पड़े रहें तो मैं समझता हूं कि हमारा जो लक्ष्य है, जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, उससे हम दूर हो जायेंगे। जो लोग मुल्क का विभाजन और प्रदेश का विभाजन करना चाहते हैं, हम उनके हाथों के खिलौने हो जायेंगे। मैं उन सभी लोगों को जो समझदार लोग हैं, जोधपुर, बीकानेर, गंगानगर, उदयपुर के हैं, उन सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि यह जयपुर जोधपुर का मसला नहीं है। जयपुर राजधानी है। मैं सभी सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं। जनता ने जिनको चुन कर भेजा है। जो लाखों लोगों के नुमाइन्दे हैं। उसी प्रकार

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

का उनका आचरण होना चाहिए। मैं देखता हूं, सारे दलों की भावनाओं को लेकर सारे दलों के ऊपर आरोप लगायेंगे, तो मैं समझता हूं कि हमारे मन के अन्दर धोखा है। हम स्वयं सही नहीं हैं। हाइकोर्ट बैंच के बारे में मैं कहना चाहूंगा सुखाड़िया जी ने सत्यनारायण राव आयोग के सामने जो गवाही दी है, उन्होंने कहा है, जयपुर में हाईकोर्ट बेंच होनी चाहिए। हाईकोर्ट जोधपुर में रहनी चाहिए। जहां तक जोधपुर की बात है, हम उन को अपना अग्रज मानते हैं। मैं उनको विनम्रता से यह कहना चाहता हूं कि सम्पूर्ण राजस्थान का ध्यान रख कर चलें। हम से कोई ऐसा कदम नहीं उठ जाये जिससे राजस्थान की एकता को खतरा पैदा हो जाये। जोधपुर का विकास आप कीजिये। कहीं से इसका कोई मतभेद नहीं हो सकता है। हम से जो कुछ होगा। सदन के सारे माननीय सदस्य अपने आपको अर्पित करने के लिए तैयार हैं। किन्तु हम छोटी सी बात को लेकर बैठ गये हैं। जयपुर में हाईकोर्ट की बैंच हो। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जोरों से डिमाण्ड चल रही है कि मेरठ के अन्दर हाईकोर्ट की बैंच की स्थापना की जाये। वहां का वातावरण देखते हुये, मैं यह निश्चित कहता हूं कि वहां पर हाईकोर्ट की बैंच कायम होगी। केरला में इस फैसले के बाद बैंच कायम हुई है। ग्वालियर में हुई है, इन्दौर में हुई है। मैं निवेदन करूंगा कि इसको मूंछ का प्रश्न नहीं बनाया जाये। मैं इसी शहर की बात कहता हूं। जितने नये बंगले जयपुर में बने हैं, उनमें अधिकांश जोधपुर वालों के बंगले बने हैं।

एक माननीय सदस्य: इनके तो मूंछ है नहीं।

श्री श्रीराम गोटेवाला: मैं मानता हूं कि मूंछ नहीं है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि...

एक माननीय सदस्य : कहीं ऐसा न न हो जाये कि आप भी छंगाणी जी के साथ हो जायें।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं तो यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की 2 करोड़ 56 लाख जनता यह नजर रखती है कि किस प्रकार से हम विकास में अपने आपको जुटाते हैं। हमारी जोधपुर से कोई नाराजगी नहीं है। जयपुर में पढ़ा हूं। स्वर्गीय जयनारायण व्यास के नेतत्व में वर्षों काम किया है। वह जयपुर डिवीजन से जीते हैं। हमारे नेता हैं। आपको बड़प्पन कायम रखना चाहिए। इस प्रकार छोटी मोटी बातों में नहीं पड़ना चाहिए। जयपुर में हाईकोट की बैंच स्थापित की जानी चाहिए।

एक माननीय सदस्य! कोटा की मांग भी होगी।

श्री श्रीराम गोटेवाला : इस मांग को पूरा करने के लिए हम सब को मिलकर प्रयत्न करना चाहिए। बिना किसी कटुता का वातावरण पैदा किये करेंगे तो निश्चित रूप से राजस्थान की हम बहुत बड़ी सेवा करेंगे। आज का दिन राजस्थान की स्थापना का दिवस है। राजस्थान को एक रखना है। राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिए हम को संकीर्ण और क्षेत्रीय वाद की भावनाओं से ऊंचा उठना होगा।

श्री मोहनलाल छंगाणी : क्या माननीय सदस्य

श्री श्रीराम गोटेवाला: आपकी मंशा क्या है। नीयत से तो आप भी चाहते हैं।

श्री मोहनलाल छंगाणी : आप गलत कह रहे हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : आप चाहते तो हैं। इससे में निवेदन करना चाहता हूं कि आप सन्तुलन कायम रखें। हमें आप का बड़प्पन स्वीकार है। मैं आप को यहां के लोगों का नेता मानता हूं। आप मेहरबानी कर। जयपुर में हाकोर्ट बेंच कायम करने के लिए अपना योगदान दें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जनार्दन सिंह गहलोत !

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य योगेन्द्रनाथ हांडा ने जो संकल्प रखा है, मैं सर्वप्रथम उसका समर्थन करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हाईकोर्ट का प्रश्न इस विधान सभा में आज पहली बार ही नहीं आया है। यह प्रश्न 1948 से लेकर अब तक बना हुआ है। यह प्रश्न नागरिक भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ है। यह प्रश्न किसी एक माननीय सदस्य या विधायक का नहीं है। यह जयपुर, कोटा डिवीज़न के डेढ़ करोड़ लोगों का प्रश्न है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि केरला जैसा प्रदेश अगर जयपुर डिवीज़न को देखा जाये या बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट क्षेत्र से केरल स्टेट का क्षेत्र कम है। केरल स्टेट आज हमारे बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट से छोटा है लेकिन निश्चित तौर पर वहां दो बेंच हैं।

श्रीमती मदन कौर : बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट छोटा नहीं है।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : मेरा मतलब क्षेत्रफल से है। बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट का क्षेत्रफल केरल स्टेट से ज्यादा है।

श्री दिनेश राय डांगी : जैसलमेर कह दें।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : ऐसी स्थिति के अन्दर मेरे कहने का मतलब यह है, भावना हमारी यह है कि जहां छोटे से स्टेट के अन्दर दो बेंच हो सकती है और दूसरी तरफ राजस्थान चारों तरफ से जिन प्रान्तों से घिरा हुआ है, गुजरात है, मध्यप्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, वहां पर भी हाई कोर्ट की बेंच हैं...

श्री मोहनलाल छंगाणी : बेंच के सवाल पर और भी सदस्य बोलना चाहते हैं। आप सदन का इतना समय ले रहे हैं।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : आज हमारे राजस्थान ....!

श्री श्रीराम गोटेवाला : मानते हैं आपको, आपको तो आदर दे रहे हैं।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : राजस्थान के अन्दर काफी दूर दूर से हाई कोर्ट में न्याय पाने के लिए जाना पड़ता है। आम नागरिकों के लिए आप कहना चाहते हैं....

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : (श्री मोहनलाल छंगाणी से) पुरानी बुसशर्ट पहनकर आये हैं।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : यह न तो कोई प्रश्न यहां पर बैठे हुए सदस्यों का है, न इसमें अमीर और गरीब का प्रश्न है। यह तो साधारण जनता का प्रश्न है। काफी लम्बे चौड़े क्षेत्र को जोधपुर में हाईकोर्ट होने से सस्ता न्याय नहीं मिल पाता है। काफी बड़े क्षेत्र के लोगों को राजस्थान के काफी दूर दूर के हिस्सों से जोधपुर न्याय मांगने के लिए जाना पड़ता है। हमारी यह भावना नहीं है कि जोधपुर में हाई-कोर्ट या कोई चीज पड़ी है उसे जयपुर में लायें। ऐसी भावना नहीं है, हमारी ऐसी नीयत नहीं है। हमारा अलग प्रश्न है। हाई कोर्ट की बेंच के प्रश्न पर 118 सदस्यों के दस्तखत हुए उसमें जोधपुर के सदस्यों ने भी बड़ी उदारता के साथ में दस्तखत किये हैं। हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, तो उन्होंने आगे बढ़कर हाथ बढ़ाने की कोशिश की। वे नाराज नहीं हों, यह न सोचें कि हाई कोर्ट जयपुर लाने जा रहे हैं। हम हाई कोर्ट की बेंच जयपुर में लाना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने हमारे साथ हस्ताक्षर किये हैं। हम कहना चाहते हैं कि आपने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था तो दोस्ती के हाथ को पुनः वापिस क्यों लेना चाहते हैं। मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि हम दोस्ती का हाथ बढ़ाये रखना चाहते हैं। हम राजस्थान के अन्दर आन्ध्र और तेलंगाना की स्थिति नहीं बनाना चाहते हैं। बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर का कुछ भाग डेजर्ट एरिया है। आप राजस्थान की पूंजी में से, बजट में से अधिक पैसा लेकर जोधपुर में लगा दें–इसका जयपुर क्षेत्र का हर विधायक उदारता के साथ समर्थन करेगा। हम इसका भी समर्थन करेंगे कि और किसी चीज की आवश्यकता हो तो आप जयपुर डिवीजन से ले जायें, कोई कार्यालय, राजस्थान नहर का या और कोई कार्यालय जोधपुर में ले जायें।

श्री मोहनलाल छंगाणी : हमारे यहां विकास पर बिल्कुल पैसा नहीं लगाया है।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : हमारे यहां पैसे के अन्दर कटौती करनी है तो राज्य सरकार करे......

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : फलौदी में राजस्थान केनाल विभाग खुलवा दें।

श्री मोहनलाल छंगाणी : असेम्बली ले जायेंगे यहां से।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : इस प्रश्न को इस सिद्धांत के आधार पर मानिए। इस प्रश्न के ऊपर इस आधार पर विचार करना चाहिए कि गरीब लोगों को सस्ता न्याय मिले। यह प्रश्न कई बार आ चुका है और इसके समर्थन में कई विधायक हैं। हम नहीं चाहते हैं कि इस पर गुप्त मतदान हो या खुला वोटिंग हो यहां पर क्षेत्रीयता की भावना उभर कर आये। मैं निश्चित तौर से मान कर चलता हूं कि तमाम पूर्वी राजस्थान के विधायक एक हो जायं, तो 108 माननीय सदस्य आते हैं, मैं बीकानेर डिवीजन के साथियों से निवेदन करूं, उदयपुर के साथियों से निवेदन करूं कि मतदान में हम निश्चित् तौर से जीत सकते हैं। लेकिन हम यह

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)
परम्परा नहीं डालना चाहते हैं कि किसी भावना के पीछे यहां पर विभाजन हुआ और कांग्रेस के लोगों ने अलग अलग मतदान किया।

श्री मोहनलाल छंगाणी : यह कभी भी आप मत रखिये।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : राजस्थान सरकार में हमारे नेता बैठे हैं। भारत सरकार में हमारे नेता बैठे हैं। मैं निवेदन करूंगा, बड़ी गम्भीरता के साथ इस पर विचार करें.....

श्री मुंशीलाल महावर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय..

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : हमारा एक मन हो हमारा एक मत हो। हम यह नहीं चाहते कि मन अलग हो और मत अलग हो मेरा निवेदन है कि मैंने बातें रखी हैं उन बातों को ध्यान में रखते हुए इस बात का समर्थन करें।

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज!

श्री मुंशीलाल महावर : माननीय सदस्य ने यह बात कही है कि अगर इस पर वोटिंग हो तो हम जीत सकते हैं। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार राजस्थान में ही नहीं है, हिन्दुस्तान में भी है। कांग्रेस में एकता रही है और कांग्रेस के अन्दर एकता रहेगी। हाईकोर्ट नहीं, यहां पर बैंच आये...

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : उपाध्यक्ष महोदय, यही भावना मेरी है। यही मैंने कहा है।

(शोरगुल)

श्री मुंशीलाल महावर : मैं एक निवेदन करूं...

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : जो मुंशीलाल जी कह रहे हैं, वही भावना हमारी है। हम भावना की लड़ाई नहीं लड़ना चाहते हैं।

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज!

(शोरगुल : अश्रव्य)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : उपाध्यक्ष महोदय, सदन का समय उस समय तक के लिए बढ़ा दिया जाय तब तक कि संकल्प पर पूरा विचार नहीं हो।

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज! माननीय सदस्य। माननीय सदस्य।

श्री मुंशीलाल महावर : मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं...

श्री उपाध्यक्ष : आप तशरीफ रखिये!

(शोरगुल–अश्रव्य)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : सदन का समय उस समय के लिए बढ़ा दिया जाय जब तक इस संकल्प पर पूरे रूप से विचार न कर लें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री गहलोत!

(शोरगुल : अश्रव्य)

श्री मुंशीलाल महावर: इस बात के हम खिलाफ हैं। हम भी इस बात के लिए तैयार नहीं हैं।

(शोरगुल : अश्रव्य)

लेकिन इसका श्रेय विरोधी दल के लोग लेलें–यह नहीं हो सकेगा। इसका श्रेय कांग्रेस को मिलने वाला है।

(शोरगुल : अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह बड़ी नई परम्परा डाल रहे हैं, बीच में पाइन्ट आफ आर्डर के लिए खड़े हो जाते हैं पाइन्ट आफ आर्डर के लिये खड़े होने के पहले कम से कम यह ध्यान रखें कि पाइन्ट आफ आर्डर क्या है। पाइन्ट आफ आर्डर के नाम पर खड़े होकर स्पीच दे दें–यह उचित नहीं मानता।

श्री मूलचन्द सामरिया : कांग्रेस वाले हैं, इनको कहिये, आदेश मानें।

(शोरगुल : अश्रव्य)

श्री मुंशीलाल महावर : मेरा पाइन्ट ऑफ आर्डर यह था कि जहां पार्टी में··

(शोरगुल : अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज!

श्री मोहनलाल छंगाणी : विभाजन की बात मत करें···

(अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : (श्री जनार्दनसिंह गहलोत से) आप कह चुके हैं।

श्री पी. के. चौधरी : मुझे एक जानकारी चाहिए थी, आपने सीरिअल आर्डर कैसे तोड़ दिया। प्रस्तावकों का सीरिअल आर्डर था, उसके अनुसार नाम पुकारने थे।

श्री उपाध्यक्ष : जोशीजी के स्थान पर बोल रहे हैं।

श्री पी. के. चौधरी : we have nothing to do with it

श्री उपाध्यक्ष : आप बोल लें, पहले गहलोत जी समाप्त कर दें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मेरा यह प्रस्ताव है···

(अश्रव्य)

(शोरगुल)

श्री मूलचन्द सामरिया : जोशीजी के स्थान पर मुझे बोलने दिया जाय। मेरे दल की ओर से।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जनार्दनसिंह गहलोत ! आप समाप्त कर चुके हैं।

(शोरगुल : अश्रव्य)

आप तशरीफ रखिये। यह समाप्त कर दें।

(शोरगुल : अश्रव्य)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : समय बढ़वा दिया जाय। जब तक सारे संकल्प पर सदन में विचार नहीं हो जाय, सारे सदस्य न बोल लें, जब तक वोटिंग न हो जाय तब तक के लिए समय बढ़ा दिया जाय। मेरा प्रस्ताव है कि सदन का समय बढ़ाया जाय।

कई माननीय सदस्य : नो ना !

(शोरगुल : अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! माननीय सदस्य ! माननीय सदस्य ! आप तशरीफ रखिये। मैं सदन के सदस्यों से यह जानना चाहता हूं कि माननीय गिरधारीलाल भार्गव ने प्रस्ताव रखा है कि सदन का समय बढ़ाया जाय, क्या सदन की अनुमति है।

(शोरगुल : अश्रव्य)

आर्डर आर्डर !

श्री हरिदेव जोशी : I oppose the move, Sir. I oppose the move, Sir, No. No.

एक माननीय सदस्य : समय ही न बढ़ाया जाय।

श्री हरिदेव जोशी : I oppose it. I oppose the move, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : आप तशरीफ रखिये।

श्री पी. के. चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय ...

श्री उपाध्यक्ष : आप तशरीफ रखिये।

श्री पी. के. चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, सुनिये, बात सुनिये।

श्री उपाध्यक्ष : आप तशरीफ रखिये। मैं समय के लिए पूछ रहा हूं।

श्री पी. के. चौधरी : सदन का समय समाप्त होने वाला है। यह आगे कन्टीन्यू करेगा ?

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : अर्ज यह है ...

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : उससे पहले यह तय हो जाय।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही 2 अप्रेल के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म.प. 5 बजे सोमवार दिनांक 2 अप्रेल, 1973 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

Page No 139

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न संख्या 883 की सूची)

(सर्वे किये हुए ग्रामों की सूची)

1. जम्बूरा
2. महुडी
3. शामपुरा
4. पादरडा
5. चन्दा जी कागडा
6. पीलाघर
7. ज़रियाना
8. अमरपुरा
9. पलोदडा
10. डागोखेडा
11. घावडिया
12. मद्दुदाडा
13. देवपुरा
14. पाडला
15. खारबदडा
16. कन्होडा
17. पहाडी
18. सलादा
19. वडगाव
20. करैली
21. बाना खुर्द
22. बाना कलां
23. नवाड़ा
24. छेमारी
25. दर्जनपुरा
26. जोधपुरिया
27. पन्दोदा
28. कुदियाखाडा
29. खेरवा
30. सुहारिया
31. इन्टाखो
32. पालोदा
33. राठोडा
34. श्यामपुर
35. भीमपुर
36. पाल निमडी
37. निचला गुडा
38. वडाबघी
39. उपला गुडा
40. जूनपुरिया
41. वागथला
42. मलादा
43. सिपुर
44. घाणी
45. बोरी
46. बाली
47. कुन्डा
48. ठोकर
49. करांडिया
50. सूखंड कालेड़ा
51. पन्डेर
52. पालसिपुर
53. निम्बोवा
54. कछोटा
55. नोमच
56. समघड़ा
57. घाकरडा
58. कालनखाडा

59. डायली
60. घालपुरिया
61. थाना
62. बान्डोली
63. भून्डला
64. बेजपुर
65. उचपुरिया खालसा
66. मेहुतो
67. उचपुरिया जागीर
68. नारायणपुरा
69. अम्बाला

परिशिष्ट 2

23	श्री मूलचन्द	वैद्य	सितम्बर 59	36.00
24	श्री सत्यदेव	"	"	107.00
25	श्री मुरलीधर	"	"	100.00
26	श्री प्रह्लाद राम	"	"	89.00
27	श्री शीशराम	उपवैद्य	"	30.00
28	श्री हरिप्रसाद	"	"	30.00
29	श्री असगरअली	"	"	30.00
30	श्री इन्द्राजसिंह	"	"	30.00
31	श्री लक्ष्मणसिंह	"	"	30.00
32	श्री कानाराम	"	"	30.00
33	श्री शिवनारायण	"	"	30.00
34	श्री जसवन्तसिंह	"	"	30.00
35	श्री रामजीलाल	"	अगस्त, सितम्बर 59	60.00
36	श्री बद्री प्रसाद	"	सितम्बर 59	30.00
37	श्री बजरंगलाल	"	"	30.00
38	श्री रामनिवास	"	अगस्त, सितम्बर 59	60.00
39	श्री श्रीराम	"	सितम्बर 59	30.00
40	श्री धारसिंह	"	अगस्त, सितम्बर	60.00
41	श्री चन्दगीराम	"	सितम्बर 59	30.00
42	श्री नारायणलाल	"	"	30.00
43	श्री शंकरलाल औष. भाटीवाड़	"	"	30.00
44	श्री मुरलीधर	"	"	30.00
45	श्री गणपतलाल	"	"	30.00
46	श्री शंकरलाल औष. रघुनाथपुरा	"	"	30.00
47	श्री भंवरलाल	"	"	30.00

1	2	3	4	5

(ता. प्र. सं. 602 की सूची)

वैद्य एवं उपवैद्यों के जिला बोर्ड झुन्झुनूं के समय की अवशिष्ट वेतन की सूची

क.सं.	नाम वैद्य/उपवैद्य	पद	अवशिष्ट वेतन का माह	रकम
1	2	3	4	5
1	श्री चन्द्र कुल	वैद्य	सितम्बर, 59	89.00
2	श्री केदारनाथ	,,	,,	80.00
3	श्री बनवारीलाल श्रौष. श्यामपुरा मेनाना	,,	,,	97.00
4	श्री घनश्याम शर्मा	,,	,,	80.00
5	श्री सदानन्द	,,	,,	83.00
6	श्री हरीनारायण	,,	,,	89.00
7	श्री गंगाधर	,,	,,	83.00
8	श्री प्रभात कुमार	,,	,,	80.00
9	श्री हनुमानप्रसाद	,,	,,	83.00
10	श्री राधेश्याम	,,	,,	94.00
11	श्री बनवारीलाल श्रौष. बजावा	,,	,,	89.00
12	श्री महावीर प्रसाद	,,	,,	86.00
13	श्री मोतीलाल	,,	,,	97.00
14	श्री देवीदत्त	,,	,,	98.00
15	श्री बैजनाथ शर्मा	,,	,,	97.00
16	श्री जुगलकिशोर श्रौष. खडामिया	,,	,,	86.00
17	श्री गौरीशंकर	,,	अगस्त, सितम्बर, 59	178.00
18	श्री किशोरीलाल	,,	सितम्बर, 59	80.00
19	श्री गोपीराम व्यास	,,	,,	89.00
20	श्री रामेश्वरलाल	,,	,,	86.00
21	श्री नारायण दत्त	,,	,,	80.00
22	श्री जुगल किशोर श्रौष. काली पहाड़ी	,,	,,	89.06

परिशिष्ट 3

(समयाभाव के कारण सदन में न लिए गये तारांकित प्रश्नोत्तर)

केन्द्रीय सरकार के पास विचाराधीन सिंचाई योजना

887. **श्रीमती निर्मला कुमारी (चित्तौड़गढ़)** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य की कितनी मध्यम तथा वृहत सिंचाई योजनायें केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन हैं ?

(2) क्या योजनायें भूगोलिक स्थिति को देखते हुए स्वीकृत होती हैं ?

(3) इस वर्ष कितनी योजनायें स्वीकृत हो गई हैं तथा कितनी योजनाओं के और स्वीकृत होने की आशा है ?

उत्तर

(1) दो मध्यम योजनायें केन्द्र सरकार के विचाराधीन हैं ?

(2) योजनायें आर्थिक एवं तकनोकी फिजिबिलिटी के आधार पर स्वीकृत की जाती हैं ।

(3) इस वर्ष कोई योजना केन्द्र द्वारा स्वीकृत नहीं की गई एवं ना ही कोई संभावनाएं हैं ।

जे. आर. के नहर शाखा के मोगे

888. **श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (सूरतगढ)** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) भाखरा सिस्टम की जे. आर. के शाखा नहर पर कुल कितने मोगे हैं ?

(2) क्या यह सही है कि 23 जे. आर. के.—ए तथा 28 जे. आर. के.—बी के सामने ठोकरें लगी हुई हैं ?

(3) क्या यह सही है कि इन ठोकरों के कारण जे. आर. के. शाखा नहर के निचले चकों में पानी नहीं आता ?

(4) क्या यह सही है कि इन ठोकर को तोड़ने के सम्बन्ध में एक्स. ई. एन. पीलीबंगा डिवीजन ने रिपोर्ट भी की है ? यदि हां, तो इन ठोकरों को तोड़ा क्यों नहीं जा रहा है ?

उत्तर

(1) इस नहर पर कुल 33 मोगे हैं ।

(2) जी हां ।

(3) जी नहीं ।

(4) जी नहीं ।

सीकर भूमि विकास बैंक द्वारा ट्रैक्टर की खरीद के लिए ऋण

889. **श्री सांवरमल मोर (श्री माधोपुर)** : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सीकर

(सांवरमल मोर)
सहकारी भूमि विकास बैंक लि., सीकर द्वारा मृतक श्री रतनाराम पुत्र श्री बक्साराम जाति जाट निवासी नीमेड़ा तहसील श्री माधोपुर जिला सीकर के नाम से रु. 20,000.00 (बीस हजार रुपये) का ऋण ट्रेक्टर खरीदने हेतु दिया गया था ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त मृतक श्री रतनाराम की आज से करीब 10 साल पहले देहान्त हो चुका था ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त घोटाले में सीकर सहकारी भूमि विकास बैंक लि., सीकर के कुछ कर्मचारी भी शामिल हैं ? अगर हां, तो कौन कौन हैं ? नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ? घोटाले में सम्मिलित कर्मचारियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि अभी तक उस मामले के घोटाले में अपराधी कर्मचारी व अन्य कुछ लोग बचाये जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां

(2) रतनाराम के पुत्र श्री कालूराम के बयान के अनुसार देहान्त सम्वत् 2012 में होना जाहिर होता है।

(3) जी हां, सहकारी भूमि विकास बैंक लि., सीकर के कर्मचारी श्री नागरमल सैनी व तत्कालीन सचिव श्री रमेशचन्द शर्मा तथा भूमि मूल्यांकन अधिकारी श्री बंदलूराम दोषी पाये गये। इन कर्मचारियों को निलम्बित किया जा चुका है व अनुशासनात्मक कार्यवाही जारी है।

(4) जी नहीं।

गाम थामलोदा की भूमि पर कब्जा

890. श्री हनुमान सहाय (बैराठ) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम थामलोदी (इदी) तहसील बैराठ जयपुर की सिवाय चक भूमि पर पंचायत के सरपंच द्वारा अनधिकार कब्जा करने की कार्यवाही की जा रही है ?

(2) क्या यह सही है कि इस भूमि पर हजारों खिजूर के सरकारी वृक्ष हैं और इन वृक्षों की उपज का लाभ उठाने वालों के खिलाफ गत वर्षों के लगभग 12,000 रुपयों की सरकारी बकाया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि इस संबंध में मौके पर एस. डी. ओ. कोटपूतली एवं पंचायत निरीक्षक द्वारा जांच की जा चुकी है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही हुई ?

(4) क्या तहसील बैराठ द्वारा अनधिकृत खिजूरों के पत्ते एवं वृक्षों को बेचने एवं लाभ उठाने के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ? क्या हलका गिरदावर ने अनधिकृत लाभ उठाने वाले से कोई वसूली की कार्यवाही की है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

Page No 145

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

(4) प्रश्न नहीं उठता।

हरसोर—परबतसर सड़क

891. श्री **रामलाल** (मेड़ता)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि हरसोर परबतसर (जिला नागौर) सड़क पर भकरी के पास दक्षिण के तरफ जो बांध बना हुआ है के ओटे का पानी सड़क के ऊपर से बहता है?

(2) क्या यह सही है कि 1968 में अतिवृष्टि से उक्त जगह जो सड़क टूट गई थी वह आज तक भी तालाब नुमा बनी हुई है और उसकी मरम्मत नहीं की जा सकी?

(3) क्या यह सही है कि वर्षा के दिनों में उक्त सड़क पर 4 फीट तक पानी भर जाता है जो महीनों पड़ा रहता है?

(4) क्या यह सही है कि वर्षा के दिनों में परबतसर में भरने वाले पशु मेले में जाने की यहां एक मात्र सड़क इस इलाके में है वहां से सैंकड़ों बसें, ट्रकें, मवेशी और वाहन निकलते हैं पर निकल नहीं पाते?

(5) अगर यह सही है तो और कितने वर्षों तक उक्त सड़क ऐसे ही रखने की सम्भावना है?

(6) क्या इसी वर्ष उक्त सड़क वर्षा से पूर्व बन कर तैयार हो सकेगी?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) मरम्मत कराई गई है।

(3) जी हां।

(4) भकरी के निकट वर्षा का पानी रहने के कारण यातायात को कठिनाई होती है।

(5) अर्थाभाव के कारण सम्भव नहीं हुआ है।

(6) जी, नहीं। कार्य योजना में स्वीकृत नहीं है।

शाहबाद में भूमि का आवंटन

892. **श्रीमती नगेंद्रबाला** (दीगोद)—क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पंचायत समिति शाहबाद में सन् 1962 से सन् 1972 तक कुल कितने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति को भूमिहीन व्यक्तियों को भूमि अलाट की गई। कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती नगेन्द्रबाला)

(2) उक्त क्षेत्र में अब तक कुल कितने व्यक्ति अलाट की गई भूमि पर काबिज हैं ?

(3) क्या यह भी सही है कि ऐसे भूमिहीन व्यक्तियों की वह जमीन जो उन्हें अलाट की गई, अन्य जमींदारों एवं बड़े किसानों ने दबा ली है ?

(4) क्या अलाट हुई भूमि किन्हीं अन्य व्यक्तियों को बेचान की हुई है ? यदि हां तो किसकी भूमि किसको बेचान हुई ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पंचायत समिति शाहबाद में सन् 1962 से सन् 1972 तक कुल 1,948 अनुसूचित जाति एवं 4,375 अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों को भूमि अलाट की गई है। विस्तृत सूचि होने के कारण जिलाधीश कार्यालय में देखी जा सकती है।

(2) आवंटित भूमि पर पूरे व्यक्ति काबिज नहीं हैं।

(3) कुछ व्यक्तियों की भूमि दबाली गई है, जिनकी सूचि संलग्न है।

(4) तहसील शाहबाद श्री रामनाथ सिपाही की भूमि का बेचान श्री राजेन्द्रकुमार किराड़ साकिन केलवाड़ा के नाम हुआ है। तथा तहसील किशनगंज में इस प्रकार का कोई बेचान नहीं हुआ है।

सूचि अलोटी जिसकी अलोट शुदा भूमि पर अन्य व्यक्तियों का कब्जा

क्रम सं.	नाम अलोटी	नाम ग्राम	क्षेत्रफल	नाम व्यक्ति जिसने कब्जा किया
1	2	3	4	5
1.	श्री ग्यारसी पुत्र लाल शाह शहर साकिन पैनाबदा	पैनाबदा	9.5	श्री प्रभूलाल पुत्र रामदयाल काछी पैनाबदा
2.	काना ग्रा. पोश सहर	,,	3.2	,, ,, ,,
3.	काल पांच्या सचरा पुत्र बरखा सहर	हतवारी	7)	श्री दौलतराम पुत्र चिन्टूलाल काछी
4.	गनेशा पुत्र हीरा सहर साकिन पैनाबदा	परला	3.2	,, ,, ,,
5.	कन्हीराम पुत्र पीशूराम सहर	पैनाबदा	1.11	मीतसिंह पुत्र दलीपसिंह पंजाबी
6.	नथवा पुत्र रामला सहर	पैनाबदा	6.11	फूलसिंह पुत्र छत्रसिंह जाट पैनाबदा सरस्वती जी कौम काछी
7.	मूल्या पुत्र हीरा सहर कलवाड	दांता	5)	रघुवीरसिंह पुत्र चरनसिंह जाट सा. सीताबाडी

1	2	3	4	5
(राजस्व मंत्री)				
8.	सुखा पुत्र रतनलाल कोली	दांता	5	धूलसिंह पुत्र क्षयसिंह जाट पैनावदा सरस्वती बी कौम काछी
9.	गोविंदी पुत्र नथवा कोली	,,	5)	रघुवीरसिंह पुत्र चरनसिंह जाट सा. सीताबाडी
10.	भदई पुत्र लालचन्द	,,	5)	,, ,, ,,
11.	परमा पुत्र भजनी सहर	,,	5)	,, ,, ,,
12.	फन्दी पुत्र मोती कोली	,,	5)	,, ,, ,,
13.	भंवरलाल पुत्र धमोरी कोली	,,	6)	,, ,, ,,
14.	घासी पुत्र पुरीया चमार	केलवाड़ा	4)	श्री रामपालसिंह जाट साकिन चिन्डालिया
15.	बिहारी पुत्र पीन्या चमार	,,	4)	,, ,, ,,
16.	लखी पुत्र दुल्ला चमार	,,	4)	,, ,, ,,
17.	भंवरिया पुत्र भाई सहर	,,	4)	,, ,, ,,
18.	बलराम पुत्र किशन सहर	,,	4)	आर्य मित्र पुत्र मूलचन्द कलवाडा
19.	कल्लू पुत्र पीन्या चमार	,,	4)	,, ,, ,,
20.	हल्के पुत्र कल्ला कोली	,,	4)	नन्दलाल भूतपूर्व तहसीलदार
21.	हल्ला पुत्र बालचन्द कोली	,,	4)	,, ,, ,,

ह.

जिलाधीश कोटा

जैतारण में विद्युत कनेक्शन

893. श्री सुखलाल सैणचा (जैतारण) –क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कृषि पुनर्वित्त निगम के अन्तर्गत लघु सिंचाई योजना जैतारण में विद्युत् कनेक्शन देने में किन कारणों से विलम्ब हो रहा है ?

(2) क्या यह सही है कि योजना के अन्तर्गत दिये जाने वाले ऋणी सदस्यों को प्राथमिकता दिये जाने का प्रावधान है ? यदि हां, तो योजना लागू होने के पश्चात् अब तक कितने विद्युत् कनेक्शन दिये जा चुके हैं ?

(3) इस सम्बन्ध में राज्य सरकार की घोषित नीति क्या है ?

उत्तर

(1) जैतारण तहसील में अब तक के 38 विद्युतिकृत ग्रामों में 7 ग्राम कृषि पुनर्वित्त निगम स्कीम के हैं इनमें कुल 17

(विद्युत् मंत्री)
प्रार्थना-पत्र कुओं के कनेक्शन के लिए प्राप्त हुए थे जिनकी स्थिति संलग्न तालिका में दर्शायी गई है।

(2) जी नहीं। ऋणी सदस्यों को अलग से कोई प्राथमिकता देने का प्रावधान नहीं है।

(3) मण्डल के आदेशानुसार प्राथमिकता के आधार पर ही कनेक्शन दिये जाते हैं।

राजस्थान नहर योजना

894. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर)—क्या राजस्थान नहर परियोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान नहर की योजना केन्द्रीय जल एवं विद्युत् आयोग द्वारा तैयार की गई थी? यदि हां, तो उक्त आयोग के कौन कौन सदस्य थे?

(2) उक्त योजना की प्रोजेक्ट रिपोर्ट किसने तैयार की थी? उक्त प्रोजेक्ट रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) उक्त योजना बनाने में भूतपूर्व चीफ इन्जीनियर श्री कंवरसेन ने क्या सक्रिय योग दिया?

(4) क्या यह सही है कि उक्त योजना के आधार पर राजस्थान नहर का पानी जैसलमेर से लूनी तक आकर लूनी नदी में मिला कर और फिर लूनी नदी को कच्छ की खाड़ी में मिला दिया जाकर नेवीगेशन के लिए काम में लाने का था?

(5) राज्य सरकार द्वारा उक्त योजना को कार्यान्वित न करने के क्या कारण रहे हैं?

(6) क्या राज्य सरकार अपने निर्णय पर दुवारा गौर कर परिवर्तन कर उक्त नेवीगेशन की योजना को अपना कर बाड़मेर जिले की प्रगति का विचार करेगी?

(7) क्या राज्य सरकार नयी योजना बना कर राजस्थान नहर के पानी को बाड़मेर जिले में पहुँचाने का प्रयास करेगी?

उत्तर

(1) जी नहीं। केन्द्रीय जल एवं विद्युत् आयोग ने तो इसकी एक प्रारम्भिक योजना ही बनाई थी। मूल योजना तद्-उपरान्त सिंचाई विभाग राजस्थान ने ही तैयार की थी।

(2) मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग राजस्थान ने रिपोर्ट तैयार की थी। प्रोजेक्ट रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(3) कुछ भी नहीं।

(4) जी नहीं। योजना में ऐसा कोई प्रावधान कभी भी नहीं रखा गया था।

(5) प्रश्न ही नहीं उठता।

(6) ऐसा कोई विचार नहीं है।

(7) फिलहाल ऐसा कोई विचार नहीं है।

(प्रोजेक्ट रिपोर्ट की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

ग्राम पंचायत गोहाना का आडिट

895. श्री चिम्मनसिंह भाटी : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जिला अजमेर की पंचायत समिति जवाजा में ऐसी कितनी पंचायतें हैं जिन्होंने पिछले 7 वर्षों से अपना आडिट व निरीक्षण नहीं करवाया है ?

(2) क्या यह सच है कि जवाजा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत गोहाना के सरपंच ने पिछले 7 वर्ष से पंचायत का आडिट व निरीक्षण नहीं करवाया है ?

(3) क्या सरकार ने 7 वर्ष तक इस सम्बन्ध में उक्त सरपंच के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की ? यदि 'कार्यवाही नहीं हुई तो आज 7 वर्ष तक उस सरपंच के पक्ष में कोई निर्णय क्यों नहीं किया गया ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त सरपंच ने आज तक पंचायत की बैठक नहीं बुलाई तथा पंचायत के समस्त पत्र व रजिस्टर इत्यादि तक गायब कर दिये ? यदि हां, तो फिर उसके विरुद्ध पुलिस कार्यवाई क्यों नहीं की जा रही है ?

उत्तर

(1) ऐसी कोई पंचायत नहीं है।

(2) सरपंच ग्राम पंचायत गोहाना ने वर्ष 68–69 से आडिट व 1965 से निरीक्षण नहीं करवाया।

(3) जिलाधीश, अजमेर से इस संबंध में रिपोर्ट दिनांक 9–2–73 को प्राप्त होने पर सरपंच को दिनांक 16–3–73 को आरोप पत्र देकर सुनवाई का दिनांक 10–4–73 नियत किया गया है।

(4) सरपंच पर यह आरोप लगाया है कि उसने पंचायत की एक भी बैठक नहीं बुलाई तथा जांच जारी है। उसने रिकार्ड खो जाने तथा इसकी रिपोर्ट पुलिस थाना ब्यावर में करने की सूचना देना बताया है जिसकी भी जांच जारी है।

गंग नहर क्षेत्र में फसल को क्षति

896. श्री गुरुदयालसिंह संधु (करणपुर):–क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि अक्टूबर, 1972 में गंग कैनाल का 700 सी. सी. पानी भाखड़ा का 300 सी. सी, राजस्थान कैनाल का 1000 सी. सी. कुल 2000 सी. सी. पानी बन्द करके घग्घर दरिया (नदी) में छोड़ा गया था ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि पानी बन्द करने के कारण गंग नहर क्षेत्र में नरमें की फसल नष्ट हो गई है और किसानों को बहुत बड़ी हानि हुई है ?

(3) क्या सरकार उपरोक्त नुकसान का मुआवजा गंग नहर क्षेत्र के किसानों को अदा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। नाली के बेड में बोई हुई चावलों की पकाई पर आई हुई फसलों को नष्ट होने से बचाने के लिए यह पानी छोड़ा गया था।

(सिंचाई मंत्री)

(2) जी नहीं।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

पंचायत समिति बामनवास में अध्यापकों की नियुक्ति

897. श्री चेतराम (टोडाभीम):—क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, बामनवास (जिला सवाईमाधोपुर) में कुछ अध्यापकों की नियुक्ति की गई जो राजस्थान के निवासी नहीं हैं और उनको शैक्षणिक योग्यतायें भी अध्यापन हेतु पूरी नहीं होती है?

(2) यदि हां, तो उनके नाम पता शैक्षणिक योग्यता क्या है और उनको नियुक्ति के क्या आधार हैं? दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि पंचायत समिति बामनवास ने 1972-73 में बिना जिला परिषद् की अनुमति के उक्त अध्यापकों की नियुक्ति की है? यदि हां, तो सरकार इस बारे में क्या कार्यवाही करने जा रही है?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(3) जी नहीं।

चाकसू सांभर सड़क पर डामर का कार्य

898. श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा (फागी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि चाकसू-सांभर रोड़ पर डामर का कार्य अपूर्ण है? यदि नहीं, तो सन् 1967 से 1972 तक कितनी राशि व्यय की गई है और कितनी दूर तक डामर बिछाई गई?

(2) इस वित्तीय वर्ष में इस सड़क के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली राशि में क्या डामर बिछाने का कार्य पूर्ण हो सकेगा? यदि नहीं, तो कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा?

(3) क्या यह भी सही है कि फागी चाकसू तहसील क्षेत्र के गांवों को जोड़ने वाली सड़कों की स्थिति दयनीय है? बाढ़ से इस क्षेत्र की कौन कौनसी सड़क खराब हुई और उन पर सरकार ने कितना व्यय किया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त सड़कों को कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा? क्या प्रत्येक पंचायत मुख्यालयों को सड़कों से जोड़ा जा चुका है? यदि नहीं, तो यह कार्य कब तक पूर्ण हो सकेगा?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं।

अर्थाभाव के कारण निश्चित नहीं कहा जा सकता।

(3) जी नहीं।

सूची (अ) प्रस्तुत है।

(4) अर्थाभाव के कारण निश्चित नहीं कहा जा सकता।

जिला खण्ड, जयपुर की समस्त पंचायत समितियां सड़क से जुड़ी हुई हैं।

–सूची. ब–

चाकसू फागी क्षेत्र में बाढ से खराब हुई सड़कों पर व्यय की गई धनराशी की सूची

क्रमांक	नाम सड़क	स्वीकृत धनराशि 1971–72	व्यय धनराशि
1.	चाकसू फागी सड़क माईल 0 9 व चाकसू रेल्वे स्टेशन पर पहुंचने वाली सड़क	2,908) रु.	2,908) रु.
2.	चाकसू फागी सड़क मील- 10 व 11	8,719) रु.	8,719) रु.
3.	फागी रेल्वे स्टेशन सड़क व फागी गांव से सांगानेर मालपुरा रोड़	13,547) रु.	13,547) रु.
4.	चाकसू फागी सड़क मील-10 (बाड़ी नदी के आगे तक)	22,709) रु.	22,709) रु.
	कुल योग :—	47,883) रु.	47,883) रु.

परिशिष्ट 4

(अता. प्रश्न संख्या 523 की सूची)

APPENDIX 'A'

Name of village	Name of consumer	Whether Demand Notice issued	Whether security deposited or not	Whether the line of intending consumer is completed up to well	Whether the consumer has deposited L form	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
Jhareda	1. Sh. Bhori Lal	Yes	Yes, dt. 9-3-73	Yes	No	Connection could not be released for want of L form
	2. Sh. Onkarya	Yes	Yes, dt. 9-3-73	Yes	No	-do-
	3. Sh. Modan Pal	Yes	Yes, dt. 9-3-73	Ycs	No	-do-
	4. Sh. Chhagan Lal	Yes	Yes, dt. 9-3-73	Yes	No	-do-
	5. Sh. Jaypal	Yes	Yes, dt. 9-3-73	Yes	No	-do-

परिशिष्ट 5

(अ. ता. प्रश्न संख्या 525 की सूची)

ANNEXURE 'A'

LIST OF ELECTRIFIED VILLAGES IN TEHSIL BAIRATH

S. No.	Name of villages	Date of electrification	Date of sanction
1.	Nayan	14-10-71	13-9-71
2.	Hanutia	28-10-71	
3.	Hanootpura	30-12-72	
4.	Vishangarh	31-7-72	
5.	Gonakasar	31-12-72	

Appendix 'B'

Position of Agriculture connections in the Electrified Villages of Tehsil Bairath

S. No.	Name of village	Total No. of applications received	Period during which applications received	No. of applications and date of demand notice issued	No. of applicant who deposited amount of D. Notice	No. of connection received	Reasons for pending
1.	Haritia	50	from 9-8-71 to 6-3-73	20 on 27-9-72	12	12	—
2.	Hanootpura	22	from 1-4-73 to 8-2-73	20 on 8-9-72	19	12	'L' form not received from 7 consumers
3.	Nayan	63	from 28-6-71 to 16-2-73	18 on 17-1-73	17	—	None of the consumers have submitted L form.
4.	Genaksar	9	23-10-72	9 on 4-12-72	8	—	-do-
5.	Vishangarh	62	from 3-8-71 to 18-11-71	29 on 29-1-73	17	—	14 consumers submitted their 'L' form but their fitting are not ready

परिशिष्ट 6

(अ. ता. प्रश्न सं. 526 की सूची)

List of Electrified Localities of Raisinghnagar Tehsil

S. No.	Name of Locality	Date of electrification	Year
1.	Chak 24 PS	1-4-69	1969-70
2.	Chak 79 RBA	3-2-71	
3.	Chak 79 RBB	3-2-71	1970-71
4.	Chak 4 PS	11-1-71	
5.	Budhjodh	31-3-71	
6.	Fandasar	30-3-70	
7.	Chak 21 PS	14-4-71	
8.	Dabla Haripura	30-11-71	1971-72
9.	Chak 3 PS	30-9-71	
10.	Chak 14 PSB	30-9-71	
11.	Chak LC 3	30-11-71	
12.	Chak 9 FFB	21-4-72	
13.	Chak 3 FFB	18-5-72	1972-73
14.	Chak 4 RRB	15-8-72	

परिशिष्ट 7

(म.ता. प्र. सं. 527 की सूची)

सूरतगढ़ तहसील में विद्युतिकृत ग्रामों की सूची

1.	डूलमाना	12-11-71
2.	ब्राहपाल	17-2-72
3.	मानकथेरो	"
4.	सोरामसर	"

परिशिष्ट 8

(प. ता. प्र. सं. 528 की सूची)

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बकानी जिला झालावाड़ में जनवरी, 1969 में 31 दिसम्बर, 1969 व 1 जनवरी, 1972 से 31 दिसम्बर, 1972 तक के उपचार किये गये रोगियों का प्रति माह का ब्योरा :–

महीनों के नाम	वर्ष 1969		वर्ष 1972	
	आउट डोर	इन्डोर	आउट डोर	इन्डोर
जनवरी	1,674	77	1,827	–
फरवरी	1,726	94	1,323	40
मार्च	2,015	109	1,973	120
अप्रेल	2,339	177	2,348	115
मई	2,182	218	2,229	81
जून	2,030	165	2,261	90
जुलाई	2,298	114	2,806	56
अगस्त	2,108	152	2,704	66
सितम्बर	3,197	92	3,417	62
अक्टूबर	2,899	16	2,948	79
नवम्बर	2,212	28	3,177	39
दिसम्बर	2,341	23	2,138	114

परिशिष्ट 9

(अ. ता. प्र. सं. 531 की सूची)

वर्ष	आवंटित धनराशि	व्यय
1969—70	1,00,000.00	33,516.00
70—71	45,000.00	34.612.00
71—72	70,000.00	14,211.00
72—73	45,000.00	कार्य प्रगति पर है।

———

परिशिष्ट 10

(अ. ता. प्रश्न संख्या 532 की सूची)

सूची (अ)

श्री के. एस. मेहता तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता, वृत्त 3, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर श्री एच. पी. कुच्छल अधिशासी अभियन्ता, जिला खण्ड, जयपुर के विरुद्ध निम्न कार्यों के अनियमितताओं की शिकायत की है।

1. Toonga Lavan Road.
2. Huge over payments in supply of materials for PHTC Building at Naila.
3. Improvement of road Boras-Toonga Road mile No. 9, 10, 11
4. Renewal of Kathoon Lalsot road mile 7, 8, 9 & 10
5. Heavy loan and irregularity in re-rolling of surplus steel into rounds of 10 mm to 16 mm
6. Huge overpayment in collection of grit and ballast at Dudu, Chomu & Phulera Section
7. Heavy excess payment made in execution, repair works in District Division during the month of March & April

परिशिष्ट 11

(म. ता. प्र. सं. 536 की सूची)

खाली कट्टों की सूची

क्र. सं.	नाम बन्ध	तहसील	कुल इस्तेमाल हुए कट्टे	दर	कुल रकम
1.	कालखो बान्ध	दौसा	800	71—70	573—60
2.	झिलमलो	,,	—	—	
3.	चूडास	,,	—	—	
4.	पापड़दा	,,	100	—	61—70
5.	गेटोला	,,	—		
6.	हरिपुरा	,,	—		
7.	सिन्दोली	,,	—		
8.	रामपुरा	,,	30	,,	21—51
9.	सेथल	,,	80	,,	17—36
10.	माधोसागर	सिकराय	100	,,	71—70
11.	भण्डारी	,,	300	,,	215—70
			1410		1010.97

खाली बोरियों की सूची

क्र.सं.	नाम बन्ध	तहसील	कुल बोरी	कुल रकम
1.	माधोसागर व भंडारी बन्ध	सिकराय	530	838—00
	कुल खर्चा	1010.97	838.00	1748.97—(1849.00)

मजदूरी

क्र.सं.	नाम बन्ध	तहसील	औसत मजदूर	अवधि दिन 1-6-72 से 30-9-72 तक	कुल खर्च 1-6-72 से 30-9-72 तक	विवरण
1.	कालाखो	दौसा	20		7260/-	
2.	झिलमिली	,,	5		2190/-	
3.	घुरास	,,	6		2496/-	
4.	पापड़दा	,,	1		451/-	
5.	गेटोलाव	,,	2		663/-	
6.	हरिपुरा	,,	5		2013/-	
7.	निनोली	,,	4		1394/-	
8.	रामपुरा	,,	3		2019/-	
9.	सैंथल	,,	5		1384/-	
10.	माधो सागर	सिकराय	27		8898/-	
11.	भन्डारी	,,	13		5061/-	
				योग :	34289/-	

Page No 162

परिशिष्ट 12

(अतारांकित प्रश्न संख्या 442 की सूची)

वन विभाग के कब्जे की काबिल किश्त की सूची तहसील अकलेरा से प्राप्त जिला झालावाड़।

नं.	नाम गांव		तादाद भूमि
1.	चुरेलिया		115)
2.	मडेरी		1)
3.	अरही खेडा		338।4
4.	गोरधनपुरा		8)
5.	देहलनपुर		11।2
6.	मालता		200)
7.	उमरी		28)
8.	खेरखेडा		40)
9.	रूपपुरा		1408)3
10.	बरखेडा		11(4)2
11.	खाताखेडी		61)3
12.	आसखेडो मैया तियान		182)
13.	कालूखेडी		361)
14.	[illegible]		330)
15.	देवरी कला		6।।)
16.	मदनपरा		6।।।)
17.	अमरपरा		677।3

जिलाधीश, झालावाड़

परिशिष्ट 13

(अतारांकित प्रश्न संख्या 545 की सूची)

मानचित्र जिला रेकार्ड रूप में निर्णीत पत्रावलियां जमा होने का

1.	जिलाधीश नागौर	980
2.	अतिरिक्त जिलाधीश, नागौर	7893
3.	उप खण्ड अधिकारी, नागौर	1645
4.	सहायक जिलाधीश एवं मजिस्ट्रेट नागौर	1114
5.	उप खण्ड अधिकारी, परबतसर	6033
6.	उप खण्ड अधिकारी, मेडता	4348
7.	उप खण्ड अधिकारी, डीडवाना	86
8.	तहसीलदार मेड़ता	5942
9.	तहसीलदार डेगाना	4027
10.	तहसीलदार, नावां	967
11.	नायब तहसीलदार, डेगाना	1974
	योग :	35009

परिशिष्ट 14

(अतारांकित प्रश्न संख्या 548 की सूची)

वर्ष 1965 में सांख्यिकी सहायक के पद के लिये विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयनित व्यक्तियों के नामों की सूची।

(1) श्री शक्ति प्रकाश माथुर।

(2) श्री कृष्ण दत्त शुक्ला।

(3) श्री रमेश चन्द्र गुप्ता (पुत्र श्री गोबिन्द शरण गुप्ता)

(4) श्री हरीश चन्द्र तायल।

(5) श्री अम्बरीश सक्सेना।

) श्री हेमेन्द्र बिहारी सक्सेना।

(7) श्री देवराज बोहरा।

(8) श्री तुलसी राम चौबीसा

(9) श्री गोपाल लाल गुप्ता।

(10) श्री गोपाल कृष्ण माथुर।

(11) श्री निर्मल कुमार करनावल।

(12) श्री श्याम सुन्दर सिंघवी।

(13) श्री गोविन्द प्रसाद मेड़तवाल।

परिशिष्ट 15

(अ. ता. प्र. सं. 549 की सूची)

स्थिर एवं प्रचलित मूल्यों पर आधारित प्रति व्यक्ति आय सम्बन्धी सूचना

विवरण	1954–55	1955–56 (प्रथम पंच वर्षीय योजना का अन्तिम वर्ष)	1960-61 (द्वितीय पंच वर्षीय योजना का अन्तिम वर्ष)	1965–66 (तृतीय पंच वर्षीय योजना का अन्तिम वर्ष)	1968–69 (तीन वर्षीय योजनाओं का अन्तिम वर्ष)	1971–72 (चतुर्थ पंच वर्षीय योजना का तीसरा वर्ष)
1	2	3	4	5	6	7
1. स्थिर (वर्ष 1954–55) मूल्यों पर आधारित आय :						
(क) प्रति आय	233	236	237	241	247	282
(ख) पिछले, योजना काल से आय में, प्रतिशत वृद्धि			0.42	1.69	2.49	14.17+
2. प्रचलित मूल्यों पर आधारित आय :						
(क) प्रति व्यक्ति आय	233	260	318	381	426	575
(ख) पिछले योजना काल से आय में प्रतिशत वृद्धि			22.31	12.81	11.81	34.93+

+ यह वृद्धि चतुर्थ योजनाकाल के दोन वर्षों की ही है ।

शुद्धि-पत्र

शुक्रवार, दिनांक 30 मार्च, 1973

स्कम्भ संख्या 1	पंक्ति संख्या 2	अशुद्ध 3	शुद्ध 4
4	ऊपर से 11	सिन्धु	सन्धु
9	नीचे से 4	अन्तर	अन्दर
22	नीचे से 7	श्रीराम	श्री श्रीराम
32	शीर्ष	प्रश्नोत्तर	प्रश्नोत्तर
33	ऊपर से 9	नह	नहीं
36	ऊपर से 6	श्री उम्मेदीलाल	884 श्री उम्मेदीलाल
6	नीचे से 5	र्बस	सर्व
9	ऊपर से 7	(चरपत्र)	चरण
9	नीचे से 1	बेंबने	बेचने
9	नीचे से 2	जनीन	जमीन
0	ऊपर से 1	मसूदा	—
0	ऊपर से 9	योन्द्रनाथ	योगेन्द्रनाथ
42	ऊपर से 1	खरीद	खरीदी
48	ऊपर से 12	क्या	—
48	नीचे से 1	जिले	की जिले
48	नीचे से 8	सहकारिता मंत्री	राज्य मन्त्री सहकारिता
49	ऊपर से 10	भेजी	रखी
50	ऊपर से 5	महोदय	महोदय का
53	नीचे से 9	उसमें	उसके
55	नीचे से 7	यह	जवाब
57	ऊपर से 11	सहकारी	सरकार
8	ऊपर से 7	ने	के
0	नीचे से 14	गया	—
2	नीचे से 17	फर्म में	फर्म ने
3	नीचे से 2	श्री यसवन्तसिंह	श्री यशवन्तसिंह नाहर
3	नीचे से 2	घाटे का	घाटे का प्रश्न
1	नीचे से 11	उपनिदेशन	उपनिवेशन
07	शीर्ष	प्रस्ताओं	प्रस्तावों

1	2	3	4
119	शीर्ष	वक्तव्य	वक्तव्य
128	ऊपर से 15	सपितियों	समितियों के
131	शीर्ष	विधेयक का	विधायी कार्य
135	ऊपर से 14	श्री केदारनाथ	श्री केदारनाथ (गंगानगर)
135	ऊपर से 14	अध्य	अध्यक्ष
136	शीर्ष	शासकीय	अशासकीय
137	ऊपर से 17–18	रैगिस् तानर	रैगिस्तान
148	नीचे से 8	लास	खास
155	ऊपर से 13	गफार	गफ्फार
156	नीचे से 2	मोहनलाल	मोहनराज
166	शीर्ष	सनमाप	समापन
224	नीचे से 13	इसरे	इसके
239	नीचे से 17	अन्में	अन्दर में
253	नीचे से 5	हाई कोर्स	हाई कोर्ट
266	ऊपर से 1	मानगीय	माननीय
279	ऊपर से 1	परिशिट	परिशिष्ट
287	ऊपर से 5	श्री एच. पी	ने श्री एच. पी.

———